खण्ड-417, अंक-4
मंगलवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1917
(8 अगस्त, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 417 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ग
नियम 31। के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-67
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नगरों पर परमाणु बम गिराये जाने से लाखों लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में सम्वेदना	67-72
नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
मथुरा जनपद के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई हेतु टेल तक पानी न पहुंचने एवं माइनरों व राजबहों की खुदाई न कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72-73
बांदा में विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा संचालित कार्यों में लगे हुये मजदूरों को शासनादेश के अनुरूप पारिश्रमिक न दिये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73-74
गाजियाबाद में खिलाड़ियों के लिये सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम बनवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
शारदन बीज विधायन केन्द्र सुलतानपुर को किसानों के हित में चालू कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
वाराणसी के चौका घाट स्थित गरीब दुकानदारों को पुनर्वासित कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75-76
गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत स्टेट सेक्टर योजना में सड़कों का लेपन करवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	76
जनपद उन्नाव के अधिकांश ग्रामों में विद्युत आपूर्ति न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	77
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	77-78

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	78-79
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	79-80
कतिपय सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	80-84
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	84-105
प्रदेश के इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के संबंध में सूचना	105-108
विभिन्न सूचनाओं को सुने जाने की मांग	108-111
लखनऊ में परिवर्तन चौक बनाये जाने तथा उसमें पेरियार रामास्वामी नायकर की मूर्ति की स्थापना की घोषणा किये जाने पर आपत्ति विषयक सूचना	112-117
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या 32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) अनुदान संख्या 33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) अनुदान संख्या-35 (परिवार कल्याण) अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण).... (स्वीकृत)	118-192
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 (पारित) ..	192-225
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	225-226
ग्रेनाइट पत्थर की पहाड़ियां नीलाम होने से बन्द हो रहे स्टोन क्रेशर उद्योग एवं बेकार हो रहे हजारों मजदूरों के सम्बन्ध में श्री भैरो प्रसाद मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य	226-227
लखनऊ महानगर में गुडम्बा थाना क्षेत्रांतर्गत एक व्यवसायी का अपहरण किये जाने तथा नगर की बिगड़ती कानून व्यवस्था विषयक श्री राम कुमार शुक्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ..	227-228

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ महानगर के हजरत महल वार्ड (महानगर क्षेत्र) में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम कुमार शुक्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य	228-230
भदोही जनपद में ज्ञानपुर नहर तथा उससे निकली सीखड़ रजबहा में अधिग्रहीत किसानों का मुआवजा न दिये जाने विषयक श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	230-232
आगरा मण्डल में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर फर्जी कार्य तथा दोषी अधिकारियों को बचाये जाने विषयक श्री रमेशकान्त लवानियां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दुग्ध विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य	232-233
जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्रामों का पानी खारा होने सम्बन्धी श्री बदन सिंह की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	233-238
प्रदेश में किसानों का वर्ष 1994-95 पेराई सत्र में गन्ना मूल्य बकाया होने सम्बन्धी श्री जगदम्बिका पाल आदि की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	238-242
नत्थियां	243-256

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 8 अगस्त, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :--

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़	केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली गढ़वाल
अखलाख, श्री	मेरठ	केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अखिलेश, श्री	महराजगंज	गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अफजाल अन्सारी, श्री	गाजीपुर	जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अ0 रईस, श्री	सुल्तानपुर	जयवीर सिंह भदोरिया, श्री	इटावा
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	तेजपाल सिंह पंवार, श्री	हरिद्वार
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
उमा शंकर यादव, श्री	जौनपुर	दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर	नरेश अग्रवाल, श्री	हरदोई
करन सिंह, श्री	मुरादाबाद	नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़		
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़		

निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
फुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बेनी प्रसाद, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा0	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहर सिंह, श्री	सहारनपुर
मोहसिन, डा0	गोरखपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रणजीत सिंह जुदेव, श्री	झांसी
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश कान्ति लवानियां, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश यादव,श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अचल राजभर, श्री	फैजाबाद
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
राम तेज सिंह, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम देव पटेल, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम प्रसाद टम्टा, श्री	अल्मोड़ा
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ	
रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय	
उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ	
वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शशि बाला भारती, श्रीमती	खीरी
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा0	गोण्डा
शिव सागर लाल, डा0	उन्नाव
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टिहरी गढ़वाल
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल [illegible] श्री	सीतापुर
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सन्त बक्श रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह कुंवर,	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुधीर कुमार बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरी किशन, श्री	कानपुर देहात
हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी	रामपुर
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 8 अगस्त, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के ।। बजे अध्यक्ष श्री बी0 आर0 वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 31। के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने नियम 31। में एक सूचना दी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पहले ले लें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय पाल जी, यह प्रश्न प्रहर है, एक आपसी सहमति बनी हुई है, आप लोगों की सहमति से, कि नियम 31। की सूचना किसी विशेष परिस्थिति में ही ली जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप अवगत हैं कि हम प्राय: 31। में सूचना नहीं देते हैं, जब तक कोई नई परिस्थिति नहीं होती है । नये तथ्य जब होते हैं, तभी हम सूचना देते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

पाल जी कृपया बैठ जायं । 31। में जो तय हो चुका है उसका निर्वहन हम लोग करेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप अपने मुखारबिन्दु से यह कह दें कि नियम 56 में प्राथमिकता में इसे सुन लेंगे, यदि नियम 31। में इसे आप नहीं ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

उस समय जो स्थिति होगी उसमें देखेंगे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाये जाने हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

****।-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछाये जाने की देशा में औद्योगिक वातावरण बनाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां,

तो वह योजना क्या है ? क्या उद्योग लगाये जाने हेतु देश के अन्दर तथा विदेश से कुछ प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)-

जी हां ।

यह योजना है उत्तर प्रदेश औद्योगिक नीति, 1994 जिसमें राज्य के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में शासन की नीतियों और योजनाओं का विवरण है । इसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :-

(1) उच्च स्तर की भौतिक और सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास । इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता तथा विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाना सम्मिलित है । रु0 100 करोड़ से अवस्थापना कोष की स्थापना भी सम्मिलित है ।

(2) विद्युत व्यवस्था को उच्चतम प्राथमिकता जिसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता एवं कैप्टिव पावर जेनरेशन को प्रोत्साहन दिया जाना सम्मिलित है ।

(3) नई कार्य संस्कृति का विकास । इसके अन्तर्गत इंस्पेक्टर राज समाप्त करना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, एम्पावर्ड कमेटी का गठन, एस्कार्ट अधिकारी की व्यवस्था, उद्योग बन्धु का सुदृढ़ीकरण और औद्योगिक सलाहकार परिषद् का गठन सम्मिलित है ।

(4) पर्यटन एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को प्रोत्साहन ।

(5) व्यापार कर में छूट/आस्थगन की सुविधा, माडवेट व्यवस्था का प्रारम्भ तथा बेकवर्ड इंटिग्रेशन हेतु छूट ।

(6) अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश में प्रोत्साहन, बेंचर फण्ड तथा इक्विटी फण्ड की स्थापना ।

(7) बीमार औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वासन, समाज के दुर्बल पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के लिये विशेष व्यवस्था, उत्तराखण्ड हेतु विशेष व्यवस्था ।

जी हां ।

देश के अन्दर से 433 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो मुख्यतः रसायन उद्योग (खाद छोड़कर) धातु उद्योग, बिजली के उपकरण, वस्त्र, कागज, खाद्य, प्रसंस्करण इत्यादि से सम्बन्धित हैं । विदेशी तथा अनिवासी भारतीयों से 184 प्रस्ताव टेक्निकल और वित्तीय सहयोग के प्राप्त हुये हैं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि सभी प्रदेशों के अन्दर उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण की दृष्टि से इतने पिछड़े होने के क्या

कारण हैं ? इसके अलावा इस राज्य में पूर्वांचल सबसे पिछड़ा हुआ है, उसके लिये सरकार की कोई योजना है ? मान्यवर, यह जो बताया गया है कि विभिन्न उद्योगों के लिये देश के अन्दर 433 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और उसमें मुख्यतः यह है कि विदेशी तथा अनिवासी भारतीयों से 184 प्रस्ताव टेक्निकल और वित्तीय सहयोग के प्राप्त हुये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें से किन-किन उद्योगों को लगाये जाने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुये हैं ? और यह जो विदेशी तथा अनिवासी भारतीयों की बात कही गई है कि टेक्निकल और वित्तीय सहयोग के लिये 184 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं तो यह किन क्षेत्रों में टेक्निकल और वित्तीय सहयोग के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और इन प्रस्तावों पर अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री नन्दलाल पटेल-

मान्यवर, वैसे तो चौधरी साहब ने ऐसे अनुपूरक प्रश्न किये हैं और उनको इतना विस्तृत कर दिया है कि उनको बताना मुश्किल सा लगता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का जो कारण है, इस प्रदेश के सभी लोग उसे जानते हैं ।

शैक्षिक वातावरण की कमी होना और औद्योगिक विकास की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिये उसकी कमी को देखते हुये तथा और भी सभी कमियों को देखते हुये नई औद्योगिक विकास नीति बनायी गई । पहले 1986 में फिर 90 में और इसके बाद 95 में संशोधित करके बनाई गई । यह इन्हीं पिछड़ेपन को देखते हुये बनाई गई । मान्यवर, पूर्वांचल में जो औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है उसके लिये जो माफियाओं का राज था, माफियाओं के अलावा गुण्डा टैक्स का विषाक्त वातावरण था, उसके विकास के काम नहीं हो पाये थे । इधर पूर्वांचल के लिये गीडा और जीडा गोरखपुर और जौनपुर के लिये इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये काम किया गया है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका दूसरा अंश तो रह ही गया है । मैंने यह पूछा था कि सारे राज्यों में उत्तर प्रदेश का औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है दूसरा उसका पार्ट था कि पूर्वांचल का औद्योगिक विहीन होने का कारण क्या है और क्या पूर्वांचल के औद्योगिककरण के लिये सरकार की कोई रुचि है ? दूसरा, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि देश के अन्दर जो 433 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, विदेशी तथा अनिवासी भारतीय से 184 प्रस्ताव टेक्निकल और वित्तीय सहयोग के प्राप्त हुये हैं, तो यह जो प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, में कौन-कौन से उद्योग लगाये जाने में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं । और इसी प्रश्न के आखिरी अंश के संबंध में यह जानना चाहता हूं कि किन क्षेत्रों में टेक्निकल और वित्तीय सहयोग प्राप्त हुये हैं और उस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री नन्द लाल पटेल-

मान्यवर, इसके पहले भी दो बार यह प्रश्न पूछा गया था और उस समय यह बताया गया था कि 2,673 प्रस्ताव आये थे और यह भी बताया जा चुका है कि उसमें से कितने देश के थे और कितने बाहर के थे और उसमें कितने लगे और कितने शुरू हो गये ।

(श्री श्याम देव राय चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें ।

श्री नन्द लाल पटेल-

मान्यवर, जो अनुपूरक में लगा हुआ है जो उत्तर दिया गया है वह सूची में आपके समक्ष प्रस्तुत है, कहें तो मैं पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा थी कि जो 433 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, उसमें से कितने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और वह किन-किन क्षेत्रों के हैं ?

श्री नन्द लाल पटेल-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पहले विस्तार से बता चुके हैं और सूची भी दी जा चुकी है । इधर जो सूची प्राप्त हुई है, उसके अनुसार यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो पूर्ण विवरण सहित बता सकते हैं । सात उद्योग शुरू हो गये थे, 127 लगना प्रारम्भ हो गये थे और 77 उद्योग लगाये जा रहे हैं ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, यह हम नहीं जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि इतने उद्योग लग चुके हैं, और कुछ लगने वाले हैं ।

(श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर का नाम बुलाये जाने पर)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैंने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं आया, कृपा कर आप संरक्षण दें और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय गौर जी आप बैठ जाये, चौधरी साहब को प्रश्न पूछ लेने दें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि प्रदेश के औद्योगिकीकरण की दिशा में प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिये सरकार क्या कर रही है। सरकार ने जो उत्तर दिया है, मैं उसके संदर्भ में सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि 433 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो मुख्यतः रसायन उद्योग, बिजली के उपकरण, वस्त्र, कागज, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि से संबंधित है।

इसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, उनमें सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुये हैं अगर हुये हैं तो किन-किन उद्योगों में। अगर यह बताने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम इतना बता दें कि कितनी संख्या में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुये हैं। दूसरा अन्तिम बिन्दु यह है कि विदेशी तथा अनिवासी भारतीयों से 184 प्रस्ताव टेक्निकल और वित्तीय सहयोग के लिये प्राप्त हुये हैं, उसमें क्या प्रगति है?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि कितने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुये हैं जो 184 प्रस्ताव अनिवासी भारतीयों के प्राप्त हुये हैं, टेक्निकल और वित्तीय सहायता के लिये, उसमें क्या प्रगति है ?

श्री नन्द लाल पटेल-

मान्यवर, जब पहला प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया जा चुका था, 7 उद्योग लगाये जा चुके हैं, 77 उद्योग लगाये जा रहे हैं। विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजनायें चलाई जा रही हैं, इसको निजी क्षेत्र लगा रहा है। विद्युत उत्पादन के लिये यू0पी0एस0आई0डी0सी0 ने डीजल पर आधारित परियोजनायें संयुक्त क्षेत्र में लगाने के लिये दो कम्पनियों से अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) दिये हैं। इनका विवरण इस प्रकार है--मेसर्स डालमियां ग्रुप पनकी (कानपुर), सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) काशीपुर (नैनीताल) तथा बरेली में अनुमानित चौदह सौ करोड़ रुपया है। दूसरे मेसर्स गिनी फिलामेंट्स-लखनऊ में परियोजना लगाने के लिये अनुबन्ध था, जिस पर अनुमानित लागत तीन सौ पचास करोड़ रुपये हैं और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इच्छा पत्र दाखिल करना आवश्यक होता है जबकि सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होता है। इच्छा पत्र आ चुके हैं। और जब वह पूरा तैयार हो जायेगा, उद्योग लगने शुरू हो जायेंगे।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इलाहाबाद जनपद के रहने वाले हैं। पूर्वांचल में उद्योगों को बढ़ाने की बात चल रही है। इलाहाबाद में नैनी एक स्थान है जहां पर

कई उद्योग लगे हुये हैं परन्तु नियमित विद्युत आपूर्ति न होने से उद्योगों को काफी कठिनाई हो रही है। वहां पर श्रम भी एक समस्या है। उद्योग ठीक ढंग से चल सकें और नये उद्योग ठीक ढंग से लग सकें और इसके साथ ही वहां पर जो श्रम समस्या है, उसका भी निदान हो सके, इन सारी समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देकर कोई निश्चित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

किसी स्थान विशेष के लिये यह प्रश्न नहीं है। फिर भी माननीय मंत्री जी के पास इसकी सूचना हो तो वह उत्तर दे सकते हैं।

श्री नन्दलाल पटेल-

मान्यवर, डा0 गौर जी ने जो सवाल पूछा है वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह सही है कि पूर्व मंत्री जी और मैं दोनों इलाहाबाद के रहने वाले हैं। लगता है कि उन्हें जमुना पार की स्थिति का ज्ञान नहीं है। कभी-कभी वह भी यमुना नदी के पुल के पास भी जाने का कष्ट करें। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी बिजली जमुना पार रहती है, उतनी उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इतनी देर से अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की औद्योगिक नीति के बारे में माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार की जो औद्योगिक नीति थी क्या उसी नीति को वर्तमान सरकार जारी रखेगी या फिर वर्तमान सरकार कोई नई नीति बनाने पर विचार करेगी ?

इन्सपेक्टर राज तो खैर इस सरकार ने खत्म नहीं किया। परन्तु प्रदेश में बहुत सारी बीमार औद्योगिक इकाइयां हैं। इनके बारे में आपने कहा कि हम इन बीमार औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वासन भी करायेंगे, यह आपकी औद्योगिक नीति में भी दिया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक इस औद्योगिक नीति के तहत कितनी बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन में खर्च किया गया है? क्या इनके रिवाइवल के लिये कोई कार्य योजना बनाई गई है, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री नन्दलाल पटेल-

मान्यवर, माननीय सदस्य को मालूम होगा कि अभी 31-3-1995 को जब सदन नहीं चल रहा था तो उक्त समय महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग

हुई थी और एक नीति बनाई गई थी। अभी एक हफ्ते पहले इस सदन के अन्दर औद्योगिक नीति पर आधे घण्टे की बहस भी हुई थी और सर्वसम्मति से पास भी हुआ था। उस पर सरकार और सदन की सहमति न हुई होती तो उसमें कुछ न कुछ संशोधन जरूर लाये जाते। पूरे सदन को यह जानकारी होनी चाहिये कि नई औद्योगिक नीति पर यह सरकार विश्वास करती है। उद्योगों की अवस्थापना और उसके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास यह सरकार कर रही है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल कहां औद्योगिक नीति बनाते हैं?

श्री नन्दलाल पटेल-

मान्यवर, सदन नहीं चल रहा था तो उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन के लिये क्या हो रहा है, इसके बारे में आप भी जानते हैं कि बी0आई0एफ0आर0 जो भारत सरकार की संस्था है। जो बीमार इकाइयां होती हैं उनके संबंध में यहां संस्तुति करके भेजी जाती है जिनकी लिखित रिपोर्ट आती है उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

श्री ऊदल-

मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में कानपुर की हजारों इकाइयां बन्द पड़ी हैं, बहुत सी मरणासन्न हो रही हैं इसके अलावा प्रदेश में सब मिलाकर करीब एक लाख छोटे और बड़े उद्योग खराब हालत में हैं उनके बारे में सरकार ने जांच कराकर उनके सुदृढ़ीकरण के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है?

दूसरा आपको भी मालूम होगा कि प्रत्येक जिले में पहले से ही औद्योगिक संस्थान खोलने के लिये सरकार की तरफ से सैकड़ों एकड़ जमीन लेकर इमारतें बनाकर उद्योग लगाने के लिये अन्य साधन मुहैया कर दिये गये बनारस और जौनपुर की बात में जानता हूं सब इमारतें बन्द पड़ी हुई हैं तो क्या सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है कि और जो भी इकाइयां हैं यह क्यों बन्द हो गई और उनको चलाने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है?

श्री नन्दलाल पटेल-

मान्यवर, इसके पहले बताया जा चुका है कि कोई भी बीमार फैक्ट्री होती है तो उसके मालिक की तरफ से ही उसे चलाने का प्रयास होता है उसकी पूरी जांच होती है कि चलाने लायक है अथवा नहीं केन्द्र से जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक उसको चलाने के लिये हमारी कोई नीति नहीं है।

प्रदेश में किसानों को विद्युत आपूर्ति की समयावधि एवं उसकी रुपरेखा की जानकारी

**2-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को प्रदेश में कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जायेगी और इस विद्युत आपूर्ति की रूपरेखा क्या होगी?

पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

प्रदेश में किसानों को प्रति दिन औसत 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जायेगी। प्रदेश के पर्वतीय एवं बुन्देलखण्ड जनपदों को छोड़कर, जहां निरन्तर विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है, शेष जनपदों को तीन समूहों में बांटकर विभिन्न समय अवधि में इस प्रकार विद्युत आपूर्ति की जायेगी कि हर समूह को 16 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति मिल सके।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में औसतन 16 घण्टे की विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं और बुन्देलखण्ड तथा पर्वतीय जनपदों में 24 घण्टे आपूर्ति कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखण्ड के माननीय विधायक यहां होंगे वह जानते होंगे कि क्या स्थिति है वहां 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं तो वहां के लोग सौभाग्यशाली हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिये कितने मेगावाट की आवश्यकता पड़ेगी और वर्तमान में राज्य विद्युत परिषद् की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उसके अर्गेस्ट कितना उत्पादन हो रहा है?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, पाल जी ने कहा है पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखण्ड में 24 घण्टे आपूर्ति की जा रही है, प्रश्न के उत्तर में कहा है कि विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है, दूसरा मान्यवर, इस समय हमारी 5 हजार 785.75 मेगावाट क्षमता है। पाल साहब जो राष्ट्रीय कांग्रेस से सम्बद्ध है वर्तमान में लगभग 15.00से 2000 मेगावाट की कमी है इसके लिये हमें 10 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। केन्द्र सरकार से हमारी तरफ से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। पाल साहब सहयोग दें और 10 हजार करोड़ रुपया मिल जाये तो हम चौबीसों घण्टे बिजली दे सकते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आज केन्द्र के ही एन0टी0पी0सी0 और एन0एस0पी0सी0 हैं उनसे ही हमें बिजली मिल रही है अगर उनसे बिजली मिलना ठप्प हो जाय तो पूरा प्रदेश अंधकार में डूब जायेगा, तो जो केन्द्र के संस्थान एन0टी0पी0सी0 और एन0एस0पी0सी0 हैं उनसे कितना मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश सरकार ले रही है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

इस समय एन0टी0पी0सी0 से 300 मेगावाट अतिरिक्त ले रहे हैं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मंत्री जी ने अभी 24 घण्टे बिजली देने की बात को स्वीकारा है, आपको ध्यान होगा इसी प्रकार सदन में चर्चा हुई थी और उसमें यह बात आई थी कि 3 से 4 घण्टे तक बिजली मिल पा रही है, तो क्या मंत्री जी इस बात को बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्वी ऊत्तर प्रदेश में इस समय कितने घण्टे किसानों को बिजली मिल पा रही है?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

हमारे पास जनपदवार सूचना है, वह हमारे कक्ष में आ जायें, हम पूरे प्रदेश की जनपदवार सूचना उनको उपलब्ध करा देंगे।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

अभी पाल साहब ने प्रश्न किया था कि उत्तर प्रदेश की अधिष्ठापित क्षमता और जो घोषणा की है 16 घंटे बिजली देने की तथा बुन्देलखण्ड और पहाड़ों पर 24 घंटे की, उसके हिसाब से कितने मेगावाट विद्युत की जरूरत होगी और हमारा उत्पादन क्या है?

श्री अध्यक्ष-

आप बता दें कि 16 घण्टा और 24 घंटे कुछ क्षेत्रों में बिजली देने के लिये कितनी बिजली की आवश्यकता होगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

यह संसदीय कार्य मंत्री खुद अपने यहां की, अपने पुरवा की बता दें कि कितने घंटे उनके यहां बिजली आती है, यदि वह 16 घण्टे की बता दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मैं अपने जगदम्बिका पाल का आभारी हूं कि उन्हें हमारे क्षेत्र की बड़ी चिन्ता है। इस बार वर्षा की कमी के कारण विद्युत की मांग 400 मेगावाट बढ़ गई और वर्षा से 300 मेगावाट की कमी हो गई। रिहन्द में 880 फिट का लेविल रहा करता था, जो इस बार बहुत कम है, 850 फिट पर है। इस प्रकार 500 मेगावाट की लगभग कमी है। किन्तु सरकार कृत संकल्प है कि किस प्रकार इस समस्या से जूझा जाय और 500 करोड़ रुपया इसके लिये अतिरिक्त स्वीकार किया जा चुका है। यह जो सूचना दी गई है कि 24 घण्टे बुन्देलखण्ड और पहाड़ों में दे रहे हैं और बाकी में 16 घण्टे दे रहे हैं, यह वहां पर विद्युत स्टेशन की सूचना है। स्थानीय स्तर पर यद्यपि कहीं नहीं हो रहा है। तार या खम्भे टूटने के कारण या दूसरे अन्य कारणों

से यह नहीं हो रहा है तो स्थानीय स्तर पर कमी हो सकती है। लेकिन सरकार की नीति है कि 16 घण्टे बिजली दी जाय और सूखा से निपटा जाय। मैं अब समझता हूं कि श्री जगदम्बिका पाल जी संतुष्ट हो गये होंगे। पुरवा के बारे में कहना यह है कि कल सदन नहीं है पाल साहब चलेंगे, तो कल हम लोग वहां टहल आयेंगे और वह स्वयं देख लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा एक बहुत साधारण और पूर्णतया तकनीकी प्रश्न है कि 16 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति देने के लिये प्रतिदिन कितने मिलियन यूनिट विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी ?

और पिछले एक माह में कितनी मिलियन यूनिट विद्युत की उपलब्धता रही। मान्यवर, मैं इस प्रश्न को इसलिये कर रहा हूं आपके संज्ञान में लाते हुये स्पष्ट कर दूं कि इससे स्पष्ट हो जायेगा कि इतनी उपलब्धता ही नहीं है, विद्युत आपूर्ति नहीं कर सकेंगे। एक दिन में 16 घण्टे विद्युत देने के लिये कितनी मिलियन यूनिट विद्युत चाहिये और पिछले दिनों कितनी मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध रही है ? इसका जवाब दे दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, गत माह जुलाई में 101.3 मिलियन यूनिट विद्युत की आवश्यकता थी लेकिन 96.01 मिलियन यूनिट ही उपलब्ध हो सकी। इस प्रकार 5.1 का अन्तर है। प्रमोद तिवारी जी ने सही बात कही है, सरकार की कोशिश है कि इसे पूरा किया जा सके। इसके लिये तमाम कोशिशें की जा रही हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा था प्रतिदिन कितनी मिलियन यूनिट विद्युत की आवश्यकता है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, विद्युत की सप्लाई 4-5 घण्टे नहीं हो पा रही है और सरकार कहती है कि हम 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति करा रहे हैं। धान की फसल सूख रही है।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा करानी चाहिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण बैठ जायं । आप लिखकर दे दीजियेगा मैं विचार कर लूंगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

मुजफ्फर नगर में उत्तराखण्ड की महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा किये गये बलात्कार में दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की मांग

*1-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 2 अक्टूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर में उत्तराखण्ड की महिला आन्दोलनकारियों के साथ पुलिस द्वारा बलात्कार किये जाने की सी0बी0आई0 ने अपनी जांच रिपोर्ट में पुष्टि की है? यदि हां, तो इस जघन्य कृत्य के लिये दोषियों को दण्डित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

2 अक्टूबर, 94 को जनपद मुजफ्फरनगर में उत्तराखण्ड की महिला आन्दोलनकारियों के साथ बलात्कार की पुष्टि के बारे में अभी तक सी0बी0आई0 की रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, सम्भवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह 2 अक्टूबर, 1994 की जो घटना है, सबसे शर्मनाक और जघन्य है ।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न पूछें । इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । जो उसका महत्व है, उसके बारे में अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, दो चार सेकेन्ड धैर्य रखिये मैं अनुपूरक ही पूछ रहा हूं । मान्यवर, स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे शर्मनाक और कलंक की घटना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस घटना को हुये इतने दिन बीत गये और अभी तक यह जांच पूरी नहीं होने के क्या कारण हैं? दूसरा मैं यह जनाना चाहता हूं कि यह जो प्राइमाफेसी जांच में जिन लोगों के दोष सिद्ध हुये थे, जिनके नाम प्राइमाफेसी जांच में आये थे, उनमें से कुछ लोगों को दण्डित किया गया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन् माननीय चौधरी जी ने दो प्रश्न किये हैं । एक तो यह कि इस घटना का कितना समय हो गया । श्रीमन् 2-10-94 की घटना है, चौधरी साहब खुद हिसाब कर लें कितने महीने हो गये ?

जहां तक उनका यह कहना है कि प्रथमदृष्टया कितने लोग दोषी पाये गये, जिस प्रकरण का उल्लेख किया गया है यह जांच माननीय न्यायालय के निर्देशों पर सी0बी0आई0 ने की इसकी माननीय न्यायालय को सीधे रिपोर्ट गई है। उत्तर प्रदेश शासन के पास उक्त रिपोर्ट की अधिकृत रूप से कोई प्रति नहीं है। यह माननीय न्यायालय को सीधे भेजी गई है।

श्री अध्यक्ष-

क्या कुछ लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जांच सी0बी0आई0 ने की है यह न्यायालय के निर्देश पर की गई है। जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन के पास नहीं है। इसलिये इस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस जघन्य अपराध के होने के बाद क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से उत्तराखण्ड की महिलाओं के साथ हुये बलात्कार की जांच कराई है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, जहां तक इस प्रश्नगत जांच जो माननीय न्यायालय के निर्देशों पर हुई उससे अलग की बात पूछी है तो 2 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी हुई उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से उसमें श्रीमन् जांच आयोग अधिनियम 1952 की शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री राजेश्वर सिंह को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त कर दिया है। तमाम जांच उसको सौंपी गई इस आयोग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह की जांच आयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किया उसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर इस संवेदनशील प्रकरण पर सरकार द्वारा दिये गये जवाब से मैं समझता हूं कि न हमको संतुष्टि प्राप्त हुई है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

न ही उत्तराखण्ड के लोगों को संतुष्टि प्राप्त हुई है, और न ही महिलाओं को तो इन दोषी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने में क्या सरकार संवेदनशील है? सरकार इस दिशा में कि रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो जाये इसके लिये क्या कर रही है? दोषी लोगों को दण्डित करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जहां तक न्यायालय से संबंधित मामला है उसके बारे में कोई निर्देश प्राप्त होंगे तब कार्यवाही हो पायेगी। जांच आयोग जो गठित किया गया है उसमें पांच बिन्दु दिये गये हैं। पांचवें बिन्दु में यह भी दिया गया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय पर सुझाव देंगे। इस घटना के पीछे क्या षड़यंत्र था उसके अंतर्गत तत्वों को देखना है। तमाम बिन्दु दिये गये हैं सरकार उस पर कठोरतम कार्यवाही करेगी। चाहे वह कितने बड़े पद पर क्यों न हो। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में आई0 एस0 आई0 से प्रभावित जिलों एवं उसकी गतिविधियों को रोके जाने की जानकारी

*2-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आई0एस0आई0 की गतिविधियां सक्रिय हैं? यदि हां, तो क्या आई0 एस0 आई0 से प्रभावित जिलों को चिन्हित किया गया है तथा आई0 एस0 आई0 की गतिविधियों को रोकने का क्या उपाय किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

सन्दर्भगत गतिविधियों की सक्रियता के बारे में कोई निश्चित अभिसूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

एहतियाती तौर पर निम्नांकित कार्यवाही की गई है :-

1-पुलिस/अभिसूचना तन्त्र को चुनौती का सामना करने के लिये सचेत किया गया है।

2-राष्ट्र विरोधी/संदिग्ध तत्वों को प्रकाश में लाने तथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैंने पूछा है कि प्रदेश में आई0एस0आई0 की गतिविधियां सक्रिय हैं या कुछ जिलों में सरकार ने चिन्हित किया है? मुझे आश्चर्य है पूरे प्रदेश में आई0 एस0आई0 की गतिविधियां सक्रिय हैं। इस सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। यह सरकार की घोर बेखबरी है। मैं जानना चाहता हूं। इन आई0एस0आई0 की गतिविधियों के लिये क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोई निर्देश भेजे हैं? यदि हां, तो उन निर्देशों को क्या मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आई0एस0आई0 गतिविधियों को देखते हुये प्रदेश के पुलिस विभाग

ने 17 जिलों को चिन्हित किया है । उन 17 जिलों में विगत दिनों जो अनेक घटनायें हुई हैं । उसमें क्या आई0एस0आई0 का सम्बन्ध है ? तीसरे इन आई0 एस0 आई0 के सम्बन्ध के साथ क्या पाकिस्ताान के आये हुये नागरिक जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई है उसके बावजूद वह उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में वीजा समाप्त होने के बावजूद पाकिस्तान वापिस नहीं गये और भूमिगत होकर क्या आई0 एस0आई0 की गतिविधियों को सहयोग दे रहे हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

पहला प्रश्न पाल साहब का कि क्या भारत सरकार ने इस संबंध में कोई सूचना दी है और उसको क्या सदन के पटल पर माननीय मंत्री जी रखेंगे । चूंकि यह आई0एस0आई0 का मामला अत्यन्त गम्भीर मामला है इससे पाल साहब भी सहमत होंगे । इस पर किसी प्रकार का कोई पत्राचार और उसकी कार्यवाही को सदन के पटल पर रखना कदाचित उचित नहीं होगा । इससे जो सरकार का तंत्र काम कर रहा है उसको काम करने में असुविधा होगी । जहां तक वीजा का सम्बन्ध है उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो भाव व्यक्त किये हैं उससे सहमति हो सकती है लेकिन जो चीजें संवेदनशील हैं, उनके बारे में जानकारी न मिले । लेकिन जिस विषय पर आज पूरा प्रदेश चिन्तित है । चाहे सहारनपुर का मामला हो चाहे हरिद्वार या मेरठ का मामला हो । अनेक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां हुई हैं । जिनकी जानकारी समय-समय पर अधिकारियों के वक्तव्य से होती रहती है कि इनमें आई0 एस0आई0 का हाथ है । इन सब बातों को नियंत्रित करने क लिये माननीय मंत्री जी ने अपने मूल वक्तव्य में कहा है कि दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये क्या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? क्योंकि गतिविधियां पूरे प्रदेश में बढ़ रही हैं कोई तो दिशा निर्देश जरूर जारी किये गये होंगे, इनकी जानकारी देने की कृपा करें ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्री गुप्त जी ने जो संकेत दिया है उससे सरकार सहमत है । मैंने पहले ही निवेदन किया है कि सरकार इन गतिविधियों के प्रति पूरी तरह सजग है और समस्त उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निदेश दिये गये हैं और प्रदेश स्तर पर जो हमारा पुलिस तंत्र है वह सतर्क है । पुलिस अधीक्षकों को अलग से इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं कि इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें कोई सामान्य मामला भी प्रकाश में आये उसमें इस तरह का परीक्षण करवा लिया जाये कि इसमें कहीं आई0एस0आई0 का हाथ तो नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त संवेदनशील विषय है । इसी विषय पर समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा ने यह सूचना प्रकाशित की है कि जिसका संज्ञान लिया जा सकता है । एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सपा के तीन विधायक भी आई0एस0आई0 के एजेन्ट हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ? क्या अगर यह सही है तो इनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे यदि सही नहीं है तो क्या समाचार पत्र के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

क्या किसी पेपर का संज्ञान लिया जा सकता है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर समाचार कन्ट्राडिक्ट नहीं होता है तो वह संज्ञान नहीं लिया जा सकता । अगर राष्ट्रीय सहारा ने गलत समाचार दिया है तो यह विधायकों की अस्मिता का प्रश्न है तो फिर उस समाचार पत्र के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये, इसलिये मैं इस बात को कह रहा हूं । या तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो आई0एस0आई0 के एजेन्ट हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही हो अन्यथा समाचार पत्र के विरुद्ध कार्यवाही हो ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय तिवारी जी ने ठीक सवाल किया है । इस बारे में माननीय तिवारी जी ने और हमारे कई साथियों ने श्री अखिलेश सिंह और कई मित्रों ने पहले सूचना दी थी, जांच करवाई गई । श्रीमन्, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद और कई माननीय विधायकों के बारे में जो चर्चा की, तो इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि वह इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं या अन्तर्ग्रस्त हैं, उसमें कई अधिकारियों की बात भी थी । जहां तक समाचार पत्र में छपने का प्रकरण है, यह तो अपनी लेखन शैली रही होगी, इस आधार पर कोई कार्यवाही किया जाना, कि उसने किसी माननीय विधायक के विरुद्ध यह समाचार छाप दिया है, कि वह किन्हीं गतिविधियों में हैं, या अन्तर्ग्रस्त हैं, बिल्कुल उचित नहीं होगा । समाचार पत्र स्वतंत्र हैं और उन्हें समाचार छापने का पूरा अधिकार है और पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस तरह की कोई सूचना शासन के पास नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

संसदीय कार्य मंत्री जी यह नहीं कह रहे हैं कि वह दोषी नहीं हैं, वह कह रहे हैं, सूचना उपलब्ध नहीं है हो सकता है कि वह यही सूचना कार्यालय में रख आये हों । यदि उनके इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने की बात गलत है तो क्या समाचार पत्र के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि माननीय सांसद, माननीय विधायकों और जिनकी चर्चा माननीय तिवारी जी ने की है, मैं तिवारी जी के प्रश्न का ही संज्ञान ले रहा हूं। समाचार पत्र में क्या कुछ छपा है, माननीय तिवारी जी के बारे में, मा0 नरेश अग्रवाल के बारे में। श्रीमन्, इस पर कोई कार्यवाही कहां तक करायेंगे ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद का आई0एस0आई0 का एजेन्ट होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा है, उसकी तुलना हमसे नहीं की जा सकती।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, अखबारों पर कोई कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, यह सरकार अखबारों की आजादी की पक्षधर है।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, माननीय पाल साहब ने बहुत ही गम्भीर और असाधारण प्रश्न किया था, इस प्रश्न की गम्भीरता कम न हो, उत्तर बहुत ही साधारण दिया गया है। मान्यवर, इसमें कहा गया है कि कोई निश्चित सूचना नहीं है। मान्यवर, फिर आगे कहा गया है कि इसके लिये राष्ट्र विरोधी, संदिग्ध तत्वों को प्रकाश में लाने के लिये दिशा निर्देश भी दिये गये हैं। इसका मतलब तो हुआ कि सरकार को कुछ जानकारी है, परन्तु वह सदन से छिपाना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह जानकारी सही मानकर कि इस उत्तर प्रदेश में 495 ऐसे पाकिस्तानी नागरिक पहले से, जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो गयी थी और जो लिखित सूचना दे चुके हैं जाने की, लेकिन पाकिस्तान नहीं पहुंचे और उत्तर प्रदेश में छिपे हुये हैं। इसके अलावा जो नई रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 8 हजार से ऊपर ऐसे नागरिक हैं जो उत्तर प्रदेश में छिपे हुये हैं और आई0एस0आई0 के बड़े अधिकारियों से सम्पर्क कायम किये हैं, इस प्रदेश की सुरक्षा के लिये गम्भीर खतरा है, अभी पिछले दिनों आर0डी0एक्स0 बरामद हुआ है। ट्रेनों में बम ब्लिस्फोट काण्ड हुये हैं। पिछले वर्ष विदेशी नागरिकों के अपहरण हुये। सहारनपुर काण्ड हुये हैं। पिछले वर्ष विदेशी नागरिकों के अपहरण हुये। सहारनपुर, मेरठ में बम ब्लिस्फोट हुये। इसके अतिरिक्त प्रदेश के कई जिले संवेदनशील माने गये तो मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि जो लोग यहां आये और यहां से वापस नहीं गये और छिपकर यहां रह रहे हैं और जिनके आई0एस0 आई0 से सम्पर्क हैं उनको पकड़ने के लिये और उनका पता लगाने के लिये कोई निश्चित कार्यवाही सरकार कर रही है या नहीं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, सभी माननीय सदस्यों ने जब भी सवाल किया है तो यह कहा है कि यह संवेदनशील मामला है। जब वह स्वयं जानते हैं कि यह मामला संवेदनशील है तो इस

संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ चीजें अवश्य आयेंगी, जिनके बतलाने से जनहित में या जो हमारी खुफिया एजेंसी हैं उनकी जांच करने में कठिनाई आयेगी । मेरठ और सहारनपुर में बम विस्फोट की जो घटनायें हुयीं उसमें इस बात को ध्यान में रखकर जांच करवायी गई कि कहीं आई0एस0आई0 का हाथ तो नहीं है । इस प्रकार के जो काण्ड या घटनायें होती हैं अगर उनमें संदेह होता है कि ऐसी बात है तो उसका परीक्षण करवा लिया जाता है कि कहीं आई0एस0आई0 इसमें अंतर्ग्रस्त तो नहीं है लेकिन हर घटना के बारे में पहले से यह कह दें कि आई0एस0आई0 इसमें अंतर्ग्रस्त होगी, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा और लोग सतर्क हो जायेंगे तथा खुफिया एजेंसियों को विवेचना करने में भी कठिनाई होगी ।

(ता0प्र0सं0 3 पुकारे जाने पर)

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, यह सरकार भा0ज0पा0 के सांसद को बचाना चाहती है । मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम विशुन आजाद सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को सरकार बचाने का प्रयास कर रही है । इसके विरोध में, मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

बुनकरों के कर्जा माफी की शासन की नीति की जानकारी

*3-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुनकरों के कर्जा-माफी के सिलसिले में शासन की नीति क्या है ?

वन, लघु एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री (श्री इश्तियाक अंसारी)-

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वर्ष 1990 में लागू कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के समान शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्र में रहने वाले बुनकरों के रु0 10,000/- तक के ऋण माफ किये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 07 अक्टूबर, 1993 को निर्गत किये जा चुके हैं । बुनकरों के ब्याज माफी से संबंधित आदेश दिनांक 11 अक्टूबर, 1993 को निर्गत कर दिये गये थे ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, अगर नाम न आता तो शायद आपकी कृपा मुझे राम आसरे वर्मा का नाम लेने की न होती । ऐसा लगता है कि कसरत करवाने का निर्देश है ।

श्री अध्यक्ष-

ऐसे कोई निर्देश नहीं है, मेरे लिये सभी माननीय सदस्य बराबर हैं।

श्री राम आसरे वर्मा-

मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी। मैं भी उस कुर्सी पर बैठ चुका हूं। मान्यवर, जो जवाब दिया है मंत्री जी ने उसमें विरोधाभास है। एक तरफ तो आदेश जारी किया है कि 10 हजार तक ऋण माफ करने के आदेश 7 अक्तूबर, 93 को दिये जा चुके हैं। और फिर कहते हैं कि ब्याज माफी के आदेश 11 अक्टूबर, 93 को जारी किये जा चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने बुनकर ऋणग्रस्त हैं और यह जो 1993 में आदेश जारी किया है, कितने बुनकरों को ऋण माफी योजना में राहत दी गई है।

श्री इश्तियाक अंसारी-

मान्यवर, प्रदेश में 32717 बुनकर सदस्य 10 हजार रुपये तक के कर्जे की ऋणमाफी से लाभान्वित हुये हैं। इसके अलावा 1257 बुनकर समितियों के 21915 सदस्यों को 19 करोड़ 67 लाख रुपये की ऋण राहत योजना के अन्तर्गत समायोजित करके प्रमाण- पत्र निर्गत कर दिये गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा-

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय कितने बुनकर और बुनकर समितियां ऐसी हैं जिनके ऊपर ऋण लदा हुआ है और उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी गई है?

श्री इश्तियाक अंसारी-

मान्यवर, 41 जिलों में यह राहत कार्य पहुंचाया गया है और 10 हजार तक ऋण माफ किया गया है। समितियों के बारे में सूचना नहीं है। मैं इसे दे दूंगा।

श्री ऊदल-

क्या माननीय मंत्री जी गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, हरदोई और फैजाबाद इतने जिलों की जांच कराने की कृपा करेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि जो 10 हजार की ऋण माफी की घोषणा की गई थी उसमें हजारों हजार बुनकरों को ऋण माफी का लाभ नहीं मिल पाया है? तो क्या सरकार उनको वह लाभ देने की कृपा करेगी?

श्री इश्तियाक अंसारी-

जो नियम के अंतर्गत आते हैं उनको लाभ देने की प्रतिबद्धता है। जिला स्तर पर समितियां गठित कर दी गई हैं और जिलाधिकारियों से कहा गया है वहां पर आप देखकर रिपोर्ट दें।

श्री उदल-

मैंने जिला स्तर की बात नहीं की । प्रदेश स्तर पर जो घोषणा हुई थी उसका लाभ 6 जिलों को पूरी तरह से नहीं प्राप्त हुआ क्या सरकार उसकी जांच कराकर उनको लाभ देने की कृपा करेगी ?

श्री इश्तियाक अंसारी-

इसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूंगा ।

(मंगलवार, दिनांक 8 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित ता0 प्रश्न)

अक्टूबर, 1994 से अब तक प्रदेश में पत्रकारों, हाकरों को पीटे जाने तथा समाचार पत्र कार्यालयों में हमले से सम्बन्धित घटनाओं की जानकारी

*1-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्टूबर, 1994 से अब तक पत्रकारों, हाकरों को पीटे जाने, समाचार पत्रों को जलाये जाने तथा समाचार पत्र कार्यालयों पर हमला किये जाने की कितनी घटनायें प्रकाश में आयीं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

प्राप्त सूचना के अनुसार अक्टूबर, 1994 से अब तक 66 घटनायें प्रकाश में आई । प्रत्येक घटना के परिप्रेक्ष्य में अभियोग पंजीकृत होकर विधिक कार्यवाही की गई । शासन द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोके जाने हेतु आवश्यक निर्देश संबंधित जनपदों को दिये गये । वर्तमान में इस प्रकार की घटनायें नियंत्रित हैं ।

(कई सदस्य प्रश्न करने की मांग करने लगे)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय मंत्री जी का आश्वासन तो आ ही गया है । अब अगला प्रश्न लें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, यह जो पिछले वर्ष संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षण प्राप्त है उस पर लगाम लगाने हेतु जो जघन्य कार्य किया गया, यह निन्दनीय है । मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में यह जानना चाहूंगा कि जो घटनाओं का उल्लेख किया है, तो मैं उसके सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि समाचार पत्रों को जलाये जाने और उनके कार्यालयों पर हमला किये जाने की घटना है, एक तो यह कौन-कौन समाचार पत्रों के कार्यालयों पर हमला किया गया और उनको क्या-क्या नुकसान हुआ और दूसरे यह कि क्या सरकार ने

अपने स्तर से यह जानने की कोशिश की कि इन घटनाओं के कारण क्या हैं और उनकी रोकथाम के लिये कौन सी कार्यवाही की गई और जो यह समाचार पत्रों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, उन पर लगाम लगाने की कोशिश की ? यह तो अलग प्रकरण है, लेकिन जो भौतिक नुकसान हुआ उसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, शासन के पास तो इस बात की सूचना नहीं है कि जो हाकर पीटे गये या जो हाकर अपमानित किये गये वह किन अखबारों के हाकर थे क्योंकि हाकर किसी एक अखबार को लेकर बिक्री करने के लिये नहीं निकलते उसके पास तो सभी अखबार रहते हैं जिसे वह अपनी साइकिल से या जिस वाहन से होता है, लेकर निकलता है और मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में यह निवेदन कर दिया है कि इस प्रकार की जिस-जिस घटनाओं की एफ0आई0आर0 दर्ज हुई थी उनकी विवेचना भी हुई। जहां तक इस समय का प्रश्न है तो हमारी सरकार यह मानती है कि समाचार-पत्र अभिव्यक्ति की आजादी के प्रवक्ता हैं तो उन्हें प्रत्येक प्रकार का संरक्षण मिलना चाहिये और अखबारों के पूरे नेटवर्क को चाहे सम्बाददाता हों, चाहे सम्पादक हों चाहे उसके हाकर अखबार पहुंचाने वाले हों तो इसको यह मानकर कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी के मूल भाव को प्रचालित करते हैं और उसके प्रवक्ता हैं तो इनको यह सरकार आदरभाव और सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारी सरकार में इस प्रकार की घटना हो ही नहीं सकती है। हमारा यह संकल्प है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कौन से समाचार पत्र का कार्यालय है जिनके कार्यालयों पर हमला किया गया और कितनी क्षति हुई तथा उनके संदर्भ में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जैसे-जैसे मुकदमें कायम हुये और उनकी विवेचना हुई तो अलग से अगर माननीय सदस्य को इसकी आवश्यकता है कि घटना कहां-कहां की है तो मैं जिलेवार भी बता सकता हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, जो हाकरों को पीटा गया वह निश्चित रूप से एक ही जिले में नहीं होगा इसलिये उनकी संख्या अधिक होगी यह भी मैं मानता हूं कि वह हाकर कोई एक विशेष अखबार नहीं बेचता है यह भी मैं मानता हूं लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि

जिन समाचार-पत्रों के कार्यालय पर हमला किया गया वह निश्चित रूप से 2-4-5-10 रहे होंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समाचार-पत्र कार्यालय पर हमला किये जाने की घटनायें कितनी हैं और कौन से समाचार पत्र कार्यालय पर हमला किया गया?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, किसी समाचार-पत्र के कार्यालय के हमले की कोई सूचना की अगर जानकारी हो तो बता दें ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, हमारे पास जिलेवार सूचना है और किसी खास समाचार-पत्र की सूचना हमारे पास नहीं है। जिलेवार सूचना है कि किस-किस जनपद में कितनी घटनायें हुई। ऐसे 26 जिले हैं जहां पर प्रश्नगत कोटि की घटनायें प्रकाश में आई और उनकी कुल तादात 66 है ऐसा मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, निश्चित रूप से शासन के पास इसकी जानकारी होनी चाहिये और हमारे प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जिलेवार सूचना है जहां पर समाचार-पत्र के कार्यालय पर हमला हुआ है?

श्री श्याम देव राय चौधरी-

वह कौन से समाचार पत्र के कार्यालय हैं जहां पर हमला हुआ है?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जिलेवार सूचना है उन जिलों का नाम जानना चाहें तो मंत्री जी बता दें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, यह तो मैं भी समझ रहा हूं और आप भी समझ रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो भी अखबार प्रकाशित होते हैं तो क्या इसका यह अर्थ लगा लिया जाय कि सारे अखबारों के कार्यालयों पर हमला हुआ ?

यदि शासन को इससे इन्कार है कि सारे कार्यालयों पर हमला नहीं हुआ तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे समाचार पत्र के कार्यालय हैं, जिनपर हमला हुआ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, किसी खास समाचार पत्र की सूचना हमारे पास इस समय नहीं है। हमारे पास 26 जिलों की सूचनायें हैं अगर अनुज्ञा हो तो जिलों के नाम का मैं उल्लेख कर सकता हूं। अगर किसी खास अखबार की सूचना की जिज्ञासा माननीय सदस्य की है, तो अलग से पूछ लेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, यह दुखद स्थिति है कि स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है। इस सवाल का उत्तर देने में क्यों टोल-मटोल किया जा रहा है? इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र-

मान्यवर, सरकार ने 66 जिलों की सूचना दी, मान्यवर, इसमें मुख्य प्रश्न यह है कि इसका आह्वान करने वाले कौन लोग थे और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, किसी मामले में प्राथमिकी जो दर्ज होती है तो प्राथमिकी दर्ज कराने वाला व्यक्ति जो शिकायत कर्ता होता है, वह इसके बारे में कुछ लिखता है। और अगर वह इस बारे में भी लिखता है तो जिस धारा में रिपोर्ट दर्ज होती है, उसी से सम्बद्ध धारा 120 बी में उसके बारे में परीक्षण कर लिया जाता है। जो सूचनायें आयीं हैं, उनमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक राजनीतिक विचारधारा का यह मामला है इससे पूरा प्रदेश अवगत है। वह एक श्रीमन् हल्ला बोल का मामला था।

श्रीमन्, कानून के अन्तर्गत जहां तक कार्यवाही का प्रश्न है माननीय सदस्य अवगत हैं कि जो प्राथमिकी दर्ज होती है, उसी आधार पर कार्यवाही होती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आगे बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप लोग बैठें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, यह हो सकता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने वालों ने उकसाने वाले का नाम उसमें न लिखा हो, जबकि उस समय जो भाषण दिये जा रहे थे उसमें उन बातों को जस्टीफाई किया जा रहा था। तो इसकी विवेचना भी कराई गई भले ही उकसाने वाले लोगों का उल्लेख उसमें न हो।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, 66 मामलों की विवेचना का अध्ययन मैं नहीं कर पाया हूं कदाचित माननीय द्विवेदी जी.....

श्री ऊदल-

श्रीमन् यह दोनों ही खुल कर नहीं कहना चाहते हैं नहीं तो इन दोनों पर हल्ला बोल हो जायेगा।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, माननीय ऊदल जी स्नेह और आशीर्वाद से बोलना सीख रहे हैं। खुलकर कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जो एफ0आई0आर0 दर्ज होती है, उसी आधार पर कार्यवाही होती है। यह पूरा प्रदेश जानता है कि....

तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने हल्ला बोल कार्यक्रम का आह्वान किया था और श्रीमन्, इस बारे में पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं वरन् पूरे देश और पूरी दुनिया के समाचार तंत्र ने इस बारे में तमाम आर्टिकल लिखे और जब ऐसे मामले आयें और जिन माननीय सदस्यों ने सवाल किया है वह इस प्रकार के लोक महत्व से जुड़े प्रश्न थे ताकि बड़े से बड़ा नेता या पदाधिकारी प्रेस की आजादी में दखल न दे सके।

*2-श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

(दिनांक 17-7-95 के अल्पसूचित प्र0 सं0-। द्वारा उत्तरित)

प्रदेश में विदेशी नागरिकों के अपहरण की घटनाओं को रोकने के उपायों की जानकारी

*3-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सहारनपुर जनपद में अक्टूबर/नवम्बर, माह 1994 में तीन विदेशी नागरिकों का अपहरण करके बन्द किया गया था तथा इनको छुड़ाते समय श्री ध्रुवलाल यादव, एस0आई0 व एक सिपाही की हत्या कर दी गई थी? यदि हां, तो प्रदेश सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय कर रही है?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जी हां।

वस्तुतः विदेशी नागरिकों को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराने के प्रयास में पुलिस द्वारा की गई घेराबन्दी के बाद अपहरणकर्ताओं द्वारा की गई फायरिंग में गोली लगने से ध्रुवलाल यादव, एस0आई0 तथा सिपाही श्री राजेश यादव की मृत्यु हुई थी।

शासन द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात जनपदों में "हाइवे पेट्रोल" पुलिस व्यवस्था लागू हो गयी है जिसमें स्वचालित शस्त्रों से लैस वायरलेस जिप्सी गाड़ियों में पुलिस दस्ते सड़क बैरियर पर लगाये गये हैं। सक्रिय अपराधियों को सूचीबद्ध करके उन पर दबाव बनाकर उनके विरुद्ध सघन कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से तीन सवाल पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि घटना के अभियुक्त जब प्रकाश में आये तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई? दूसरा यह कि क्या इस घटना में पाकिस्तान की आई0एस0आई0 या किसी विदेशी एजेन्सी का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाथ था? तीसरा यह कि अपहरण किस उद्देश्य से किया गया था?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, इस संबंध में मुझे यह निवेदन करना था कि कोई भी अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया । केवल एक व्यक्ति पुलिस की गोली से मारा गया था । इस बारे में कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने हमला किया था और जिनके माध्यम से काण्ड किया गया था उनमें से किसी को गिरफ्तार किया जा सके । अभी यह कहना कठिन होगा कि हमले का उद्देश्य क्या था और यह भी कहना कि पाकिस्तान की आई0एस0आई0 या विदेशी एजेन्सी का इस घटना से कोई सम्बन्ध था उचित नहीं होगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है । यह सन् 94 की घटना है । अभी माननीय पाल जी ने आई0एस0आई0 के सम्बन्ध में एक प्रश्न किया था कि जिसके जबाब में यह बताया गया था कि सरकार पूरी तरह से सचेत है इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये । यह 1994 की घटना है और लगभग एक वर्ष हो गया है न तो हत्या का उद्देश्य पता चल पाया है, न अभियुक्त का पता चल पाया है और न ही यह पता चल पाया है कि अपहरण क्यों किया गया था तो यह कहना कि सरकार पूरी तरह से सचेत है गलत होगा । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कब तक पता चल पायेगा ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय खन्ना जी ने जो बात कही उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इनके वरिष्ठ राष्ट्रीय नेताओं ने ही यह कहा कि किसी सरकार की कार्यकुशलता और उसकी क्षमता केवल एक डेढ़ महीने में ही नहीं नापी जा सकती है । मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है और निश्चित रूप से अभियुक्त का पता लग जायेगा और वह चाहे जितना बड़ा अपराधी हीं क्यों न हो उसके खिलाफ़ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, यह गम्भीर घटना है, हम लोग यह स्वीकार करते हैं कि वर्तमान सरकार को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन नवम्बर, 94 में नयी सरकार का गठन हो गया था तब से अब तक बहुत समय हो चुका है और यह आठ-दस महीनें का समय बीत चुका है । इस गम्भीर मामले में उन अपराधियों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके संज्ञान में ऐसी बात आयी है कि इस गम्भीर प्रकरण में जांच चल रही थी और कुछ ऐसे तत्वों के

नाम प्रकाश में आये थे जिनका सम्बन्ध आई0एस0आई0 से था और जिनको तत्कालीन सरकार संरक्षण दे रही थीं, इसलिये जांच में जानबूझकर शिथिलता बरती गयी ताकि तथ्य प्रकाश में न आ सकें ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, आई0एस0आई0 के बारे में चर्चा उचित नहीं होगी। सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा जांच की जा चुकी है। यह सही है कि इसमें काफी विलम्ब हुआ है। इसका विवेचन अतिशीघ्र हो जाये, सरकार इसके लिये कड़े से कड़ा निर्देश जारी करेगी। आधे-अधूरे विवेचन के लिये कोई बयान आगे के काम में प्रभावकारी होगा इसलिये उचित नहीं है।

जिला कारागार बांदा से चार कैदी फरार होने से सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने की मांग

*4-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि 28 सितम्बर, 1994 को जिला कारागार, बांदा में 4 कैदी फरार होने में किस प्रकार सफल हो सके? इस बारे में क्या कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच किसने की तथा जांच आख्या क्या है ? कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उन दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (श्री राम विलास बाल्मीकि)-

दिनांक 28-9-94 को कृषि कार्य के लिये 15 बन्दी कारागार से बाहर कमान में निकाले गये थे। इनकी सुरक्षा के लिये एक प्रधान बन्दी रक्षक, एक बन्दी रक्षक तथा एक सशस्त्र संतरी लगाया गया था। कार्य-स्थल पर इस कमान को विभाजित करके 5 बंदियों को एक साथ कार्य पर लगाया गया तथा शेष 10 बंदियों को बैगन के खेत की निराई के कार्य पर लगाया गया था। इनमें से 4 बन्दी खेत की बाउण्ड्री वाल फांदकर पलायन कर गये।

जी हां। घटना की जांच उप महानिरीक्षक कारागार, कानपुर परिक्षेत्र से तथा जिला मैजिस्ट्रेट से मैजिस्ट्रीरियल जांच कराई गई है। उप महा निरीक्षक कारागार की तथा मजिस्ट्रीरियल जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। इसके अनुसार पलायन की घटना ड्यूटी पर तैनात बन्दी रक्षकों की लापरवाही के कारण घटी तथा उप कारापाल ने बंदियों को बाहर निकालते समय उनके सुरक्षा संबंधी उपायों में अपेक्षित सतर्कता नहीं बरती। संबंधित कारापाल द्वारा भी बाहर कमान में बंदियों को निकालने के लिये चयन करते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गयी। जिसके फलस्वरूप पलायन की घटना घटित हुई।

कमान की सुरक्षा के लिये मौके पर तैनात प्रधान बन्दी रक्षक, श्री मो0 अनीस, बन्दी रक्षक, श्री ब्रह्म कुमार, संतरी श्री जयनारायण सिंह तथा उप कारापाल,

श्री मोहिउद्दीन को निलम्बित कर दिया गया है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। श्री अयोध्या प्रसाद शुक्ल, बन्दी रक्षक द्वारा गेटकीपर के कर्तव्यों का ठीक ढंग से अनुपालन न करने के लिये तथा श्री अशोक कुमार मिश्र, बन्दी रक्षक को ठीक ढंग से कमानों की चेकिंग न करने के लिये दोषी पाया गया। कारापाल, श्री राम गोपाल शर्मा, बन्दी रक्षक, श्री अयोध्या प्रसाद शुक्ल, श्री अशोक कुमार मिश्र को भी दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

कारागार अधीक्षक को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जेलों में आये दिन कैदियों के भागने की घटनायें होती रहती हैं, यह सवाल तो एक घटना के बारे में है। कारागारों से कैदियों के भागने की घटनाओं का मुख्य कारण शिथिलता और भ्रष्टाचार है, क्या इस दृष्टि से कोई कार्य योजना शासन के पास है ताकि आगे इस तरह की घटनायें जिलों में न हो पायें। दूसरा बिन्दु यह है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जो दण्डात्मक कार्यवाही की है, उसमें अधीक्षक को भी भर्त्सनात्मक टिप्पणी दी गई है, लेकिन पता नहीं कारापालों से सरकार की इतनी हमदर्दी क्यों है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि उनको भी बराबर का दोषी पाया गया है? यदि उनके बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार है तो कृपया....

कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अकबर अली)-

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने अपेक्षा की है कि ऐसी तमाम घटनायें होती रही हैं और एक घटना के बारे में उन्होंने प्रश्न भी किया है। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनायें न होने पाये उसके लिये पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जिला प्रशासन को इस मामले में सरकार ने निर्देश भी दिये हैं। जिस कारापाल के बारे में माननीय गुप्ता जी ने कहा है, उसकी अभी जांच चल ही रही है। अभी वह फाइनल स्टेज पर नहीं आया है। उसे चार्जशीट दे दी गई है। माननीय गुप्ता जी ने जो आशंका व्यक्त की है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जायेगी। अगर वह भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैंने यह संदेह इसलिये व्यक्त किया क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में कहा है कि "संबंधित कारापाल द्वारा भी बाहर कमान में बंदियों को निकालने के लिये चयन करते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई। जिसके फलस्वरूप पलायन की घटना घटित हुई।" इसके बारे में माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं?

श्री अकबर अली-

माननीय गुप्ता जी यह बात सही है कि जांच रिपोर्ट में आया है। लेकिन कुछ लोग सीधे दोषी पाये गये और कुछ उससे कम दोषी पाये गये। उनकी जांच हो रही है और सरकार इसे गम्भीरता से ले रही है। यदि इनका दोष सिद्ध हो गया तो इनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमने एक प्रश्न किया था "क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि शस्त्रों के विक्रय मूल्य का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो वह क्या है? मार्केट में कौन-कौन से शस्त्र उपलब्ध हैं? उनकी दर क्या है? क्या शस्त्र लाइसेंस धारियों को निर्धारित दर पर ही शस्त्र उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि प्रदेश के समस्त जिलों में शस्त्र की दुकानों से जो शस्त्र बिक्री की जाती है, उसकी निर्धारित रसीद से तीन गुने दर पर लाइसेंस होल्डर को दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या राज्य सरकार निर्धारित दर से ही शस्त्र उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष-

कौन सा प्रश्न है और किस नत्थी से यह प्रश्न है?

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, नत्थी (ग) का तारांकित प्रश्न संख्या-10 है। जिसमें लिख दिया गया है कि राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। जबकि अस्थायी एजेण्डे में यह दिया गया था। जो भी शस्त्र होते हैं, चाहे वह रिवाल्वर हो, उसका एक निर्धारित दाम होता है परन्तु मनमाने दामों पर शस्त्रों को बेचा जा रहा है। चार गुना व पांच गुना दामों पर शस्त्रों को बेचा जा रहा है। मेरा कहना यह है कि जो शस्त्र का दाम है, उसी पर बेचा जाना चाहिये। परन्तु प्रश्न के बारे में कह दिया कि राज्य सरकार से सम्बद्ध नहीं है, इसलिये निरस्त किया जाता है। इसलिये मान्यवर, आप इस पर पुनः विचार कर लें। आज अवैध शस्त्रों का बढ़ावा होता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस प्रश्न को देख लिया है। आप जो प्रश्न पूछते हैं उसका शासन से ऊत्तर पूछा जाता है। अगर कोई आपत्ति आती है तो उसका मैं संज्ञान लेता हूं और विचार करता हूं, फिर निर्णय लेता हूं। मेरे निर्णय से ही ऐसा किया गया है।

नोटः-तारांकित प्रश्न संख्या-4 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

बाल एवं बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से खर्च की गई धनराशि का विवरण

*5-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 शासन से बाल एवं बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु कुछ धनराशि कतिपय स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से खर्च करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह धनराशि सत्र 1994-95 में क्या थी ? वर्ष 1995-96 हेतु यह धनराशि क्या है ? किन स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से यह धन खर्च होगा और इन संस्थाओं का मानक क्या है ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री श्याम लाल यादव)-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड की भांति बुन्देलखण्ड को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग

*6-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री उत्तराखण्ड की भांति बुन्देलखण्ड को राज्य का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

जी नहीं ।

राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य को छोड़कर प्रदेश का और विभाजन या पुनर्गठन कर अन्य किसी पृथक राज्य के गठन के पक्ष में नहीं है ।

पर्वतीय क्षेत्र में हुये लाठी चार्ज नरसंहार एवं मुजफ्फरनगर में हुये काण्ड पर श्वेत-पत्र जारी करने की मांग

*7-डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में हुये नरसंहार, लाठी चार्ज व मुजफ्फरनगर नारसा में हुये गोलीकाण्ड, लाठी चार्ज तथा बलात्कार के सम्पूर्ण मामलों पर राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*8-श्री बालेश्वर त्यागी-

(6 ठें सोमवार में ता0प्र0सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रतापगढ़ आटो ट्रैक्टर्स फैक्ट्री बन्द होने की दशा में बकाया ऋण एवं कर्मचारियों के भविष्य की जिम्मेदारी के निर्धारण की जानकारी

*9-श्री जमुना प्रसाद मिश्र-

क्या सरकार को जानकारी है कि आटो प्रतापगढ़ ट्रैक्टर्स लि0 प्रतापगढ़ की दशा काफी खराब है ? क्या उसका उत्पादन गिर कर औसत 50 इंजन प्रतिमाह तक आ गया है ? ट्रैक्टर्स का उत्पादन पूर्णतया बन्द है और कर्मचारियों की संख्या 275 ही रह गई है ? क्या फैक्ट्री पर लगभग 25 लाख रुपये बिजली का बकाया, स्टेट बैंक कैश-क्रेडिट लिमिट का लगभग (साठ) 60 लाख बकाया तथा यू0पी0एफ0सी0 से निर्गत 50 लाख का ऋण बकाया है ? क्या आटो ट्रैक्टर्स की धरोहर फैक्ट्री सिपानी आटो मोबाइल्स लि0 बन्द कर दी गई तथा वहां के एसेस भी हटाये जा चुके हैं ? यदि वर्तमान प्रबन्धतंत्र दिवालिया घोषित होकर बन्द कर देता है तो उपरोक्त ऋण बकाया राशि तथा कर्मचारियों के भविष्य की जिम्मेदारी किसी की होगी ? यदि सरकार की होगी, तो क्या सरकार समय-समय पर फैक्ट्री पर पूरी निगरानी रख रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

यह सही नहीं है कि आटो ट्रैक्टर्स लि0 की दशा काफी खराब है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

आटो ट्रैक्टर्स लि0 पर लगभग 8 लाख रुपया बिजली का बकाया जुलाई, 1995 तक है । यह सही नहीं है कि स्टेट बैंक कैश क्रेडिट लिमिट का रु0 60 लाख बकाया है । तथा यू0पी0एफ0सी0 का रु0 50 लाख भी बकाया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

*10-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज-

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।)

प्रश्नगत अवधि तक मंत्रियों द्वारा जेबखर्च जलपान, यातायात एवं टेलीफोन पर व्यय की गई धनराशि के विवरण की जानकारी

*11-श्री हरक सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 दिसम्बर, 1993 से 31 मार्च 1995 तक पूर्व सरकार के मंत्रियों ने जेबखर्चा, जलपान, यातायात व्यय, टेलीफोन पर

अलग-अलग कुल कितना खर्च किया है ? क्या वर्तमान सरकार आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुये खर्चों में कटौती कर मितव्ययिता करने का कष्ट करेंगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नगत अवधि में तत्कालीन सरकार के मंत्रियों द्वारा जेबखर्चा, जलपान, यातायात व्यय, तथा टेलीफोन पर क्रमशः रु0 53,14,998.91, रु0 92,98,836.40, रु0 1,07,96,616.55 तथा रु0 1,41,10,886.55 व्यय किया गया ।

वर्तमान सरकार द्वारा मितव्ययिता पर बराबर दृष्टि रखी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दुग्ध विकास विभाग में पात्र कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड, प्रोन्नति वेतनमान तथा विनियमितीकरण किये जाने की मांग

*12-श्री तेजभान सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुग्ध विकास विभाग में कार्यरत राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को 30 वर्ष की अनवरत सेवा के उपरान्त भी सेलेक्शन ग्रेड, प्रोन्नति वेतनमान एवं विनियमितीकरण की सुविधायें नहीं मिल रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को नियमानुसार सेलेक्शन ग्रेड तथा 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को प्रोन्नति वेतनमान देने तथा विनियमितीकरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

जी नहीं । शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक कर्मिक को 10 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त सेलेक्शन ग्रेड अथवा एक वेतन वृद्धि का लाभ तथा इसी प्रकार 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मिकों को प्रोन्नति का अगला उच्च वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान है । इसके अन्तर्गत 135 राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड तथा 72 राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को प्रोन्नति का अगला उच्च वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा चुका है ।

समस्त राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों की नियमित रूप से नियुक्तियां की गई हैं । अतः उनके विनियमितीकरण किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लोअर सबार्डिनेट परीक्षा 1995 में हुई धांधली के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*13-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मार्च, 1995 में सम्पन्न अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर सबार्डिनेट परीक्षा में हुई धांधली और प्रश्न पुस्तिकायें आउट होने के

के कारण परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

इस संबंध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तीन याचिकायें लम्बित हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रायबरेली में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में ऋण प्राप्त लाभार्थियों का विवरण

*114-श्री राजाराम त्यागी-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में रायबरेली में कितने प्रार्थना पत्र स्वीकार करके किन-किन बैंकों को ऋण प्रदान करने हेतु भेजे गये ? किस-किस बैंक ने कितने एवं कौन-कौन से लाभार्थियों को ऋण प्रदान कर दिया है ? क्या सभी को ऋण प्रदान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

वन लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)-

जनपद रायबरेली में प्रधान मंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा चयनित 482 प्रार्थना पत्र बैंक आफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, इण्डियन आवरसीज बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया तथा विजया बैंक को ऋण प्रदान करने हेतु भेजे गये ।

चयनति 482 लाभार्थियों में से जिस-जिस बैंक द्वारा जितने-जितने लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया गया, उसका विवरण निम्नवत् है :-

बैंक का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1-बैंक आफ बड़ौदा	149
2-पंजाब नेशनल बैंक	12
3-इलाहाबाद बैंक	11
4-भारतीय स्टेट बैंक	29
5-देना बैंक	22
6-सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	02
7-इण्डियन ओवरसीज बैंक	08
8-यूनियन बैंक आफ इण्डिया	11
9-यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	19
10-विजया बैंक	05
योग-	268

उक्त 268 लाभार्थियों की सूची संलग्न है । †

जी हां ।

कुल अवशेष 214 प्रार्थना पत्रों में से 84 प्रार्थना-पत्र विभिन्न बैंकों द्वारा निरस्त किये गये और 130 प्रार्थना पत्रों में औपचारिकतायें अपूर्ण हैं ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटे को पूर्ण किये जाने की मांग

*15-श्री बच्चा पाठक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सचिवालय में कितने अनुभाग अधिकारी/अनुभाग प्रभारी कार्यरत हैं ? इन अनुभाग अधिकारियों/अनुभाग प्रभारियों में कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या कार्यरत अनुभाग अधिकारी/अनुभाग प्रभारी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का वर्तमान आरक्षण के अनुसार कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कोटे को पूर्ण कराने की कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सचिवालय में 86 अनुभाग अधिकारी, जिनमें 3 स्थायी तथा 83 स्थानापन्न हैं, तथा 252 अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध प्रवर वर्ग सहायक कार्यरत हैं । कार्यरत 86 अनुभाग अधिकारियों, जिनमें 3 स्थायी तथा 83 स्थानापन्न हैं, में से 21 अनुभाग अधिकारी अनुसूचित जाति के तथा 02 अनुभाग अधिकारी अनुसूचित जनजाति के हैं । अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध कार्यरत 252 प्रवर वर्ग सहायकों में 33 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं । इन प्रवर वर्ग सहायकों में अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी नहीं है । कार्यरत 86 अनुभाग अधिकारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का वर्तमान आरक्षण के अनुसार कोटा पूर्ण है । अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध प्रवर वर्ग सहायक के रूप में की जाने वाली तैनातियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूर्ण करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश/मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा रहा है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

अतारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश में विधायकों और विभिन्न अधिकारियों के प्रोटोकाल में वरीयता क्रम की जानकारी

1-श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों, विधायकों व विभिन्न अधिकारियों का प्रोटोकाल में क्या वरीयता क्रम है? इस वरीयता क्रम में निम्न वरीयता वाले व्यक्ति से उच्च वरीयता व्यक्ति के प्रति कब तथा किसी प्रकार के सम्मान प्रदर्शित करने की आशा की जाती है ? विधायकों के प्रति इस प्रोटोकाल वरीयता में कब तथा किन अधिकारियों से किस प्रकार के सम्मान की व्यवस्था की जाती है?

सुश्री मायावती-

प्रश्न में वांछित जानकारी सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश सं0 5333/तीन-72(1)/73-सा0प्र0अनु0, दिनांक 30 सितम्बर, 1978 में उपलब्ध है और तद्नुसार ही व्यवस्था की जाती है।

2-श्री राम कुमार शुक्ल-

(दिनांक 18-7-95 को नियम 29 (4) के ता0प्र0सं0-1 तथा-3 द्वारा उत्तरित)

3-श्री देवेन्द्र कुमार सिंह-

(दिनांक 1-8-95 को अता0प्र0सं0-129 द्वारा उत्तरित।)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दस्यु समस्या के उन्मूलन हेतु मानक के आधार पर पुलिस बल की तैनाती की जानकारी

4-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में दस्यु समस्या के उन्मूलन हेतु मानक के आधार पर पुलिस कर्मचारी तैनात हैं? क्या जनपद हमीरपुर व जनपद महोबा के प्रत्येक पुलिस थानों में इस समय तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या मानक के अनुरूप है ? यदि हां, तो संख्या बल क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी हां।

जनपद हमीरपुर तथा महोबा के थानों पर 6 निरीक्षक, 77 उप निरीक्षक, 80 हेड कान्सटेबिल तथा 710 कान्सटेबिल हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर के स्व0 राम औतार शिवहरे को दो लाख रूपये आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

5-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के थाना सुमेरपुर के श्री राम औतार शिवहरे जिनकी दिनांक 20-6-95 को हत्या कर बदमाश सारा समान लूट कर ले गये थे, पुलिस द्वारा कब और क्या कार्यवाही की गई ? क्या इसी घटना में मृतक मुलिया की तरह राम औतार शिवहरे के परिवार को भी रुपया दो लाख की सहायता दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नगत घटना के संदर्भ में थाना सुमेरपुर पर दिनांक 21-6-95 को मु0अ0सं0 351/95 अंतर्गत धारा 460/201 भा0दं0वि0 पंजीकृत हुआ तथा स्थानीय पुलिस की प्रारम्भिक विवेचना से अभियोग में धारा 302/395 भा0दं0वि0 की वृद्धि की गई, तत्पश्चात् उपरोक्त अभियोग मु0अ0सं0 351/95 की निष्पक्ष जांच/विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

इस आशय का कोई प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर में वर्ष 1994-95 में दर्ज किये गये मुकदमों की जानकारी

6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 से दिनांक 5-7-95 तक थाना मिर्जापुर (जनपद शाहजहांपुर) में कितनी डकैतियां/राहजनी/चोरी/लूट की घटनायें दर्ज की गई हैं ? इनमें से कितने मुकदमें ऐसे हैं जिनमें से अभियुक्तों का पता नहीं चला ? अ0सं0 77/95 धारा 394 आई0पी0सी0 की घटना में अब तक अभियुक्तों के पता न चलने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस घटना में 10-11 लोग डकैती में शामिल थे फिर घटना को कम करके क्यों दर्शाया गया ?

सुश्री मायावती-

जनपद शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर पर वर्ष 1994-95 (अर्थात 1-4-95) से दिनांक 5-7-95 तक दर्ज प्रश्नगत अभियोगों के सम्बन्ध में वांछित विवरण इस प्रकार है :-

अभियोग का नाम	दर्ज अभियोगों की संख्या	ऐसे अभियोगों की संख्या जिनमें अभियुक्त का पता नहीं चला
1-डकैती	00	00

2-राहजनी	01	01
3-चोरी	13 इसमें से दो मामले झूठे पाये गये ।	05
4-लूट	02	01

भरसक प्रयास के बावजूद भी अभी तक अभियुक्तों का पता नहीं चल सका है ।

प्रश्नगत अभियोग के वादी द्वारा लिखित तहरीर में चार बदमाशों का होना अंकित है । अब तक सम्पन्न पुलिस विवेचना में 10-11 बदमाशों का होना प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रदेश में उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रोन्नति के पश्चात् सी0आई0डी0 में तैनाती की अवधि की जानकारी

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पुलिस निरीक्षक ऐसे हैं जो 4 वर्ष से अधिक समय से सी0आई0डी0 में कार्यरत हैं ? क्या नियमानुसार इस विसंगति को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि उप निरीक्षकों की प्रोन्नति होने के बाद निरीक्षकों को कितने वर्ष सी0आई0डी0 में रहना अनिवार्य है ?

सुश्री मायावती-

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप निरीक्षक को निरीक्षक पद पर प्रोन्नति के बाद कम से कम 2 वर्ष तक सी0आई0डी0 में रहना अनिवार्य है ।

जनपद पिथौरागढ़ से स्थानान्तरित हुये सिपाहियों को कार्यमुक्त किये जाने की मांग

8-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ से वर्ष 1994 व 1995 में स्थानान्तरित हुये ऐसे कितने सिपाही हैं, जिनको अभी तक कार्य मुक्त नहीं किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि इनको कार्य मुक्त न करने के पीछे क्या कारण है ? शासनादेश का अनुपालन न करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

तीन सिपाहियों को कार्यमुक्त नहीं किया गया है ।

दो हेड कांस0 सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षणाधीन है । एक हेड कान्स0 सशस्त्र पुलिस द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र को स्थानान्तरण रोकने हेतु प्रार्थना पत्र देने के कारण ।

शासन द्वारा कार्य मुक्त किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

विकास खण्ड सेवापुरी जनपद वाराणसी के सभी ग्रामों को वाराणसी जिले में शामिल किये जाने की मांग

9-श्री रंगनाथ मिश्र-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सेवापुरी विकास खण्ड जनपद वाराणसी में है? यदि हां, तो क्या सेवापुरी विकास खण्ड के कुछ व्यक्ति ग्राम चौरी थाना, जनपद भदोही के अन्तर्गत भी रखे गये हैं ? यदि हां, तो कब तक उन्हें जनपद वाराणसी के थाने से सम्बद्ध किया जायेगा तथा किस थाने से सम्बद्ध किया जा रहा है?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

संदर्भगत विकास खण्ड के 48 ग्राम भदोही जनपद के सृजन के फलस्वरूप उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आ गये हैं, परन्तु अभी थानों के कार्यक्षेत्र निर्धारण की अधिसूचना जारी नहीं हुई है ।

प्रश्नगत ग्रामों को थाना जन्सा जनपद वाराणसी से सम्बद्ध किये जाने का प्रस्ताव आया है । अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

10-श्री हरवंश कपूर-

(4थे बुधवार में अता0प्र0सं0-174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बलिया के ग्राम खन्दवा की निवासिनी श्रीमती लालमुनि सिंह द्वारा दिये गये पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

11-श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खन्दवा, थाना उभांव तहसील सीयर, जनपद बलिया में श्रीमती लालमुनी सिंह पत्नी श्री फतेह बहादुर सिंह की सहन भूमि पर श्री वृन्दा आत्मज श्री चन्द्रिका द्वारा अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न विवाद से संबंधित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बलिया को पत्र संख्या-डी/1141/सी0एम0-2/95, दिनांक 17 फरवरी, 1995 एवं समसंख्यक अनुस्मारक दिनांक 18-4-1995

संख्या डी/3166/सी0एम0-2/95, दिनांक 1-5-95 पत्र संख्या 1283/पी0जी0एस0/95, दिनांक 8-2-95 तथा पत्र संख्या 4616/पी0जी0एस0/95, दिनांक 16-5-95 प्राप्त हुये? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

श्रीमती लालमुनी सिंह पत्नी श्री फतेह बहापुर सिंह निवासी ग्राम खण्डवा थाना उभाव, जनपद बलिया के प्रार्थना-पत्र पर जांच से पाया गया कि वर्तमान समय में विवादित भूमि खाली पड़ी है । प्रतिवादी श्री वृन्दा आत्मज श्री चन्द्रिका को उस भूमि पर जाने से मना कर दिया गया है तथा दोनों पक्षों को विवादित भूमि के संबंध में निपटारा करने हेतु पंचायत के माध्यम से तय करने के लिये हिदायत दी गई है । वर्तमान में प्रतिवादी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की थाना कोतवाली में स्व0 अनिल कुमार कुमरा की हत्या के अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने की मांग

12-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र में दिनांक 22-12-94 को अनिल कुमार कुमरा की हत्या की तफतीश सी0बी0सी0आई0डी0 को सौंप दी गई है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ? उसमें कितने अभियुक्तों के शामिल होने की जानकारी प्राप्त हुई है ? कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है ? शेष अभियुक्त जो गिरफ्तार नहीं किये जा सके उनके संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं । अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा स्थानीय पुलिस की विवेचना का चेकअप किया गया है ।

चेकअप में स्थानीय पुलिस विवेचना को सही पाया गया ।

तीन अभियुक्त शामिल होने की जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है ।

शेष दो की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये गये हैं परन्तु अभी तक सफलता नहीं मिली है । इनमें से एक की सम्पत्ति की कुर्की आदि की जा चुकी है । तीसरे अभियुक्त का केवल नाम ज्ञात हो सका है, पता ज्ञात न होने के कारण सम्पत्ति की कुर्की आदि की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाई है ।

जनपद लखनऊ के थाना मड़ियाव में दर्ज मुकदमें के आधार पर मूल चन्द्र मौर्य को गिरफ्तार किये जाने की मांग

13-श्री हरेन्द्र सिंह मलिक-

क्या मुख्य मंत्री थाना मड़ियांव, जनपद लखनऊ में दर्ज अप0संख्या 280/94 धारा 395/397 दिनांक 8-11-94 में अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत पुलिस केस डायरी का विवरण तथा उस संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या यह सही है कि उक्त अपराध में प्रस्तुत पुलिस केस डायरी मूलचन्द्र मौर्य, निवासी भरत नगर, लखनऊ को डकैती के माल के साथ फरार होने का जिक्र किया गया है ? यदि हां, तो उक्त फरार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं, क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख/केस डायरी न्यायालय में दाखिल है । प्रश्नगत अभियोग की विवेचना की गई । विवेचना से 4 अभियुक्त प्रकाश में आये शेष दो अन्य अभियुक्तों का कोई पता न चल पाने के कारण उक्त चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 20-5-95 को न्यायालय भेजा गया, जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

जी हां । अभियुक्तों द्वारा मूलचन्द मौर्या को घटना में लिप्त होने का बयान दिया गया था ।

विवेचना से मूल चन्द्र मौर्या को निर्दोष पाया गया । अतः पुलिस या विधिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

जनपद जालौन में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किये जाने की मांग

14-श्री शिवराम सिंह कुशवाहा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन में वर्तमान समय में ऐसे कौन-कौन से शस्त्र धारक हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर वह समस्त लाइसेंस निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्राप्त सूचनानुसार ऐसे 55 शस्त्र धारक हैं । इनकी सूची संलग्न है ।

संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी जांच करायी जा रही है । इनमें से 6 लाइसेंस धारकों के आग्नेयास्त्र लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं तथा 22 के निलम्बित कर दिये गये हैं । 13 लाइसेंस धारकों के निरस्तीकरण की

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 243-245 पर)

कार्यवाही मां0 न्यायालय के विचाराधीन है । 14 मामलों में पुलिस मजिस्ट्रेट द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन में अन्य प्रदेशों से जारी किये गये लाइसेंसों का विवरण

15-श्री शिवराम सिंह कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में किस गांव के कौन-कौन से व्यक्ति ऐसे शस्त्र धारक हैं जिनके शस्त्र लाइसेंस उत्तर प्रदेश से न जारी कर अन्य प्रदेशों से विगत 1990 के उपरान्त जारी किये गये हैं ? क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि उसमें अनेक शस्त्र फर्जी जारी किये गये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा अनियमित पाये जाने पर कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती-

ऐसे 49 शस्त्र धारक संज्ञान में आये हैं । इनकी सूची संलग्न है ।

प्राप्त सूचनानुसार ऐसे कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं ।

जी हां ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 246-248 पर)

जनपद गोण्डा में पूर्व की भांति बालू खनन की निलामी किये जाने की मांग

16-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के सातों मुहल्लों में राजस्व विभाग बालू खनन की नीलामी विगत कई वर्षों से करता चला आ रहा था जिससे शासन को राजस्व प्राप्त होता था ? क्या सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 31 मार्च, 1994 के बीच कोई शासनादेश निर्गत किया है कि ग्राम समाज के क्षेत्र में बालू जो जिलाधिकारी द्वारा नीलाम की जाती थी, अब भविष्य में अग्रिम आदेश तक नीलामी नहीं की जायेगी ? यदि हां, तो क्या यह आदेश मात्र जनपद गोण्डा के लिये निर्गत नहीं किया गया है अथवा समस्त उ0प्र0 के लिये ? क्या सरकार शासनादेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी ? यदि ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है तो सरकार जिलाधिकारी गोण्डा को आदेश निर्गत करेगी कि पूर्व की भांति बालू का नीलाम कराया जाय ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश के लिये ।

जी हां । शासनादेश दिनांक 19 फरवरी, 1994 की प्रति संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 249-251 पर)

जनपद गोण्डा की तहसील तुलसीपुर में भाभानाला से बालू की निकासी रोके जाने के कारण ठेकेदार को हुये नुकसान की पूर्ति की मांग

17-श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील तुलसीपुर में भाभरनाला से वर्ष 1993-94 वित्तीय वर्ष में बालू निकालने का ठेका जिलाधिकारी ने सामान्य रूप से नीलाम किया था और ठेकेदार द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 तक बालू निकासी का कार्य भी किया गया था ? क्या माह जनवरी, 1994 में उप मंत्री वन श्री लालजी चौहान ने स्थल का निरीक्षण करके बालू निकासी का कार्य रुकवा दिया और जिलाधिकारी को जांच करने का आदेश दिया ? क्या प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर गोण्डा वन प्रभाग तथा परगना मजिस्ट्रेट तुलसीपुर के संयुक्त तत्वावधान में जांच की गई ? क्या वन क्षेत्र में बालू का खनन नहीं होता है ? क्या इसके बाद भी जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 31 मार्च, 1994 तक बालू निकासी का कार्य ठेकेदार को नहीं करने दिया ? क्या सरकार इस क्षति को पूरा करने के लिये ठेकेदार को तीन माह की अवधि बालू खनन हेतु प्रदान करेगी ? क्या सरकार इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । अन्य बिन्दुओं पर सम्यक् निर्णय लिया जाना शेष था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर 2 अक्टूबर, 94 को झूठे मुकदमों में फंसाये गये उत्तरांचल के व्यक्तियों को रिहा किये जाने की मांग

18-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 अक्टूबर, 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे एवं गुरुकुल नारसन में उत्तरांचल के निर्दोष लोगों को क्या वास्तव में झूठे केसों में फंसाया गया है ? क्या सरकार ऐसे झूठे मुकदमों को वापस लेने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 2 अक्टूबर, 1994 को जनपद मुजफ्फरनगर में घटित घटना के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी0बी0आई को सौंपी गई है। सी0बी0आई0 की रिपोर्ट अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री एस0 एस0 एल0 श्रीवास्तव सहायक श्रमायुक्त शाहजहांपुर को मण्डल के बाहर स्थानान्तरित किये जाने की मांग

19-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 एस0 एल0 श्रीवास्तव, सहायक श्रमायुक्त शाहजहांपुर जो कि विगत 8 वर्षों से बरेली क्षेत्र/मण्डल के बरेली व शाहजहांपुर जनपदों में कार्यरत हैं, का स्थानान्तरण किसी अन्य क्षेत्र/मण्डल में क्यों नहीं किया जा रहा है ? इनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्याम लाल यादव-

श्री एस0एस0एल0 श्रीवास्तव, सहायक श्रमायुक्त शाहजहांपुर में 24-6-93 से कार्यरत हैं। इनके पूर्व 26-10-89 से 23-6-93 तक बरेली में सहायक श्रमायुक्त के पद पर नियुक्त थे। श्री श्रीवास्तव तीन वर्ष शाहजहांपुर में पूरे नहीं किये हैं। स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत श्री श्रीवास्तव स्थानान्तरण हेतु अभी परिपक्व नहीं हैं।

जनपद उन्नाव में गंगाघाट के थानाध्यक्ष के विरुद्ध की गई जांचों की जानकारी

20-श्री दल बहादुर कोरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च-अप्रैल, 1995 में उन्नाव जनपद में गंगाघाट के थानाध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति के तीन लोगों के बाल बनवा कर घुमाया गया था और इसकी जांच डी0जी0पी0 द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध और कितनी जांचे हुई ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं। वरन माह जनवरी, 1995 में ही प्रश्नगत घटना घटित हुई, जिसकी जांच पुलिस महानिदेशक द्वारा कराई गई।

दोषी पुलिस उप निरीक्षक (थानाध्यक्ष) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है तथा उनका स्थानान्तरण मेरठ किया जा चुका है। वे दिनांक 28-7-95 को प्रस्थान भी कर चुके हैं।

उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध 25 और जांचे हुई।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति की जानकारी

21-श्री हरपाल सिंह-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? राजकीय औषधि प्रशाधन संस्थान अलीगंज लखनऊ व राजकीय औषधि प्रशिक्षण संस्थान चारबाग लखनऊ में कार्यदेशक, अनुदेशक कब से स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं ? क्या कोई कर्मचारी ऐसा भी है जिनका स्थानान्तरण होने पर भी लखनऊ से सम्बद्ध रहे ? यदि हां, तो क्या उनका सेवाकाल लखनऊ में जोड़ा जायेगा ?

श्री श्याम लाल यादव-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के लिये स्थानान्तरण नीति सामान्यत: शासनादेश संख्या 426/47-का-4-14 (1)/90, दिनांक 24 जून, 1995 द्वारा राज्य सरकार के वर्ग 'ग' व 'घ' के कर्मचारियों के लिये प्रसारित नीति के अनुरूप है।

समय समय पर आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये गये हैं।

जी हां। श्री वी0सी0 सक्सेना, अनुदेशक मोटर मैकेनिक जिनका स्थानान्तरण विगत नवम्बर, 94 में अलीगंज, लखनऊ से चन्दौसी किया गया था, व्यवसायिक परीक्षा परिषद् से सम्बद्ध हैं।

जी हां।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची बनाये जाने में नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

22-श्री राम कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 1942 (यथा संशोधित) में वर्ष 1980 या उसके बाद कोई संशोधन किया गया है ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो क्या सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-5 में कार्यालय-ज्ञाप संख्या 4537/बीस-ई-5-50/92, दिनांक 13-7-93 द्वारा प्रवर वर्ग सहायकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची बनाने में उक्त सेवा नियमावली के नियम 14,19,21,34 तथा 46 का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

सुश्री मायावती-

जी हां। उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग नियमावली, 1942 (यथा संशोधित) में वर्ष 1980 या उसके बाद निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं :-

(1) अधिसूचना दिनांक 10-6-85 द्वारा नियम 14 में उप नियम 2 में संशोधन।

(2) अधिसूचना दिनांक 31-3-86 द्वारा नियम 9 के खण्ड-2 में परन्तुक बढ़ाया गया ।

(3) अधिसूचना दिनांक 1-9-88 द्वारा नियम-45 में उप नियम (1) का समावेश ।

(4) अधिसूचना दिनां 5-11-90 द्वारा नियम 9 (4) में संशोधन ।

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 4537/बीस-ई-5-50/92, दिनांक 13-7-93 द्वारा निर्गत प्रवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठता सूची शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार तैयार की गई है, अतः किसी पर उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वर्ष 1974 में चयनित अवर वर्ग सहायकों के अनियमित विनियमितीकरण को निरस्त किये जाने की मांग

23-श्री राम कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से वर्ष 1974 में अवर वर्ग सहायक के 250 अस्थाई पदों पर चयन कराया गया था और चयनित अभ्यर्थियों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई थी? क्या यह सही है कि ऐसे अवर वर्ग सहायकों को नियमित रूप से नियुक्त और स्थायी किये बिना प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानापन्न रूप से प्रोन्नत एवं विनियमित करने की कार्यवाही नियम विरुद्ध की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता को दूर करने के लिये प्रवर वर्ग सहायक के पद पर किये गये विनियमितीकरण को निरस्त करके नियमानुसार नये सिरे से विनियमितीकरण की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के माध्यम से वर्ष 1974 में अवर वर्ग सहायक के 250 अस्थाई पदों पर चयन कराया गया था और चयनित अभ्यर्थियों को अस्थायी नियुक्ति प्रदान की गई थी।

नियमित रूप से नियुक्त प्रश्नगत अवर वर्ग सहायक शाखा स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत होकर प्रवर वर्ग सहायक के पद पर "उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग सहायक (स्थानापन्न पदोन्नतियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1990" के नियम-4 (एक) के अन्तर्गत नियमानुसार विनियमित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अस्थाई अवर वर्ग सहायकों का प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर अनियमित प्रोन्नति की शिकायत

4-श्री राम कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 1942 (यथा संशोधित) के नियम-21 के अनुसार विभागीय कोटे में प्रवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु अवर वर्ग सहायक के पद पर स्थायीकरण अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1990 में अस्थायी अवर वर्ग सहायकों को भी पात्रता सूची में सम्मिलित करके उन्हें प्रवर वर्ग सहायक के पद पर विनियमित किया गया है और उनके नाम प्रवर वर्ग सहायक की ज्येष्ठता सूची में भी सम्मिलित कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

वर्ष 1990 में "उ0प्र0 सचिवालय प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग सहायक (स्थानापन्न पदोन्नतियों का विनियमितीकरण) नियमावली, 1990 के अनुसार आयोग द्वारा अवर वर्ग सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अनुमोदित और दिनांक 1 अप्रैल, 1989 के पूर्व प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत अवर वर्ग सहायकों को प्रवर वर्ग सहायक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया । प्रश्नगत अवर वर्ग सहायक चूंकि प्रवर वर्ग सहायक के पद पर नियमित रूप से नियुक्त हो चुके हैं, अतः इनके नाम प्रवर वर्ग सहायकों की ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये गये हैं ।

सूचना विभाग द्वारा हिन्दी साप्ताहिक "क्रान्ति चेतना" के सर्वाधिक विज्ञापन दिये जाने के कारणों की जानकारी

25-श्री शारदा प्रसाद जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग द्वारा हिन्दी साप्ताहिक "क्रान्ति चेतना" को दिनांक 1 फरवरी, 1994 से 31 मई, 1995 तक कुल कितने रुपयों का विज्ञापन जारी किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त हिन्दी साप्ताहिक को उक्त अवधि में सबसे अधिक धनराशि के विज्ञापन दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

हिन्दी साप्ताहिक "क्रान्ति चेतना" को दिनांक 1 फरवरी, 1994 से 31 मई, 1995 तक कुल रुपये 2,13,700/- के विज्ञापन दिये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

26-श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी-

॥ विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।॥

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1995 में पुलिस विभाग में हुई नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

27-श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1995 में पुलिस विभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें आरक्षण का ध्यान रखा गया है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा आरक्षण कब तक पूरा करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती-

जी हां, आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1994-95 में सूचना विभाग शाहजहांपुर में आवंटित एवं व्यय की गई धनराशि की जानकारी

28-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95 में कुल कितनी धनराशि का आवंटन आवर्ती एवं अनावर्ती मद में सूचना विभाग जनपद शाहजहांपुर को किया गया? उसमें से कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है तथा कितनी धनराशि शेष है? सूचना केन्द्र की साज सज्जा, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी आदि मदों में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई? क्या समस्त कार्य (क्रय एवं पूर्ति) पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सूची उपलब्ध करायेगी?

सुश्री मायावती-

वित्तीय वर्ष 1994-95 में जिला सूचना कार्यालय शाहजहांपुर को आवर्ती मद में रुपये 95,000/- तथा अनावर्ती मद में रुपये 4,50,586/- कुल रुपये 5,45,586/- की धनराशि आवंटित की गई।

उक्त धनराशि में से रुपये 5,32,241/- व्यय किये गये तथा रुपये 13,345/- की धनराशि की बचत हुई।

सूचना केन्द्र शाहजहांपुर की साज सज्जा, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी आदि मदों में कुल रुपये 34,404.50 व्यय किये गये।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधायकों के आवासीय व्यवस्था के लिये सरकारी नीति की जानकारी

29-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा0 विधायकों के आवासीय व्यवस्था के लिये सरकारी नीति क्या है ? क्या सरकार एक बार या कई बार विधायक के रूप में चलकर आये विधायकों को प्राथमिकता के आधार पर कोई आवासीय सुविधा देगी?

सुश्री मायावती-

मा0 विधायकों को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 1963 के अंतर्गत आवास आवंटन की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कारागार अधीक्षकों के आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु गनर की मांग

30-श्री नन्द किशोर मिश्र तथा श्री अम्बिका सिंह-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारागार अधीक्षकों के आवागमन हेतु वाहन की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कारागार अधीक्षकों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु उनके पास आग्नेयास्त्र की व्यवस्था या गनर लगाने की व्यवस्था शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या उनके सुरक्षा व्यवस्था हेतु आग्नेयास्त्र या गनर की व्यवस्था भविष्य में की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अकबर अली-

कुछ कारागार स्तर पर वाहन की सुविधा उपलब्ध है । वित्तीय संसाधनों के उपलब्ध होने पर ऐसे कारागार जहां यह सुविधा नहीं है, उन्हें उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा ।

वर्तमान में प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन नहीं है ।

कारागार महानिरीक्षक के स्तर पर परीक्षण किया गया ।

जनपद सोनभद्र के ग्राम रन्दह में हुई फायरिंग के लिये दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर ग्राम वासियों के पलायन को रोकने की मांग

31-श्री विजय सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सोनभद्र रन्दह ग्राम में दिनांक 5-7-95 को सामन्तों द्वारा अनुसूचित जाति/आदिवासियों एवं पिछड़ी जाति के लोगों को जाति सूचक गालियां देते हुये अन्धाधुन्ध फायरिंग कर राजेन्द्र (अनुसूचित जाति) को घायल कर दिया गया ? इसमें कौन-कौन लोग अभियुक्त हैं और उनके विरुद्ध किन-किन धाराओं के तहत मुकदमा कायम हुआ ? अब तक कौन-कौन से अभियुक्त गिरफ्तार हुये ? यदि नहीं, तो अभी तक अभियुक्तों को गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार को जानकारी है कि रन्दहा ग्राम तथा आस पास के 25 गांवों के सामन्तों के आतंकवादी कार्यवाही और अनुसूचित जातियों की जमीन लूटने से उस क्षेत्र

के आतंकित अनुसूचित जाति/आदिवासी गावों को छोड़कर पलायित होने के लिये मजबूर हैं ? यदि हां, तो उस पलायन को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम रन्दह में दिनांक 5-7-95 साहूकारों व आदिवासी/अनुसूचित जाति के लोगों के मध्य भूमि विवाद को लेकर एक दूसरे पर हुई फायरिंग की घटना में अनुसूचित जाति का सदस्य श्री राजेन्द्र उर्फ सनीचर घायल हो गया था, जिसके संबंध में उक्त दिनांक को ही थाना दुद्धी पर अभियुक्तगण बद्री, लखन, लक्ष्मण, राजू, गोपाल, दशरथ, बच्चा, रामेश्वर व नरायन के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 147/148/149/447/504/307 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज हुआ । अभियुक्त बद्री व राजू के फरार हो जाने के कारण गिरफ्तारी न हो सकी । शेष उक्त सभी अभियुक्तगण गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं ।

जी नहीं ।

शेष अन्य कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद ललितपुर में काला पहाड़ क्षेत्र में अवैध रूप से किये जा रहे खनन को बन्द कराये जाने की मांग

32-श्री देवेन्द्र कुमार सिंह-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के काला पहाड़ की किसानों की भूमि जो कि खेतिहर मजदूरों को कृषि हेतु खनन पट्टे पर दी गई है तथा उससे लगी वन विभाग की सैकड़ों एकड़ जमीन पर बिना किसी खनन पट्टा, परमिट अथवा लाइसेंस के अवैध रूप से अन्धाधुन्ध खनन कार्य कुछ माफिया लोगों द्वारा करके अरबों रुपये का ग्रेनाइट पत्थर खनन करके बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसी कितनी भूमि ग्राम सभा व वन श्रेणी की है जिस पर अवैध खनन किया जा रहा है तथा अभी तक कितने रुपयों की राजस्व की हानि शासन को हुई है ? क्या उक्त अवैध खनन को शासन तुरन्त बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

ग्राम कालापहाड़ के खेतिहर मजदूरों की कृषि भूमि खनन पट्टे पर नहीं दी गई है ।

वन विभाग के अन्तर्गत आने वाले खसरा नं0 275 एवं 377 की कुछ भूमि में सर्वश्री माउण्ट विक्टोरिया द्वारा अवैध खनन करते हुये पाया गया जिनके विरुद्ध

कार्यवाही कर वन विभाग द्वारा रु0 30,000/-जुर्माने के रूप में वसूल किया गया। ग्राम समाज की भूमि में वर्तमान समय में अवैध खनन की कोई सूचना नहीं है।

अवैध खनन बन्द करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी नौकरियों में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने की मांग

33-श्री बची सिंह रावत-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी नौकरियों में आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करने पर क्या राज्य सरकार विचार कर रही है? क्या इस आरक्षण को लागू करने के लिये वर्तमान आरक्षण के प्रतिशत में कोई कमी की जायेगी ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा केवल शहरी सम्पत्ति कोटी ऋण देने हेतु गारन्टी के लिये मान्य किये जाने विषयक जानकारी

34-श्री सुधीर कुमार बलियान-

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा केवल शहरी सम्पत्ति को ही ऋण देने हेतु गारन्टी के लिये मान्य किया गया है? यदि हां, तो यह किस तिथि से प्रभावी हुआ है?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा शहरी सम्पत्ति के आलावा अर्द्धशहरी, कस्बा एवं ग्रामीण सम्पत्तियों को भी गारन्टी स्वरूप बंधक रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त निम्न परिस्थितियों में निगम अन्य सम्पत्तियों को भी गारन्टी स्वरूप बन्धक रखता है :-

(1) जहां निगम यह निर्धारित करता है कि प्रस्तावित योजना जोखिमपूर्ण है या उद्यमी अपनी वित्तीय स्थिति ठीक से नहीं दे पाता है।

(2) जहां पर मशीनों को किराये के भवन में स्थापित करना प्रस्तावित होता है।

(3) जहां उद्यमी को केवल कार्यशील पूंजी हेतु ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

35-श्री मित्रसेन यादव-

(5वें बुध में अता0प्र0सं0 64 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

थाना कूड़ेभार जनपद सुल्तानपुर में श्री विमलेश कुमार मिश्र द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में अंकित अभियुक्तों के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

36-श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु0अ0सं0 115/95 धारा 147, 148, 307, 504 और 506 आई0 पी0 सी0 व 5 ई0 सी0 पी0 ऐक्ट थाना कूड़ेभार सुल्तानपुर में दिनांक 15-4-95 को वादी श्री विमलेश कुमार मिश्र पुत्र श्री शिव प्रसाद मिश्र, ग्राम मायंग, थाना कूड़ेभार सुल्तानपुर में नामजद सात अभियुक्तों के विरुद्ध कोई प्राथमिकी अंकित कराई गई है ? यदि हां, तो घटना को विलम्ब से अंकित किये जाने तथा कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के कारण क्या हैं ? इस मामले की अब तक की प्रगति क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

दिनांक 7-4-95 की घटना की सूचना श्री विमलेश द्वारा दिनांक 15-4-95 को दी गई और उक्त तिथि को ही अभियोग दर्ज हुआ ? अभियोग के सभी अभियुक्त 30-5-95 को न्यायालय में आत्म समर्पण कर चुके हैं । मामले में विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा जांच क्रमित है ।

थाना कूड़ेभार जनपद सुल्तानपुर में श्री श्याम बहादुर आदि द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नाम दर्ज दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

37-श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु0अ0सं0 115ए/95 धरा 323/506/436 आई0 पी0 सी0 पी0 एस0 कूड़ेभार सुल्तानपुर में दिनांक 15-4-95 को श्री श्याम बहादुर पुत्र श्री बनवासी निवासी मझवारा पी0/एस0 व पुत्री उपरोक्त वादी की कोई प्राथमिकी नामजद तीन अभियुक्तों के विरुद्ध अंकित करायी गई है ? यदि हां, तो घटना का विस्तृत विवरण क्या है और घटना के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? उनका अपराधिक इतिहास क्या है ? मामले में कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट और कार्यवाही में विलम्ब का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

बूथ कैप्चरिंग की नीयत से दिनांक 7-4-95 को मतदान के समय ग्राम मायंग निवासी सोनू सिंह, मोनू सिंह पुत्रगण इन्द्रभद्र सिंह तथा रामेन्द्र सिंह द्वारा मारने पीटने,

बर्मों का इस्तेमाल करने एवं गांव के 4-5 घर जलाने की घटना में लिप्त होने के आरोप हैं। प्रश्नगत मामले की जांच विशेष अनुसंधान शाखा को सुपुर्द की गई है, जो अभी विचाराधीन है।

वर्ष 91-92 के सामान्य चुनाव में जिला कमाण्डेंट इलाहाबाद द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की आडिट रिपोर्ट के आधार पर कृत कार्यवाही की जानकारी

38-श्री राम सेवक सिंह-

क्या होमगार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 के सामान्य चुनाव में जिला कमाण्डेन्ट इलाहाबाद द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं का आडिट कराया गया था ? यदि हां, तो आडिट के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अकबर अली-

जी हां।

वर्ष 1991-92 के सामान्य निर्वाचन में जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, इलाहाबाद द्वारा की गई तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं का आडिट नागरिक सुरक्षा निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ की आडिट पार्टी से कराया गया था।

प्रश्नगत आडिट रिपोर्ट, दिनांक 27-7-95 को होमगार्ड मुख्यालय पर प्राप्त हुई है। मुख्यालय स्तर पर आडिट रिपोर्ट की समीक्षा/परीक्षण किया जा रहा है।

श्री उमाकान्त त्रिपाठी, जिला कमाण्डेंट इलाहाबाद (होमगार्ड) के स्थगन आदेश को निरस्त न कराये जाने से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

39-श्री राम सेवक सिंह-

क्या होमगार्ड मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमाकान्त त्रिपाठी, जिला कमाण्डेन्ट इलाहाबाद (होमगार्ड) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थगनादेश के अनुसार वर्ष 1983 से नौकरी कर रहे हैं ? यदि हां, तो स्थगनादेश निरस्त कराने हेतु विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अकबर अली-

जी हां।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगनादेश दिनांक 11-1-84 को निरस्त कराने के संबंध में विभाग द्वारा एक रिट याचिका दाखिल की गई थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 14-3-85 को अस्वीकृत करते हुये दिनांक 11-1-84 के स्थगनादेश को स्थाई घोषित कर दिया। इससे पूर्व मामले की शीघ्र

सुनवाई के लिये विभाग द्वारा दिनांक 8-2-85 को एक "एक्सपेडाइट एप्लीकेशन" भी दाखिल की गई थी। इसके बाद समय-समय पर शासन तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर मामले की पैरवी हेतु माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य स्थाई अधिवक्ता संयुक्त विधि परामर्शी तथा संयुक्त निबंधक को शीघ्र सुनवाई एवं एक्सपेडाइट एप्लीकेशन को काज लिस्ट में पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता रहा है। अतः प्रकरण में किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कमान्डेन्ट इलाहाबाद द्वारा होमगार्ड जवानों की पुनर्बहाली का मामला एवं कृत कार्यवाही

40-श्री राम सेवक सिंह-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कमान्डेन्ट इलाहाबाद द्वारा होमगार्ड जवानों की पुनर्बहाली बिना उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के की गई? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अकबर अली-

जी हां।

इस संबंध में मण्डलीय कमान्डेन्ट, होमगार्ड्स, इलाहाबाद की जांच आख्या का परीक्षण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है। तदोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना की जानकारी

41-श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय कार्यालयों निगमों, प्रतिष्ठानों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

ऐसी कोई विशिष्ट कार्ययोजना नहीं बनायी गई है, किन्तु अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय से कार्यालय उपस्थित हों। समय-समय पर इस विषय में शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं। समय से कार्यालय न आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित दण्डात्मक कार्यवाही करने की व्यवस्था शासनादेश में है :-

(।) । दिन देर से आने पर--मौखिक चेतावनी।

(2) 2 दिन देर से आने पर- -लिखित चेतावनी ।

(3) 3 दिन देर से आने पर- -एक दिन का आकस्मिक अवकाश का काटा जाना ।

(4) 4 या इससे अधिक दिन देर से आने पर- -अनुशासनात्मक कार्यवाही का किया जाना ।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1994-95 में जारी किये गये शस्त्र लाइसेन्सों की संख्या की जानकारी

42-श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में मैनपुरी जनपद में कितने शस्त्र लाइसेंस किन-किंन जिलाधिकारियों द्वारा जारी किये गये ? किस विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा व अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को लाइसेंस जारी किये गये ?

सुश्री मायावती-

जनपद मैनपुरी में वर्ष 1994-95 में कुल 833 शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये और ये सभी श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये। सबसे अधिक 204 शस्त्र-लाइसेंस विधान सभा क्षेत्र करहल में जारी किये गये। प्राप्त सूचना के अनुसार किसी भी अपराधिक प्रकृत्त के व्यक्ति को शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया गया ।

जनपद मेरठ में पुलिस विभाग में स्वीकृत रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरे जाने की मांग

43-श्री राम कृष्ण वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में स्वीकृत पुलिस इन्सपेक्टर, पुलिस सब्इन्स्पेक्टर एवं कान्सटेबिल के पदों के विरुद्ध प्रत्येक वर्ग में कितने कर्मचारी कम हैं ? इनके पूर्ण करने की क्या योजना है तथा यह कब तक भर लिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती-

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में स्वीकृत पदों में से 42 कर्मचारी कम हैं । निरीक्षक एवं कान्सटेबिल के पद पर कमी शून्य है ।

आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

जनपद बलिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यरत थानाध्यक्षों एवं चौकी प्रभारियों की संख्या की जानकारी

44-श्री शारदानन्द अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में जनपद बलिया में कितने थानों पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कौन-कौन थानाध्यक्ष या चौकी प्रभारी कार्यरत हैं ? उसमें सवर्ण जाति के कितने थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारी कार्यरत हैं ?

सुश्री मायावती-

जनपद बलिया में अनुसूचित जाति/जनजाति के थानाध्यक्ष-4, चौकी प्रभारी-4, पिछड़ी जाति के थानाध्यक्ष-3, चौकी प्रभारी-6, अल्प संख्यक समुदाय के थानाध्यक्ष-2, चौकी प्रभारी-। कार्यरत हैं।

अनुसूचित जाति के थानाध्यक्ष--

सर्वश्री

।-सुभाष चन्द्र सोनकर, थाना गड़वार,
2-हरी राम वर्मा, थाना नगरा,
3-गिरीश चन्द्र चौधरी, थाना मनियर,
4-राम दरश राम, थाना रेवती ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के चौकी प्रभारी--

।-राम नरायन राम, चौकी शिवपुरदीयर,
2-राजेन्द्र प्रसाद सरोज, चौकी उत्तरीरसड़ा,
3-लालजी सरोज, चौकी सतनी सराय,
4-कन्हैया लाल, चौकी सिकंदरपुर ।

पिछड़ी जाति के थानाध्यक्ष--

।-अम्बिका प्रसाद यादव, थाना नरही,
2-देवेन्द्र सिंह, थाना खजुरी,
3-उमेश चन्द्र जायसवाल, थाना उभांव ।

पिछड़ी जाति के चौकी प्रभारी--

।-जयनाथ यादव, चौकी-बांसडीह,
2-जगदीश यादव, चौकी-बेरुआरबारी,
3-राम प्रकट यादव, चौकी-सुरेमनपुर,
4-कल्पनाथ यादव, चौकी-सहतवार,
5-जगन्नाथ यादव, चौकी-मंझीघाट,
6-यशोदानन्द यादव, चौकी-संवरा ।

अल्पसंख्यक समुदाय के थानाध्यक्ष--

सर्वश्री

1-आफताब अहमद खां, थाना प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली,

2-मुबारक अली, थाना-चितबड़ा गांव ।

अल्पसंख्यक समुदाय के चौकी प्रभारी--

अबरार अहमद, चौकी-चन्द्रशेखर नगर,

सवर्ण जाति के थानाध्यक्ष-13

सवर्ण जाति के चौकी प्रभारी-10

45-श्री लालमणि प्रसाद-

(4थे बुध में अता0प्र0सं0 155 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जिला कारागार शाहजहांपुर को वर्ष 1994-95 में निर्माण कार्य एवं अन्य मदों में आवंटित धनराशि की जानकारी

46-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "भुन्ना"-

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कारागार शाहजहांपुर को वित्तीय वर्ष 1994-95 में निर्माण कार्य, कारागार व्यवस्था एवं अन्य मदों में कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है तथा कितनी शेष धनराशि सरकार को समर्पण की गई ? कौन-कौन से कार्य कराये गये ? क्या समस्त निर्माण कार्य पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा किये गये ? जिला कारागार विजिटर द्वारा विगत वर्ष में कुल कितने निरीक्षण किये गये तथा उसमें क्या-क्या खमियां पाई गई ? सरकार द्वारा क्या उन सभी खमियों (कमियों) को दूर कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अकबर अली-

जिला कारागार शाहजहांपुर को वित्तीय वर्ष 1994-95 में निर्माण कार्यों की मद में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई । कारागार व्यवस्था तथा अन्य मदों में कुल रुपये 78,53,500.00 की धनराशि आवंटित की गई ।

आवंटित धनराशि में से रुपये 76,18,000.00 व्यय हुआ । शेष बची धनराशि रुपये 1,35,500.00 को विभाग की अन्य मदों में समायोजित किया गया । सरकार को कोई धनराशि समर्पित नहीं की गई ।

चूंकि निर्माण कार्य के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं हुई । अतः कार्य कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

कारागार विजिटर द्वारा विगत वर्ष में कुल पांच निरीक्षण किये गये । जेल विजिटर द्वारा निरीक्षण के समय बैरक में खटमल, मच्छरों के प्रकोप व कबूतरों की बीट करने की खामियां बतायी गईं, इन सभी खामियों का निराकरण कर दिया गया है ।

47-श्री विजय सिंह-

(4थे गुरु में अता0प्र0सं0 33 के अंतर्गत स्थानान्तरित ।)

जनपद सोनभद्र के थाना चोपन की भूमि का मौलिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति को कब्जा दिये जाने की मांग

48-श्री विजय सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सोनभद्र के राबर्ट्सगंज तहसील में कायम थाना चोपन जिस भूमि पर स्थित है, उस भूमि को तथा थानाध्यक्ष के आवास को कैमूर सर्वेक्षण एजेन्सी ने एक दरोगा तथा एक अन्य व्यक्ति के नाम से मौलिक अधिकार दे दिया है ? यदि हां, तो जिस व्यक्ति एवं दरोगा के नाम से मौलिक अधिकार दिया गया है उन्हें सरकार कब्जा दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

राजस्व ग्राम चोपन में गाटा संख्या 4 ख/0.190 खतौनी संख्या 627 पर कैमूर सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त एजेन्सी के अन्तर्गत थाने के नाम अंकित किया गया है । इस प्रकार थानाध्यक्ष आवास तथा थाना किसी अन्य व्यक्ति तथा एक दरोगा के नाम से मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय नरायन तिवारी के फर्जी ड्यूटी मस्टररोल को प्रमाणित करने वाले दोषी कर्मियों को दण्डित किये जाने की मांग

49-श्री मित्रसेन यादव-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के 2सरे बुधवार के लिये निर्धारित अता0प्र0सं0 175 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राय विवेचना अधिकारी एवं श्री शिव पूजन पाण्डेय उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, फैजाबाद ने निष्कासित व्यक्ति का माह सितम्बर, 1991 से दिसम्बर, 1991 एवं जनवरी, 1992 से दिसम्बर, 1993 तक का ड्यूटी मस्टर-रोल प्रमाणित किया है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु प्राप्त अधिकार की प्रति दी जायेगी ? यदि अधिकार नहीं है, तो क्या यह कृत्य उक्त व्यक्ति व उक्त संगठन के कर्मियों की सांठ-गांठ से अवैधानिक फर्जी, अनाधिकार, गलत कार्य करने का एक साक्ष्य माना जायेगा ? क्या ऐसे कृत्यों के प्रति दोषी कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला युवा कल्याण/प्रा0वि0दल अधिकारी फैजाबाद द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

50-श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन, शाखा फैजाबाद, वाराणसी व इस संगठन के महानिरीक्षक, उ0प्र0 लखनऊ को जिला युवा कल्याण/प्रा0वि0दल अधिकारी फैजाबाद का कोई पत्रांक 259/दिनांक 15-7-93 एवं 835/दिनांक 18-2-94 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्रमशः प्रस्तरवार पूरा ब्यौरा क्या है ? क्या फर्जी कृत्यों के प्रति संबंधित कर्मियों पर मुकदमा दर्ज कराया जायेगा ? क्या दोषी समस्त व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दोनों संदर्भित पत्र संगठन की फैजाबाद इकाई में तथा संगठन मुख्यालय पर प्राप्त हुये हैं। संगठन की वाराणसी इकाई में कोई भी संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

उक्त पत्रों का प्रस्तरवार ब्यौरा संलग्न है।

इस संगठन के अधिकारियों द्वारा कोई फर्जी कृत्य किया जाना नहीं पाया गया। अतः मुकदमा दर्ज कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 252-253 पर)

51-श्री मित्रसेन यादव-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

पुलिस संगठन फैजाबाद द्वारा सी0डी0ओ0 कार्यालय में हुये ट्रैप से संबंधित प्रेषित सूचना की तिथि एवं ब्यौरे की जानकारी

52-श्री मित्रसेन यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में पुलिस संगठन एल0आई0ओ0 द्वारा सी0डी0ओ0 कार्यालय के हड़ताल के दौरान दिनांक 5-4-91 से 9-4-91 तक कोई सूचना/रिपोर्ट जिला प्रशासन/शासन को भेजी गई थी ? क्या सी0डी0ओ0 कार्यालय के हुये कथित ट्रैप दिनांक 28-6-91 पर कोई सूचना/रिपोर्ट जिला प्रशासन/शासन को भेजी गई थी ? यदि हां, तो हड़ताल व घटना कथित ट्रैप की तिथि सूचना/रिपोर्ट क्या है ?

सुश्री मायावती-

जी हां। दिनांक 5-4-91 को श्री विजय नरायण तिवारी, तत्कालीन प्रभारी, पी0आर0डी0 फैजाबाद द्वारा पी0आर0डी0 के लिपिक श्री राम प्रसाद गुप्ता से कथित

अभद्र व्यवहार किये जाने के विरोध में विकास भवन कर्मचारी संघ फैजाबाद से सम्बद्ध कर्मचारी दिनांक 6-4-91 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गये थे। मुख्य विकास अधिकारी के आश्वासन पर दिनांक 9-4-91 को सायं 7.00 बजे हड़ताल समाप्त हो गयी थी ।

दिनांक 28-6-91 को दिन के लगभग 13.20 बजे जिला विकास अधिकारी के कार्यालय के पी0आर0डी0 अनुभाग के लिपिक श्री राम प्रसाद गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा 2000.00 रिश्वत लेने के जुर्म में ट्रैप करके गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध थाना कोतवाली, फैजाबाद में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया । दिनांक 29-6-91 को जिला जज की अदालत से अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया । इस घटना के विरोध में 29-6-91 को कलेक्ट्रेट विकास-कार्यालय से संबंधित कार्यालयों के लगभग 60 प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल पर रहे ।

जनपद बांदा के ग्राम बगलनपुरवा में पड़ी डकैती से व्याप्त भय से संबंधित दिये गये पत्र के अनुसार पुलिस बल की तैनाती की जानकारी

53-श्री राजकुमार शिवहरे-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बगलनपुरवा मजरा कुमैढ़ासानी, थाना कमासिन, तहसील बबेरू, जनपद बांदा में श्री छत्रपाल कुशवाहा पुत्र श्री सीताराम कुशवाहा पर डकैतों का हमला होने से पूरे ग्राम में दहशत एवं भय व्याप्त है ? यदि हां, तो कुशवाहा परिवार की सुरक्षा एवं डकैती द्वारा हुई लूटपाट से धन हानि की क्षति पूर्ति करने के लिये क्या प्रश्नकर्ता का पत्रांक 94/80, दिनांकित 13-11-1994 ई0 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत पत्र के संदर्भित ग्राम के ग्रामवासियों की सुरक्षा हेतु पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 4-11-94 को श्री चन्द्र कुंवर कुशवाहा की सूचना पर मु0अ0सं0 226/94 धारा 436 भा0दं0वि0 बनाम फूल यादव, चुनवाद यादव, राम नेवाज व लख्ती पंजीकृत कर जांच से उक्त अभियुक्तों को घटना में शामिल होना पाया गया । अभियुक्त राम नेवाज व लखती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आरोप सिद्ध पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

शेष दो अभियुक्त फरार होने के कारण 82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही कर मफरूरी में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

जी नहीं, बल्कि घटित घटना के बाद ग्रामवासियों की सुरक्षा हेतु काफी समय तक पी0ए0सी0 गांव में नियुक्त रही तथा वर्तमान में थाना कमासिन से सुरक्षा हेतु गश्त

भेजा जाता है । आवेदकगण के शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना पत्र प्राप्त कर संस्तुति सहित जिलाधिकारी को भेजे गये जिस पर शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा श्री छत्रपाल कुशवाहा व राम गोपाल कुशवाहा को पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की नैपियर रोड सचिवालय कालोनी में कतिपय मरम्मत कार्य कराये जाने की मांग

54-श्री उपदेश सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की नैपियर रोड सचिवालय कालोनी के ब्लाक नं0 13, 14, 15, 16, 17 के भूतल के आवास पुराने हो जाने के कारण दीवारों का प्लास्टर गिर गया है जिससे उक्त आवासों में सीलन पानी टपकना एवं विद्युत तारों में करंट उतर आने के कारण वहां के अध्यासियों का जीवन खतरे में आ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों का निरीक्षण कराकर उसकी मरम्मत की तत्काल व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

यह कहना सही नहीं है कि नैपियर रोड सचिवालय कालोनी के ब्लाक नं0 13, 14, 15, 16, 17 के अध्यासियों को जीवन का खतरा है ।

अध्यासियों के द्वारा प्लास्टर गिरने संबंधी कोई शिकायत जब की जाती है, उसका निरीक्षण कर उसकी तुरन्त मरम्मत करा दी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पार्क रोड स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर विधायक निवास में पेयजल सुविधा हेतु ट्यूब वेल लगाये जाने की मांग

55-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पार्क रोड स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर विधायक निवास पर ट्यूब वेल न होने के कारण विधायकों को गम्भीर पेयजल के संकट का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो वहां कब तक ट्यूब वेल का निर्माण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

यह सही है कि पार्क रोड स्थित विधायक निवास के मांग के अनुरूप जल संस्थान पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहा है । समस्या के निराकरण हेतु नये नलकूप के निर्माणार्थ धन की मांग वित्त विभाग से की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर नगर में स्थित सभी पुलिस चौकियों पर फोन की व्यवस्था किये जाने की मांग

56-श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर नगर में कोतवाली के अतिरिक्त कितनी पुलिस चौकी हैं ? क्या हर पुलिस चौकी में फोन की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार हर चौकी में फोन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

फतेहपुर नगर में कोतवाली के अतिरिक्त 5 (पांच) पुलिस चौकियों, आबूनगर, बाकरगंज, हरिहरगंज, मुराइन टोला एवं राधानगर है । इनमें से तीन पुलिस चौकियां आबूनगर, बाकरगंज एवं हरिहरगंज में टेलीफोन की व्यवस्था है, शेष दो चौकियों मुराइन टोला एवं राधानगर में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है । पुलिस चौकी मुराइनटोला एवं राधानगर में टेलीफोन की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

57-58-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "भुन्ना"-

(दिनांक 1-8-95 को अता0प्र0सं0 153 द्वारा उत्तरित)

जनपद उन्नाव के ग्राम टिकरा निवासी श्री भल्लर प्रसाद के मकान पर गांव के दबंग लोगों द्वारा कब्जा किये जाने से सम्बन्धित दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

59-श्री छोटे लाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भल्लर प्रसाद, पुत्र श्री कल्लू, ग्राम टिकरा (सामद), पोस्ट-बछौली, थाना-औरास, जनपद उन्नाव के मकान पर गांव के भी राजन व अजय पुत्र राम कुमार द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने विषयक श्री भल्लर प्रसाद का पत्र दिनांक 24 मार्च, 1995 तथा तत्संबंधी श्री विनय कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 1995 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

ग्रामवासियों द्वारा की गई पंचायत के आधार पर यह तय किया गया कि श्री भल्लर प्रसाद का विवादित भूमि पर कब्जा रहेगा व ग्राम पंचायत होने पर जो फैसला होगा उसे दोनों पक्ष मानेंगे । चूंकि प्रतिपक्षीगण झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, इसलिये धारा 107/116 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की गई है तथा आवेदक की सुरक्षा का ध्यान भी रखा जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग की अपंजीकृत इकाइयों को महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रियायती दर पर कोयला दिये जाने की शिकायत

60-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग की 380 बड़ी इकाइयों को महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा रियायती दर पर कोयला दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि पंजीयन मात्र 250 इकाइयों का ही चल रहा है ? यदि हां, तो गैर पंजीकृत इकाइयों को रियायती दर पर कोयला देने का औचित्य क्या है और इससे राजस्व को होने वाली हानि के लिये दोषी कौन है ?

श्री राम लखन वर्मा-

जी नहीं ।

फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी की 339 इकाईयां पंजीकृत हैं ।

गैर पंजीकृत इकाइयों को उद्योग विभाग द्वारा कोयला उपलब्ध नहीं कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फिरोजाबाद की चूड़ी पकाई उद्योग में अपंजीकृत भट्ठियों को समितियों द्वारा कोयला आपूर्ति किये जाने की शिकायत

61-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद की चूड़ी पकाई उद्योग की 5 हजार भट्ठियों को भी समितियों के माध्यम से कोयले की आपूर्ति कराई जा रही है । जबकि उ0प्र0 दुकान वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत एक हजार पकाई भट्ठियों का पंजीयन चल रहा है ? यदि हां, तो क्या प्रति वर्ष लाखों रुपयों की हानि के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन वर्मा-

फिरोजाबाद की चूड़ी पकाई उद्योग की 1157 भट्ठियों का 16 पकाई भट्ठी समितियों के माध्यम से कोयला आपूर्ति के सम्बन्ध में वर्ष 1994-95 में निदेशक रेल मूवमेंट कलकत्ता को संस्तुति भेजी गई है ।

उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अंतर्गत पकाई भट्ठियों की संख्या 379 है ।

भट्ठी समितियों का पंजीयन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज उ0प्र0 द्वारा रजिस्ट्रेशन ऐक्ट संख्या 21 1860 के अंतर्गत किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिरोजाबाद में चूड़ी पकाई भट्ठियों पर कार्यरत मजदूरों की संख्या, दिये जाने वाले लाभ एवं लागू अधिनियम की जानकारी

62-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि फिरोजाबाद में चूड़ी पकाई भट्ठियों पर काम करने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है तथा उन्हें दिये जाने वाला औसत वेतन क्या है ? क्या इन मजदूरों को बोनस, प्राविडेन्ट फण्ड तथा कर्मचारी बीमा योजना की सुविधायें प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि उक्त भट्ठियों पर उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 या कारखाना अधिनियम, 1948 में से कौन सा कानून लागू है ?

श्री श्याम लाल यादव-

फिरोजाबाद में चूड़ी पकाई भट्ठियों पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या लगभग 3 00 है । इस प्रक्रिया में नियोजित श्रमिकों को 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक न्यूनतम वेतन दिया जाता है ।

जिन पकाई भट्ठियों पर 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजित होते हैं उन्हें बोनस का लाभ प्राप्त होता है । प्राविडेन्ट फण्ड योजना तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं का प्रवर्तन भारत सरकार के अधिष्ठान/उपक्रम द्वारा किया जाता है । वर्तमान में उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 तथा कारखाना अधिनियम, 1948 दोनों लागू होते हैं ।

फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई प्रक्रिया से जुड़ने वाले श्रमिकों के चालान से संबंधित फर्जी मुकदमों के वापस लेने की मांग

63-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई प्रक्रिया में जुड़ने वाले श्रमिकों के चालान कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत सेवायोजकों से षड़यंत्र करके मार्च, 1995 में किये गये ? यदि हां, तो क्या यह श्रम कानून तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है ? यदि हां, तो क्या इन चालानों से संबंधित सभी मुकदमें वापस लेने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम लाल यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार के एस0आई0 के विरुद्ध दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

64-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का 28-3-95 का पत्र जो कि शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार के एस0आई0 नाहर सिंह के सम्बन्ध में लिखा था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गई ? जांच का क्या निष्कर्ष है ? क्या मंत्री जी जांच के अनुसार कार्यवाही करेंगे ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

जी हां ।

जांच के दौरान श्री राजेन्द्र खन्ना ने बताया कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार एवं अभद्रता नहीं की गई। श्री खन्ना द्वारा यह भी बताया गया है कि वह किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर निदेशक, गोधन निवास के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार छीनकर निष्पक्ष जांच कराये जाने की मांग

65-श्री पारस नाथ यादव-

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक, गोधन विकास पद पर आसीन वर्तमान अधिकारी के विरुद्ध अब तक कितने विजीलेंस जांच, कितनी विभागीय जांच कब-कब से किस स्तर के आदेश से चल रही है, और उन जांच कार्यों में प्रगति क्या हुई ? क्या सरकार जांच के दौरान जांच प्रभावित न होने देने के लिये उक्त अधिकारी का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार जांच होने तक छीन कर निष्पक्ष जांच करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

अपर निदेशक (गोधन विकास) के पद पर वर्तमान में डा0 ए0के0 सिंह कार्यरत हैं जिनके विरुद्ध उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान में न तो कोई सतर्कता जांच और न ही कोई विभागीय कार्यवाही प्रचलित है । अतः शेष प्रश्न नहीं उठते ।

अपर निदेशक, पशुपालन डा0 ए0 के0 सिंह के विरुद्ध की गई जांच रिपोर्ट के अधार पर की गई कार्यवाही की जानकारी

66-श्री मुक्तिनाथ यादव-

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 ए0के0 सिंह, अपर निदेशक, पशुपालन विभाग के विरुद्ध कितनी जांचे चल रही हैं ? कौन-कौन प्रकरण ऐसे हैं जिनकी जांच रिपोर्ट शासन को मिल चुकी है और उन जांच रिपोर्टों के बाद जांच अधिकारी द्वारा आरोपित बिन्दु के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

डा0 ए0के0 सिंह, सम्प्रति अपर निदेशक (गोधन विकास) के विरुद्ध उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्तमान में न तो कोई सतर्कता जांच और न ही कोई विभागीय जांच प्रचलित है ।

डा0 ए0के0 सिंह के विरुद्ध पूर्व में की गई विभागीय कार्यवाहियों की स्थिति निम्नवत् है :-

(1) डा0 ए0के0 सिंह, जब अपर निदेशक (उत्तरांचल) के पद पर कार्यरत थे तो उनके विरुद्ध संयुक्त निदेशक (कुक्कुट) के कार्यकाल की कथित अनियमितताओं के संबंध में शासनादेश दिनांक 26-8-92 द्वारा आदेशित विभागीय कार्यवाही में उन्हें शासनादेश दिनांक 7-4-94 द्वारा आरोप मुक्त करते हुये उक्त कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है ।

(2) डा0 सिंह जब संयुक्त निदेशक (कुक्कुट) के पद पर कार्यरत थे तब-

(क) उनके विरुद्ध संयुक्त निदेशक (कुक्कुट) तथा उप निदेशक (पशुपालन), वाराणसी मण्डल, वाराणसी के कार्यकाल की कथित अनियमितताओं के संबंध में शासनादेश दिनांक 17-3-90 द्वारा आदेशित विभागीय कार्यवाही में उन्हें शासनादेश दिनांक 12-9-91 द्वारा आरोप मुक्त करते हुये उक्त कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है ।

(ख) उनके विरुद्ध उप निदेशक (पशुपालन), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के कार्यकाल की कथित अनियमितताओं के संबंध में शासनादेश दिनांक 17-4-90 द्वारा आदेशित विभागीय कार्यवाही में उन्हें शासनादेश दिनांक 17-7-91 द्वारा आरोपमुक्त करते हुये उक्त कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है ।

उप निदेशक (पशुपालन), वाराणसी मण्डल, वाराणसी के कार्यकाल में उनके द्वारा बजट नियंत्रक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्यों तथा दायित्वों के निर्वहन में उचित सतर्कता न बरतने के संदर्भ में डा0 ए0के0 सिंह को शासनादेश दिनांक 12-6-87 द्वारा कठोर चेतावनी दी गई तथा तीन वर्ष तक कोई भी ऐसा पद न दिये जाने के आदेश दिये गये जिसमें बजट नियंत्रक का कार्य हो ।

सतर्कता जांच के संदर्भ में डा0 सिंह को शासनादेश दिनांक 20-3-95 द्वारा एक निन्दा प्रविष्टि दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वर्ष 1994-95 में घटित विभिन्न घटनाओं की विस्तृत जानकारी

67-श्री महाबीर सिंह (बिजनौर)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में लूट, डकैती, चोरी, अपहरण, बलात्कार तथा हत्याओं की कितनी घटनायें वर्ष 1994-95 में हुईं? बिजनौर जनपद में इनकी अलग-अलग संख्या क्या है? उनमें किस-किस जाति के लोगों को अपराधिक करार दिया गया है?

सुश्री मायावती-

उ0प्र0 के विभिन्न परिक्षेत्रों से प्राप्त अपराध आख्याओं के अनुसार वर्ष 1994 व वर्ष 95 में माह मई तक घटित अपराधों की संख्या निम्नवत् है :-

अपराध	वर्ष 1994	वर्ष 1995 (मई तक)
1-लूट	4966	1858
2-डकैती	1383	522
3-चोरी	1644	1668
4-अपहरण	3987	1464
5-बलात्कार	1878	697
6-हत्या	8789	3443

उक्त में से बिजनौर जनपद में घटित अपराधों की संख्या इस प्रकार है :-

अपराध	1994	1995 (मई, 95 तक)
1-लूट	72	24
2-डकैती	10	5
3-चोरी	297	130
4-अपहरण	78	17
5-बलात्कार	37	12
6-हत्या	178	65

उक्त अपराधों में जाट, मुस्लिम, ब्राह्मण, चौहान, यादव, राजपूत, गुर्जर, जाटव, सैनी, सिक्ख, कुम्हार, सुनार, गोसाई, वाल्मिकी, गड़रिया, नट, त्यागी व नाई जाति के लोगों को अपराधिक करार दिया गया है।

पशुपालन विभाग के अपर निदेशक गोधन विकास द्वारा मार्च, 94 में की गई वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित दिये गये पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

68-श्री मुक्तिनाथ-

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1994 में विभिन्न दवाओं और वस्तुओं की खरीदारी के लिये पशुधन विभाग के अपर निदेशक गोधन विकास ने 25 मार्च से 31 मार्च, 1994 तक किन-किन 25 फर्मों से आपूर्ति हेतु आर्डर आदेश दिया था और उन्हीं तिथियों के अन्तर्गत किन-किन 25 फर्मों से सामान प्राप्त करने के लिये बिल प्राप्त किया ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि 25 फर्मों और अपर निदेशक गोधन तथा संबंधित लेखाकार तथा प्रधान लिपिक ने आदेश का सामान बिना प्राप्त किये केवल 25 मार्च, से 31 मार्च के बीच सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी कर ली ? यदि हां, तो अब तक इस प्रकरण पर जांच के लिये कितने शिकायती पत्र शासन के विचाराधीन है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

वांछित सूचना संलग्नक-1 तथा 2 में अंकित है।*

उक्त फर्मों को क्रय आदेश शासनादेश दिनांक 28-8-93 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अपर निदेशक (गोधन विकास) के मांग पत्र पर अपर निदेशक, वी0पी0 संस्थान एवं संयुक्त निदेशक, (रोग नियंत्रण) के संयुक्त हस्ताक्षर से भेजे गये इण्डेन्ट के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उपलिस द्वारा जारी किये गये हैं।

प्रकरण विचाराधीन है।

वर्ष 1994-95 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री सहित अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न मदों में खर्च की गई धनराशि की जानकारी

69-श्री बालेश्वर त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री सहित समस्त मंत्रियों के टेलीफोन, अतिथि सत्कार, गाड़ी एवं जेब खर्च के रूप में कितना धन व्यय किया गया है ? क्या मुख्य मंत्री इसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नगत अवधि में टेलीफोन अतिथि सत्कार, गाड़ी तथा जेब खर्च पर क्रमशः रुपये 1,17,76,667.15, रु0 61,59,430.75, रु0 56,95,390.19 तथा 42,11,251.75 व्यय किया गया है।

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 254-256 पर)

* छापा नहीं गया।

70-डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

(4 थे बुध में अता0प्र0सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ए0टी0एल0 फैक्ट्री प्रतापगढ़ के प्रबन्ध तन्त्र की चल सम्पत्ति बेचने एवं ऋण लेने के अधिकार को शासन द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

71-श्री जमुना प्रसाद मिश्र-

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए0टी0एल0 फैक्ट्री प्रतापगढ़ की चल सम्पत्ति जैसे कारें, जीप, ट्रक आदि को बेचने या इन पर ऋण लेने के लिये क्या वहां का प्रबन्ध तन्त्र अधिकृत है ? यदि नहीं, तो क्या फैक्ट्री कार यू0टी0टी0 5812, यू0आरएस0 3898 को नीलाम करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या फैक्ट्री ट्रक यू0टी0क्यू0 8017 पर दिल्ली की किसी प्राइवेट कम्पनी से 50,000 रु0 ऋण लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे ऋण की अनुमति नये प्रबन्ध तंत्र को दे रखा है ? यदि नहीं, तो क्या उस पर वैधानिक कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती-

जी हां ।

प्रश्नगत कारें 1984 से पूर्व क्रय की गई थीं, जो मरम्मत के बाद भी उपयोग में आने योग्य नहीं थीं, अतः सक्षम प्रबन्धक मण्डल के अनुमोदन से स्क्रेप घोषित करके इन्हें बेंच दिया गया । नियमानुसार कार्यवाही की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी प्रकार का कोई ऋण कम्पनी द्वारा ट्रक यू0टी0क्यू0 8017 पर प्राइवेट कम्पनी से नहीं लिया गया है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

राज्य में दुपहिया वाहनों की चेकिंग पुलिस द्वारा न किये जाने के आदेशों के बावजूद वाराणसी में पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न की शिकायत

72-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य में दुपहिया तथा अन्य वाहनों की तथा कागजातों की पुलिस द्वारा चेकिंग तथा चालान करने के अधिकार को समाप्त कर दिये जाने के बावजूद वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में अभी भी वाहनों के कागजातों की चेकिंग एवं चालान पुलिस द्वारा जारी है ? उक्त उत्पीड़न को कड़ाई से रोकने हेतु सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती-

पुलिस विभाग द्वारा केवल मोटर-वाहन नियमों के उल्लंघन, अपराधियों की धर पकड़ व चोरी गये वाहनों की बरामदगी हेतु ही चेकिंग की जाती है। वाहनों की अनधिकृत चेकिंग करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश पुलिस महानिदेशक द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को दिये जा चुके हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नगरों में परमाणु बम गिराये जाने से लाखों लोगों की मृत्यु के सम्बन्ध में सम्वेदना

*मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि "यह सदन जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नगरों पर क्रमशः दिनांक 6 अगस्त एवं 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराये जाने, जिसके फलस्वरूप लाखों मासूम लोग काल कवलित हुये थे या रेडियोधार्मिता से प्रभावित हुये थे, के 50वें वर्ष पर प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

यह सदन कामना करता है कि भविष्य में मानवता के विरुद्ध इस प्रकार की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हों।"

मान्यवर, अगस्त, 1945 में जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में मानवता के साथ जो क्रूरतम घटना घटी, उसने सारे संसार को दुखित कर दिया। हजारों-हजार लोग मर गये। उन अबोध बच्चों, जिन्होंने आंख भी नहीं खोली थी या जो अभी पैदा भी नहीं हुये थे, बिना संसार को देखे ही मौत के मुंह में चले गये। उनसे भी अधिक बुरा हाल उन हजारों-हजार लोगों का हो गया जो विकलांग हो गये। चारों ओर महामारी बीमारी फैल गयी। पूरा वातावरण भयवाह हो गया और केवल एक चीख ही चीख सुनाई दे रही थी। श्रीमन् राजनेता तथा बम बनाने वाले वैज्ञानिक भी इस घटना की कल्पना नहीं करते होंगे। मान्यवर इस घटना से विश्व में मानवता के समर्थक लोगों को एक सीख अवश्य मिली कि हमें जाने अनजाने विज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये जिससे विश्वशान्ति और मानवता का विनाश हो। श्रीमन् मैं इस घटना की 50 वें वर्ष पर इस घटना से प्रभावित परिवारों तथा लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

(12 बजकर 25 मिनट)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराकर मानवता पर बर्बरता पूर्ण हमला हुआ था उसके सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किये उससे मैं अपने तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । आज से 50 वर्ष पूर्व द्वितीय युद्ध के समय ऐसी घटना हुई जिसने पूरे विश्व को झकझोर दिया हम लोग उस समय शिशु अवस्था में थे और जो कान में पड़ा उसने ही हमारे हृदय को हिला दिया पहले 6 अगस्त को फिर 9 अगस्त को दुबारा बम वर्षा हुई उसने जो स्थिति उत्पन्न हुई । आज वह केवल पुस्तकों में ही अंकित हैं उससे अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि पूरी मानवता किस तरह से अस्त-व्यस्त हो गयी लाखों लोग जिन्दा मर गये और लाखों विकलांग हो गये । पूरी मानवता ही समाप्त हो गयी और शहर के शहर चले गये आज इस आदरणीय सदन में उससे प्रभावित लोगों के प्रति सम्वेदना व्यक्त करने के लिये यह प्रस्ताव लाया जाता है ।

आज भी संसार में ऐसी ताकते हैं जो हिंसा में विश्वास करती है, आज भारत वर्ष का दर्शन और हमारी संस्कृति ने जिसे भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी को जन्म दिया और वही ऐसी प्रेरणा शक्ति है जिसमें चारो तरफ शान्ति का दर्शन दिया हमारी संस्कृति ने विश्व शान्ति का नारा दिया है और शान्ति स्थापना के लिये विश्व को प्रेरित किया है इन शब्दों के साथ जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उससे मैं अपने दल को सम्बद्ध करता हूं इससे पूर्व एक वाक्य और कहना चाहता हूं कि जापान बर्बाद हो गया था दुनिया में जापान ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा से दिखा दिया कि इतनी भीषण दुर्घटना के बाद भी वह उन्नति में सबसे आगे है जिसकी सराहना की जानी चाहिये । वहां के लोग बर्बाद हो गये उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्नति के शिखर पर जापान को पहुंचा दिया है । मैं अपने दल की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में ऐसे लोग जन्म लेगे जो शान्ति भाव पैदा कर इस दुर्दान्त घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका, नेता सदन और सम्पूर्ण सदन का आभारी हूं कि कल जो भावना मैंने व्यक्त की थी उसके आधार पर आज यह प्रस्ताव इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत हुआ है इस प्रस्ताव को कल रखने की प्रेरणा मुझे इस बात से मिली कि अभी मैंने कुछ दिन पहले चार्ज आफ आवजर्वर में मेजर टाउन फरेबी का वक्तव्य पढ़ा । यह वह व्यक्ति है जिसने विनाश लीला को अंजाम दिया उस समय वह केवल 26 वर्ष का था उसने ही हिरोशिमा पर बम गिरा कर यह विनाश लीला की थी उस मेजर टाउन फरेबी ने कहा है कि इस तरह की विनाशलीला की पुनावृत्ति न हो ।

---

* सभा ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को देखते हुये ही मैंने यह अपना कर्तव्य समझा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा विश्वशान्ति के पुनीत कार्य के लिये अपील करे क्योंकि एक ही परमाणुबम ने विश्व को हिला दिया था, आज दुनिया में उससे 8 हजार गुना ज्यादा क्षमता की परमाणु शक्ति दुनिया में इकट्ठा है यदि परमाणु युद्ध होता है और परमाणु बम का प्रयोग होता है तो दुनिया की क्या स्थिति होगी ?

तो इस दुनिया को एक बार नहीं ढ़ाई सौ बार नष्ट किया जा सकता है । जब इतने परमाणु बम दुनिया में मौजूद हैं तो उस समय मानवता को यह अपील करनी चाहिये कि हम अपने विवादों को शान्ति पूर्ण ढ़ंग से हल करें और आवश्यकता पड़ने पर यदि युद्ध की स्थिति आये भी तो हम परमाणु और रसायनिक युद्ध न करें और केवल परम्परागत ढ़ंग से ही करें । युद्ध में हमारा प्रयास होना चाहिये कि शान्ति पूर्ण ढ़ंग से और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से हमारे विवाद हल हों । 6 और 9 अगस्त को जितने सारे लोग मारे गये उनकी संख्या । लाख से ऊपर तो है ही किन्तु उसके बाद आने वाले लोगों की विकलांगता और कुरूपता पूरी दुनिया के लिये चिन्ता और दुख का विषय है और आज भी जनमें बच्चे उसके दुस्परिणाम से उबर नहीं रहे हैं ।

अतः मैं इस सम्मानित सदन से यह प्रस्ताव पारित करने की अपील और प्रार्थना करता हूं कि दुनिया परमाणु युद्ध से दूर जाये । और उसकी पहल परमाणु निरस्तीकरण के लिये छोटे राष्ट्रो को नहीं बड़े राष्ट्रों को करनी चाहिये । इसकी शुरुआत उस राष्ट्र से होनी चाहिये जिसने परमाणु युद्ध प्रारम्भ किया है । इसके साथ मैं अपनी ओर से और अपने कांग्रेस दल की ओर से इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह -

जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने आज सदन में रखा है और जो विचार व्यक्त किये हैं, उसके बाद में जो विचार माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने और प्रमोद तिवारी जी ने व्यक्त किये हैं, मैं भी स्वयं अपने को तथा अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, जापान में आज से 50 वर्ष पूर्व द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा तथा नागासाकी में ऐटम बम गिराये गये उसमें लाखों लोग मरे । सारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया लोग विकलांग हो गये । इससे एक बार ऐसा लगा कि जापान इस दुनिया के नक्शे पर सदियों नहीं उभर पायेगा । लेकिन यह तो जापान के लोगों की कर्मठता, पुरुषार्थ लगन और ईमानदारी है कि वह फिर से दुनिया में अपना नाम कर रहा है और जिन्होंने बम गिराया उनसे वह किसी मामले में पीछे नहीं है और कुछ क्षेत्र में आगे भी है । जो व्यक्ति बम गिराने के लिये जिम्मेदार है उसने भी कहा है कि ऐसी विकराल घटना दुनियां में कहीं दुबारा न घटे ।

मैं अभी पिछले दिनों एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें यह दिया हुआ था कि अमरीकियों का अब भी यही खयाल है कि बम गिराया जाना उस वक्त आवश्यक था और देश के लिये पुनः कभी आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बम गिराया जायेगा। तो अब भी जो गिल्टी है वह महसूस कर रहा है कि आज भी विश्व में इस घातक बम की जरूरत है जो क्षण भर में सारी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। जहां हम विज्ञान के रास्ते चलकर मानवता की सेवा करने के वास्ते विज्ञान की खोजों का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उससे अधिक इस मानवता को नष्ट करने के लिये खोज करके बैठे हैं। हम यही विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी घटनायें दुबारा कभी न घटें। और दुनिया में ऐसा संतुलन हो कि लड़ाई न हो और लड़ाई हो तो ऐसी लड़ाई न हो जिससे मानवता नष्ट हो जाये, मानवता चीख उठे और वह कलंकित हो जाये। दुनिया में परमाणु निरस्त्रीकरण का जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है वह असफलता की तरफ ज्यादा चल रही है। सभी मुल्कों को परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण पर ध्यान देना चाहिये। आज कुछ बड़े देश पुराने हथियारों को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई सिरफिरा शासक ही ऐसा काम कर सकता है जिससे बड़ी बड़ी घटनायें घट सकती हैं। इस वक्त हम हिरोशिमा, नागासाकी में मारे गये लोगों के लिये सम्वेदनायें व्यक्त करते हैं और जो लोग विकलांग हैं, उनके लिये प्रार्थना करते हैं कि उनके हौसले ऊंचे रहे और जिस हालत में वह हैं अपने हौसले के साथ उसमें जियें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे अपने व अपने दल को सम्बद्ध करता हूं।

*श्री उदल-

मान्यवर, नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में आज से 50 वर्ष पूर्व जो अणु बम गिराया गया और जिसकी वजह से लाखों लोग काल कवलित हो गये। जहां पर बम गिरा था श्रीमन् वहां 50 मीटर नीचे तक जमीन उड़ गयी थी। आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वह विकलांग और विकृत रूप से पैदा हो रहे हैं। अमेरिका साम्राज्यवाद की विस्तारवादी नीति का ही परिणाम था। आज इस अणु बम से ज्यादा ताकतवर हथियार दुनिया के अन्दर कुछ देशों में मौजूद हैं और जब तक उनका खातमा नहीं किया जाता, शान्तिपूर्वक तरीके से उनका निरस्त्रीकरण नहीं किया जाता, तब तक वह खतरा बरकरार है। अमेरिका दादागीरी विश्व के पैमाने पर चला रहा है, यह खतरा हमारे ऊपर बरकरार है।

अभी हाल में कुछ समय पूर्व ईराक पर किस तरह से अमेरिका ने 28 देशों की सेना को लेकर बराबर हमला किया था। लाखों बच्चों, आदमियों, औरतों, माताओं, बहिनों को किस तरह से मौत के घाट उतारा था, यह एक नजीर दुनिया के सामने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । अमेरिका की विस्तारवादी नीति दूसरे तरीके से दुनिया के अन्दर लागू करने की योजना है । अमेरिका की वजह से ही हमारे देश में पाकिस्तान का कश्मीर के लिये मसला चल रहा है । अमरीका शिमला समझौते के मार्फत इसका हल नहीं निकलने दे रहा है । अमेरिका की साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति की जितनी निन्दा की जाय, कम है । नापाम बम जिससे बीसियों बार दुनियां खत्म की जा सकती है, इसे निरस्तीकरण के माध्यम से खत्म किया जाय । दुनिया में शान्ति और अमन कायम करने के लिये प्रयास करना चाहिये तब ही जाकर विज्ञान का सही उपयोग कर सकते हैं । उन मृत आत्माओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुये और जापान के साथ सहानुभूमि प्रकट करते हुये साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीतियों के प्रति दुनिया भर के शान्तिपूर्वक नागरिकों का आह्वान करता हूं कि ऐसे नापाम हथियारों को खत्म करने के लिये शान्तिपूर्वक तरीके से आन्दोलन चलायें ।

*श्री राम स्वरूप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन ने जो विचार रखे हैं, उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और यह मांग करता हूं कि सारे संसार को ऐसी शक्तियों का जो साम्राज्यवादी, फासिस्टवादी, प्रक्रियावादी, विस्तारवादी ताकतें अपनी शक्तियों का प्रयोग मानवता के ऊपर करती हैं । आज से 50 वर्ष पूर्व जापान के अन्दर ऐसे हमले में लाखों लोग शहीद हो गये थे ।

इतना भयंकर अणुबम, आज तक उसका प्रभाव जापान में मौजूद है । छोटे-छोटे बच्चों पर, उनकी नस्लों पर से यह प्रभाव समाप्त नहीं हो रहा है । मैं इस कृत्य की घोर निन्दा करता हूं । सभी नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उससे अपने दल को सम्बद्ध करते हुये अपनी तथा दल की संवेदनायें व्यक्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

कोई निर्दलीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

(किसी माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष-

जो प्रस्ताव आज माननीय नेता सदन ने रखा है और अपने विचार व्यक्त किये हैं, उप नेता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, नेता, कांग्रेस श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, श्री किरन पाल सिंह, जनता दल तथा उदल जी, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, श्री राम स्वरूप सिंह जी, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पाटी (मार्क्सवादी) ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज से 50 वर्ष पूर्व 6 अगस्त एवं 9 अगस्त, 1945 को हिरोशिमा तथा नागासाकी में जो परमाणु बम, अणुबम के माध्यम से दुर्घटना घटित हुई उसकी कल्पना शायद परमाणु बम आविष्कारक ने भी नहीं सोची होगी । क्योंकि विज्ञान मानवता के विकास में मानव उपयोगी वस्तुओं के विकास में कार्य करता है विनाश में नहीं । परन्तु जिस तरह से मानवता का विनाश हुआ उसका प्रभाव अभी भी है, जिसके कारण अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं । इससे ज्यादा क्रूर मजाक मानवता के लिये और नहीं हो सकता है । मैं अपनी तरफ से, सदन की तरफ से कामना करता हूं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होनी चाहिये, इसके लिये पूरे विश्व की मानवता को मिलकर प्रयास करना चाहिये कि इस तरह के जो आयुध बने हैं वह नष्ट किये जाने चाहिये । जिससे पूरे विश्व में मानवता को ऐसा दिन फिर न देखना पड़े । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये । वहां जो घटना घटित हुई है, उस पर जो माननीय नेतागणों ने संवेदनायें व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगरों पर क्रमशः दिनांक 6 अगस्त एवं 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराये जाने, जिसके फलस्वरूप लाखों मासूम लोग काल कवलित हुये थे, या रेडियोधर्मिता से प्रभावित हुये थे, के 50वें वर्ष पर प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है ।

यह सदन कामना करता है कि भविष्य में मानवता के विरुद्ध इस प्रकार की दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

अब हम दो मिनट का मौन रखेंगे ।

(सदन में खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा गया ।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8 अगस्त, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई ।

मथुरा जनपद के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई हेतु टेल तक पानी न पहुंचने एवं माइनरों व राजवहों की खुदाई न कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया-

महोदय, आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मथुरा जनपद में मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आज तक पानी न सिंचाई हेतु टेल तक पहुंचा तथा न ही माइनर, राजवाहे की ही खुदाई जो होनी चाहिये वह हो पायी । इसकी चर्चा मेरे द्वारा मथुरा सिंचाई बन्धु की बैठक में भी की गई यही नहीं जो पानी राजबाहों में छोड़ा जाना चाहिये था वह भी इस मात्रा में न छोड़ा जाता इसका मुख्य कारण रहा है । जैसे फरह राजबाहा में 4 1/2 फीट पानी पूर्व में छोड़ा जाना था अब वर्तमान में मात्र 2 फिट के लगभग पानी छोड़ा जाता है । जिससे किसान प्रभावित हो रहे हैं । यही नहीं अपर केनाल आगरा के सहार राजबाहा से सिंचाई विभाग ए0टी0बी0 पेट्रोकेमिकल्स छाता के निर्माणार्थ मात्र पानी छोड़कर कम क्षमता के अनुसार सबको सहयोग प्रदान कर रहे हैं जबकि किसान खेती, धान से वंचित हो गये हैं । मेरे द्वारा जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारियों को लिखित में सफाई का निरीक्षण कराये जाने का अनुरोध भी किया परन्तु अधिकारियों द्वारा निरीक्षण तक नहीं किया गया । इसी प्रकार नालों की सफाई न होने से जल प्लावन की समस्या उठ खड़ी हुई है । फर्जी आपासी गेहूं कि स्थान पर बाजरा तथा धान की आपासी की शिकायत लालपुर माइनर के क्षेत्र की करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

अतः आपके माध्यम से सदन में चर्चा कराये जाने पर बल देता हूं ।

बांदा में विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा संचालित कार्यों में लगे हुये मजदूरों को शासनादेश के अनुरूप पारिश्रमिक न दिये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया चरन दिनकर-

मान्यवर, संज्ञान में लाना है कि शासनादेश संख्या जी-2-353/कस-94-301/85 वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 1994 के अनुपालन में श्रमिकों को प्रतिदिन रुपये 35/- दिये जाने का प्राविधान है । जनपद बांदा में विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा संचालित कार्यों में लगे हुये मजदूरों को रुपये 15/- से 20/- महिलाओं को व 20/- से 25/- तक पुरुषों को भुगतान किया जा रहा है । एस0आर0वाई0 धनराशि से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा खण्ड, बांदा एवं वन विभाग द्वारा 25 प्रतिशत भी धन का उपयोग नहीं हो पा रहा है । प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन दो (2) किलो अनाज दिये जाने की भी व्यवस्था है । पूरे जनपद में मजदूरों को गेहूं उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा मस्टर रोल फर्जी भरकर करोड़ों रुपया गबन किया गया है । किसी विकास खण्ड द्वारा वास्तविक मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया है । मजदूरों की बजाय ट्रैक्टरों से विकास खण्ड जसपुरा, तिन्दवारी पैलानी, बबेरू, कमासिन, चित्रकूट धाम कर्वी व मऊ में कार्य कराया गया है, जिससे मजदूरों से रोजगार छीनकर व्यक्ति विशेष को लाभ दिया गया है । भूमि संरक्षण विभाग, लोक निर्माण

विभाग, वन विभाग, लघु सिंचाई, केन कैनाल, प्रखण्ड बांदा, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, समाज कल्याण निर्माण निगम एवं यू0पी0 आर0एन0एन0 आदि द्वारा फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन व शोषण किया गया है।

अतः इस लोक महत्व के अति संवेदनशील प्रकरण पर विशेष जांच दल गठित कराकर फर्जी अभिलेखों का मजदूरों के मध्य सत्यापन कराने व कराये गये कार्यों का तकनीकी मूल्यांकन सम्पन्न कराकर दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही एवं मजदूरों के शोषण की समाप्ति करने हेतु सरकार को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

गाजियाबाद में खिलाड़ियों के लिये सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम बनाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी-

महोदय, गाजियाबाद की एक लोक महत्व की प्रमुख समस्या को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं :-

गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगर है। खेल के क्षेत्र में गाजियाबाद के कई प्रतिभावना खिलाड़ियों ने प्रदेश ही नहीं देश का गौरव बढ़ाया है। गाजियाबाद में ऐसे अनेक प्रतिभायुक्त "कोच" निवास करते हैं, जिनका मार्ग दर्शन पाकर कई नवयुवक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के रूप में उभरे हैं। लेकिन खेद है कि गाजियाबाद में खिलाड़ियों के लिये कोई सुविधायुक्त स्टेडियम नहीं है जिससे खिलाड़ी लाभ उठा सकें। ऐसे मैदान के अभाव में गाजियाबाद में रह रहे राष्ट्रीय स्तर के कोच के मार्गदर्शन से वंचित हैं।

कई दिनों से स्टेडियम की मांग को लेकर गाजियाबाद के खिलाड़ी आन्दोलित हैं। यह नगर की एक अति आवश्यक आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से गाजियाबाद में सर्वसुविधा सम्पन्न स्टेडियम बनाने की मांग करता हूं।

(श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी उपस्थित नहीं हैं।)

शारदन बीज विधायन केन्द्र सुल्तानपुर को किसानों के हित में चालू कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजभान सिंह-

महोदय, तराई विकास निगम नैनीताल के लिये प्रमाणित बीज उत्पादन करने वाले रजिस्टर्ड किसानों का विगत खरीफ में उत्पादित बीज, शारदन, सुल्तानपुर बीज विधायन केन्द्र अधिकारियों की लालफीताशाही के कारण बन्द कर दिये जाने से इस क्षेत्र के बीज उत्पादकों का बीज खरीदकर बीज विधायन केन्द्र मसौधा फैजाबाद भेज दिया गया।

मान्यवर, मसौधा फैजाबाद भेजा गया धान बीज का अन्डर साइज जो लगभग 10% होता है, वह किसानों को नहीं दिया जा रहा है न ही सम्पर्क करने पर समुचित उत्तर ही दिया जा रहा है जिससे मेरे साथ ही क्षेत्र के सैकड़ों किसानों का भारी नुकशान हो रहा है। विभाग में भ्रष्टाचार एवं मनमानी चरम सीमा पर है, कर्मचारी इस कार्य में लगे व्यापारियों से मिलीभगत कर किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं जिससे सम्बद्ध किसानों में भयंकर रोष है, जो कभी भी ज्वालामुखी बनकर फट सकता है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से आग्रह करता हूं कि भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर किसानों के अन्डर साईज का मूल्य दिलाने के साथ ही शारदन बीज विधायन केन्द्र सुल्तानपुर को किसानों के हित में चालू कराने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाय।

वाराणसी के चौका घाट स्थित गरीब दुकानदारों को पुनर्वासित कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर नाथ यादव-

मान्यवर, जनपद वाराणसी में चौका घाट स्थित आबकारी विभाग के अधिकारियों के संरक्षण एवं निर्देशन में 15-20 वर्षों से जीवनयापन कर रहे गरीब व दलित वर्ग के दुकानदारों की गुमटी चौकी, झोपड़ी एवं अन्य सामग्री को तोड़ फोड़ करने एवं लूट पाट करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मैं आपका ध्यान उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के विषय को जो गरीब, निर्बल एवं दलित वर्ग से सम्बन्धित है की ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त आबकारी विभाग के उपायुक्त श्री सी0एल0 मिश्रा के संरक्षण एवं निर्देशन में विभाग के अधिकारियों के माध्यम से विभाग के पास 15-20 वर्षों से गरीब निर्बल एवं दलित वर्ग के लोग गुमटी व छप्पर, चौकी रखकर अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये चाय, पान, मिठाई, मोटर पार्टस, जनरल स्टोर एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं को बेचते रहे। एकाएक दिनांक 26-7-95 को प्रातः 7 बजे बिना सोचे समझे तोड़ फोड़ करके उक्त दुकानों को तहस नहस कर डाला

और उसमें रखे हुये सभी सामानों को नंष्ट कर दिया गया । और कुछ लूट कर ले भी गये । यह कृत्य आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निरंकुश एवं तानाशाही व्यवहार का द्योतक है ।

उक्त लोगों की दुकाने नगर निगम एवं लो0नि0विभाग के जमीन पर स्थित रही जिनका आवंटन लगभग सभी लोगों को हुआ है और ये लोग नगर निगम को टैक्स भी देते रहे हैं । जब यह सभी दुकानदार दुकान खोलने आये तो उक्त स्थिति को देख कर हतप्रभ रह गये । वहां उपस्थित श्री मिश्रा ने उक्त लोगों को धमकाया कि यदि वहां पुनः आने का प्रयास किया तो तुम्हें मारा पीटा और जेल भेज दिया जायेगा । यह गरीबों के साथ घोर अत्याचार अन्याय एवं शोषण का जीता जागता नमूना है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को जनहित में सदन में प्रस्तुत कर मांग करता हूं कि कृपया आप शासन को निर्देशित करें कि शोषित और पीड़ित गरीब दुकानदारों को पुनर्वासित करने तथा निरंकुश एवं तानाशाही आबकारी के उपायुक्त के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के संबंध में शासन तत्काल कदम उठाये ।

गोण्डा में मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत स्टेट सेक्टर योजना में सड़कों का लेपन करवाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद-

महोदय, जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा एवं दलित बाहुल्य है, मेरे क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हुये हैं वर्ष 1989 के पहले ही सरकारों द्वारा ही किया गया है उसके बाद आज तक जितनी सरकारें आई हैं विकास संबंधी कार्यों पर ध्यान न देकर धन आवंटन में भेदभाव किया गया है मेरे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनकी पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और सड़कों पर पड़े पत्थर उखड़ कर ऊपर आ गये हैं, जिससे आवागमन में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मेरे क्षेत्र की जिन सड़कों पर जो पत्थर स्तर तक का कार्य हुआ है, का सर्वे कराकर तत्काल स्टेट सेक्टर योजना के अन्तर्गत धन की व्यवस्था कराने हेतु सरकार को निर्देशित करें ।

अतः लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से स्टेट सेक्टर योजना के अन्तर्गत सड़कों का लेपन करवाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

जनपद उन्नाव के अधिकांश ग्रामों में विद्युत आपूर्ति न होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल लोधी-

महोदय जनपद उन्नाव दो महानगरों के बीच में बसा है । जनता की समस्याओं से सरकार अवगत भी है, परन्तु फिर भी वर्षों पूर्व ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ था,

उनके बिल भी जा रहे हैं, किन्तु विद्युत कनेक्शन नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ग्राम मुख्य रूप से बिछिया ब्लाक के ग्राम उम्मेदखेड़ा, पटनहन खेड़ा, ग्राम तारगांव, सकरन, जरगांव, तिवारीपुर, मऊ सुल्तानपुर आदि हैं, जहां 18 माह से विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, फसलें सूख रही हैं। जनता कराह रही है, इस कारण भयंकर असंतोष व्याप्त है। कृपया अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त शेष सूचनाओं को मैं अस्वीकृत करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, प्रतीक्षा सूची की एक सूचना और ले लें।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 के अन्तर्गत आज जितनी सूचनायें आयी हैं उसमें से कोई भी सूचना ग्राह्यता पर सुनने के लायक नहीं है।

श्री घनश्याम शुक्ल की सूचना दारुलशफा के आवास संख्या 6 में सीवर का गंदा पानी भरने के संबंध में है। इस संबंध में मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित करता हूं कि वह माननीय विधायकों के आवास पर जो इस तरह की अव्यवस्था है उसको तुरन्त दूर करवाकर सुविधा प्रदान करें। 300 के अंतर्गत शेष समस्त सूचनाओं को मैं अस्वीकृत करता हूं।

(अगली मद पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लें।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 जुलाई, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 जुलाई, 1995 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 जुलाई, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

श्री घनश्याम शुक्ल-

मान्यवर, मुझे सुन लें । मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित कर दिया है । इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 7 अगस्त, 1995 में सदन के दिनांक 8 अगस्त, 1995 तक के उपवेशन के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

अगस्त, 1995

8 मंगलवार	1-माननीय मुख्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण (प्रश्नकाल के पश्चात) "यह सदन जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नगरों पर क्रमशः दिनांक 6 अगस्त एवं 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराये जाने, जिसके फलस्वरूप लाखों मासूम लोग काल कवलित हुये थे या रेडियोधर्मिता से प्रभावित हुये थे, की 50वीं वर्षगाठ पर प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है । यह सदन कामना करता है कि भविष्य में मानवता के विरुद्ध इस प्रकार की दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।" 2-वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 3-उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 पर विचार एवं उसका पारण-- आधा घण्टा ।
9 बुधवार	बैठक नहीं होगी ।
10 गुरुवार	(ईद-ए-मिलाद का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
11 शुक्रवार	
12 शनिवार	बैठक नहीं होगी
13 रविवार	
14 सोमवार	
15 मंगलवार	(स्वतंत्रता दिवस का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।

16 बुधवार 1-वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2-उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण-- एक घण्टा ।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

17 गुरुवार वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

18 शुक्रवार बैठक नहीं होगी (जन्माष्टमी का अवकाश)

19 शनिवार वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

20 रविवार बैठक नहीं होगी ।

21 सोमवार वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर

22 मंगलवार विचार एवं मतदान ।

23 बुधवार 1-वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2-4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना अभी श्री अध्यक्ष ने दी है, से यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8-8-95 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई । प्रथम

5 सूचनाओं को ग्राह्यता के आधार पर सुना जायेगा और शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। कल एक सूचना जिसको लेकर माननीय सदस्य वेल में आ गये थे, उस समय मैंने कहा था कि कल विचार कर लेंगे। आज माननीय पाल जी, तिवारी जी और नरेश अग्रवाल जी ने उस सूचना को दिया है, मैं उस सूचना को पहले लेता हूं।

कतिपय सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जो आपने अभी बात बताई, माननीय सदस्यों का प्रश्न नहीं आया और नियम 56 में दिया और नहीं आया, उसको लेकर वह वेल में आ गये, क्या इतने से ही उनकी सूचना दूसरे दिन ले ली जायेगी। मान्यवर, हमेशा से कांग्रेस के लोगों की परम्परा रही है, जब उनकी बात नहीं आती है, तो वह वेल में आ जाते हैं, व्यवधान पैदा करते हैं और आप पर आरोप भी लगा देते हैं। इससे उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस तरह से वेल में आकर जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो आप इस पर अंकुश लगायें और जिससे कि नये सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिले, अपने क्षेत्र की बात कहने का अवसर मिले।

श्री अध्यक्ष-

किसी के वेल में आने से नहीं ले रहा हूं। मैंने कल व्यवस्था दी थी इसलिये मैं सुन रहा हूं। कल इसको लेकर माननीय सदस्य वेल में भी आये थे और मैंने व्यवस्था दी थी। इसलिये इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैंने एक परिवर्तन चौक के बारे में दिया था।

श्री अध्यक्ष-

56 में परिवर्तन चौक का दिया था, कल आप लोगों ने सूचना दी थी, आई0एस0आई0 के बारे में और जिसकी सूचना पुनः 3। में पाल जी ने दी है और प्रश्नों के दौरान भी उन्होंने उठाया है, तो उस सूचना को मैं पहले ले रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, उसे तो नियम 56 में मैंने दिया ही नहीं उसको आप स्वीकार कर रहे हैं। और जिसको मैंने दिया है उसके संदर्भ में जानकारी चाहता हूं परिवर्तन चौक का मैंने नियम 56 में दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं पहले जो है, जो सूचना कल आप लोगों की थी जिस पर मैंने कल व्यवस्था दी थी, आज 31। में माननीय जगदम्बिका पाल ने दिया था उसमें आपस में सहमति भी हुई थी, आप लोगों से बात हुई थी। किसी विशेष परिस्थिति में उसको 31। में न लेकर उसे 56 में पहली सूचना के रूप में ले रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं बड़ा अभारी हूं आपका।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने 56 में दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जो सूचना मुझको चयनित करनी होती है, कल जिस पर मैंने व्यवस्था दिया था आई0एस0आई0 का उसको ले रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपकी पीठ के प्रति पूरा आदर है। लेकिन जो सूचना मैंने दी नहीं उसको आप 56 में स्वीकार कर रहे हैं और जिस सूचना को मैंने दिया है। (व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद-

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं यह कुछ नहीं लिखा जायेगा इस तरह से सदन का समय व्यर्थ में न गवाया जाय।

माननीय तिवारी जी, कल आप लोगों ने एक सूचना दी थी और उस सूचना पर आपके आज भी हस्ताक्षर हैं नरेश अग्रवाल के हस्ताक्षर हैं, जगदम्बिका पाल जी ने हस्ताक्षर हैं और वह नियम 31। में दी थी कल सदन अव्यवस्थित हुआ तो उस पर माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया उस समय मैंने यह कहा था कि दे दीजियेगा मैं विचार कर लूंगा। इसे आज सुनने के लिये रखा हूं इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर पहले आप बोल लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पहले बोल लूं लेकिन इसके बाद तो उसको ले लें।

श्री अध्यक्ष-

जो क्रम है उसी क्रम में मैं नाम पुकार रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इसमें आप मेरा सहयोग दें।

नोट:(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हमारी सूचना है आप पहले इस सूचना को ले लें हम दल की ओर से आपसे आग्रह कर रहे हैं। आप परिवर्तन चौक ले लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, मैंने एक व्यवस्था दिया है। जो कल की सूचना आपकी थी उसको मैं पहले ले रहा हूं, मैं चाहूंगा कि उस पर आप पहले बोलें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

यह आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं नियम 56 में मैंने सूचना नहीं दी है। मैं पीठ का बड़ा आदर करता हूं। इसलिये मैं कुछ नहीं कहूंगा। (व्यवधान) मान्यवर, आपने नियम 31। को 56 में परिवर्तित कर दिया और जिसको 56 में दिया है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, आदर प्रकट करते हुये यह कहना चाहता हूं कि नियम 56 में जो मैंने सूचना दी थी उसको नहीं स्वीकार किया। 31। की सूचना को आपने 56 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

कल आप ही का अनुरोध था।

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, आपकी पीठ से दिये गये निर्देश के प्रति मेरे मन में पूर्ण सम्मान है। लेकिन, कभी-कभी बहुत दुख हो जाता है। अभी आपने यह कहा था कि कल जो सूचना आप लोगों ने दी थी, जिसको आपने सुना नहीं, उसके विरोध स्वरूप कांग्रेस के माननीय सदस्य वेल में आ गये, आपने यह भी कहा, उस वेल में आने की घटना का उदाहरण देते हुये, यह कहा कि इसको आप नहीं ले रहे हैं तो कल अगर देंगे तो विचार कर लेंगे। यह आपने अभी कहा है। मैं आपके पीठ के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुये यह पूछना चाहता हूं कि अगर कल देंगे तो हम विचार कर लेंगे जबकि माननीय सदस्य कांग्रेस के कह रहे है कि दिया ही नहीं, तो उसको सुनने के लिये प्रस्तुत कैसे किया गया ?

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मैंने नियम 31। में दिया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, बिना आक्षेप लगाये, पूर्ण सम्मान के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

नियम 31। में दिया है आप अगर 56 में परिवर्तित करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

पूरी बात माननीय सदस्य की सुन लें, चौधरी जी की ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत से सदस्य पड़े हैं जिनकी सूचना नहीं आ पाती है । मैं नियम 300 में देता हूं नहीं आ पाती है, 56 में देता हूं नहीं आ पाती है। मान्यवर, उसमें प्रक्रिया है, आपके विवेक पर है यह जो आपकी कृपा है, अति कृपा है या कोई और विशेषण जोड़ दूं कि हम पर भी कृपा पहुंच जाये। निवेदन मैंने किया वे स्वीकार हो जाती है और आप उनको सुनने के लिये अवसर दे देते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विशेष कृपापात्र होने के कौन से गुण उत्पन्न किये जायें ताकि सूचनाओं को हम लोगों को भी ज्यादा अवसर मिले सुनने के लिये और मुझे पुकार लिया जाय ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, माननीय चौधरी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर कोई फैसला दें इसके पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि नहीं दिया गया तो मेरे पास सूचना है जिसमें माननीय तिवारी जी, नरेश जी, और पाल जी के व बिजेन्द्र सिंह जी के हस्ताक्षर हैं। यह कहा गया कि वेल में आ गये तो आपने अनुमति दी, मान्यवर, आप कदाचित यह याद करा रहे थे ताकि बाकी सदस्यों का स्मरण आ जाय कि जिस प्रकरण में वेल में आये थे उसमें अनुमति की बात थी । मान्यवर, अनुमति देने का आपको पूरा अधिकार है किसी प्रकार के दबाव में आपने अनुमति दी यह माननीय चौधरी जी को नहीं कहना चाहिये था ।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, कृपापूर्वक इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब की व्यवस्था को सुनने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद, माननीय चौधरी साहब से कहना चाहता हूं और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि कल जो माननीय सदस्यों की बात थी, मैं उसको भी स्पष्ट कर चुका हूं । माननीय तिवारी जी, माननीय नरेश अग्रवाल जी, और माननीय पाल जी ने सूचना दी, नियम 56 के अन्तर्गत सूचना आ रही थी। उस समय सदन अव्यवस्थित हुआ था,

यह कहा गया था कि माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर चलें और इस प्रश्न पर माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे, विचार कर लूंगा । आज माननीय सदस्यगण ने अपने हस्ताक्षर से वह सूचना दी है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, क्षमा करेंगे आपने यह कहा कि--मैंने यह कहा था कि यह कल देंगे विचार कर लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आज भी वही कह रहा हूं, जो मैंने कल कहा था, विचार कर लूंगा ।

***श्री रंग नाथ मिश्र-**

56 में दिया था, आज 31। में दिया आप लोगों ने.....

श्री अध्यक्ष-

जो 31। में दिया था, उसको परिवर्तित करके नियम 56 के अन्तर्गत वह सुनने के लिये पहली सूचना के रूप में ले लिया । उस पर माननीय सदस्यगण से भी अनुरोध किया । माननीय तिवारी जी का यह कहना कि एक सूचना और नियम 56 में दिया है, 56 में एक ही सूचना को ले सकते हैं उसके तहत एक ही सूचना को ले रहा हूं ।

श्री छब्बू पटेल-

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री छब्बू पटेल-

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा और न ही प्रकाशित किया जायेगा । मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

माननीय पटेल जी-आप बैठ जायें ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

***श्री जगदम्बिका पाल-**

मान्यवर, मैंने और मेरे दल ने कल भी इस विषय को कार्य-स्थगन के रूप में इस संवेदनशील और गम्भीर प्रकरण को इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, जब कल आपने इस विषय को अस्वीकार कर दिया तो हमने इसे आज नियम 311 के अन्तर्गत उठाया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि कदाचित इस विषय पर हम वेल में चले गये थे इसलिये अनुमति दी । अगर वेल में चले गये थे मान्यवर, जो इस विषय को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं वह न तो मेरा व्यक्तिगत है और न ही मेरे दल के किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है ।

मान्यवर, इसी सदन में व्यक्तिगत हितों के लिये कुछ लोगों ने कई-कई दिन तक इस सम्मानित सदन को बाधित किया । मान्यवर, यह विषय प्रदेश की 16 करोड़ जनता के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ प्रश्न है । आज जब आई0एस0आई0 के प्रश्न के उत्तर में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह संवेदनशील प्रश्न है और केन्द्र सरकार ने क्या निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को आई0एस0आई0 की गतिविधियों को रोकने के लिये दिया इसका उल्लेख करना गोपनीयता की दृष्टि से मुनासिब नहीं होगा । मान्यवर, आज पाकिस्तान से आये हुये विदेशी नागरिक, जिनकी अवधि समाप्त हो गई है बीजा की वह उसके बावजूद भूमिगत होकर आई0एस0आई0 के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं । खुले आम यह रिपोर्ट आ रही है कि उत्तर प्रदेश में आई0एस0आई0 की गतिविधियां बढ़ रही हैं । नेपाल से पाकिस्तान से राजस्थान से और भी दूसरी सीमाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आई0एस0आई0 के एजेन्ट आ रहे हैं और उनकी जड़े गहरी होती जा रही हैं । आज उंगलियां उठ रही हैं प्रदेश के अवकाश प्राप्त अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि या दूसरे जुड़े हुये लोग उनका सम्बन्ध इनसे जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान सरकार इसमें अरबों रुपया खर्च कर रही है । वह यह सोच रहे हैं कि किसी तरह से हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैलाई जाये ।

किस तरीके से अस्थिरता पैदा की जाये । आज अपने देश को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, उनके यहां गृह युद्ध की स्थिति है । करांची के गृह युद्ध को रोकने में पाकिस्तान असमर्थ हो रहा है । इसलिये पाकिस्तान चाहता है कि हिन्दुस्तान में, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इस तरह का वातावरण बनें, अस्थिरता फैले । विषाक्त वातावरण पैदा करने के लिये कुछ साम्प्रदायिक संगठनों के माध्यम से उन आतंकवादियों को पैसा देकर, हथियारों का जखीरा देकर आज प्रदेश में घटनायें कराई जा रही हैं ।

माननीय मंत्री जी, प्रश्नों में तो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, इसलिये इस विषय को कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार करें, जिससे माननीय मंत्री जी बतायें कि पिछले दिनों सहारनपुर और मेरठ में जो बम विस्फोट की घटनायें हुई, वह साधारण

अपराधियों द्वारा, उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा घटित थी या इस विस्फोट की घटना में हिन्दुस्तान की सीमाओं से पार, किसी दूसरे देश के लोगों का हाथ था, यह सदन को जानने का हक है और सदन को भी चिन्ता हो रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि आतंकवादियों पर काबू पा लिया गया है, उनका समूल नष्ट हो गया है दूसरी तरफ जिस तरह से पिछले दो-तीन महीनों से आतंकवादी घटनायें हो रही हैं, उससे प्रदेश की जनता चिन्तित है। मान्यवर, प्रागदर्शन में यह स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि लाहौर के प्रशिक्षित कैम्प हों या सीमापार के आतंकवादी जो हिन्दुस्तान को अस्थिरता और हिंसा के दौर में ले जाना चाहते हैं। तमाम प्रशिक्षित आतंकवादी सीमा पार करते हुये पकड़े भी गये हैं। आई0एस0आई0 तथा ऐसी गतिविधियों के लिये इस देश ने बहुत बड़ी-बड़ी कीमतें चुकायी हैं। इस देश के प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या में भी विदेशी सूत्रों का हाथ था। आज जिस तरह से प्रदेश के 17 जिले अति संवेदनशील हैं और 40 जिलों में इनका स्वरूप फैल चुका है। मान्यवर, इससे अति विलम्बनीय, लोक महत्व का और तात्कालिक कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता, इसलिये इसको स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, जिस विषय को आज श्री जगदम्बिका पाल जी ने उठाया और उसकी ग्राह्यता पर बोले हैं, उनकी बातों से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं ग्राह्यता पर नहीं बोलूंगा। पाल जी ने ठीक ही कहा है कि गतिविधियां बढ़ रही हैं। यह सही है कि हमारा प्रदेश कई प्रदेशों की सीमाओं से मिला हुआ है, जो पाकिस्तान से मिले हुये हैं, उधर से भी आतंकवादी आ रहे हैं, उन प्रदेशों, भारत सरकार या किसी का नाम तो नहीं लेता लेकिन वह विफल रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि वह इससे सहमत हैं, विषय बहुत गम्भीर है, संवेदनशील है। बहुत सी बातें गोपनीय हो सकती हैं, इसलिये चर्चा आवश्यक न हो लेकिन इस बात से भी सहमत हैं कि समस्या गम्भीर है।

मैं दो दिन पहले सहारनपुर में था चारों तरफ चर्चा थी कि आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लोग सहमें हुये थे। मेरा सुझाव यह है कि अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन में असहमति व्यक्त कर रहे हैं, लोक सभा में यह व्यवस्था है कि गोपनीय सत्र भी हो सकते हैं, जहां पत्रकार न हों और वहां की दीर्घायें खाली हों, लेकिन हमारे यहां नियमों में यह व्यवस्था नहीं है इसलिये इस तरह का सत्र आहूत करने का सुझाव नहीं दूंगा। यदि उचित समझें तो सभी दलों के माननीय नेताओं की बैठक बुलायें और जो सही स्थिति है, उनकी जानकारी दें क्योंकि वह केवल सरकार का विषय नहीं है, यह हम सभी लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ है। इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिये। प्रदेश में आतंकवादी

गतिविधियों और आई0एस0आई0 का जाल बढ़ रहा है । मैं समझता हूं कि इस पर सभी दल वांछित सहयोग देने के लिये तैयार होंगे, इसलिये दलीय नेताओं की बैठक बुला ली जाय और उसमें विचार-विमर्श कर लिया जाये .....

(समय । बजकर 25 मिनट)

श्री किरनपाल सिंह-

मान्यवर, आज हमने लिखकर नहीं दिया है परन्तु कल पाल साहब के साथ लिखकर दिया था । यह जो विषय हे बहुत गम्भीर है । पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सक्रिय है, उनसे संबंधित यह विषय है, इसका सबसे बड़ा काम हिन्दुस्तान में गड़बड़ी फैलाकर यहां के साम्प्रदायिक सौहार्द को नष्ट करना है और आतंकवाद के जरिये वह यहां पर समाज को बांटना चाहती है । पिछले दिनों सहारनपुर और मेरठ में जो घटनायें घटी, उन्हें सदन में उठाया गया । इस पर जांच भी काफी हो चुकी थी परन्तु जब माननीय मंत्री जी से यहां पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जांच चल रही है । जब यह पूछा गया कि इन घटनाओं से क्या आई0एस0आई0 का हाथ है तो उत्तर दिया गया कि इसकी जानकारी उनके पास नहीं है । परन्तु मैं गुप्ता जी के इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस मामले को गोपनीय रखने वाला मामला है । बम फट रहे हैं और लोग मर रहे हैं । इसलिये जनता जानना चाहेगी और यह उसका अधिकार भी है कि आखिर इन घटनाओं को कौन कर रहा है ।

पिछले दिनों मेरठ में घटना हुई । उसमें आई0एस0आई0 और कश्मीरी उग्रवादियों का हाथ है परन्तु इसे भी सरकार बताने को तैयार नहीं है । आज जो इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं, उन्हें गुप-चुप रखने की आवश्यकता नहीं है । इन्हें सार्वजनिक रूप से बताया जाना चाहिये । आई0एस0आई0 व कश्मीर उग्रवादी गुटों से संबंधित मामलों को साम्प्रदायिक सौहार्द से जोड़कर व धर्मनिरपेक्षता से साथ जोड़कर नहीं छिपाया जाना चाहिये यह देश की एकता, अखण्डता तथा सुरक्षा से संबंधित मामला है । यदि आप छिपाते रहे तो एक दिन ऐसा आयेगा कि यह छिपाये नहीं छिपेगा । इसलिये मान्यवर, आप सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायें । इस पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिये कि आखिर सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है । आप कह देंगे कि पुलिस को नये हथियार दिये जा रहे हैं परन्तु उनके पास हथियार जा नहीं रहे हैं, पुलिस को ऐक्टिव किया जा रहा है तथा खुफिया एजेन्सीज को एक्टिव किया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा नहीं है । इसलिये इस पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिये ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक स्पष्ट सुझाव है कि जो राष्ट्रभक्त हैं, उनका सम्मान होना चाहिये और जो राष्ट्र-द्रोही हैं, उन पर पब्लिकली चर्चा नहीं की जानी चाहिये बल्कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्हें दण्डित भी किया जाना चाहिये। मैं श्री किरनपाल सिंह जी से सहमत हूं कि यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सवाल है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि गुप्ता जी पता नहीं क्यों सार्वजनिक चर्चा इस पर नहीं करवाना चाहते हैं। पता नहीं वह किसको बचाना चाहते हैं, यह तो वही बतायेंगे। यदि सार्वजनिक रूप से वह किसी के नाम को नहीं लाने की कोशिश करते हैं तो मैं उनकी इस कोशिश का विरोध करता हूं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस पर सार्वजनिक चर्चा करके उत्तर प्रदेश सरकार पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को यह बतायें कि उन्हें आई0एस0आई0 से बचाने के लिये वह कौन से कदम उठा रही है और उस कदम को वह कितनी सख्ती से उठा रही है।

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, अभी इस विषय पर माननीय नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये, उनसे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। इधर समाचार पत्रों से विभिन्न स्रोतों से ये घटनायें प्रकाश में आ रही हैं कि बहुत से पाकिस्तानी नागरिक विजा प्राप्त करके यहां आये और फिर यहीं कहीं छिप गये और पुनः वापस पाकिस्तान नहीं गये। यह भी जानकारी में आ रहा है कि वे सारे लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में छिपकर रह रहे हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि वह सारे लोग जो पाकिस्तान से आये थे वापस नहीं गये और जो आई0एस0आई0 संगठन है उसके एजेन्ट्स से वह मिले हुये हैं और उनके कार्य प्रदेश की शान्ति व्यवस्था के विरुद्ध है और आतंकवादी गतिविधि को पनपाने में वह लगे हुये हैं। ऐसे तत्व उत्तर प्रदेश के अन्दर सफेदपोष भी हो सकते हैं।

मान्यवर, यह प्रश्न किसी दल विशेष का नहीं है, व्यक्ति विशेष का नहीं है अपितु पूरे प्रदेश और देश की शान्ति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अभी आपने देखा कि सहारनपुर में बस में बम विस्फोट हुआ कई लोग मर गये, मेरठ में बम विस्फोट में कई लोगों को प्राण गंवाने पड़े। सरकार की तरफ से बयान आया और पुलिस की तरफ से भी पढ़ने को मिला और उन्होंने भी संदेह व्यक्त किया और कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन सारी घटनाओं में आई0एस0आई0 का हाथ हो सकता है। इन सारी घटनाओं से लगता है कि पाकिस्तानी जो यहां आकर छुप गये हैं जिनका पता नहीं चल रहा है तो इन सारी चीजों को गम्भीरता से लेना चाहिये और उनको भारत से बाहर खदेड़ा जाय और जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं उन पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया। •

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई0एस0आई0 के बारे में समय-समय पर यहां चर्चा होती रही है और विभिन्न स्रोतों से भी सरकार को जानकारी होती रही है। उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव को तोड़ने की एक घटना अलीगढ़ की 1992 के जासूसी काण्ड के अलावा कोई अन्य प्रकरण जिसमें आई0एस0आई0 का प्रत्यक्ष हाथ हो उत्तर प्रदेश शासन की जानकारी में नहीं आया है। कई माननीय सदस्यों ने ग्राह्यता पर बोलते हुये यह कहा है कि इस पर खुल कर चर्चा होनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1993 में राजधानी ट्रेन में किस तरह से बम बिस्फोट हुआ और 1994 में विदेशियों का अपहरण कर गाजियाबाद और सहारनपुर में रखा गया....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं या सुझावों पर कुछ कह रहे हैं। अगर जवाब दे रहे हैं तो मुझे भी बोलना है।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो सुझाव रखे थे (व्यवधान) क्या ग्राह्यता पर कुछ कहना चाहते हैं?

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय तिवारी जी ने जो बिन्दु उठाये हैं और माननीय किरनपाल सिंह जी ने और माननीय गुप्ता जी ने कुछ बिन्दु रखे हैं अगर उसका जवाब दे दूं और उसके बाद कुछ रह जाता है तो तिवारी जी दुबारा कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

आपने हमसे सुझाव देने के लिये कहा अगर चर्चा हो रही हो तो ग्राह्यता पर सुनने के बाद ही उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष-

आपने नियम 311 में नोटिस दिया जिसे नियम 56 में परिवर्तित कर दिया। अगर उस पर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल लें। (व्यवधान) ग्राह्यता पर कुछ कहना चाहते हैं तो कह लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, काफी फैक्ट्स यहां पर रख दिये हैं। (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, अभी तिवारी जी जो बोल रहे थे, तो क्या ग्राह्यता पर नहीं बोल रहे थे.....

*श्री प्रमोद तिवारी-

वह सुझाव था....व्यवधान....आप मेरी बात सुन तो लें । मेरी बात आपको पसन्द आयेगी । उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में 1800 से भी अधिक आतंकवादी एजेन्ट वाकायदा 16 संगठनों में बंटकर प्रदेश में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं । केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार बाराबंकी में 870, वाराणसी में 860, मुरादाबाद में 875 लखनऊ में 975 व मथुरा में 600 पाक नागरिक लापता हो गये हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि वह छिपकर उनके साथ मिलकर राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में संलग्न हैं । मान्यवर, यह तत्व वाराणसी और मथुरा में भी सजग और कार्यरत हैं, जहां की संवेदनशीलता आज अपने चरम पर है । ऐसे समय में उनकी वहां उपस्थिति महत्वपूर्ण है । इस कार्य में 35 अरब रुपये की पूंजी लगी होने की बात की जा रही है । इतनी बड़ी धनराशि लगा कर हर प्रकार के कुकृत्य कर आई0एस0आई0 अपनी कार्ययोजना को किसी न किसी तरह से सफल बनाने में जुटा हुआ है । 25 अरब रुपया जब कोई धमकी दे रहा हो कि हम हज यात्रा नहीं होने देंगे.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप आई0एस0आई0 पर ही बोलें, इसमें यह हज यात्रा वाली बात कहां से आ गई ?

*श्री प्रमोद तिवारी-

इसको बताकर ही मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं.....व्यवधान... जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ-साफ बताया गया है, जो खुफिया जांच आई है, उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि उसमें 3 सपा के विधायक और । भारतीय जनता पार्टी का सांसद लिप्त है । उनके नाम आ रहे हैं । यह देख लें किसी भी विधायक या सांसद का आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे होने की बात सामने आये तो वह कितनी गम्भीर बात है । जो पुराने मुख्य मंत्री थे उनके द्वारा एक विधायक फुरकान को अपने विवेकाधीन कोष से पैसा दिया गया था । उसमें कुछ उच्चाधिकारियों के नाम भी आये हैं । इसलिये भारत के स्वराष्ट्र मंत्री को कहना पड़ा कि बाल ठाकरे और मौलाना बुखारी जैसे लोगों को वास्तव में जेल की सींखचों के अन्दर रहना चाहिये । जो मेरठ और सहारनपुर और अन्य कई जगहों पर विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी हुई वह बहुत ही चिन्ता की बात है । यह विस्फोटक आर0डी0 एक्स0 ऐसी जीच है जो या तो भारत की रक्षा प्रतिष्ठानों में रहता है या फिर विदेशों से आता है । यह गम्भीर मामला है, जिसका मिलना यह साबित करता है कि या तो हमारे रक्षा प्रतिष्ठान उस घातक पदार्थ की सुरक्षा नहीं कर पाये या फिर यह भारत को नष्ट करने की इच्छा रखने वाले देशों से आया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसी प्रकार से इनके पास से जो ए0के0 47 और ए0के0 56 राइफलें मिल रही हैं, वह भी किसी सामान्य नागरिक के पास पाये जाने वाली चीज नहीं है। इतने घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थ जो भारी मात्रा में देश के विभिन्न मार्गों से आ रहे हैं, तो इनका इस्तेमाल कब होगा। लगता है कि यदि किसी पड़ोसी देश के साथ जब हमारा युद्ध होगा तो सीमाओं पर ही नहीं देश के हर कोने में, खेत-खलिहानों और नगरों में यह होगा। तो श्रीमन्, यह देश के प्रति बहुत बड़ा षड़यंत्र हैं। इसमें विधायकों और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कोई सहयोग हो जो देशभक्ति का ढिंढोरा पीटती है तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। यह राष्ट्र की सुरक्षा तथा उसकी अस्मिता से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न है, इसलिये इस पर चर्चा होनी ही चाहिये। विदेशी तत्वों द्वारा देश के अन्दर और बाहर ऐसे हथियारों से सुरक्षा व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया जाये, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। इसलिये इसकी गम्भीरता को नजरन्दाज न किया जाय और भारतीय जनता पार्टी के उप नेता का जो कहना है कि इस विषय पर बन्द कमरा में विचार किया जाय, यह भी समझ में आने वाली बात नहीं है। इनका यह साहस होना चाहिये कि जनता के सामने इसकी चर्चा हो। राष्ट्रीय सहारा जैसे अखबार ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद का इस संबंध में उल्लेख किया है। यदि यह गलत है तो उन्हें अखबार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करनी चाहिये या उन्हें न्यायालय में जाना चाहिये। आप वहां तो जाते नहीं, इतना आप में साहस ही नहीं है। इसी तरह तीन सपा विधायकों के नाम आये हैं इसके लिये मुलायम सिंह जी या तो इन्कार करें या न्यायालय में जायें। नहीं तो देश को मालूम होना चाहिये कि जो पार्टी देशभक्ति और भारतीयता का नाम लेकर भारत को कलंकित करने वाले लोगों की पार्टी है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मेरा उत्तर आ जाने दें, अगर हमारी बात से आप संतुष्ट न हों तो माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से आप फिर कह सकते हैं। पहले राजेन्द्र कुमार गुप्त जी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। और माननीय तिवारी जी ने बाद में अपने विचार रखे। श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि यह सही है कि आई0एस0आई0 गतिविधियों को लेकर प्रदेश में चिन्ता है।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं, इन्हें सुन लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

सरकार का पक्ष आ जाय। कदाचित मेरे उत्तर से आपका भी समाधान हो जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय नेता जनता दल ने चाहा है कि मैं सांसद के बारे में कुछ कह दूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप नई परम्परा डाल रहे हैं। मेरी सूचना है, मुझे बोलने का अधिकार है। आपने एक बार इनको सुन लिया और फिर दोबारा मौका दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

सरकार का पक्ष आ जाने दीजिये, फिर कहियेगा।

(श्री किरनपाल सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त व संसदीय कार्य मंत्री के एक साथ बोलने पर व्यवधान।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जो बी0जे0पी0 सांसद की बात कही गई है वह अनर्गल है, मैं पूरी तरह से उसका प्रतिवाद करता हूं।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिक दृष्टि से पहले से सम्वेदनशील है। अभी किरनपाल जी ने कहा था कि सरकार इस पर बहस से कतरा रही है। साम्प्रदायिक सम्वेदनशील एक बिन्दु है जिसके बारे में इस संगठन की गतिविधियों पर बहुत विस्तार से चर्चा न हो ठीक रहेगा। जिस खुफिया एजेन्सी के बारे में उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी जांच कर रहे हैं, अगर घोषित कर दें कि कौन अधिकारी कर रहे हैं, कौन-कौन से साधन उनको दिये गये हैं तो फिर वह संगठन जिसे आई0एस0आई0 कहा जाता है और अधिक सतर्क और सावधान हो सकता है। बाकी सरकार की ओर से कोई मंशा नहीं है, कुछ छिपाना नहीं चाहती है।

मान्यवर, तिवारी जी ने बताया कि 92 में अलीगढ़ में जासूसी काण्ड हुआ था, उसमें आई0एस0आई0 सम्बद्ध रहा है। यह जानकारी शासन को रही है। काफी चीजें तिवारी जी ने कहीं मैं उसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि 93 में राजधानी एक्सप्रेस में बम विस्फोट हुआ, 94 में विदेशी नागरिकों को दिल्ली से अपहरण कर लिया गया। अभी मेरठ और सहारनपुर बस में बम विस्फोट का काण्ड हुआ। इन सारे मामलों में सरकार इस तरह से देख रही है कि कहीं इसमें आई0एस0आई0 का हाथ तो नहीं है। यह नहीं कह रही है लेकिन उसकी जांच की जा रही है। इसी तरह से तिवारी जी अपने भाषण में 1800 एजेन्टो के 16 संगठन और 25 अरब रुपये की जानकारी दी है। इस बारे में सरकार की तरफ से स्पष्ट कहना है कि ऐसी कोई जानकारी

उत्तर प्रदेश शासन के पास नहीं है। तिवारी जी ने एक समाजवादी पार्टी के किन्हीं तीन विधायकों और बी0जे0पी0 के एक माननीय सांसद की बावत जो कुछ कहा है उसके बारे में सुबह एक विधायक के प्रश्न का उत्तर देते हुये स्पष्ट कहा था कि सरकार के पास इस बारे में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है। तिवारी जी के दो प्रश्नों का तो खण्डन मैंने कर दिया। इस प्रश्न को बड़ी गहराई और अंतरमंथन करके यहां रखा है।

मैं आपका आभारी हूं भारत की सीमाओं की बावत कुछ कहा है, यह कहा गया है कि भारत की सीमाओं पर सेना लड़ेगी भारत की सीमा की सुरक्षा का सीधा-सीधा कर्तव्य पूरे देश में भारत सरकार का है मैं समझता हूं भारत सरकार इस बारे में सतर्क होगी। भारत सरकार सीमाओं की सुरक्षा कैसे कर रही है इस चर्चा को यहां करना उपयुक्त नहीं होगा। यहां आई0एस0आई0 की बात बार-बार उठती है इस बारे में तीन बिन्दु हैं। पहला बिन्दु तो यह है कि आई0एस0आई0 उत्तर प्रदेश में कार्यरत नहीं है। पूरे देश में इसका जाल बिछाया जाता है, यह भूल है। भारत सरकार यह सुनिश्चित करे कि पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी किस प्रकार से अपने नेटवर्क फैलाकर साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहती है। मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि भारत सरकार सतर्क नहीं है। दूसरा बिन्दु मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क है। माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनका फायदा उठाया जायेगा। गुप्तचर संस्थायें छान-बीन में लगी हैं। तीसरा बिन्दु उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता के बारे में है।

इस प्रकार से माहौल बिगाड़ने वाले तत्व हैं साम्प्रदायिकता सद्भाव को बिगाड़ने वाले तत्व हैं उनसे उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान रहना चाहिये। जनता अन्तिम रूप से सबसे बड़ी संस्था है जो इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिये साम्प्रदायिकता सद्भाव न बिगड़े, सम्मानित नेता जनप्रतिनिधि हैं। वह जनता को अवगत कराते होंगे कि आई0एस0आई0 के नाम पर कोई छोटी बात को बड़ा फैलाने की कोशिश की जाती है। उसके बारे में जनता को सतर्क रहना होगा। जो विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं उनका भी लाभ गृह विभाग के अधिकारी उठायेंगे। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला नहीं है इसमें सरकार सतर्क है इसको निरस्त करने की कृपा करें।

श्री राम कुमार शुक्ल-

मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई0एस0आई0 रहते हैं लेकिन यहां की पुलिस कोई ध्यान नहीं देती है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय शुक्ला जी आपके पास सूचना होगी मैं शुक्ला जी से सम्पर्क कर लूंगा अगर यह सूचना देंगे तो मैं आज ही इस पर कार्यवाही के निर्देश करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप सूचना दे दीजियेगा। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सत्य प्रकाश विकल तथा श्री लाज कृष्ण गांधी की अगली सूचना है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराये पर देने और किराया बेदखली के अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया है इस संशोधन में वक्फ अलल-औलाद भी शामिल है अर्थात इस पर रेन्ट कन्ट्रोल लागू नहीं होता है। इसके दुष्परिणाम हुये इसकी अवमानना में इन सम्पत्तियों के किरायेदारों में सवा लाख लोग ऐसे हैं जो किरायेदार हैं गरीब लोग हैं खोखे रखे हुये हैं और किराया दे रहे हैं, लेकिन उन सबको तीस दिन की नोटिस पर बेदखल किया जा रहा है पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है इसके दुष्परिणाम यह हैं कि कोई किसी तरह से रोजी कमा रहा था। जो दुकानदार बेरोजगार हो गये हैं जिनको नोटिसें नहीं मिली हैं अगर वह उधार देकर माल बेचा करते हैं तो देनदारों ने उन्हें माल देना बन्द कर दिया है। इस तरह से लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके सामने बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गयी है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि किराया कम हो, तो बढ़ना चाहिये। यह मूल रूप से अधिनियम भी रेन्ट कन्ट्रोल है उसमें व्यवस्था भी दी गयी है कि पांच वर्ष बाद उनके किराये बढ़ेंगे। लेकिन आज उनके सामानों को सड़कों पर फेका जा रहा है। जिलाधिकारी या कोई अन्य एजेन्सी बैठकर उनके किराये के बारे में चर्चा करे। यह तो नहीं हो सकता है कि उनका जो किराया 50 रुपये है उसको बढ़ाकर चार हजार रुपये कर दिया जाये। मेरे पास कागजात हैं मैं सहारनपुर गया था। हजारों-हजार लोगों का जो पचास रुपया किराया था उसको बढ़ाकर तीन हजार रुपये वसूली करने के प्रयास किये जा रहे हैं। लोगों को नोटिसें दी गई हैं। वक्फ की सम्पत्ति वह सम्पत्ति होती है जो भगवान को अर्पित कर दी गई होती है। उनमें संशोधन करके वक्फ अल औलाद कर दिया गया है। इस कानून का लाभ उठाकर उसका दुरुपयोग करके लाखों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। इसलिये लोगों के सामने एक भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है। यह मात्र तुष्टीकरण के लिये किया गया था। हर शहर में लोगों का सामान फेंका जा रहा है। यह प्रश्न लोक महत्व का भी है, यह तात्कालिक भी है। पूरे प्रदेश से संबंधित हैं। इसकी ग्राह्यता पर बोलते हुये मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लोग बेरोजगार न हो जायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब कोई कारखाना बन्द किया जाता है तो लोग बेरोजगार होते हैं। उनको रोजगार की गारन्टी दी जाती है। वर्षा के दिन में लोगों के पास रहने के लिये कोई जगह नहीं है। उनकी दुकान का माल फेका जा रहा है। माल वर्षा में सड़ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस पर अपनी नीति स्पष्ट करें। यह जो एक-सवा लाख परिवार इससे बरबाद हुये हैं उनके परिवार के सदस्यों को मिला लिया जाय तो यह संख्या एक-डेढ़ करोड़ के करीब होगी। इसके बारे में कोई रास्ता निकालना चाहिये। जहां तक किराया वृद्धि की बात है उससे मैं भी सहमत हूं। कोई एजेन्सी बैठकर इस पर चर्चा कर ले और जो वाजिब किराया हो उसको लागू कर दिया जाये। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह ऐसा रास्ता निकाले जिससे लाखों लोगों को बरबाद होने से बचाया जा सके।

(श्री राम कुमार शुक्ल के बीच में खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपके दल के ही श्री विकल जी को बुला लिया है। मैं चाहता हूं कि जिन सदस्यों ने सूचना पर हस्ताक्षर किये हैं उनको पहले बोलने का मौका दिया जाय।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है। इस पर श्री गुप्ता जी ने विस्तार से अपनी बात कह दी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो किराया नियंत्रण का अधिनियम हैं उसमें जो नियंत्रण की बात थी उसका संशोधन हुआ और वक्फ सम्पत्तियां व अलल औलाद व धार्मिक सम्पत्तियां रेन्ट कन्ट्रोल से हट गई। उसके दुष्परिणाम दो रूप में आ रहे हैं। प्रमुख स्थानों पर यह वक्फ की सम्पत्ति पर जो लोग रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अंतर्गत पुराने किरायेदार हैं। 100-100 साल तक के वह पुस्तैनी ढंग से किरायेदार रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अंतर्गत सुरक्षित थे इस अधिनियम द्वारा उनको कभी भी निकाला जा सकता है। वक्फ की सम्पत्ति में कई हिन्दू किरायेदार हैं उनको नोटिसें मिल रही हैं वह कह रहे हैं कि हमारे साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। यह साम्प्रदायिक आधार पर निर्णय था।

जो हिन्दू धार्मिक संस्थायें हैं, उनमें मुस्लिम किरायेदार हैं, इस तरह से उन्हें बरबाद किया जा रहा है, विभेद पैदा किया जा रहा है। एक ही बाजार में वक्फ की सम्पत्ति है और सामने कोई निजी सम्पत्ति है तो निजी सम्पत्ति में जो किरायेदार बैठे हैं वे रेन्ट कन्ट्रोल में हैं उनको कोई छू तक नहीं रहा है, इस प्रकार इस आड़ में कोशिश की जा रही है कि 50 रुपये वक्फ सम्पत्ति को किरायेदार से बढ़ाकर सीधे 4 हजार, 5 हजार किराया मांगा जा रहा है। पचासों जगह सैकड़ों-हजारों लोगों को इस तरह बेदखल करके परेशान किया जा रहा है, उनकी दुकानों का सामान फेका जा रहा है, आज बड़ी चिन्तनीय स्थिति पैदा हो गई है। सहारनपुर का जिक्र माननीय

राजेन्द्र जी ने किया, केवल सहारनपुर ही नहीं, मैं आगरा से आता हूं, वहां भी हजारों लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, जो बेदखल किये जा रहे हैं । यह लोक महत्व का अवेलम्बनीय प्रश्न है, इस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिये, बल्कि शासन की ओर से यह भी घोषणा होनी चाहिये कि यह जो संशोधन हुआ है, उस पर पुनर्विचार किया जायेगा ।

*श्री लाज कृष्ण गांधी-

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने और सत्य प्रकाश विकल जी ने सरकार का ध्यान जिस समस्या की ओर आकर्षित किया है, उसके संबंध में कहना चाहूंगा कि सहारनपुर जनपद में दो बार सहारनपुर बन्द हो चुका है । यह काला कानून है, इससे केवल सहारनपुर के ही नहीं, पूरे प्रदेश के दुकानदार त्रस्त हैं, इसमें बाद में कोई सुनवाई या अपील भी नहीं हो सकती । 40-50 साल से जिन दुकानों का किराया 10-20 रुपये था, उनको मात्र 30 दिन की नोटिस देकर 5-6 हजार किराये की मांग की जा रही है, उसके बाद उनसे सौदेबाजी होनी है कि जिस समय दुकान ली थी, उस समय यहां बाजार नहीं था, आज यहां बाजार हो गया है और इसकी कीमत अब 5-10 लाख हो चुकी है । इन दुकानदारों से 5 लाख, 10 लाख लिया जाता है नहीं तो उसका सामान फेंका जा रहा है । यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है । मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर गम्भीर चिन्तन करते हुये चर्चा कराई जाय और इस काले कानून को वापस लिया जाय ।

श्री राम कुमार शुक्ल-

मान्यवर, हमारा पूरा विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग ऐसा है जो वक्फ की जमीन पर बसा है । मान्यवर, यह शहर नवाबों का शहर रहा है और हमारे यहां वक्फ के जो सालों से किरायेदार रहे हैं, आज वह परेशान हैं । मान्यवर, आपने इमामबाड़ा देखा होगा, वहां बेचारे गरीब बसे हुये हैं, इसी तरह छोटे इमामबाड़े में भी तमाम गरीब परिवार बसे हुये हैं, आज उन लोगों को वहां उजाड़ा जा रहा है । आज वहां गरीब को पनाह देने वाला कोई नहीं है, कोई रिक्शे वाला है, कोई ठेलेवाला है, कोई खोमचे वाला है । कानून जो बना है, वह गरीबों को बरबाद करने वाला है, वह आज भुखमरी की कगार पर है । मैं निवेदन करता हूं और इस पर बल देता हूं कि यह कानून सही नहीं है । मान्यवर, आप मेरे क्षेत्र को बचा लीजिये, इन गरीबों को बचा लीजिये, जिनकी रोजी रोटी मजबूरी से चलती है, जिनके रहने का कोई स्थान नहीं है । उन्हें संरक्षण दीजिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*डा0 माम चन्द्र लाम्बा-

माननीय अध्यक्ष जी, लोक महत्व के प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह वाकई सत्य है कि यह जो कानून पिछली सरकार ने बनाया है, यदि इसको रोका नहीं गया तो लाखों लोग बेघर हो जायेंगे और लोगों को ऐसा अनुभव होगा, जब देश का विभाजन हुआ था और लाखों लोग बेघर हो गये थे, बेरोजगार हो गये थे, आज यही स्थिति प्रदेश के सामने आ रही है। सहारनपुर में लाखों लोग इस समस्या से पीड़ित हैं और पूरे प्रदेश की भयावह स्थिति है। मैं लोक महत्व के इस प्रश्न पर बल देते हुये इस कानून को तुरन्त निरस्त करने की सरकार से मांग करता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

मान्यवर, माननीय गुप्त जी, माननीय विकल जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जिस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये उस प्रस्ताव पर मैं बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव नहीं है, नियम 56 के अन्तर्गत सूचना है।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

मान्यवर, मैं नियम 56 की सूचना पर ग्राह्यता पर बल देने के लिये कहना चाहता हूं। आज प्रदेश में वक्फ की जमीन पर और नजूल की जमीन पर हजारों गरीब लोग अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं। उनको उनकी दुकानों और घरों से बेदखल किया जा रहा है और उनको बाहर निकलने के लिये नोटिस दी जा रही है और उनके सामान फेंके जा रहे हैं। मेरे जनपद बाराबंकी की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां पर कम्पनी बाग जो शत्रु सम्पत्ति के रूप में दर्ज है, उस पर कोई जिम्मेदार आदमी देशभक्त मकान नहीं बनवा सकता है लेकिन पूर्व सरकार के एक तत्कालीन मंत्री जी ने अपना मकान बनवाया है। मेरी मांग है कि उनको बेदखल करवाया जाय। जो छोटे-छोटे लोग हैं उनको तो मकानों, दुकानों से निकाला जा रहा है और जो बड़े लोग हैं वह शत्रु सम्पत्ति पर मकान बना रहे हैं उनको बेदखल कीजिये। मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुये मांग करता हूं कि आप इस पर चर्चा करवायें और इस कानून को वापस लिया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन् माननीय गुप्त जी, माननीय विकल जी ने और अन्य माननीय सदस्यों ने एक अधिनियम के बारे में कहा है कि उसमें कुछ ऐसे उपबन्ध आ गये हैं जिससे आम जनता और गरीबों को कठिनाई हो रही है। श्रीमन्, किसी अधिनियम में क्या कठिनाई हो सकती है उसके लिये अगर विस्तार से कोई गैर सरकारी विधेयक आता या इसकी पहले से कोई सूचना होती तो उस पर सरकार अलग से विचार कर सकती है। आदरणीय गुप्त जी जो संसदीय परिपाटी के विज्ञ विधायक हैं और पुराने नेता भी हैं। उन्हें यह जानकारी है कि नियम 56 के अधीन किसी विषय जिसमें कानून की बात हो उस विषय को नियम 56 के अधीन नहीं उठाया जा सकता है। मैं इस बारे में पढ़ रहा था। "संसदीय प्रणाली और व्यवहार" जो एक प्रतिष्ठित पुस्तक है उसमें भी यह कहा गया है। पुरानी विधान सभा जिसको केन्द्रीय विधान सभा कहा करते थे उसमें 4-9-1935 की कार्यवाही में है कि ऐसा विषय कार्य-स्थगन के विषय के रूप में नहीं उठाया जा सकता है जिसमें सरकार से यह अपेक्षा की गई हो कि कोई नया कानून बनाना है या संशोधन करना है। यह गैर सरकारी विधेयक के रूप में लाया जा सकता है। माननीय गुप्त जी ने जो विषय रखा है वह ठीक है और गम्भीर भी है लेकिन यह नियम 56 में नहीं आता है।

श्रीमन् मैं लोक सभा में इस संबंध में जो वाद विवाद हुआ है उसका उल्लेख करना चाहूंगा। दिनांक 29-8-1959 की कार्यवाही के पृष्ठ 509 का उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय गुप्त जी ने अभी कहा था कि यह कानून विभेदकारी है और प्रदेश के कुछ लोगों के लिये अलग से कानून बनाया गया है। तो माननीय अध्यक्ष ने इस इस संबंध में यह व्यवस्था दी है कि विभेदकारी जैसा कोई प्रश्न नियम 56 में नहीं उठाया जा सकता है। श्रीमन्, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी है। माननीय गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है वह किसी कानून में संशोधन के सुझाव जैसा है। इस विषय पर जिस कानून बनाने की आवश्यकता होगी उस समय संबंधित अधिकारीगण और सरकार इसको संज्ञान में लेगी। यह विषय अधिनियम में संशोधन से संबंधित है इसलिये यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है। पूर्व दृष्टान्त भी हैं कि ऐसा विषय कार्य-स्थगन के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिये मेरा आग्रह है कि इसको नियम 56 में अग्राह्य करने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जो आपने विरोध व्यक्त किया है, तकनीकी कारणों से, यह सही है कि कार्य-स्थगन के रूप में नहीं आता है, लेकिन जो दूसरी बात कही है, उससे हम सहमत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब आगे मौका मिलेगा, तो विचार कर लेंगे, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई संशोधन विधेयक लायेंगे तो हम निरसन विधेयक लायेंगे, लेकिन उस समय आपका अभिमत चाहिये। पुराने विधेयक हैं, उनमें संशोधन होता रहा है, इस समय जन भावना है कि इस विधेयक का संशोधन किया जाये। सरकार अगर समझती है कि लाखों लोगों की पीड़ा को देखते हुये पुनः विचार कर ले और सरकार संशोधन पेश कर दे।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन् गुप्ता जी इस सरकार के सहयोगी दल के उप नेता हैं। उन्होंने जो विचार व्यक्त किया है और भी उनके पास इस संबंध में जानकारी होगी, तो हम भी उनसे मार्ग दर्शन प्राप्त करेंगे और उनके अमूल्य सुझावों का सरकार स्वागत करेगी, जैसा बतायेंगे उसको संज्ञान में लेकर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

इस पर कई माननीय सदस्यों को सुनने के बाद और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद, अग्राह्य करता हूं। यह नियम 56 में नहीं आता है। अगली सूचना श्री हरेन्द्र सिंह मलिक और श्री ऊदल की है और नियम 311 में श्री श्याम देव राय चौधरी ने भी दिया था।

श्री ऊदल-

मैं इसको वापस ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की है, उसको ले रहा हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, जो नियम 56 में सूचना दी है, उस पर मैं बोल रहा हूं। किसी भी सरकार की इच्छा होती है कि प्रदेश में जितने भी छात्र पढ़ना चाहें, पढ़ें और उनको पढ़ने का अवसर मिले। मान्यवर, 1992 में इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल 30 प्रतिशत था, 1993 में 38 प्रतिशत था, 1994 में 54 प्रतिशत था और इस वर्ष 72 प्रतिशत परीक्षाफल है। इस बार जो कुल छात्र उत्तीर्ण हुये हैं उनकी संख्या 4,71,056 है, लेकिन जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं उनकी कुल संख्या जो है वह 20 या 25 प्रतिशत छात्र ही प्रवेश पा सकेंगे। इसके दो अर्थ निकलते हैं, सरकार का दायित्व है कि सभी विद्यार्थियों को आगे पढ़ने के अवसर दें, लेकिन जब 20 या 25 प्रतिशत ही सीटें हैं, तो 75 प्रतिशत छात्र प्रवेश नहीं पा सकेंगे। कुछ इन्जीनियरिंग में, कुछ पी0एम0टी0 में और कुछ आई0टी0आई0 में चले जायेंगे। लेकिन कमसे कम 50 या 60 प्रतिशत छात्र जो पढ़ना चाहेंगे, उनके लिये प्रवेश की सुविधा नहीं है।

इसका बहुत बड़ा कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो शिक्षा में सुधार करने के लिये नकल विरोधी कानून लागू किया था। इसलिये उस समय परीक्षाफल कम था और आज जो परीक्षाफल है, वह पिछले सालों की अपेक्षा बहुत अधिक है। यह स्थिति दुखद है। प्रदेश में खुले रूप से नकल हुई है, जिसके कारण परीक्षाफल ज्यादा आया है। अभी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया था और वहां पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है, बी0एस0सी0 और बी0कम0 में प्रवेश फार्म बंट रहे थे और मान्यवर, हजारों छात्र छात्राओं के अभिभावक वहां पर पंक्तियों में खड़े थे, कई घंटे पंक्तियों में खड़े रहे वहां पर इतनी अव्यवस्था हुई कि लोगों को प्रवेश फार्म नहीं मिल पाया हमारे भी एक साथी माननीय विधायक हैं उन्होंने अपने एक संबंधी के लिये प्रवेश फार्म मंगाया था, मैंने अपने एक कर्मचारी को भेजा लेकिन प्रवेश फार्म नहीं मिला। मुझे जानकारी मिली है कि प्रवेश फार्मों की गड्डियां की गड्डियां लोग पीछे की खिड़की से प्राप्त कर रहे हैं और ब्लैक में प्रवेश फार्म बिक रहे हैं तो इस तरह की गम्भीर अव्यवस्था हमारे प्रदेश में है तो यह पूरे प्रदेश में शिक्षा जगत से जुड़ा प्रश्न है जो छात्र छात्रायें पढ़ना चाहते हैं उनसे संबंधित विषय है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से कि यह विषय महत्व का है इस पर नियम 56 के अन्तर्गत चर्चा कराने की कृपा करें।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह माननीय नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की सूचना है इस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है केवल एक माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं। आप लोग बैठें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, डा0 गौर प्रतिष्ठित प्रवक्ता हैं, और शिक्षा के बारे में वह काफी चिन्तित रहते हैं और कई बार इस आदरणीय सदन में उन्होंने शिक्षा जगत से जुड़े सवाल उठाये हैं। यह सही है कि इस वर्ष लगभग 5 लाख विद्यार्थियों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है और उनके लिये शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार के लिये कठिन कार्य है मगर यह शासन का कर्तव्य है और हमारे लिये यह आवश्यक है कि जो भी छात्र पढ़ना चाहते हैं उनके लिये पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करें। श्रीमन्, शिक्षा विभाग में और उ0प्र0 शासन में यह निर्णय लिया है कि जहां कहीं भी डिग्री कालेज खोले जाने की चिट्ठियां आयी हैं, प्रार्थना-पत्र आये हैं उन आवेदनों में मानक पूरा है तो उनमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई न हो और अतिशीघ्र उनका निस्तारण करते हुये डिग्री कालेज खोले जाने की स्वीकृतियां जारी की जाया करें। और यह भी कहा गया

है कि अगर कोई विद्यालय अपने यहां सायंकालीन कक्षायें चलाना चाहते हैं तो उनके आवेदनों पर भी सरकार अतिशीघ्र विचार कर लिया करे । सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित अधिकारीगण अतिशीघ्र विचार करते हुये उनका निस्तारण जल्दी से जल्दी करें ।

इन्दिरा गांधी खुला विद्यालय का चूंकि कार्यालय लखनऊ में है तो इसे भी प्रदेश शासन द्वारा नि:शुल्क भूमि भवन बनाने हेतु दे दी गई है और इससे भी समस्या का थोड़ा बहुत समाधान होगा । यह सही है कि निश्चित रूप से यह समस्या बड़ी है और विकराल है । किसी क्षेत्र के बारे में माननीय सदस्य ने सूचना दी है कि वहां आवेदन-पत्र लोग गड्डी-गड्डी ले गये हैं तो यह वहां के किसी स्थानीय विद्यालय का मामला होगा सरकार इसको दिखवा लेगी अगर माननीय सदस्य लिखकर दे दें जिस डिग्री कालेज या विद्यालय की बात होगी । मगर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि इच्छुक छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है और जो मेधावी छात्र हैं उनकी पढ़ाई में बाधा हो रही है ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है । सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी सजग है । जो मामला नियम 56 के अंतर्गत माननीय सदस्य ने उठाया है यह गम्भीर है लेकिन यह नियम 56 में नहीं आता है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

*डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि डिग्री कालेजों के खोलने की बात पर सरकार विचार करेगी और सायंकालीन कक्षायें खोलने के बारे में सरकार विचार करेगी । मान्यवर, पिछले वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यही मामला था वहां सायंकालीन कक्षायें खोली गई तो बड़ी मुश्किल से धन मिला । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर कोई डिग्रीकालेज सायंकालीन कक्षायें खोलना चाहता है, जहां पर सुविधायें उपलब्ध हैं तो क्या सरकार ऐसे डिग्री कालेज को धन उपलब्ध करायेगी ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, धन की बावत सरकार की तरफ से मैं कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं । आज अगर वहां बाकी मानक पूरे हों, और छात्र संख्या भी ज्यादा है, तो पढ़ाई की अनुमति दे दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष-

डा0 गौर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अस्वीकृत करता हूं ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा कीटनाशक दवाओं की फैक्ट्री के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रश्न था.....

श्री अध्यक्ष-

उसी पर माननीय सदस्यों को बुलाया था, आपकी भी बात थी 51 से बदलकर उसे 56 में ले लिया । माननीय ऊदल जी ने कहा कि मैं उस सूचना को वापस लेता हूं ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, वह तो ठीक है, लेकिन इनकी सूचना को तो आप स्वीकार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

उस समय जब पुकारा तो उस समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे ।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, उसमें कृपा पूर्वक फिर से विचार कर लें ।

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र-

मान्यवर, मैंने आज जो सूचना दी है वह लाखों लोगों के जीवन से जुड़ी हुई सूचना है । प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कालेज जिसे के0जी0एम0सी0 के नाम से जाना जाता है, आज दयनीय स्थिति में है । उसमें लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग इलाज कराने के लिये आते हैं । वहां पर बड़ी अव्यवस्थायें हैं, वहां गन्दगी का साम्राज्य है और डाक्टरों की लापरवाही है । उसी डाक्टरों की लापरवाहियों के कारण, एक नवयुवक अकाल मृत्यु के गाल में समा गया । मान्यवर, अभी हाल की घटना है पिछली 2 जुलाई को एक 32 साल का नवयुवक जिसका नाम सुनील था, लुटेरों की गोलियों से घायल हो जाता है । उसको स्थानीय लोग गाड़ी मे लादकर 7.00 बजे मेडिकल कालेज पहुंचा देते हैं । उसके पेट में गोलियां धंसी हुई थीं वह अपने हाथ से उन गोलियों को दबाये हुये था । 20 मिनट वहां पर्चे बनने में लग गया उसके बाद उसको इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया उसको वहां 25 हजार की दवाइयों का पर्चा थमा दिया गया सम्पन्न परिवार का था इसलिये 25 हजार की दवाइयां आ गई । उसके परिवारजन गिड़गिड़ाते रहे लेकिन इतना सीरियस मरीज का चार घण्टे तक आपरेशन नहीं किया गया । चार घण्टे के बाद 11.00 बजे उसके आपरेशन की शुरुआत की गई आपरेशन देर तक चला उसके बाद उसको वार्ड में भर्ती किया जाता । जिस डाक्टर ने आपरेशन किया था उसका नाम डाक्टर बहल है वह 10 दिन तक उस मरीज को देखने नहीं जाते हैं । वार्ड में गन्दगी थी, रोशनी का अभाव था, उसके परिवारजन रिक्वेस्ट करके उसको 27 तारीख को प्राइवेट वार्ड में ले जाते हैं । उसके पेट से मल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रिस रहा था जो जूनियर डाकटरों की टीम थी, उन्होंने उसकी पट्टी करने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि आप इनकी पट्टी खुद करिये।

उनके भाइयों ने उसकी खुद पट्टी की उसकी हालत सिरियस हो गयी डाक्टर बहल को बुलवाया गया उसके परिवारजन उनके चक्कर लगाते रहे लेकिन डाक्टर बहल नहीं आये वह एक तारीख को 10 दिन के बाद आते हैं और कहते हैं कि आपरेशन में मेरी भूल से मल की नली जो काटी गई थी, वह जुड़ने से रह गयी। फलस्वरूप उसका एक इमरजेंसी आपरेशन करना पड़ेगा। आपरेशन के लिये सिर्फ चार हजार की दवाइयों का पर्चा थमा दिया जाता है, एक तारीख को वह दवाइयां लेकर रख लेते हैं और कहते हैं कि इमरजेंसी आपरेशन करना होगा। एक तारीख बीत जाती है और फिर दो तारीख बीत जाती है। रात के 12.00 बजे 36 घण्टे बाद उसका आपरेशन किया जाता है और पांच घंटे आपरेशन चलता है उसके बाद उसको ले जाया जाता है। 6.00 बजे उसकी हालत फिर बिगड़ने लगती है उसके परिवार के और डा0 मित्र वहां पर बैठे थे वे नर्स से कहते हैं कि सूई ले आओ और वह नर्स सूई लेने के लिये जाती है लेकिन वह लौटकर नहीं आती है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है और उसकी जब सांस उखड़ने लगती है तो आक्सीजन के लिये दौड़-भाग शुरू की जाती है लेकिन इतने प्रतिष्ठित अस्पताल में जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर आक्सीजन नहीं मिल पाती है और परिणामस्वरूप 32 साल का वह नौजवान मर जाता है।

जब डाक्टर बहल से यह पूछा जाता है कि आपने इतनी देर बाद आपरेशन क्यों किया, चार घण्टे बाद आपरेशन क्यों किया तो वह कहते हैं कि इमरजेंसी बेड उस समय खाली नहीं था। इतने बड़े अस्पताल में केवल एक सर्जन हो और वह आपरेशन करता है तमाम लोगों की शिकायतें आती हैं वहां पर अनेकों लोग मर रहे हैं। मान्यवर, यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मामला है इसलिये मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुये यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाये और वहां पर सुविधायें मरीजों के लिये उपलब्ध कराई जाये और जिसकी लापरवाही से उस नौजवान की मृत्यु हुई थी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, माननीय मिश्र जी ने जिस व्यक्ति की मृत्यु का मामला उठाया है उसके बारे में उत्तर प्रदेश शासन को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उस मृत्यु डाक्टर की लापरवाही के कारण हुई है। चिकित्सकों ने पूरी कोशिश की और उसका उपचार किया। अभी तक पूरी दुनियां में मुत्यु के बारे में कोई औषधि या उपचार किसी व्यक्ति या किसी वैज्ञानिक की जानकारी में नहीं है। मेडिकल कालेज के बारे में जो उन्होंने यह कहा कि वहां पर इस निमित्त कोई धन उपलब्ध नहीं है तो मैं उनकी जानकारी

में यह बता दूं कि के0जी0एम0सी0 में 95-96 में औषधि के मद में 99.15 लाख रुपये एवं गाज, बैन्डेड, एक्सरे फिल्म्स, फिनायल, नाइट्रस आक्साइड, आक्सीजन आदि के लिये रुपये 30 लाख व्यय किये गये थे। इस वर्ष भी औषधि मद में लगभग इतने ही रुपये एवं अन्य व्यय (गाज, बैन्डेड, फिनायल, एक्सरे फिल्म्स आदि) के लिये 35 लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है।

आज चिकित्सा विभाग का बजट है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर तैयार होकर बैठे हैं उन्हें विस्तार से इस बारे में बतायें और यह मामला नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है और न ही अविलम्बनीय लोक-महत्व का है इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि इसे निरस्त किया जाये। स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं उन्हें विस्तार से बतायें यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे तो तमाम तथ्यों को देखते हुये आप जिस अधिकारी से कहेंगे इसकी जांच करा लेंगे।

(समय 2 बजकर 25 मिनट)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना जो क्रमांक 6 पर अंकित है, श्री तीरथ राज की जनपद सोनभद्र में पिपरी के पास रेणु नदी पर बने पुल के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। सातवीं सूचना डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" की, अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारियों को पहाड़ में भेजने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। आठवीं सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की, सार्वजनिक क्षेत्र के इलेक्ट्रानिक उद्योग अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब लिमिटेड साहिबाबाद, गाजियाबाद की बन्दी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। दसवीं सूचना श्री महाबीर सिंह की जनपद बिजनौर की नगरपालिका नूरपुर में बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाने से जनता को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

दो सूचनायें पहली क्रमांक-1 पर अंकित सूचना, जो श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल एवं श्री राम विशुन आजाद की है और दूसरी क्रमांक-9 पर अंकित श्री शिव प्रताप शुक्ल एवं श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचना है, के महत्व को देखते हुये विशेष उल्लेख के तहत सुनूंगा।

शेष सूचनायें अग्राह्य करता हूं।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, हैजे से हजारों लोग मर रहे हैं, स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर एक दिन पूरे विस्तार से, इसकी ग्राह्यता पर विचार रख चुके हैं। अब मैं श्री शिव प्रताप शुक्ल जी को बुला रहा हूं।

श्री छब्बू पटेल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने वाराणसी जिले की गम्भीर समस्याओं का उल्लेख करते हुये सूचना दी थी उस पर मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सूचनाओं के लिये शलाका निकाला जाता है। उसके आधार पर सूचनायें आती हैं उनको सुना जाता है।

प्रदेश में इन्जीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में सूचना

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

मान्यवर, अभी 24 जुलाई को इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल आया है, उस परीक्षा फल के आते ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक भूचाल सा आ गया। इस सदन में चर्चा हुई थी कि इण्टरमीडिएट की परीक्षा में एक ही कक्षा की 16 छात्रायें वरिष्ठता सूची में आ गई थी। अभी 3-01-95 को प्रदेश में इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लखनऊ में पूरे प्रदेश के इंजीनियरों के प्रवेश परीक्षा का परीक्षाफल आया है। इस परीक्षा में आज तक जितने पैमाने थे वह तोड़ दिये गये। 45 दिन में जो परीक्षाफल घोषित होता था, वह 75 दिन में घोषित हुआ है। इतना ही नहीं यहां के इंजीनियरिंग कालेज के अध्यापकों को पहले कापियां जांचने के लिये नियुक्त किया जाता था लेकिन अबकी बार इसमें इण्टरमीडिएट कालेज तथा डिग्री कालेज के शिक्षकों को बुलाकर कापियां जंचवाई गई।

सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि एक अशोक कुमार खन्ना हैं, जो कोडिंग-डि-कोडिंग का काम करते हैं और होता यह है कि जो कोडिंग-डि-कोडिंग का काम करता है, उसको परीक्षाफल तैयार करने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है क्योंकि उसको यह मालूम होता है कि किस परीक्षार्थी का कोड नम्बर क्या है। लेकिन अशोक कुमार खन्ना को ही यह काम सौंपा गया, जिस परीक्षार्थी ने पैसा दिया वह पास हो गया था प्रतीक्षा सूची में आ गया जिसने पैसा नहीं दिया वह फेल हो गया। मान्यवर, पहले जब परीक्षाफल घोषित किया जाता था तो पूरे प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक अगस्त को प्रधानाचार्य की बैठक बुलाई जाती है और बैठक होने के बाद यह कहा

जाता है कि परीक्षाफल अधूरा है इसलिये बाद में मीटिंग बुलाकर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। सभी प्रधानाचार्य चले जाते हैं। उसके दो दिन बाद 3 अगस्त, 95 को परीक्षाफल घोषित किया जाता है और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रधानाचार्यों को इस बात की जानकारी हो पाती है कि प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया।

मान्यवर, कोई डायरेक्टर मिस्टर पाण्डेय हैं, वह दो-तीन साल तक सस्पेंड रहे हैं। पूरे प्रदेश में इंजीनियरिंग कालेज की प्रवेश परीक्षा में घपलेबाजी हो गई है। यहीं से दूसरे प्रदेशों के छात्र जाते हैं और यहीं के आधार पर वे लोग वहां पर प्रवेश लेते हैं। करोड़ों रुपये का घोटाला इस इंस्टीट्यूट ने किया है। ऐसे छात्र जिनके इण्टरमीडिएट में 80 व 90 प्रतिशत अंक थे, उनका नम्बर इस सूची में नहीं आया बल्कि जिन छात्रों के इण्टरमीडिएट में 50 व 58 प्रतिशत नम्बर थे, उनका नम्बर इस इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में आ गया। अभी कुछ दिन पहले इण्टरमीडिएट की परीक्षा परिणाम का मामला इस सदन में आया आज यह फिर दूसरा मामला आ गया है। इसलिये मान्यवर, इस गम्भीर मामले की जांच की जाय। जिन छात्रों के इण्टरमीडिएट व बी0एस-सी0 में 80-90 प्रतिशत अंक थे, आज वे लोग परेशान हैं और उनके अभिभावक भी परेशान हैं। यदि यही हाल रहा तो जो छात्र पढ़ते लिखते हैं और प्रतिभावान हैं, उनका क्या होगा। इसलिये इस परीक्षा परिणाम की जांच कर इसे निरस्त किया जाय और पुनः परीक्षा ली जाय।

श्री ऊदल-

मान्यवर, शुक्ला जी ने जो यह सवाल उठाया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही मेरे पास एक घण्टे पहले एक लड़का आया था बाराबंकी से। उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे और किसी एक्सीडेन्ट में उनकी मृत्यु हो गयी थी। वह लड़का फर्स्ट डिवीजनर रहा है। उसकी मां कहती है कि हमें इस बात का संतोष ही नहीं हो पा रहा है कि हमारे लड़के का उस इम्तिहान में प्रवेश के लिये नाम नहीं आया। वह श्री राम लखन वर्मा जी के यहां गई, जब वह नहीं मिले तो वह निराश होकर मेरे यहां फिर आ गई। मैंने उस प्रिंसिपल को एक पत्र लिखा कि इसे आप देखें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर जांच बहुत आवश्यक है। इसलिये आपसे भी निवेदन है कि आप अपनी पीठ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दें कि इस परीक्षा की पूरी-पूरी जांच होनी चाहिये।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने एक प्रश्न यह उठाया कि रिजल्ट जो 45 दिन में निकलना चाहिये था, वह 75 दिन में क्यों निकला। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उसमें प्रवेश समिति ने निर्णय लिया था कि

इस प्रवेश का परीक्षाफल इण्टरमीडिएट के परीक्षाफल के निकल जाने के बाद ही आउट किया जायेगा ताकि इण्टरमीडिएट में जो परीक्षार्थी पास हो जायेंगे तो उन्हें अपनी मार्कशीट के साथ प्रवेश पाने में कोई असुविधा नहीं होगी।

माननीय सदस्यगण अवगत होंगे कि 26 जुलाई को इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल घोषित हुआ और इसके बाद तीन अगस्त को इसका परीक्षाफल घोषित हुआ। दूसरा यह आरोप लगाया गया कि मार्कशीट बाहर के लोगों ने बनाई है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मार्कशीट इंजीनियरिंग कालेज के अध्यापकों द्वारा ही बनाई गई है और परीक्षाफल घोषित करने के लिये संयुक्त प्रवेश समिति अधिकृत है, जिसकी बैठक एक अगस्त, 1995 को हुई थी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति में प्रधानाचार्य इलाहाबाद के, गोरखपुर के जी0सी0टी0आई0, कानपुर के सुल्तानपुर के और भी. प्रधानाचार्य इसमें उपस्थित थे जो इससे संबंधित हैं। निदेशक, आई0टी0आई0 भी उसमें थे। एक बात और कही गई कि रिजल्ट घोषित करते समय गड़बड़ी हुई है। रिजल्ट घोषित करने के लिये भी एक समिति बनाई गई थी, जिसमें तीन अगस्त को रिजल्ट घोषित किया इस कमेटी में भी निदेशक एच0बी0टी0आई0, प्रधानाचार्य जी0सी0टी0आई0 प्रधानाचार्य, राजकीय वास्तुकला, लखनऊ संयुक्त प्रवेश समिति के संयोजक/अध्यक्ष उपस्थित थे। यह कहना गलत है कि यहां कोई गड़बड़ी हुई है। यह तथ्य उनके पास जो आये हैं जिस स्रोत से मिले हैं उसे पूरी जानकारी नहीं होगी इसलिये इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मेरे द्वारा जो तथ्य रखे गये हैं उसमें माननीय सदस्यों की मंशा का समाधान हो गया होगा। परीक्षाफल में कोई शंका करना निर्मूल है। विशेष उल्लेख में आपने सुना आपकी कृपा है। अब मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की शंका का समाधान हो गया होगा। इसे निरस्त करने की कृपा करें।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि सभी इंजीनियरिंग कालेजों के प्रधानाचार्यों की मीटिंग हुई थी। इसके पहले हमेशा परम्परा रही है कि जब तक प्रधानाचार्यों की मीटिंग में यह निर्णय नहीं होता था तब तक परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाता था लेकिन इस बार उनके सामने घोषित नहीं किया गया। यह कहना कि कोई कमेटी बनी है, सरासर गलत है बाहर की एजेन्सी को लगाकर परीक्षाफल घोषित किया गया है। मैंने यह भी कहा कि इंजीनियरिंग कालेज के अध्यापकों के अतिरिक्त इण्टरमीडिएट और डिग्री कालेज के अध्यापकों द्वारा कापी जांची गई एक भी इंजीनियरिंग कालेज का अध्यापक कापी जांचने में नहीं था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो सूचना दी है वह पूर्णतः गलत है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

दो बिन्दु यहां पर उठाये गये एक तो कापियां जांचने का दूसरा रिजल्ट घोषित करने के संबंध में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कापी जांचने में गत वर्ष भी इंजीनियरिंग कालेज के अध्यापकों के अलावा अन्य शिक्षकों ने भी यह कार्य किया पहले भी ऐसी परिपाटी रही है। रिजल्ट घोषित तीन तारीख को हुआ उसमें जैसा पहले मैंने कहा था एच0बी0टी0आई0 कानपुर, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट कालेज आफ आरकीटैक्ट तथा संयुक्त प्रवेश समिति के संयोजक/अध्यक्ष उसमें थे, ...(व्यवधान) इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है।

श्री शिव प्रताप शुक्ल-

इसमें जांच कराने की बात कह रहे हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

माननीय शुक्ल जी विस्तार से बोले हैं हमारे लिये यह काफी है जांच कराने के लिये वह कह रहे हैं विस्तार से वह लिखकर दे दें उसकी हम जांच करा लेंगे यह सरकार पारदर्शी है। जांच कराने में कोई कठिनाई है नहीं। आप कहेंगे जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद जो यह विशेष उल्लेख में लिया गया है उसे मैं निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की है..... व्यवधान।

(श्री रंगनाथ मिश्र, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, छब्बू पटेल आदि कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायें।...व्यवधान....जो व्यवस्था है जो नियम हैं जो परम्परा है उसी परम्परा का पालन किया जा रहा है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है बैठ जायें.....(व्यवधान)

विभिन्न सूचनाओं को सुने जाने की मांग

श्री छब्बू पटेल-

मान्यवर, मेरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है नियम 56 में नहीं आई और 300 में भी नहीं आई यह बहुत जरूरी मामला है कोई जन-प्रतिनिधि देख ले तो वह मान लेगा कि वह सही है अगर वह कह दे गलत है तो मैं बैठ जाऊंगा। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान में मध्य श्री छब्बू पटेल एक कागज पर छपी सूचना लहराते हुये सदन के फ्लोर पर आ गये और जोर-जोर से बोलते हुये अपनी सूचना स्वीकार किये जाने की बात कहते हुये वहीं बैठ गये। इस पर श्री सत्य प्रकाश विकल और श्री शिव प्रताप शुक्ल उनको समझाकर ले गये तो श्री छब्बू पटेल ने अपनी सूचना संसदीय कार्य मंत्री को दे दी।)

श्री रंगनाथ मिश्र-

(व्यवधान के मध्य) दूसरे लोगों को दो-दो बार आप सुन लेते हैं आप उनको मौका देते हैं एक ही नियम में दो-दो बार। इनके सदस्य 2-2, 3-3 बार बोलते हैं और इनके एक ही विषय पर दो-तीन सदस्य बोलते हैं लेकिन हमारी कोई सूचना स्वीकार नहीं होती है। हमें किसी में बोलने का आप मौका नहीं देते हैं। कोई भी सूचना हम लोगों की स्वीकार नहीं होती है।

(घोर व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े रहे और अपनी शिकायत करते रहे)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि पहले बैठ जायें।.....

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र-

नियम 56 में तिवारी जी 2-2 बार बोल लेते हैं। हम लोगों की एक भी नहीं ली। 56 में हमारी सूचना नहीं और 51 में भी नहीं ली।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायें जो भी आपत्ति है उस पर मैं एक-एक सदस्य को सुनूंगा।

(घोर व्यवधान-सर्वश्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, सुन्दर लाल दीक्षित, रंगनाथ मिश्र आदि सदस्य खड़े होकर बोलते रहे और उन्हें श्री सत्य प्रकाश विकल समझाने का प्रयास करते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग जिस आपत्ति को उठा रहे हैं, यदि बैठ जायं तो मैं एक-एक सदस्य को मौका दूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह अपने मामले को पार्टी कार्यालय में बैठकर तय कर लें लेकिन इस प्रकार से व्यवधान न पैदा करें।

श्री अध्यक्ष-

आदरणीय सदस्यगण बैठ जायें। उनसे अनुरोध है कि बैठ जायें। (व्यवधान) जो कुछ भी माननीय सदस्य कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

(कई सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, माननीय विकल जी कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले तो मैं अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय सदस्यगण बैठ जायें।

(श्री विकल का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

आपके दल के वरिष्ठ सदस्य माननीय विकल जी को माननीय अध्यक्ष जी ने बुला लिया है।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे अनेक सदस्यों को अभी कुछ देर से आपत्ति है और जो नाराजगी है। मान्यवर, आपकी सम्मानित पीठ के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुये आप जो भी कहते हैं उसको हम सब शिरोधार्य करते हैं लेकिन अनेक सदस्यों को आपत्ति है कि पिछले 2/3 सप्ताह से वह नियम 51 में मामला दे रहे हैं उनकी किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं किया गया है। केवल वक्तव्य के लिये या वक्तव्य के लिये भी नहीं लिया जा रहा है। अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का यही माध्यम होता है कि नियम 51, 56, 300, 301 में सूचना देते हैं। नियम 56 की सूचनाओं के लिये लाटरी होती है। उसमें जिनकी सूचना निकलती है वह ली जाती है। प्राप्त सूचनाओं में से पांच को आप सुनते हैं और पांच पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। मान्यवर, ऐसे अनेक सदस्य हैं जिनकी सूचनायें भी महत्वपूर्ण हैं और किसी कारण से लाटरी में नहीं आई हैं। माननीय छब्बू पटेल जी के मन में पीड़ा है, उनके क्षेत्र की समस्या है, काफी दिनों से वह दे रहे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि ऐसी कोई व्यवस्था करें कि जो लगातार सूचना दे रहे हैं किसी न किसी प्रकार उनको भी मौका मिल जाय।

श्री अध्यक्ष-

अभी जिन माननीय सदस्यों को आपत्ति थी उसमें मुझे तीन लोगों को ज्यादा आपत्ति दिखाई दी। पहली आपत्ति है श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी को इन्होंने सूचना दी है उसमें तात्कालिक विषय है। 13 फरवरी, 1993 का है। इस सूचना पर दिनांक 7-8-95 को शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है। दूसरी सूचना श्री छब्बू पटेल जी की है, जिनको ज्यादा तकलीफ है। एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर हो गया है, उसको नियम 56 में उठाना चाहते हैं। तीसरी सूचना रंगनाथ मिश्र जी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वाराणसी भदोही जिले में आर0ई0एस0 के

लिये सांसद कोटे का तथा पूर्वांचल निधि से करोड़ों रुपये दिये गये। जवाहर रोजगार योजना से भी धन दिया गया है। स्थानीय मजदूरों से कार्य न कराकर ठेके पर बाहरी आदमियों से कार्य कराते हैं। उक्त योजना के पैसे से संबंधित है इसके अतिरिक्त रंगनाथ जी ने सूचना दी है डेढ़ साल से पैसा दिया गया है उसको बट्टे खाते में जमा कर दिया गया है।

(व्यवधान)

दीक्षित जी आपकी भी सूचना पढ़ देते हैं। तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन कोष से करोड़ों रुपये का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में घोर असंतोष है, इस विषय पर ग्राह्यता पर सुन चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरूजी-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

कुछ नहीं सुना जायेगा।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि जिस सूचना को मल्ल जी उठाने को कह रहे हैं वह हैजे, गैस्ट्रो इन्सेफेलाइटिस पर है इसमें मैं कई माननीय सदस्यों को सुन चुका हूं। एक विषय बार-बार आयेगा तो कैसे होगा। चिकित्सा का आज बजट है उसमें आप विस्तार से कह देंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर दे देंगे। इसी तरह से माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना नियम 56 के बारे में दी है उसमें चाहूंगा कि नियमों का अनुपालन करें। 10 सूचनायें ली जाती हैं उसमें से एक भी सूचना कम करने की इच्छा मेरी नहीं रही है दस सूचनायें ली जाती हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत कम सूचना ली जाती है इसमें 6 सूचनायें लेते हैं इसमें से दो पर ध्यान आकर्षण दो सूचनाओं पर वक्तव्य और दो सूचनाओं पर केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है। उसके बाद भी मैं दो-एक सूचना को सुन लेता हूं। यदि इसमें आदरणीय माननीय सदस्य चाहते हैं तो हर पार्टी के नेतागण को बुलाकर पूछ लूंगा वह जैसा मार्गदर्शन करेंगे, उसमें जैसे सुझाव आयेंगे वैसे कर लिया जायेगा। सदन को चलाने में सदन का ज्यादा समय महत्वपूर्ण मुद्दों में खर्च होना चाहिये, चर्चा में होना चाहिये इसलिये मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वह पूरा सहयोग सदन के संचालन में दें।

लखनऊ में परिवर्तन चौक बनाये जाने तथा उसमें पेरियार रामा स्वामी नायकर की मूर्ति की स्थापना की घोषणा किये जाने पर आपत्ति विषयक सूचना

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका हृदय से आभारी हूं आपने अत्यन्त लोक-महत्व के विषय पर बोलने के लिये मौका दिया जो ग्राह्यता के संदर्भ में विषय रखा गया है। इस विषय का महत्व इससे जाहिर हो जाता है कि इस विषय पर एक शब्द नहीं बोल पाया हूं। पचास मिनट से लगातार न बोलने देने की कोशिश हो रही है, मान्यवर, 26 जुलाई को माननीय मुख्य मंत्री जी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परिवर्तन चौक का शुभारम्भ किया। यह लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहयोग से बना है। जैसा कि अधिकारियों ने घोषणा की इसमें 42 लाख खर्चा आया है।

मान्यवर, हिन्दुस्तान में यह पहला चौक बन रहा है जिसमें ट्रांसपोर्ट के सभी नियमों का उल्लंघन किया गया है इसमें कई महापुरुषों की मूर्तियां लगेंगी इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अम्बेडकर जी की, महात्मा गांधी की या पटेल जी की लगे साहू जी की लगे इसमें आपत्ति नहीं हो सकती है लेकिन जिस पार्क में लगे उसके लिये अलग से स्थान का चयन हो तो ज्यादा अच्छा है। लोगों का मानना है कि लखनऊ नगर लक्ष्मण जी के नाम पर बना है। मान्यवर, उन्हीं के नाम पर लक्ष्मण पार्क बना है। लक्ष्मण पार्क काटकर परिवर्तन चौक बनाया जाये मैं इस पर आपत्ति करता हूं। और अगर इस पार्क के पेड़ न काटे जाते तो ज्यादा उचित होता। हरे वृक्ष भी काटे गये मैं उस पर नहीं जाता क्योंकि जब आदमी काटे जा रहे हैं तो वृक्ष काटना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 में समता के सिद्धान्त को स्थापित किया गया है। इसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। उसमें भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद भाव निषिद्ध किया गया है। सबको अपनी धार्मिक मान्यताओं का अधिकार है।

हर हिन्दू को अधिकार है कि वह पूजा करे, हर मुसलमान को अधिकार है कि वह इबादत करे, हर सिक्ख को अधिकार है कि वह गुरुवाणी का पाठ करे। लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि जबरदस्ती किसी के कानूनी अधिकार पर अतिक्रमण करे। किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्तियों के समूहों को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे धर्म की मान्यताओं व भावनाओं को क्षति पहुंचाये। उनकी भावनाओं पर कुठाराघात करे। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। मान्यवर, 1989 में चुनाव के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं आयी है जो पांच वर्ष तक चले। 1989 में चुनाव हुये, 1991 में चुनाव हुये व उसके बाद 1993 में चुनाव हुये। यह विधान सभा कब तक चलेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह तीनों ही चुनाव राम जन्म भूमि के मुद्दे पर लड़े गये। सरकार की तरफ से परिवर्तन चौक में तमाम मूर्तियां लगाई जा रही हैं मुझे उनके बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मैं सुबह परिवर्तन चौक देखने के लिये गया था। वहां पर मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि वहां पर 5 मूर्तियां लगेंगी। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां पर पेरियार रामास्वामी नायकर की मूर्ति लगा रहे हैं। इनको शायद थोड़े ही सदस्य जानते होंगे। यह रामास्वामी वही हैं जिन्होंने स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में तमिलनाडु की धरती को खून से रंग दिया था। भगवान राम व सीता की मूर्तियों को इनके द्वारा जूतों से मारा जाता था। रामायण को जलाया जाता था। उनको अपमानित किया जाता था। तमाम इस तरह के नारे इनके द्वारा लगाये जाते थे, ऐसे भाषण होते थे जिनमें भगवान राम को गालियां दी जाती थीं। मां सीता जिनकी हम सब लोग पूजा करते थे उनके बारे में कहा जाता था कि सीता रावण के साथ भाग गई। उस समय स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने दृढ़ता दिखाई व भारतीय जनसंघ ने आन्दोलन चलाया था किसी तरह से 6 साल बाद वह आन्दोलन थम पाया था। उस आन्दोलन में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। राजकीय बसें तोड़ी गईं।

पेरियार अपने हिन्दी विरोधी आन्दोलन के कारण प्रसिद्ध थे आज उनकी मूर्ति को लक्ष्मण पार्क को तोड़कर उस जगह पर लगाया जा रहा है। यह भी किसी संगठन की ओर से नहीं अपितु उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कार्य किया जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। मुझे दुख इस बात का है कि जो भगवान राम के पुजारी होने का ढ़ोंग करते हैं वह भगवान राम के व्यापारी हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने विषय वस्तु पर ही सीमित रहें।

श्री प्रमोद तिवारी-

अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया है। जो भगवान राम के व्यापारी थे वह सत्ता के मदिरा के नशे में चूर होकर मौजूदा सरकार के चरण चुम्बन में मशगूल हैं और भगवान राम के विरोधी की मूर्ति लगवाने पर अपना समर्थन दे रहे है। इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है। राम का नारा लेकर चुनाव लड़ने वाले लोग आज भगवान राम के विरोधी की मूर्ति को लगवाने जा रहे हैं। और (× × ×) की असलियत आज यह है कि वह सरकार को इजाजत दे रही है कि वह भगवान राम के विरोधी की मूर्ति लगाये, आज यह लोग (× × ×) के साथ बैठे

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हुये हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता । हिन्दी भाषा का विरोध करने वाले और भगवान राम का विरोध करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी सभी तथ्य आ गये हैं, आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, जब आप आक्षेप लगायेंगे, किसी दल पर, किसी पार्टी पर, तो उसके जवाब में माननीय सदस्य तो कहेंगे ही ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, चोर-चोर मौसेरे भाई । माननीय तिवारी जी तो पेरियार जी की बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं और केन्द्र में जो इनकी सरकार है, वह उन्हीं के अनुयायियों, उन्हीं के समर्थन से चला रहे हैं । एक तरफ पार्लियामेंट में उनका लाभ उठायेंगे और यहां उसकी आलोचना करेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह राजनीतिक रिश्तों की बात कर रहे हैं । (× × ×) यह वही लोग हैं चोर की दाढ़ी में तिनका ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी बैठ जायें ।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, यह जानते हैं कि भगवान राम के बिना अगला चुनाव नहीं जीत पायेंगे, इसलिये आज उनका नाम ले रहे हैं ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, श्रीमन् मैं अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था कि उनके द्वारा व्यक्त विचारों में अवलिम्बनीयता कहां-कहां अन्तर्ग्रस्त है और इसमें कौन सी समस्या अन्तर्ग्रस्त है, जिस पर त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है । तिवारी जी बीच में कई बार उठ-बैठ चुके हैं । मैं उनकी तरह

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

बहुत जल्दी-जल्दी नहीं बोलूंगा, बहुत विनम्रतापूर्वक विचार व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। मान्यवर, तिवारी जी ने जो बात रखी है, उसमें कहीं भी अविलम्बनीयता नहीं है। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में सामाजिक परिवर्तन की आंधी आयी है और इस समाज में हजारों-हजार वर्षों से जुड़ती रही है, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, इन्सान को इन्सान की तरह नहीं माना गया और जाति के आधार पर इंशान को पशु से बेहतर माना गया और मान्यवर, एक ऐसी जड़ समाज व्यवस्था, जिसे बगैर बदले इस समाज में, ऐसे लोग जिनके मन में स्वाभिमान था, जिनकी प्राणों की अभीप्सा थी, स्थिति यह थी कि कहते थे कि कुत्ता तो ठीक है, व्यक्ति ठीक नहीं है, कुत्ता थाली छू ले तो थाली धोई जा सकती है, लेकिन यदि व्यक्ति छू ले तो उस थाली को फूकेंगे, ऐसी समाज व्यवस्था को बलदने के लिये महात्मा स्वामी नायकर का नाम यदि तिवारी जी ठीक से पढ़ लेते तो शायद पूरी बात समझ गये होते। आज हमारी सरकार उनके विचारों को पूरे देश में, प्रदेश में फैलाने के लिये कटिबद्ध है।

हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको हमें बदलना चाहिये और ऐसे समाज की संरचना करने की जरूरत है जिसमें व्यक्ति-व्यक्ति में भेद न हो। ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति को पशु से भी बदतर समझा गया ऐसी सामाजिक व्यवस्था को किसी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये। हमारा खयाल है कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में तिवारी जी का सहयोग होना चाहिये। तिवारी जी अगर इस सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा से सहमत न भी हों तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, कोई राजनीतिक दल हो सामाजिक परिवर्तन की यह जो आंधी चली है जो भी उससे असहमत होगा इस सामाजिक परिवर्तन की आंधी में उखड़ जायेगा और किनारे पर पड़ा होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सामाजिक परिवर्तन का जो दौर आया है और उसकी जो धड़कन है, उसका जो स्पंदन है उसको विज्ञ सदस्य समझने की कोशिश करें। उन्होंने अपनी सूचना के माध्यम से यह विचार व्यक्त करने की कोशिश की है कि वहां पर कुछ मूर्तियां लगाई गई हैं। उन्होंने कुछ मूर्तियों के नाम भी लिये हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मूर्तियों का विवाद उठाना ठीक नहीं है। मूर्तियों में प्राण तो होते नहीं। हमारे देश की धरती पर अनेक मनीषी पैदा हुये हैं जिनका आधार तत्व का ज्ञान रहा है। उन्होंने अपने मानस मंथन से बड़ा प्यारा दर्शन समाज को दिया है। उसी दर्शन में यह कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को हम देखते हैं जैसे तिवारी जी को मैं देखता हूं तो यह शुद्ध रूप से तिवारी जी को देखता है लेकिन अगर तिवारी जी को दार्शनिक तरीके से देखें तो तिवारी जी के पार बियान्ड देखना होगा। इसी तरह से जब हम मूर्ति को देखते हैं तो मूर्ति तो साधारण सी चीज,

होती है, मिट्टी की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, लौह की हो सकती है और मंहगी धातु की भी हो सकती है। मूर्तियों का हम दर्शन करने जाते हैं और उसके पार बियान्ड को हम देखते हैं। हमारी सरकार ने ऐसी मूर्तियों को स्थापित करने की चेष्टा की है जिन्हें लोग देखकर प्रेरणा लें।

इस समाज के दबे कुचले, शोषित पीड़ित हजारों व्यक्ति जो सामाजिक शोषण के शिकार पुरानी वर्ण व्यवस्था के नाम पर हुये हैं, जिनको सामाजिक व्यवस्था के नाम पर उपेक्षित रखा गया है और लतियाया गया है, ऐसे व्यक्ति जिनको अपने ही पलंग कुर्सी पर बैठने का हक नहीं था, ऐसे व्यक्ति जब इस चौक से निकलेंगे तो इन महापुरुषों की मूर्तियों से प्रेरणा लेंगे और उनके मन में उत्साह पैदा होगा कि महात्मा पेरियार यदि दक्षिण भारत में आन्दोलन कर सकते हैं, सामंतवादी ताकतों से भिड़कर सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं और एक नई विचारधारा, एक नई दिशा एक नई त्वरा पैदा कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। माननीय तिवारी जी आज वहां गये थे उन्होंने वहां से ऐसी ही प्रेरणा ली होगी। चूंकि उन्होंने सूचना पहले दे दी थी इसलिये जो उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की उसका कोई उल्लेख यहां नहीं किया।

सारी मूर्तियों में तत्व ज्ञान समाहित है। चाहे राम हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे तिवारी जी हों, चाहे गुप्त जी हों और चाहे हृदय नारायण जी ही हों, जब हम किसी को देखें तो उस तत्वज्ञान को देखें जिनको हम महापुरुषों ने समाज में प्रचारित किया है।

ईसावास्यमिदे सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत्। हम राम को देखें या कृष्ण को देखें या पेरियार को देखें हमें उनको देख कर इनके आगे बियान्ड सोचना चाहिये और उस तत्व दर्शन को देखना चाहिये जो इन महापुरुषों ने दिया है। हमारे साथी तिवारी जी परिवर्तन चौक जाकर इन मूर्तियों को देखा। लखनऊ की राजधानी में जो यह मूर्तियां लगाई गई हैं और लगाई जा रही हैं जब तिवारी जी वहां से बार-बार निकलेंगे तो समाज के लिये सोचने की प्रेरणा उनको प्राप्त होगी। इन मूर्तियों को देखकर उनके मन में समाज के लिये सोचने की प्रतिबद्धता और प्रेरणा उनमें आयी होगी। मान्यवर, यह मामला नियम 56 के अंतर्गत नहीं आता है। हमारी सरकार सामाजिक परिवर्तन के लिये प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। इसमें आने वाली किसी अड़चन को हम नियमों में संशोधन करके कानून में संशोधन करके हम दूर करेंगे। मुझे यकीन है कि माननीय तिवारी जी जो विज्ञ सदस्य हैं, मूर्तियों में अपने विकास को नहीं देखेंगे, मूर्तियों में अंतर्निहित प्रेरणा और उनके द्वारा बृहत्तर समाज के हित को देखें। माननीय तिवारी जी ने जो विषय उठाया है, वह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये इसको निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मजबूरी में आपने कर्तव्य का पालन किया है।

(श्री प्रमोद तिवारी, श्री बच्चा पाठक, श्री गजराज सिंह, श्री जगबीर सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री चेतराम, श्री प्रीतम सिंह, श्री राम विशुन आजाद व कांग्रेस के अन्य माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे-हिन्दी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, राम विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, जिसके कारण घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। तिवारी जी मैंने इसको अग्राह्य कर दिया है और आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है।

श्री प्रमोद तिवारी-

उनकी यहां पर मूर्ति न लगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत करें। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने-अपने स्थान पर चलें।

श्री राम विशुन आजाद-

यह सरकार किसी विशेष दल के कारण ऐसा कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि वह अपने स्थान पर वापस चलें।

(सभी सदस्य वापस चले गये।)

श्री प्रमोद तिवारी-

भगवान राम एवं हिन्दी भाषा का विरोध करने वाले पेरियार रामास्वामी की मूर्ति जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से लगा रहे हैं इस कारण मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-35 (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

*स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री आर0के0 चौधरी)-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,41,57,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,21,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,01,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,67,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,31,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70-विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,63,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या '31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,65,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(इस समय 3 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुये ।)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपकी अनुज्ञा से मुझे सदन में प्रदेश के बहुत बड़े विभाग का बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यह ऐसा विभाग है जिसका रिश्ता उत्तर प्रदेश की जनता से सीधा जुड़ा हुआ है । सरकार के पास तमाम विभाग होते हैं और उन विभागों के माध्यम से सरकार जनता के हित में काम करती है लेकिन स्वास्थ्य विभाग जिसका बजट इस माननीय सदन में रखने का मुझे मौका मिला है यह तो ऐसा विभाग है जिसके जरिये समाज की सेवा करने का अच्छा मौका मिलता है और अगर अच्छी सेवा की जाय इस विभाग के माध्यम से तो इस सेवा के नाते सरकार की छवि बनती है अगर अच्छी सेवा न की जाय तो छवि बिगड़ती है ।

मान्यवर, समाज का एक-एक व्यक्ति का उसके स्वास्थ्य की देखरेख के बारे में इस विभाग की जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है । मां के पेट में गर्भ होने से लेकर पैदाइश तक और पैदाइश के बाद लालन पालन और बड़े होने से मृत्यु तक इतनी लम्बे अवधि की जिम्मेदारी स्वास्थ्य की देखरेख की जिम्मेदारी हमारे विभाग की होती है इसलिये इस विभाग का बजट इस माननीय सदन में रखने का मुझे मौका मिला है । मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं । मेरे लिये बहुत बड़ा सौभाग्य है । मान्यवर, विभाग बहुत बड़ा है जरूरत तो इस बात की थी कि पूरे विभाग पर उसके कार्यकलापों के बारे में समीक्षा करते हुये लगभग 3-4 दिन इस पर विस्तृत चर्चा हो लोग अपनी आलोचना रखें, समालोचना रखें, सलाह दें, सुझाव दें, जिससे इस विभाग में और ज्यादा सुधार लाया जा सके । लेकिन कम समय में इस पर इस विभाग की चर्चा का मौका मिलेगा ।

बजट रखने का हमको मौका मिला है तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में अपनी बात खत्म करें । लेकिन मान्यवर, जैसा मैंने बताया गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक और उससे भी बड़े-बड़े शहरों तक एक जाल बना हुआ है काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का नेटवर्क जाल बना हुआ है और इसके साथ-साथ कर्मचारियों, अधिकारियों का सीधा नेटवर्क और संरचना बनी है इसमें सबसे निचले लेविल पर चिकित्सा सुविधा देने के लिये स्वास्थ्य के संबंध में देखभाल करने के लिये उपकेन्द्र बने हुये हैं जो गांव लेविल पर होते हैं ।

मान्यवर, इसमें अलग-अलग मानक हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, दूरदराज और उत्तरांचल का उसके मानक अलग हैं, मैदानी क्षेत्र के मानक अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में 5 हजार की आबादी पर एक उपकेन्द्र होता है जो स्वास्थ्य के बारे में देखरेख करता है। लेकिन उत्तराखण्ड में जनजातीय इलाके में दुर्गम क्षेत्र में तीन हजार की आबादी पर एक उपकेन्द्र होता है और यहां मान्यवर, हमारे पुरुष कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, जो स्वास्थ्य विभाग की निगरानी करते हैं उनको तैनात किया जाता है और उनके जरिये गांव के निचले लेविल तक स्वास्थ्य के बारे में देखरेख की जाती है। इसके ऊपर पी0एच0सी0 होती है, देहात में 30 हजार की पापुलेशन पर यह है इसमें भी डाक्टर होते हैं और दूसरे स्टाफ के लोग होते हैं। इसके बाद सी0एच0सी0, एक लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है, जहां डाक्टर भी होते हैं और बाकी और सुविधायें उपलब्ध होती हैं मरीजों की देखरेख होती है यहां कुछ स्टाफ ज्यादा होता है।

देहात के क्षेत्र में दूरदराज के इलाके में सबसे निचले स्तर पर सब सेन्टर उसके ऊपर पी0एच0सी0 और फिर सी0एच0सी0 इस तहर का नेटवर्क काम करने के लिये बना हुआ है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में जिला अस्पताल जिला स्तर पर पुरुषों के लिये अस्पताल, महिलाओं के लिये अस्पताल, यहां कुछ विशिष्ट सुविधायें होती हैं, विशिष्ट ज्ञाता डाक्टर होते हैं जहां शहर के अलावा भी पूरे जिले से चल-चलकर किस्म-किस्म के मरीज आते हैं और उनकी देखरेख की जाती है। इस तरह से देहात के क्षेत्र में और शहर के क्षेत्र में इस संरचना के हिसाब से कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े स्थानों पर शहरों में 300 शैय्याओं वाला अस्पताल, डेढ़ सौ शैय्याओं वाला अस्पताल ऐसे तमाम अस्पताल पूरे प्रदेश में खोले गये हैं। इसके अलावा उत्तराखण्ड में वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये 3 सचल इकाईयां बनाई गई हैं और इसके अलावा सीजनल डिस्पेंसरी का प्राविधान किया गया है। आगरा, बरेली, वाराणसी, लखनऊ में जगह-जगह मानसिक रोगियों के इलाज के लिये अलग अस्पताल बनाये गये हैं। तो इस तरह से मान्यवर, पूरे प्रदेश में छोटे-बड़े अस्पतालों को सम्मिलित करते हुये चिकित्सा सुविधा जन स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिये एक नेटवर्क बनाया गया है। बिल्डिंग बनाई गई है, स्टाफ रखा गया है और पूरी कोशिश होती है कि पूरे प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की देखभाल की जाय और उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाय।

इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जो स्वास्थ्य सेवा को देखते हुये पूरे प्रदेश में चलते रहते हैं। जैसे मान्यवर, क्षय रोग है इसे कन्ट्रोल करने के लिये कभी-कभी अभियान बनाया जाता है। जिससे क्षय रोग पूरे प्रदेश से खत्म किया जा सके, कम किया जा सके और इसका उपचार किया जा सके। इसके अलावा दृष्टिहीनता है इसके इलाज के लिये कार्यक्रम चलते हैं। मान्यवर, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और उत्तर प्रदेश में यह बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है।

इसके अलावा एड्स की बीमारी से प्रदेश के जागरूक लोग इससे परिचित हैं, इस पर निगाह रखने के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। तराई, ब्लाक में घेंघा के मरीज ज्यादा हैं उसकी रोकथाम के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(समय 3 बजकर 25 मिनट)

मान्यवर, बहुत बड़ा विभाग है, काफी कर्मचारी हैं और काफी ज्यादा अधिकारी हैं इस संबंध में अकेले हम बताते रहे तो काफी समय लगेगा। जब माननीय सदस्यों का मौका मिलेगा तो एक-एक करके जो उनके सुझाव होंगे, जो उनकी आलोचना और समालोचना होगी उसका हम उत्तर दे सकेंगे और यह कोशिश करेंगे कि जो आलोचना और समालोचना यहां पर आये उसे गम्भीरता पूर्वक हम लें और इसका लाभ सरकार उठाये और उसके जरिये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मिल सके। मान्यवर, परिवार कल्याण का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है और यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सौ फीसदी केन्द्र की सहायता से चलाया जा रहा है और इसको हम एक जन आंदोलन के रूप में ले रहे हैं।

हमारी दो तरह की कोशिशें हैं। एक तो प्रजनन की दर कम हो जाये और दूसरा जो नये दम्पति हैं वह भी सुरक्षित रहें, उनको कोई बीमारी न हो। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण योजना है और यहां बैठे हुये माननीय सदस्यों से अपील करता हूं और इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की आम जागरूक जनता से अपील करता हूं कि वह इसे सफल बनाने के लिये हमें मदद करें और सरकार का सहयोग करें। क्योंकि पूरे देश में उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है और वह परिवार खुशहाल नहीं रह सकता जिसकी आबादी ज्यादा हो और आमदनी का स्रोत कम हो इसलिये हर परिवार का यह दायित्व है कि वह अपना परिवार सीमित रखे तभी उस परिवार का विकास सम्भव हो सकता है। सरकार की कई योजनायें हैं जिसको कि हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और हम जागरूक लोगों से भी यह अपील करते हैं कि वे अपने तरीके से पूरे प्रदेश को समझायें जिससे आबादी पर कन्ट्रोल लग सके।

परिवार कल्याण के संबंध में माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिये तमाम ऐसी विधियां हैं जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, कापर टी, निरोध और ओरल पिल्स इसके जरिये वे अपने परिवार को नियंत्रित करें। एक नया तरीका निकला है अब तक पुरुष नसबन्दी आपरेशन के जरिये होती थी लेकिन अब बिना चीर-फाड़ के यह सम्भव हुआ है। पहले लोग फर्जी नसबन्दी डाक्टर से मिलकर करा लेते थे। लेकिन अब ऐसी नौबत नहीं आयेगी। जो पात्र होंगे उन्हें चीर-फाड़ करने की नौबत नहीं आयेगी।

इसके अलावा मान्यवर, इस वर्ष एक कार्यक्रम चलाया जायेगा, उसमें हमारी यहां पर उपस्थित माननीय सदस्यगण से प्रदेश की जनता एवं जागरूक लोगों से अपील है कि उसको सफल बनायें । वह कार्यक्रम है "आजीवन पोलियोमुक्त अभियान" । यह भारत सरकार के सहयोग से चलाया जायेगा । इसके जरिये वैक्सीन और दवा की खुराक दी जायेगी । यह कार्यक्रम एक ही तारीख में पूरे प्रदेश में, गांव-गांव, घर-घर चलाया जायेगा और तारीख पहले से निश्चित कर दी जायेगी । यह अभियान दो दिनों में होगा पहला 9 दिसम्बर, 1995 को और दूसरा 20 जनवरी, 1996 को । इस योजना को सफल बनाने के लिये हम उत्तर प्रदेश के नागरिकों से अपील करते हैं । इसके जरिये हम चाहते हैं कि पोलियो की बीमारी प्रदेश में न रहे । यह इतना बड़ा अभियान है कि जैसे माननीय सदस्य चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें पूरा जिला प्रशासन ऊपर से नीचे तक सारे लोग लग जाते हैं, ऐसे यह योजना है । दो दिन के लिये जिला प्रशासन की मदद से गांव-गांव और घर-घर जाकर के बच्चों को यह खुराक दी जायेगी । हमारा यह प्रयास होगा कि इस तारीख के आने से पहले हम इतना प्रचार कर चुके होंगे कि प्रदेश के सभी लोगों को इसकी जानकारी हो जायेगी और हमें इस अभियान में 100 फीसदी सफलता मिलेगी ।

मान्यवर, इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा में अनुदान संख्या 31,33 और 34 के जरिये मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में मेडिकल कालेज बनाये गये हैं और एक एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में बनाया गया है । प्रदेश में 7 मेडिकल कालेज हैं, जहां हम उच्च स्तर का इलाज करते हैं और मेडिकल स्टूडेन्ट्स को प्रशिक्षण देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, जिसके जरिये डाक्टर्स निकलकर, स्वास्थ्य विभाग को देखने के लिये मेडिकल केयर करने के लिये आगे बढ़ते हैं । आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर, झांसी इस तरह के 6 मेडिकल कालेज हैं, सातवां के0जी0 मेडिकल कालेज है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध है, इस तरह से सात मेडिकल कालेज हो गये । एक अलीगढ़ दूसरा बनारस में भी मेडिकल कालेज है, जो केन्द्र सरकार का है । इस तरह से मेडिकल कालेज के जरिये मेडिकल एजूकेशन और उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधायें देते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स की मेडिकल की पढ़ाई के लिये भर्ती करते हैं । भर्ती के समय हम अन्य पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी, अनुसूचित जाति के लोगों को 21 फीसदी और जनजाति के लिये 2 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करते हैं । उनमें हम आरक्षण की व्यवस्था करते हैं ताकि दबे, कुचले, पिछड़े वर्ग के लोग भी मेडिकल कालेजों में दाखिला लेकर और वहां से शिक्षा ग्रहण कर अच्छे डाक्टर बन सकें ।

प्राइवेट मेडिकल कालेज खोलने का प्राविधान भी किया गया है । अगर कोई प्राइवेट कैपिसिटी पर मेडिकल कालेज खोलना चाहता है तो उत्तर प्रदेश को केवल

उसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना होता है शेष कार्य केन्द्र सरकार के हाथ में होता है। चाहे प्रदेश सरकार के मेडिकल कालेज हों, केन्द्र सरकार के मेडिकल कालेज हों या प्राइवेट मेडिकल कालेज कोई खोलना चाहते हों, हमारा प्रयास है कि प्रदेश की जनता को चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिये। एस0जी0पी0जी0आई0 के जरिये हम लोगों को अधिक सुविधा प्रदान करते हैं। यहां पर देश और देश के बाहर के डाक्टर्स भी हैं। लगभग 20 विभाग इसमें हैं। न्यूरोलोजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलाजी, कार्डियोसर्जरी, नैफ्रियोलाजी, यूरोलाजी, गैस्ट्रो इन्टेस्टाइन, इन्डो-क्रिनोलोजी, जेनेटिक्स आदि विभाग यहां पर हैं, जिसमें अलग-अलग स्पेशलिस्ट हैं। प्रदेश के किसी भी कोने से कोई मरीज आता है तो हम उसे उच्च स्तर पर डाक्टर से दिखवाते हैं और उसी के अनुरूप उसे सुविधा देते हैं। मेडिकल कालेज से अधिक सुविधायें इस पी0जी0आई0 में दी जाती है।

मान्यवर, आयुर्वेदिक विभाग भी पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। इस समय 10 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हैं और यूनानी के दो कालेजेज हैं और अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजेज भी हैं। आयुर्वेदिक विभाग की ओर से यहां पर डाक्टर्स/स्टाफ नियुक्त हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति से यहां पर सुविधा दी जाती है। देहात से लेकर प्रदेश स्तर तक यह फैला हुआ है। होम्योपैथिक की भी सुविधा उपलब्ध है। होम्योपैथिक के भी 10 मेडिकल कालेजेज हैं। नगीना, मुरादाबाद, कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ में दो इलाहाबाद, जौनपुर आजमगढ़ तथा गाजीपुर में है। यह भी पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। डाक्टर्स/स्टाफ नियुक्त हैं। जो मरेज आता है, उसकी चिकित्सा यहां पर की जाती है।

अनुदान संख्या-70 के तहत विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट को मैंने यहां प्रस्तुत किया है। मान्यवर, पूरी दुनियां में साइन्स और टेक्नालोजी आगे बढ़ रही है और अपने हिन्दुस्तान में भी बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं टेक्नोलोजी आगे बढ़ रही है और सरकार भी इसके विकास के लिये सतर्क और सक्षम है इसे आगे बढ़ाने में रात-दिन वैज्ञानिक कार्यरत हैं। इस विभाग में बड़े पैमाने पर हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर लगे हैं। दो-तीन जगह मुझे भी देखने का अवसर मिला और ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश में इंजीनियर और विज्ञान में जो लोग कार्यरत हैं उनका हौसला बढ़ाया जाये तो दुनिया में वह नाम कमा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं।

श्री अधिष्ठता-

माननीय मंत्री जी कितना और समय लेंगे ?

*श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूं विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के लिये विभिन्न कार्यक्रम और योजनायें तीन संस्थाओं के माध्यम से चल रही हैं । विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद्, राजकीय वेदशाला नैनीताल, रिमोट सेसिंग अप्लीकेशन सेंटर । मान्यवर, वेदशाला की स्थापना 20 अप्रैल, 1954 को सबसे पहले बनारस में तत्कालीन मुख्य मंत्री डा0 सम्पूर्णानन्द जी की प्रेरणा से स्थापित की गई इसके बाद यह वेदशाला 1955 में नैनीताल स्थानान्तरित कर दी गई जो इस समय नैनीताल के मनौरा पहाड़ी पर है इसका उद्देश्य रातामण्डल और भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करना है । विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद् में पांच कार्यक्रम चल रहे हैं । जैसे शोध एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी विकास उच्चीकरण एवं स्थानान्तरण कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी संचार तथा जागरूकता एवं लोकप्रियता एवं नक्षत्रशाला सौर्य मण्डल ।

साइन्स और टेक्नोलोजी में रिमोट सेसिंग अप्लीकेशन सेंटर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है इसके जरिये हम प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, भूगर्भ जल का पता लगाना, वानकी पर्यावरण एवं मृदा तथा भूमि की उपयोगिता का अध्ययन होता है तथा पूरे देश में नगरीय संरचना का अध्ययन भी किया जाता है कि कहां पर बिल्डिंग है और कितना गैप है और बादलों का भी अध्ययन इसमें होता है । बादल कैसे हैं और किस दिशा को जा रहे हैं । कहां कब पानी बरसायेंगे इसका पता लगाया जा सकता है । भू-गर्भ जल का भी पता लगता है कि कहां किस मात्रा में जल उपलब्ध है । हिमालय के नीचे कितना बर्फ उससे कितना पानी बनने की सम्भावना है उसका पता लगाया जा सकता है । रिमोट सेसिंग अप्लीकेशन सेन्टर के जरिये से किसी क्षेत्र की विशेषता की जानकारी की जा सकती है इससे काफी लाभ उठाया जाता है । और उठा भी रहे हैं । भारत वर्ष और दुनियां के लिये बहुत उपयोगी विभाग है । इसके साथ एक और विभाग जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक वैकल्पिक ऊर्जा विकास विभाग । मान्यवर, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा एवं नवीकरण ऊर्जा कार्यक्रम का संचालन तथा क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय नीति के अनुरूप किया जाता है । इसका नाम है वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान । यह एक नोडला एजेन्सी है और उसी रूप में यह अपने काम को करती है । इसको नेडा (एन0ई0डी0ए0) के नाम से जाना जाता है । इसके जो कार्य हैं, वे हैं सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायो ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम लघु जल विद्युत ऊर्जा और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम ।

श्री अधिष्ठता-

अभी तो आपको उत्तर भाषण में भी बोलना है, कुछ उसके लिये रखें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं। मान्यवर, हमने लखनऊ के के0जी0 मेडिकल कालेज को तीन करोड़ रुपया उसे आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था हेतु देने का निर्णय किया है। साथ ही उसके दन्त संकाय के भवन निर्माण के लिये भी 75 लाख रुपया दिया जायेगा। कानपुर मेडिकल कालेज को अपने यहां ओपेन सर्जरी के लिये हृदय रोग संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिये 76 लाख रुपया दिया जायेगा और कानपुर स्थित जे0के0 कैंसर संस्थान में कोबाल्ट थेरेपी के लिये 80 लाख रुपया दिया जायेगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 40 शैय्याओं वाले 100 आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल खोले जायेंगे। 15 शैय्या वाले 16 आयुर्वेदिक व यूनानी अस्पताल खोले जायेंगे।

मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में ऐसे अस्पताल खोलने के लिये वरीयता दी जायेगी इसके अलावा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुवेट इंस्टीट्यूट में 10 लाख रुपये की लागत से नवीन होल्टर लेबोरेटरी संस्थान की स्थापना की जायेगी।

प्रदेश में खाद्य सामग्री में मिलावट तथा नकली एवं मिलावटी दवाओं के निर्माण की कड़ाई से प्रतिबन्धित करने के लिये खाद्य एवं औषधि नियंत्रण संगठन की स्थापना की जायेगी। लखनऊ स्थित सिविल अस्पताल में सम्पूर्ण शरीर के जांच हेतु एक सी0टी0 स्कैन प्लांट लगाया जायेगा। जनपद गोण्डा एवं लखीमपुर में जनजातीय ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही सारी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एक-एक सचल चिकित्सा इकाई स्थापित की जायेगी। विश्व बैंक की मदद से लखनऊ महानगर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पायलट परियोजना के तहत बलगम धनात्मक टी0वी0 रोगियों का इलाज किया जायेगा। फैजाबाद तथा बरेली में 500 शैय्या वाले बड़े अस्पताल बनाये जाने का निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जायेगी। इसके अलावा 13 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। 30 नये सी0एच0सी0 भवन और 47 पी0एच0सी0 भवन तथा 103 नये स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण भी इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

इसके अलावा मैं इस सदन में यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमें यह विभाग पिछले दिनों बहुत बिगड़ी हालत में विरासत के रूप में मिला है। पिछली तमाम सरकारों ने और खासकर पिछली सरकार ने इसे चौपट करने की पूरी जिम्मेदारी निभाई। हमारी अब कोशिश होगी कि इस विभाग को हम उत्तर प्रदेश की जनता के हित लायक बना सकें और अगले दो माह में ही ऐसा बनाकर दे दें कि उत्तर प्रदेश के बीमार लोग उसकी सराहना करें और जो न बीमार हों वह भी इसकी सराहना करें।

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश के चाहे बड़े स्तर के अधिकारी हों, छोटे स्तर के अधिकारी कर्मचारी हों, कहीं न कहीं पर अनियमितता और भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। मैं इस सदन में यह साफ कहना चाहता हूं कि ऐसी अनियमितताओं के खिलाफ और ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बातें मुझे बताई गईं, उसमें हमने एक्शन लिया है और जो मेरे संज्ञान में नहीं था, उसको हमने पता करने की कोशिश की है। बड़े अधिकारी लेबिल की टीम बनाकर प्रदेश में जगह-जगह पर छापे डलवाये। इन छापों के बाद जहां कहीं कोई अनियमितता करप्सन और भ्रष्टाचार नजर आया हमने अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह से इस बात को सदन में फिर से प्रतिज्ञा के रूप में दोहराना चाहता हूं कि आइन्दा से प्रदेश में इस विभाग की बिगड़ी हालत को सुधारने में हम कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। वह गलत काम करने वाले, करैप्सन, भ्रष्टाचार अनियमितता करने वाले हमारे कोई खास हों, माननीय सदन के किसी सदस्य के खास हों कोई लाग लपेट नहीं रखी जायेगी।

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हमको काम करने दें। अगर आप अपने माफिक होशियार डाक्टर चाहते हैं तो मेरे से यह काम नहीं हो पायेगा। आपसे सलाह लेना जरूरी है। कहीं पर कोई गलत काम होता है तो उसके बारे में आपसे सलाह लूंगा। कहीं कोई अच्छा काम करता है तो आपसे सलाह लूंगा। सूझ-बूझ के काम के लिये सलाह लेना जरूरी है। मेरिट का काम करने वाले डाक्टरों और अधिकारियों की सराहना होनी चाहिये जो मेरिट के अनुसार काम न करें उन्हें सजा मिलनी चाहिये। इस संबंध में माननीय सदस्यों का सहयोग भी चाहूंगा। इसके अलावा मुझे यह भी साफ करना है कि पूरा प्रदेश अगर बिगड़ा है तो दो तरह की हरकतें करने से बिगड़ा है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है। एक तो पता नहीं कब से एक पद आर0डी0एम0ओ0 का निकला। मैंने जब पता किया तो पता चला कि पहले जी0ओ0 निकला था। कोई जी0ओ0 हुआ होगा। किसी डाक्टर को किसी जिले में हेड क्वार्टर पर एडजेस्ट करना होता है तो एक पद आर0डी0एम0ओ0 का निकाल दिया जाता है। किसी के रिश्तेदार को एडजेस्ट करने के लिये पद सृजित किये गये हैं। हमारा प्रयास है कि आगे आने वाले दिनों में आर0डी0एम0ओ0 जैसे पदों पर नियुक्ति पर रोक लगायी जायेगी। इसको बढ़ावा नहीं दिया जायेगा।

एक बात और मैं इस सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में ऐसे तमाम डाक्टर्स हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं कोई 10 साल से, 12 साल से, 8 साल से। सरकारी नौकरी की तनख्वाह लेते हैं और बाजार में कोई अड्डा बनाकर

प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। यह बात मैं पहले भी जानता था और इस विभाग को बतौर स्वास्थ्य मंत्री देखने का मौका मिला है। हमने शपथ लेने के कुछ दिनों बाद स्पष्ट कर दिया था कि सरकारी डाक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त होने के कारण सरकारी काम बिगाड़ रहे हैं और ऐसे डाक्टर्स जब उनका ट्रान्सफर होता है किसी और जगह तो वह कोर्ट से स्टे ले आते हैं। यह सिलसिला अभी भी चल रहा है। मैं इस सदन के जरिये, माननीय सदस्यों के जरिये पूरे प्रदेश के डाक्टर्स तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि अब यह दोहरा रवैया नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के डाक्टर्स को तय कर लेना चाहिये कि प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है या नौकरी करनी है। दो में से एक तय कर लें, नौकरी छोड़ना चाहें छोड़ दें।

प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें पूरी छूट है। उनको तय करना है।

पहले चरण में मैं चाहूंगा जो डाक्टर्स अस्पताल में ड्यूटी करते हैं चाहे वह अस्पताल छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जिले के मेडिकल कालेज हों, चाहे जिला अस्पताल हों जो डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस से समय निकालकर राउन्ड करते हैं उनके लिये तय कर लिया है आज के दिन से तय कर लिया गया है कि राउन्ड सिस्टम को बदलेंगे। राउन्ड के बाद वह प्राइवेट प्रैक्टिस के अड्डे पर न जाये, घर न जांय और अस्पताल में ही बने रहें यह तय किया गया है। सुबह डाक्टर जब अस्पताल आये तो दो बजे तक उन्हें अस्पताल में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। अपने द्वारा भर्ती मरीजों की देखभाल उनको करनी है। इसके अलावा 24 घण्टे में जब भी उनको बुलाया जायेगा वह पहुंचेगे। दृढ़ संकल्प के साथ इसको हम माननीय सदन में रख रहे हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

मैं आभारी हूं कम समय में मैंने अपनी बात रखी है मैं उम्मीद करता हूं कि इस माननीय सदन के माननीय सदस्य अपने सुझाव रखेंगे, आलोचना करेंगे समालोचना करेंगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि विरोध की भावना से वह ऐसा कर रहे हैं। वह जो सुझाव देंगे, वह हमारी कार्यपद्धति में हितकर होंगे। सरकार के लिये हितकर होंगे। और उनको देखकर हम उत्तर प्रदेश की जनता के हित में कार्यक्रम तैयार करेंगे। आपके सुझाव से उत्तर प्रदेश की आवाम को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र सिंह -

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) चिकित्सा के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा मेरा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा मेरा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा मेरा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा मेरा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा मेरा सुझाव देना।

मान्यवर, स्वास्थ्य हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। और इस समाज में चाहे कोई व्यक्ति हो, या समाज हो उसकी अच्छाई का पैमाना उसका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की कल्पना भारत के इतिहास में प्राचीन काल से पांच हजार वर्ष पहले जब वेदों की रचना हुई थी। वेदों के ऋषियों ने कल्पना की थी कि हम 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जियें। जीवेन शरद : शतम। हमारे सारे सुखों का आधार स्वास्थ्य है। भारत में स्वास्थ्य की बड़े व्यापक शब्दों में व्याख्या मिलती है। शारीरिक, प्राणिक एवं मानसिक स्वास्थ्य हमारे यहां स्वास्थ्य की सर्वांगीण कल्पना है। इस कारण से वही समाज एक मजबूत समाज है जिसके व्यक्तियों का, जिसके बच्चों का, जिसकी महिलाओं का अच्छा स्वास्थ्य हो।

हमारे मंत्री जी बड़े विद्वान सदस्य हैं। मैंने इनके विचारों को गम्भीरता से सुना। लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई सुनकर यह जिस प्रकार दावा करते हैं कि यह दलितों, कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों की सरकार है तो मैंने सोचा कि इसमें इन वर्गों के लोगों के लिये कोई प्राविधान होगा। मुझे बड़ी आशा थी कि यह पिछड़े वर्ग से आये हैं मैं समझता हूं कि इस बार लोक कल्याणकारी बजट हमारे सामने रखा जायेगा, लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई। अधिष्ठाता महोदय, आपको तो बहुत लम्बे समय तक इस विधान सभा में बैठने का अवसर मिला है। हमें जो पुस्तिका व साहित्य मिला है। दो पुस्तकें मिली हैं। स्वास्थ्य समीक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें और दूसरी पुस्तक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 1995-96 चिकित्सा दिग्दर्शन परफार्मेंस, दोनों किताबें आप देखें जो सदन में रखी गई हैं। एक-एक शब्द, कामा व फुल स्टाप एक भी शब्द चेंज नहीं किया गया है। इतना बड़ा विभाग है, हमारे प्रमुख सचिव विद्वान हैं। मैं उनको तब से जानता हूं जब से वह हमारे क्षेत्र में एस0डी0एम0 रहे हैं। उनके हस्ताक्षर भी हैं। एक शब्द भी इस पुस्तक जिसमें 103 पेज हैं एक में 158 पृष्ठ हैं। 1994-95 से 1995-96 में बदल दिया गया। सौभाग्य से पहले काण्डपाल जी प्रमुख सचिव थे अब श्री आर्य साहब प्रमुख सचिव हैं। इसलिये "करती" की जगह "करते" हो गया है।

इतना बड़ा विभाग इसमें 17-18 निदेशक हैं। प्रमुख सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, उप सचिव हैं किसी ने भी माइन्ड अप्लाई नहीं किया। किसी ने पूरी नकल उतार दी। अभी हमारे मंत्री जी प्रमुख सचिव की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसके बारे में निर्देश निश्चित रूप से दे दें। यह 14 करोड़ जनता का घोर अपमान है। इतना बड़ा बजट हम लोग पास करने जा रहे हैं। यह विभाग डिजर्व नहीं करते हैं।

किसी भी समाज के अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण यह है कि वहां पर जनसंख्या पर कितना कन्ट्रोल किया गया है। फेमिली प्लानिंग इतना बड़ा विभाग है। बड़ा लम्बा चौड़ा आंकड़ों का बजट है। मान्यवर, कितनी तेजी से इस देश की/प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, उसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की ही एक पुस्तक है, उसके आंकड़े मैं अभी बताऊंगा। मान्यवर, मुझे भी 1977 से अनेक वर्ष इस माननीय सदन में बैठने का अवसर मिला है। मान्यवर, राज्य नियोजन संस्थान की एक पुस्तक है, इस पुस्तक के कुछ आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे यहां 3-4 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 30 प्रतिशत है और 16 वर्ष तक की आयु के 40 प्रतिशत बच्चे हैं। बच्चों का भविष्य इस देश का भविष्य है। मातायें अगर स्वस्थ्य हैं तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे और बच्चे स्वस्थ होंगे तो देश का भविष्य बनेगा।

मान्यवर, परिवार कल्याण का विभाग इस गरीब देश के लिये अत्यन्त महत्व का विभाग है, इसके आंकड़े देखें । मान्यवर, जितना हर वर्ष किसी चीज का लक्ष्य रखा जाता है, उससे ज्यादा उपलब्धियां बताई जाती हैं । मुझे भी यहां अनेक बार स्वास्थ्य विभाग पर डिवेट सुनने का अवसर मिला है । मान्यवर, 14 करोड़ की हमारे उत्तर प्रदेश की पापुलेशन है और जितना झूठ परिवार कल्याण विभाग में बोला जाता है, जितने झूठ आंकड़े दिखाये जाते हैं और माननीय मंत्री जी से लेकर नीचे तक और उपकेन्द्र तक, सबके सब अधिकारी जानते हैं, इस बात को । मैं माननीय मंत्री जी की सरकार के जो आंकड़े हैं, उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । अगर किसी प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को देखना है तो वहां की मृत्यु दर और जन्म दर को देखना पड़ेगा, दोनों चीजों में हमारा प्रदेश पूरे भारत से आगे है । बच्चे पैदा करने में सबसे आगे है, मृत्यु दर में भी सबसे आगे है । प्लानिंग विभाग की जिस पुस्तक का हवाला दिया गया, उसी के कुछ आंकड़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जन्म दर प्रति हजार उत्तर प्रदेश की शहरी क्षेत्र में 28.3 और पूरे भारत की 24.1 इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश में 36.7 और पूरे भारत की 30.8 इतनी तेजी के साथ श्रीमन् हमारे प्रदेश में फैमिली प्लानिंग चल रहा है । अब श्रीमन् मृत्यु दर देख लें । शहरी क्षेत्र की प्रदेश में 8.0 और पूरे भारत की 7.0। ग्रामीण क्षेत्रों की 11.8 और पूरे भारत की 10.5 इस प्रकार मृत्यु दर शहरी और ग्रामीण में 50 प्रतिशत का अन्तर प्रति हजार में 8 और 11.8 है । अब मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि यह आंकड़े इसी सरकार के हैं और मुझे तो आंकड़ों पर भी सन्देह है, 14 करोड़ की आबादी का इतना बड़ा प्रदेश आज पापुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति में है । इस प्रदेश में कभी कोई विकास दिख ही नहीं सकता क्यों कि सारे विकास को हमारी पापुलेशन खा रही है, यह विभाग इतना निकम्मा विभाग है, इनके इतने अच्छे-अच्छे अफसर हैं जिन्होंने "क" को बदलने तक की जहमत नहीं उठाई ।

मैं श्रीमन् बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारा देश वैसे ही गरीब है और उस गरीब देश में, यह उत्तर प्रदेश और भी ज्यादा गरीब व दयनीय स्थिति में हैं । मान्यवर, हमारे मंत्री जी अभी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं इसके पहले दूसरे विभाग के मंत्री थे । मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग नागरिकों से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है । माननीय मंत्री जी को इस थोड़े समय में स्थिति को बताना चाहता हूं । मैं ठीक से परसेंट नहीं निकाल पाया हूं क्योंकि मेरी गणित कमजोर है लेकिन मैं मंत्री जी को बताऊंगा कि उनके दावे कितने खोखले हैं । टोटल बजट 3234 करोड़ रुपये का जिसमें से 6 करोड़ रुपये साइंस और टेक्नालाजी के लिये है । सबसे बड़ा बजट । अरब 41 करोड़ एलोपैथी का है । इस बजट का

80 प्रतिशत हिस्सा तो तनख्वाहों, भत्तों आदि में चला जाता है और बाकी बचता है 20 परसेंट। इस 20 परसेंट में रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी तथा मुनाफाखोरी शामिल है। आप खुद ही सोच लें कि कितना प्रतिशत गरीब जनता को जाता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सब सेंटर्स से लेकर, जिला स्तर के अस्पताल तक, यहां संजय गांधी संस्थान तक गरीब आदमी को कहीं कोई दवाई नहीं मिलती है। सारे फंड्स को यह डिपार्टमेंट खा रहा है। गरीब आदमी पर्चे लेकर बाहर से दवाइयां खरीद रहा है।

आप किसी हास्पिटल की जांच करें, गरीब दुकान से दवाइयां खरीदता है, उसको एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरीन टेस्ट सब बाहर से कराने पड़ते हैं। मैं इसी संदर्भ में मेरठ मेडिकल कालेज की बात कहूंगा वहां पर वार्ड के वार्ड खरी पड़े हैं। कोई आदमी उसमें भर्ती नहीं है केवल भिखारी लोग उसमें पड़े हैं। इसके अलावा मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह स्वास्थ्य सेवायें हैं जिनका मंत्री जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है और बड़े गर्व के साथ अपनी उपलब्धियां उन्होंने गिनाई हैं। श्रीमन्, इस विभाग की सबसे छोटी इकाई उपकेन्द्र है। पिछले लम्बे अर्से से मेरा जनता के संबंध रहा है। सन् 77 में मैं विधान सभा में आता रहा हूं। आप किसी उप केन्द्र को देख लें, वहां न तो ए0एन0एम0 है, न बेसिक हेल्थ वर्कर है, न दाई है, गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों की देखभाल करने के लिये कोई उपलब्ध नहीं होता है। डिपथीरिया, गलघोटूं आदि बीमारियों की रोकथाम करने के लिये वहां पर टीकों की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की जो फाउन्डेशन स्टोन है, जो बेसिक इकाई है उसकी हालत आज दयनीय है। (लाल बत्ती होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जितना विद्वतापूर्ण बजट है उतना विद्वतापूर्ण कटौती का प्रस्ताव रखा जा रहा है। माननीय सदस्य का समय न काटें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने उन्हें संकेत किया है कि इम्पारटेंट बिन्दुओं को जल्दी रखने की चेष्टा करें।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। मैं लोक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसका काफी बड़ा बजट है और महत्वपूर्ण यह विभाग है। अगर सचमुच में रोगों की रोकथाम की जाय तो जो इतना बड़ा बजट रखा गया है उसकी आवश्यकता न पड़े। लेकिन मान्यवर, जो ऐसी बीमारियां हैं, पीलिया, गैस्ट्रोएनटाइटिस, हैजा और टी0बी0 है और जो मान्यवर, एक तरह से जिन पर प्रेवन्टिव मेजर्स लेने से,

मैंने देखा उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। जिले में बैठे हुये सी0एम0ओ0 और डिप्टी सी0एम0ओ0 हैं, उनके सेवायें करते रहो और फिर किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। वह लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और रोगी को अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में दाखिल कराते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में जांच बैठायेंगे तो पता चलेगा कि उनका जिला कैसे चल रहा है।

अब मैं थोड़ा मेडिकल कालेज के बारे में बताना चाहता हूं। और विशेष रूप से अभी हमारे एक साथी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने मेडिकल कालेज की चर्चा की और वहां पर एक नौजवान की मृत्यु की बात कही। बहुत दुखद घटना थी। इतना रुपया खर्च होता है फिर भी लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है। 8-9 मेडिकल कालेजेज हैं और लखनऊ तो हमारा प्राइम इस्टीट्यूशन है वहां की हालत बड़ी खराब है। बहुत गन्दगी रहती है अगर आप वहां के टाइलेट में चले जायं तो बीमार क्या भला चंगा आदमी भी बीमार हो जायेगा, कोई उसमें घुस नहीं सकता है। पता नहीं लोग कैसे रह रहे हैं? तमाम दवाओं के पैसे देने पड़ते हैं और आपरेशन के लिये अलग से देना पड़ता है इतना बड़ा बरडन हो गया है और लोगों ने जो आशायें लगाई थीं वह नहीं रही हैं। मैं मेरठ को देखता हूं वार्ड खाली पड़े हैं। किसी प्रकार का कोई साधन वहां पर नहीं है। मैं मेडिकल कालेज के स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर स्टाफ की कमी है और नई भर्ती की नहीं जा रही है, डाक्टर कोई समय पर नहीं जाते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस के लिये सभी के नर्सिंग होम बने हैं। लाइब्रेरी में कोई डाक्टर जाता ही नहीं है। उनको वहां पर जाने की फुरसत ही नहीं है। अब एक बात और कहना चाहता हूं कि मेडिसिन जैसे विभाग में जीरो परसेंट मेरिट सेलेक्शन में लोग आते हैं तो बहुत भारी अन्याय हो रहा है।

मान्यवर, एक केस को मैंने देखा कि एक रिजर्व कोटे का डाक्टर था उसको इन्टरवीनस इंजेक्शन लगाना था उसने कई जगह देखा और उसके बाद इंजेक्शन को कंधे में लगा दिया। इससे उसका पूरा कंधा गल गया और वह मरने से बचा। उसे मेरठ के प्रसिद्ध डाक्टर के पास लाया गया तब जाकर उसकी जान बच पाई। मामला कोर्ट में गया। डाक्टर ने माफी मांग ली। तो अगर जीरो परसेंट मेरिट वाले लड़कों को मेडिकल साईंस में प्रवेश देंगे तो यह बहुत बड़ा अन्याय हो जायेगा। आप इनकी परसेन्टेज बढ़ा दीजिये, आप तो जीरो परसेंट मेरिट वाले विद्यार्थियों को लेकर जिन्दा को मारने का सार्टिफिकेट दे रहे हैं और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।

मान्यवर, फंड के बारे में कहना चाहता हूं। फंड बड़े इनसफीसिएंट हैं और इनइक्वीटेबिल मिलते हैं। लखनऊ मेडिकल कालेज से बहुत कम हमारे मेरठ मेडिकल

कालेज को मिलता है । मेडिकल कालेज के शौचालय तो जिन्दा नर्क है अगर आपको नर्क देखना है तो किसी मेडिकल कालेज के शौचालय को देख लें वहां आदमी घुस नहीं सकता है । मेरे यहां के मेडिकल कालेज के एक प्रोफेसर को पद्मश्री मिला है और उनके गायनकी वार्ड से 3 बच्चे कुत्ते उठा ले गये और आपका विभाग उनको पद्मश्री दे रहा है । सभी मेडिकल कालेजों में मरीज को दवायें बाहर से लेनी पड़ती हैं । एड्स का सेन्टर है वहां बोतलों में पानी रहता है और जो ब्लड बैंक है वहां एड्स का टेस्ट नहीं होता है । इनके जितने उपकरण हैं सारे खराब हो गये हैं । दिल्ली में मैंने खुद आंखों से देखा है कि वहां उपकरण मरम्मत की सी0एस0आई0आर0 में पड़े हुये हैं । जितने टेस्ट हैं वह आपको बाहर से कराने पड़ेंगे, अलग से डाक्टर को फीस देनी पड़ेगी । मेरा निवेदन है कि मेडिकल एजूकेशन दयनीय स्थिति में है उस पर विचार होना चाहिये । यहां पर जो सम्मानित डाक्टर विधायक हैं उनकी समिति बनाकर इसकी जांच करायें एक-एक मेडिकल कालेज के लिये जनता की गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा धन इस विभाग के लिये बिल्कुल व्यर्थ में जा रहा है । लोग अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में लगे हुये हैं । गरीब आदमी भी आज वहां न जाकर अधिक पैसा देकर दिखाना पसन्द करता है । मान्यवर, मेडिकल कालेज में वही लोग जा रहे हैं जिनका या तो वहां के डाक्टर से मेलजोल है या इतने निर्धन हैं कि पैसा देने में असमर्थ हैं ।

मान्यवर, लोक स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर दो चीजें हो जाय लोगों को शुद्ध पानी मिल जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

आपको 25 मिनट हो गये हैं और भी बहुत से माननीय सदस्य आपको सुझाव देना चाहते हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं समाप्त करना चाहता हूं फूड एडल्ट्रेशन के बारे में यह जो आपके सेनेटरी इन्सपेक्टर थे फूड इंसपेक्टर इनको आपने कर दिया ये सिर्फ माह में एक बार वसूली करने जाते हैं मिठाई वाले से मावे वालों से गांव की गन्दगी से, और शहर की गन्दगी से इनका कोई काम नहीं है । जितने आज डाक्टर हैं सब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवाइये नहीं तो हमारे राजकीय अस्पतालों का सुधार हो ही नहीं सकता । इसके अलावा श्रीमन् जो मेडिसिन्स का क्वालिटी कंट्रोल है वह बहुत खराब स्थिति में है और जितनी भी बनावटी दवाईयां बन रही हैं वह सारी अस्पतालों में जा रही है और उनकी अच्छी दवाईयों के दामों के रूप में वसूली होती है । मान्यवर, पी0एच0सी0 पर एम्बुलेन्स नहीं है ।

(समय 4 बजकर 25 मिनट)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नरेन्द्र सिंह जी आप बाद में अपनी बात रख लीजियेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, जो मेडिकल सार्टिफिकेट बनाये जाते हैं। सारे फर्जी सार्टिफिकेट बनाये जाते हैं। धारा 323, 324, 325, 302 के चाहे जो कहें बनाने को वे तैयार रहते हैं, इतना डाक्टर्स का नैतिक स्तर अब गिर गया है। ऐसे-ऐसे चोटें बना देते हैं चोट लगी है, 18 सेमी0 की सिर में चोट है लिख दिया इनसाईड इन्जरी उसकी गहराई क्या होगी इससे कुछ लेना देना नहीं तो उसमें होता क्या है कोर्ट से स्ट्रीक्चर पास हो रहे हैं अपील में छूटकर साफ बाहर आ रहे हैं लोग। तो मेरा कहना है इसमें कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये और ऐसे सार्टिफिकेट की जांच भी होनी चाहिये।

मान्यवर, इस विभाग में आप नये मंत्री हैं मैं मंत्री जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। दो महीने की ये शिशु सरकार है यहां पर शिशुओं की मृत्युदर बहुत ऊंची है, डिपथिरिया के टीके, गलघोटूं के टीके यह सब इनके पास हैं। (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर इशारा करते हुये) कोई जरूरी नहीं है कि आगे आप को दवाइयां देंगे या नहीं देंगे। पता नहीं कब शिशु का दम निकल जाये।

श्री रंगनाथ मिश्र-

इन्हीं दवाओं के अभाव में कांग्रेस की दुर्गति हुई है।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मेडिकल कालेज वालों ने तो स्टे ले लिया है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो जिला अस्पतालों से जुड़े डाक्टर हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करा दी जाये। उससे जनता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। दूसरे मेडिकल कालेज और जो अन्य अस्पताल हैं उनकी हड़ताल पर सख्ती से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में डाक्टरों का अभाव है वहां कोई नहीं जाना चाहता है। जो पैसे वाले डाक्टर हैं दो महीने में ही वहां से वापस आ जाते हैं। श्रीमन् गांवों में डाक्टरों को भेजा जाय और उनसे कहा जाये कि गांव के लोगों की सेवा कीजिये। गांवों की पी0एच0सी0, सब सेन्टर तो समाप्त ही है। कम्युनिटी हेल्थसेंटर में इन डाक्टरों की हाजिरी नहीं है। नर्सिंग होम पर कोई न कोई कानून बनाकर विभाग को प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। लोगों की इससे मनचाही लूट हो रही है। मुझे तो अपने नगर का पता है। हर साल 10-15 नर्सिंग होम बन रहे हैं कोई प्रतिबन्ध ऐक्ट बनाकर, करें कैसे ऐक्ट हैं नर्सिंग होम ऐक्ट उसी को सख्ती से लागू करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय नरेन्द्र सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि उत्तर के समय के लिये अपने को रोक लें।

श्री नरेन्द्र सिंह-

मोबाइल यूनिट्स के बारे में कहना था, लेकिन मान्यवर, आपका आदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(व्यवधान)

*श्री चन्द्र किशोर-

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ सहयोगी दल के नाते स्वास्थ्य बजट पर बल देते हुये उसका समर्थन करता हूं और जनपद महराजगंज की तरफ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे जनपद को बने 6 वर्ष हो रहे हैं जनपद में अभी पी0एच0सी0 से काम चल रहा है वहां जिला अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। जनपद के काफी लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों का अभाव रहता है। जिले में 26 पी0एच0सी0 केन्द्र हैं। वहां डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। मैं मांग करूंगा कि वहां हर पी0एच0सी0 में डाक्टर नियुक्त किये जायें और हर केन्द्रों में दवायें उपलब्ध कराई जायें और साथ ही साथ विकास खण्ड मिठौरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाये। कोटाहा में भी एक पी0एच0सी0 केन्द्र खोला जाये यह मैं मांग करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राजबली यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इसका ताल्लुक गरीबों से ज्यादातर होता है और उन्हीं गरीबों को दवायें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो उसकी व्यवस्था की जाये। मान्यवर, आज जो व्यवस्था है, गांव में पी0एच0सी0 में डाक्टर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, सब सेन्टर्स में कोई नहीं है जिलों की हालत तो और भी ज्यादा बदतर है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र आजमगढ़ की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछली बार जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा काटकर अपने क्षेत्र सैफई में और इटावा में लगा दिया था, और उनके चहेते बेनी प्रसाद वर्मा जी ने अपने क्षेत्र बाराबंकी में लगा दिया था। अधिकारियों को यह लगा कि जैसे इटावा में, सैफई में और बेनी प्रसाद वर्मा जी ने बाराबंकी में खर्च किया उसी तरह से बलराम यादव जी ने भी आजमगढ़ में खर्च किया होगा लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों ने बड़ी जद्दो जहद करके एक महिला अस्पताल खुलवाने की स्वीकृति ले ली थी और वह अस्पताल बन भी रहा था वहां पर एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी है।

मान्यवर, जो वहां पर एक सदर अस्पताल है आजमगढ़ का वह गुण्डों के क्षेत्र में पड़ता है। माफिया सरगना वहां पर रहते हैं, गरीबों और शरीफों को वहां पर दवा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उपलब्ध नहीं हो पाती है। सुबह 7.00 बजे उठते ही दातून करते वे वहां पर चले जाते हैं और चाय भी वहीं पर पीते हैं और डाक्टर्स को डरा धमकाकर एल0पी0 करा लेते हैं। उस दवा को बेचकर जो पैसा मिलता है उसकी वे शराब पी जाते हैं। मान्यवर, वहां पर हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्घटनायें हुई हैं। उनकी इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं रह गयी है इसी भावना को लेकर हम माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी से मिले भी थे और माननीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री वहां पर गये थे। वहां पर चार महिलायें ही खाट पर थीं। मान्यवर, वहां पर कोई दवा कराने नहीं जाता है जो बीमार होता है वह प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं। गरीब लोग अपने जेवर बेचकर खेत, बेचकर अपनी गर्भवती पत्नी को डिलवरी के लिये प्राइवेट नर्सिंग होम जाते हैं। कोई भी अस्पताल में नहीं जाता है। वहां पर एक महिला अस्पताल राहुल महिला अस्पताल बन रहा है जो कि शहर के बीच में है और वहां पर एक आयुर्वेदिक अस्पताल भी है वह महिला अस्पताल सौ शैय्याओं का है और छोटे-छोटे बच्चों के लिये 20 बेड का अस्पताल बन रहा था उसका पैसा व नगर की सफाई का पैसा और भी पैसा जो कि लगभग 2 करोड़ रुपया बनता है उसको वापस लेने के आदेश हो गये। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस पैसे को वापस किया जाये अगर पैसा वापस न हुआ तो काम रुक जायेगा, मैं खुद डरा हुआ हूं। लोग अभी से यह कहना शुरू कर दिये हैं कि आपकी सरकार ने काम बन्द कर दिया। मुझे पता चला है कि पैसा वापस हो रहा है। हमारे ब0स0पा0 के लोग लगे थे। जो 20 बेड वाला राहुल महिला चिकित्सालय में बच्चों का अस्पताल है उसको हटाने की बात चल रही है, उसको न हटाया जाये। इसके साथ ही बच्चों का 20 बेड का अस्पताल बन रहा है, उसको पैसा देकर पूर्ण कराया जाय।

मेरे जिले से लगा हुआ गाजीपुर जिला है वहां ब्लाक वाराचवर में मात्र दो डाक्टर हैं, कम से कम एक महिला डाक्टर को वहां अवश्य भेज दें। वैसे ब्लाकों की हालत हर जगह खराब है। वाराचवर में पी0एच0सी0 है लेकिन वहां एक भी बेड नहीं है, इसलिये कम से कम 30 बेड की व्यवस्था माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को करनी चाहिये ताकि वहां की गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके। मान्यवर, तहबरपुर पी0एच0सी0 में कोई महिला डाक्टर नहीं है, वहां पर महिला डाक्टर की व्यवस्था होनी चाहिये। आजमगढ़ जो कि पिछड़ा जिला है और जितनी मात्रा में पी0एच0सी0 होनी चाहिये उतनी पी0एच0सी0 नहीं है। इसलिये कोहिनहां में एक पी0एच0सी0 बननी चाहिये। मेरे क्षेत्र तहबरपुर में एक पी0एच0सी0 है, जो कि लगभग 29 किलोमीटर के एरिया में अकेला है, जिससे यदि किसी मरीज की गम्भीर स्थिति हो

तो वह समय से अस्पताल भी नहीं पहुंच सकता है इसलिये मान्यवर, मेरे क्षेत्र में कम से कम 2 पी0एच0सी0 और खुलने चाहिये जिससे लोगों को, गरीब जनता को चिकित्सा सुविधा से लाभ मिल सके। मान्यवर, आयुर्वेदिक अस्पताल का जो 58 लाख रुपया, नगरपालिका के सड़कों के रख-रखाव के लिये 17 लाख रुपया और जो बन्धे का पैसा है उसको वापस किया जाये और बच्चों को जो 20 बेड का अस्पताल है, उसको शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका पुरजोर समर्थन करते हुये कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(श्री जगदम्बिका पाल जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने सत्य प्रकाश विकल जी को बुला लिया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

हम आपके आभारी हैं कि आपने अपने पड़ोसी का ध्यान रखा।

श्री अधिष्ठाता-

हमें दुख है कि आपने मुझे अपना पड़ोसी नहीं समझा।

श्री सत्य प्रकाश विकल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं, विशेष रूप से इसलिये कि पिछली सरकार ने जिस दुरव्यवस्था में, जिस दुर्दशा में और जिस बर्बादी की हालत में प्रदेश को छोड़ा, उस स्थिति में जितना अच्छा संतुलित बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है इससे बेहतर नहीं हो सकता है। मान्यवर, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा है और मैं भी कहना चाहूंगा कि इस सरकार को दो महीने हुये हैं, इसलिये यह सन्तोष करने की बात नहीं है कि जो हालत उन्होंने पायी है, उसमें यह सोचना होगा कि किस प्रकार से इसको ठीक करेंगे। पहली बात की शुरुआत इस बात से करूंगा कि अभी कुछ दिन पहले माननीया मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी अपने एक मरीज को देखने कानपुर मेडिकल कालेज गयी थीं, वहां की दुरव्यवस्था को देखकर वह बहुत नाराज हुईं, उन्होंने वहां के अधीक्षक को बुलाकर डांटा और 10 दिन का समय दिया कि अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो सस्पेंड कर देंगे। कमियां यह थीं कि जाले लगे थे, गन्दगी थी, बदबू आ रही थी तथा सीलन थी।

मान्यवर, कानपुर महानगर में मेडिकल कालेज की जब यह हालत है तो प्रदेश के छोटे-छोटे शहरों में अन्य नगरों के अस्पतालों की हालत क्या होगी? यह आसानी से समझा जा सकता है हमारे अनेक वक्ता इन बातों पर बोलेंगे कि दवाई, बैन्डेज, पट्टी और दवायें उपलब्ध नहीं हैं, इन बातों की सुधार के लिये बजट में प्रावधान करना

होगा। और इस बात का अनुश्रवण करना होगा कि किस प्रकार से इन चीजों में सुधार हो। जब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आगरा की ओर ले जाना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र दो मेडिकल कालेज हैं। इटावा से लेकर देहरादून तक 400 किलोमीटर दूरी के बीच में केवल एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा तथा मेरठ मेडिकल कालेज हैं। प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों की तुलना में सबसे ज्यादा उपेक्षा इन मेडिकल कालेजों की हो रही है और इन्हें पैसा भी कम आवंटित किया जाता है।

इस देश की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान योद्धा सरोजनी नायडू के नाम से यह मेडिकल कालेज है। यहां पर आपको न डाक्टर्स मिलेंगे और न ही इमरजेंसी में मरीजों को देखने वाला कोई मिलेगा। इसी संबंध में यहां पर दो प्रश्न हुये थे और सरकार ने एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के पोस्ट-मार्टम विभाग की बदतर हालत को स्वीकार भी किया था। यहां पर गाइनिक वार्ड का जो प्राइवेट वार्ड है, वह जर-जर अवस्था में पहुंच गया है यह भी सरकार ने माना। इस गायनिक विभाग में या तो आसन्न प्रसवा महिलायें जाती हैं या फिर संध्य प्रसूता महिलायें जाती हैं, यदि उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाय तो ऐसी स्थिति में कौन मरीज वहां पर जायेगा? इसलिये माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें। आज प्रदेश में टी0बी0, प्लेग व मलेरिया जैसी बीमारियां पुनः वापस आ गई हैं हृदय रोग और कैंसर की जानलेवा बीमारी बढ़ रही है। आगरा मेडिकल कालेज में एक हार्ट केयर यूनिट है। इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हृदय रोगियों के लिये कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर भरोसे से वह अपना इलाज करा सकें। जिस कारण उन्हें दिल्ली, वेल्लूर, बंगलौर भागना पड़ता है। इस मेडिकल कालेज के हार्ट केयर यूनिट में जो सी0सी0यू0 उपकरण हैं, वह बहुत पुराना हो गया है जो अब काम नहीं कर पा रही है लेकिन इससे भी बुरी हालत यह है कि वहां पर न तो नर्सिंग स्टाफ है, न ही टैक्नीशियन्स हैं और न ही रेजीडेन्सियल स्टाफ है। इधर-उधर के विभागों से लोगों को लाकर हार्ट केयर यूनिट में काम लिया जा रहा है। एक प्रकार से मरीजों को मारने जैसी स्थिति वहां पर है।

इसलिये माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के हार्ट केयर यूनिट में सी0सी0यू0 मशीन की व्यवस्था करने, नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था करने, टैक्नीशियन्स की व्यवस्था करने तथा रेजीडेन्सियल स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा करें। सेन्ट्रल मौनिटर वहां पर है जो 1972 से है। काफी पुराना हो गया है, जो काम नहीं कर पा रहा है इसलिये इस ओर भी ध्यान दिया जाय। इन्जियोग्राफी की व्यवस्था वहां पर नहीं है और न ही ओपन हार्ट सर्जरी की व्यवस्था है। टी0एम0टी0 टेस्टिंग, जिससे पहले ही यह पता लगाया जाता है कि हृदय की कौन सी बीमारी होने वाली है, वह वहां पर लगी हुई है परन्तु उसके मेन्टीनेंस के लिये कोई पैसा नहीं दिया गया है। हालत यह है कि अस्पताल के परिसर में

सड़कों पर सोडियम लाइट तो है और परिसर की बाहर से पुताई भी है, कान्फ्रेंस हाल में लाखों के गलीचे हैं परन्तु अन्दर लैट्रिन व बाथरूम इतने गन्दे पड़े हुये हैं कि कोई जा नहीं सकता है। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी पुरानी डेगची की बाहर से कलई कर दी जाती है।

वहां पर कैंसर का विभाग है परन्तु कैमोथिरैपी की वहां पर व्यवस्था नहीं है। रेडियोथिरैपी की मशीन बहुत पुरानी है। कम्पयूटेराइज्ड रेडियोथिरैपी की वहां पर व्यवस्था नहीं है। इसलिये वहां पर कम्प्यूटेराइज्ड रेडियोथिरैपी की व्यवस्था होनी चाहिये। मेरठ मेडिकल कालेज में रेडियोथिरैपी की व्यवस्था है परन्तु वहां पर जनरेटर न होने से जब बिजली घण्टों चली जाती है तो मरीजों की थेरिपी नहीं हो पाती है इसलिये इस ओर माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें और वहां पर जनरेटर की व्यवस्था को सुनिश्चित करें।

मान्यवर, अब मैं परिवार कल्याण और परिवार नियोजन की बात करता हूं। यह तो सभी जानते हैं कि प्रदेश की आबादी 15 करोड़ है। ऐसे लोगों की भी संख्या है जो परिवार कल्याण एवम् परिवार नियोजन में सहयोग कर रहे हैं काम भी कर रहे है और आबादी को सीमिति करने में सहयोग भी दे रहे हैं परन्तु वहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों को भी इससे दस गुना ज्यादा संख्या है जो बड़ी ठरिया दिल्ली से और पूरी ताकत से जनसंख्या को बढ़ाने में लगे हुये हैं जिससे सारी स्थिति बिगड़ रही है इसलिये माननीय मंत्री जी मेरा सुझाव है कि ऐसे लोग जो जनसंख्या को बढ़ाने में लगे हुये हैं, उनकी सुविधाओं में कमी की जाये, तथा उन्हें दण्डित भी किया जाय तभी आपका यह परिवार नियोजन का कार्यक्रम सफल हो सकता है। जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है, माननीय मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे और अमल भी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

(श्री धर्मपाल यादव का नाम पुकारे जाने पर) माननीय यादव जी पुराने सदस्य हैं उनको मैंने बोलते हुये नहीं सुना उन्होंने इच्छा जाहिर की इसलिये उनका नाम मैंने पुकारा है।

*श्री धर्मपाल यादव-

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी का बजट भाषण सुना बजट अच्छा है लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा सबसे बड़ा समाज की सेवा करने वाला यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग है इसमें कोई दो राय नहीं स्वास्थ्य की जितनी सेवायें हैं मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग की जितनी सेवायें हैं मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के जरिये मानवता की सबसे बड़ी सेवा की जा रही है सभी लोग पिछली सरकारों में भी यह कहा जाता रहा प्रदेश की खुशहाली का एक ही रास्ता है जो खेत और खलिहान से होकर जाता है। लेकिन प्रदेश की स्थिति को देखने से ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रदेश का रास्ता सिर्फ शहर की गलियों से होकर जाता है। मेरा निजी अनुभव है कि जो भी नये डाक्टर अप्वाइन्ट किये जाते हैं विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों व गांवों में किसी कीमत पर नहीं जाना चाहते हैं और अपने को शहरों में बनाये रखने के लिये दबाव डालते हैं एक तरफ जहां हमारे बहुसंख्यक लोग गांव में रहते हैं दूसरी तरफ हमारे डाक्टरों की मानसिकता यह है कि गांव में न जाकर वह शहरों में नौकरी करेंगे।

माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि गांव से शहरों तक इस विभाग का जाल बिछा है तो मेरी प्रार्थना है कि उस जाल से निकलने की कोशिश जरूर करेंगे हो सकता है कि पिछली सरकारों के मंत्री ही निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाये। लेकिन आपकी दक्षता पर काबिलियत पर हमें भरोसा है कि यह जो जाल पूरे प्रदेश में बिछा है उसमें नये डाक्टर भी फंस जाते हैं और गांव नहीं जाना चाहते उस जाल को अवश्य तोड़ेंगे। वैसे भगवान के बाद लोग डाक्टर को ही भगवान मानते हैं जो जिन्दगी और मौत देता है विशेषकर गरीबों में यह आस्था ज्यादा है। जो भगवान भरोसे पर रहते हैं तो जिन डाक्टरों की मानसिकता सहज यह हो गयी है कि सरकारी नौकरी के रहते वह प्राइवेट क्लीनिक चलायेंगे इसको आपको बदलना होगा। मैंने देखा है कि माननीय सदस्य जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है उन्होंने भी यह महसूस किया होगा कि डाक्टरों की मानसिकता यहां तक हो गयी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी जाती है तो यहां समाज में डाक्टरों को उस रूप में देखा जाता है वहां डाक्टर रिपोर्ट बदल देते हैं। मैं इस संबंध में ज्यादा न कह कर अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कहना चाहता हूं मैं एक दिन बुलन्दशहर के जिला अस्पताल में गया जिस वक्त मैं वहां गया वह लगभग 7.30 या 8.00 बजे का समय होगा। मैं जिस वार्ड में मरीज को देखने गया वहां अन्धकार था मैंने डाक्टर से पूछा कि क्या बात है अंधेरा क्यों है तो अस्पताल में जहां मरीजों का इलाज होता है वहां प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये अगर बिजली चली जाती है तो वहां पर जनरेटर होना चाहिये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी वक्त मरीज का आपरेशन चल रहा हो इमरजेंसी केस आ जाता हो तो मैंने डाक्टर से पूछा कैसे काम करते हैं तो डाक्टर के जुबान एक शब्द निकला भगवान पर मुनासिर है हमारे पास कोई जनरेटर नहीं है तो

जहां स्वास्थ्य विभाग को इतना बजट आप देते हैं तो उन अस्पतालों में जहां अंधकार का प्रकोप रहता है वहां जनरेटर की व्यवस्था कर दी जाये। इससे बड़े पैमाने पर गरीब और मजदूरों की प्राण रक्षा होगी।

आज क्या कारण है कि गरीब भी सरकारी अस्पताल में भर्ती होना नहीं चाहता है? क्योंकि उसे डर लगता है कि उसकी जिन्दगी बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात अपने सुझावों के साथ समाप्त करता हूं।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मैं सूत्र में ही कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आज कोई वक्तव्य या भाषण देने की मनःस्थिति में नहीं हूं। मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उससे अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहूंगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री जी के बजट पर साइंस और टैक्नोलाजी के बारे में कोई बात नहीं कही है। मंत्री जी ने इस पर बड़ा जोर दिया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, इसका सभी हम लोग समर्थन करेंगे। तो उसकी महत्ता पर, उसके औचित्य पर और उसकी उपयोगिता पर कोई वादविवाद नहीं हो सकता है। उसमें मंत्री जी ने कहा कि हम साइंस एण्ड टेक्नोलाजी और वैज्ञानिकों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आप भी उसी प्रकार बढ़ायेंगे, जिस प्रकार पिछली सरकार कर रही थी। उस समय आप तो परिवहन मंत्री थे, साईंस और टैक्नालोजी के उस समय जो भी जिम्मेदार थे, उन्हीं की तरह आप इसमें भी विकास करेंगे तो ईश्वर ही मालिक है। क्योंकि पिछली सरकार ने गांव, गली-कूचों के नचनियों और गवैयों सबको यशभारती दे दिया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी वैज्ञानिक को नहीं दिया है। अपने कार्यकर्ताओं और सेवा करने वालों को दिया होगा।

जो नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं, वैज्ञानिक है, जो नई टेक्निक निकालकर चहुमुखी विकास करें, उनको आप पुरस्कृत न करें, उसको गौरवान्वित व सम्मानित न करें, तो यह अच्छी बात नहीं है। उनको बढ़ावा देने के लिये भविष्य में क्या प्रयास होगा आपकी तरफ से यह मैं आपसे जानना चाहूंगा? अमेरिका जैसे देश में जो अच्छे डाक्टर्स हैं, दूसरे नम्बर के डाक्टर्स हैं, वे सब भारतीय हैं। जो हमारे आदमी बड़े योग्य और प्रतिभावान हैं, उनको अवसर दिया जाये। अभी आपने नेडा का नाम लिया लेकिन कहीं बात हो सुलभ शौचालयों के लिये भी नगरपालिकाओं को धन का प्राविधान करना पड़ता है और हमारा यहां इसके लिये 7 लाख रुपया दे रहा है इसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

तरह से विशेष रूप से प्रदेश की जनता को जो पानी की बात है या सौर्य वैकल्पिक ऊर्जा की बात है तो आप उसके साथ किसी मैचिंग ग्रान्ट का प्राविधान अवश्य करें। इसमें जो स्लम क्षेत्र मलिन बस्तियां हैं उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

आज ऐसी बस्तियों में नारकीय जीवन जीने को लोग विवश हैं। स्वास्थ्य विभाग के बारे में यह कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। मैं मंत्री जी के बारे में बहुत अच्छे विचार रखता हूं। अपने भाषण के अन्त में उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे विरासत में मिला। आपने उपने एलोपैथिक आयुर्वेदिक और जिला अस्पतालों की बड़ी तारीफ की है लेकिन आज कल आयुर्वेदिक और जिला अस्पतालों की क्या स्थिति है उसकी दुर्दशा आज देखने वाली है। आज वहां गरीब मरीजों को दवायें कतई उपलब्ध नहीं हो रही है। सभी भिज्ञ हैं और अपने जनपदों के बारे में उन्हें जानकारी होगी। मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि जिस तरह उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाई जायेगी। डाक्टर या तो प्रैक्टिस करे या फिर नौकरी। तो उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। आज स्वास्थ्य विभाग में आयुर्वेद के डाक्टर हैं, कितने भ्रष्ट हैं, उनसे बड़ा भ्रष्टाचार में और कोई नहीं हो सकता। पूरे प्रदेश में उनके भ्रष्टाचार के कारण ओवर ड्राफ्ट हो गया था।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल जी अब समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, उन्हें कोई सरकार नहीं हटा पा रही है। इच्छा शक्ति हो तो काम हो सकता है। मान्यवर.....

श्री अधिष्ठाता-

मैंने पाल जी को पहले इसलिये बुला लिया था क्योंकि उन्हें जाना था। पाल जी अब आप विराजिये। कहना अच्छा नहीं लग रहा है, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अब समाप्त कर रहा हूं। बस्ती में 500 बेड का अस्पताल ओपेक्स की सहायता से निर्मित होना है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह-

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग का अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, मैं उनका समर्थन करते हुये कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आजकल अस्पताल में जाइये, दवा की क्या स्थिति है, डाक्टर की क्या स्थिति है, यह सब देखने से पहले देखिये कि सफाई की क्या स्थिति है? मान्यवर, मैं फतेहपुर में जेल में गया और अस्पताल भी गया। दोनों जगहों के शौचालय देखे। अस्पताल का शौचालय जेल के शौचालय से भी अधिक गन्दा था। जेल के शौचालय तो गन्दे होते ही हैं परन्तु वहां पर अस्पताल का शौचालय उससे भी ज्यादा गन्दा था। वहां पर जाने के बाद अस्पताल और नरक में कोई अन्तर नहीं लगता। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें व्यय नहीं होगा। हर जगह कर्मचारी हैं पर काम ठीक से नहीं करते। अस्पताल की सफाई व्यवस्था ठीक करा लें।

दूसरी बात मैं अस्पतालों में डाक्टर की उपस्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। देहातों में डाक्टर एक-एक महीने नहीं जाते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव में दो डाक्टर हैं। एक महीनें में एक दिन जाता है और दूसरा हफ्ते में एक दिन जाता है। एक लखनऊ में रहता है और एक इलाहाबाद में रहता है। क्षेत्र का नाम जानना चाहेंगे तो बाद में बता दूंगा। मैं यहां पर नहीं बता रहा हूं कि माननीय मंत्री जी व्यवस्था करें तो किसी दिन उस गांव में जायेंगे तो उन्हें अनुपस्थित पायेंगे। नाम बता देंगे तो हो सकता है वह उपस्थित मिलें। सी0एम0ओ0 से कई बार शिकायत की तो गांव वालों से सी0एम0ओ0 ने कहा कि बड़े भले डाक्टर हैं, नहीं आते हैं तो आपका क्या नुकसान है? मान्यवर, यह सी0एम0ओ0 डाक्टर से मिले होते हैं और डाक्टर से महीने का 200-300-500 रुपया लेते हैं और उनको जाने की छूट दे रखी है। शहरों के डाक्टर का हाल यह है कि अस्पताल 2/4 घण्टे के लिये चले जाते हैं बाकी नहीं जाते हैं। आवश्यकता यह है कि इसकी जांच किससे करायें? सी0एम0ओ0 से कराई जाये तो वह तो डाक्टर के साथ होते हैं। जांच के लिये नान मेडिकल स्टाफ रखा जाय। आवश्यकता हो तो विधायक और पूर्व विधायकों की टीम बनाई जाय जो जिले-जिले जाकर अस्पतालों में छापे मारे तो पता चलेगा कि कितने डाक्टर कितने दिन अस्पताल जाते हैं।

माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये तीव्र इच्छा शक्ति दिखाई है। आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार को दूर किया जाय। हर सरकार को विरासत के रूप में भ्रष्टाचार मिलता रहा है। कांग्रेस के जमाने में भ्रष्टाचार का

आरम्भ हो गया था जब आजादी के बाद 46 से चुनी हुई सरकार बनी थी। माननीय मंत्री जी, आप चाणक्य की तरह भ्रष्टाचार की जड़ें खोदकर उसमें मट्ठा डालकर जड़ मूल से समाप्त करने का कष्ट करें। धन्यवाद ।

*श्री मोलई-

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुछ बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गोरखपुर जनपद में मेरा विधान सभा क्षेत्र बांसगांव है। वहीं से मैं चुनकर आया हूं वहां जो उच्चीकृत अस्पताल है वहां महिला डाक्टर बहुत दिनों से नियुक्त हैं लेकिन महिला डाक्टर वहां कोई नहीं रहती हैं। जिस कारण महिलाओं की उचित चिकित्सा नहीं हो पा रही है। मान्यवर, हमारे यहां हरनी तहसील में उच्चीकृत अस्पताल है वहां डाक्टर नहीं हैं वहां पहले पुलिस चौकी थी अब नर्सरी विद्यालय खोलकर कब्जा किया जा रहा है मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उक्त अस्पताल का उद्घाटन करें और डाक्टर की नियुक्ति करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद ।

*श्री शिव बहादुर सक्सेना-

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है।

श्री अधिष्ठाता-

आप जल्दी खत्म कीजियेगा।

श्री शिव बहादुर सक्सेना-

मैं अपने जनपद रामपुर के विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूं। पिछली सरकार ने जनपद रामपुर में तहसील स्थार के लिये पैगम्बरपुर में पी0एच0सी0 के लिये 30 लाख रुपया अनुश्रवण समिति, रामपुर से स्वीकृत किया गया। 15 लाख रुपया उसमें लग गया है। पिछली सरकार में रामपुर के मंत्री थे उन्होंने द्वेष भावना रखते हुये उनको रोक दिया। पी0एच0सी0 पर पैगम्बरपुर में 15 लाख रुपया लग पड़ा है मेरा आपसे आग्रह है कि पैगम्बरपुर की पी0एच0सी0 पूरी की जाये। पिछली सरकार ने बदले की भावना से इसको रोक रखा था इसको पुनः शुरू किया जाय और पूरा किया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, रामपुर में कोसी नदी बहती है जिसके किनारे दो सौ गांव हैं जहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कोसी नदी में इण्डिया ग्लाईकोल तथा चीमा पेपरमिल है इसका पानी कोसी नदी में डाला जाता है जिससे पानी में तमाम कीटाणु हो गये हैं जिससे गांव में बीमारियां फैल रही हैं उस पानी को जानवर पी लेते हैं, वह पानी जहरीला हो गया है जिसको पीने से जानवर मर जाते हैं। कोसी नदी का पानी बिल्कुल काला हो गया है कोई उस नदी को पार नहीं कर सकता है बार-बार इस मामले को सदन में लाया जा चुका है। बहुत ही दुर्भाग्य की और कष्ट की बात है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इण्डिया ग्लाइकोल और चीमा पेपर मिल के पानी को उसमें जाने से रोका जाये ताकि वहां की जनता को बीमारी से बचाया जा सके। धन्यवाद।

*श्री ऊदल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आम नागरिक के लिये स्वास्थ्य अत्यन्त आवश्यक है। यह विभाग काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज पूरे प्रदेश में और प्रत्येक शहरों में सरकारी हास्पिटल के बगल में प्राइवेट नर्सिंग होम खुले हुये हैं। बहुत से डाक्टर तो ऐसे हैं जो उसी अस्पताल में मौजूद हैं और उसी अस्पताल के बगल में ही प्राइवेट नर्सिंग होम खोल रखे है। यह बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग का एक कार्यक्रम परिवार नियोजन का जो चल रहा था मैं समझता हूं कि उसमें बहुत निष्क्रियता आ गई है। पहले भी आंकड़े गलत दिये जा रहे थे आज भी आंकड़े गलत दिये जा रहे हैं। इसलिये परिवार कल्याण से जो सम्बद्ध हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा सक्रियता और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वह इसलिये कि जो हम विकास के ऊपर रुपया खर्च करते हैं अगर परिवार नियोजन नहीं होगा, आबादी का बढ़ना नहीं रोका जायेगा तो विकास प्रदेश और देश का उस अनुपात में नहीं हो सकता है।

तमाम की तमाम योजनायें हमारी धरी की धरी रह जायेंगी। विकास की दर ऊंची नहीं होगी। तीसरे बहुत सी जगहों पर अभी अस्पताल के लिये इमारतें नहीं बनी हैं। जैसे कि हमारे बनारस में 500 शैय्या का एक अस्पताल पुलिस लाइन के बगल में तैयार किया जा रहा है। कई वर्षों से पूर्ण रूप से अभी तैयार नहीं हो पाया है। अगर वह जल्दी तैयार हो जाये तो उससे बहुत से लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। और आज हालत यह है कि बनारस में बिहार के नजदीक होने की वजह से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बिहार के लोग आ जाते हैं। क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य व चिकित्सा की हालत खराब है। बिहार की तरफ से काफी मरीज आते हैं, बी0एच0यू0 में मरीज आते हैं। लेकिन इन्तजाम ठीक न होने की वजह से उनकी भी देखरेख नहीं हो पाती है। इसलिये सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज डाक्टर्स देहात में व पहाड़ में एकदम नहीं जाना चाहते हैं। पहले भी इस पर प्रतिबन्ध लगा था कि पांच साल पहाड़ में जाना पड़ेगा। पांच वर्ष देहात में भी रहना होगा। लेकिन मैं समझता हूं उसमें कड़ाई नहीं हो रही है। इसलिये देहात व पहाड़ में स्वास्थ्य सेवा काफी खराब हो रही है। जहां तक दवाइयों का सम्बन्ध है हालत यह है कि अभी पिछले दिनों में अपने जिला अस्पताल में गया था क्यों कि मुझे खुद दवा की जरूरत है।

जिला अस्पताल में शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में गया था वहां मालुम हुआ कि बजट इतना कम दिया गया है कि किसी तरह से रोज बरोज घसीटते हुये दवा मिल रही है। मैंने उस वक्त दवा भी इसीलिये नहीं ली। यह हालत सब जगह है। आज बड़े पैमाने पर डाक्टरों का पलायन हो रहा है। उसका कारण तो आप जानते हैं उसका कारण यह है कि उनको सुख सुविधा नहीं है। लाखों रुपये खर्च करने के बाद डाक्टर और इंजीनियर तैयार होते हैं और दोनों का पलायन बड़े पैमाने पर यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन आदि देशों में हो रहा है। उनको ठीक से तनख्वाह की व्यवस्था नहीं है। उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। इसलिये शासन को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे यहां जो लाखों रुपया खर्च करने के बाद डाक्टर और इंजीनियर बनते हैं।

(इस समय 5 बजकर 9 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर पीठासीन हुये।)

यह पलायनवादी क्यों हो रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरा आपने नम्र निवेदन है कि इस सरकार को मुख्य रूप से चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करनी चाहिये, आगरा मेडिकल कालेज, मेरठ मेडिकल कालेज, गोरखपुर मेडिकल कालेज, इन सबकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, इसलिये इनकी तरफ ध्यान दिया जाय। सरकार को अपना एक लक्ष्य परिवार नियोजन की तरफ निर्धारित करना चाहिये। मैं समझता हूं कि अगर इसको संजीदगी से नहीं लिया गया तो हमारा देश, जिसकी हालत आज कोई अच्छी नहीं है, इससे भी भविष्य में गरीबी की तरफ जायेगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राधेश्याम गुप्त-

मान्यवर, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 70 का समर्थन करते हुये कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उसका समर्थन करते हुये मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। फतेहपुर में जिला चिकित्सालय महिला एवं पुरुष दोनों हैं और दोनों चिकित्सालय में एक अल्ट्रासाउन्ड मशीन लगाई जाय।

मान्यवर, आज प्रदेश में तमाम ए0एन0एम0 बेकार बैठी हुई हैं, उनको रोजगार देने के लिये व्यवस्था कराई जाय। मेरे क्षेत्र में 100 महिलायें ए0एन0एम0 किये बेकार बैठी हैं, उनको रोजगार दिया जाय। मान्यवर, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, उसमें प्रमुख रूप से मकनपुर, भरसावां, तेलियाना, मेडासरांय, रमवा, कांधी, लोहारी आदि क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें। मान्यवर, मेरे यहां जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम गृह बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में है, वहां एक शेड का निर्माण कराया जाय। इसके अतिरिक्त मान्यवर, मेरे क्षेत्र में हुसेनगंज में एक 30 बेड का अस्पताल बनवाया जाय,. वहां पर कोई अस्पताल नहीं है। मान्यवर, एक बात और बताना चाहता हूं जो ग्रीनकार्ड दिये जाते हैं, दो बच्चों पर, उसकी व्यवस्था का उल्लेख कर इसका प्रचार प्रसार कराया जाय, जिससे इसका लाभ ज्यादा मिल सके, इसी के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

*श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत आभारी हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इस सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह उत्तर प्रदेश में रहने वाले समस्त परिवार के जितने भी लोग हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें। मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोग फैल रहा है। जनपद गोण्डा, बस्ती, देवरिया, बलिया, फैजाबाद, सुल्तानुपर और लखनऊ सहित तमाम जिलों में संक्रामक रोग तीव्रता से बढ़ रहा है, लेकिन इस रोग को रोकने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, हमारे जनपद गोण्डा में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 250 लोग संक्रामक रोग से पीड़ित हैं, जिसमें से 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

मान्यवर, यह गैर सरकारी आंकड़ा है सरकारी आंकड़े के अनुसार 256 लोग संक्रामक रोगों से अभी तक प्रभावित हुये हैं जिनमें से 28 लोगों की मृत्यु हुई है। मैंने नियम 51 के अन्तर्गत अपने क्षेत्र के अंतर्गत छतिया मनकापुर के बारे में सूचना लगाई थी। जिसमें 12 लोगों की मृत्यु की बात कही गई है। वहां से जो रिपोर्ट आयी हैं उसमें एक भी आदमी की मृत्यु की बात नहीं कही गई है। अपर निदेशक, फैजाबाद ने 19 जुलाई, 95 को मसकनवा, मनकापुर का फर्जी दौरा दिखाया है वहां पर कोई नहीं गया है। वहां संक्रामक रोग बुरी तरह से फैला है। मेरी निश्चित जानकारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि वहां पर 19 लोगों की मृत्यु हुई है । मान्यवर, छठिया और मनकापुर विकासखण्ड में दवाइयां नहीं हैं और मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही है मरीजों को अपनी जमीन बेंचकर अपना इलाज कराना पड़ रहा है । लोग कर्जा लेकर अपना इलाज करवा रहे हैं । छठिया, मसकनवा, मनकापुर में डाक्टरों की लापरवाही से ही संक्रामक रोग फैला है और 19 लोगों की मृत्यु हुई है ।

मान्यवर, बभनान शुगर मिल का गंदा पानी बभनान, कर्मापुर, गौरा गांवों में फैला हुआ है । इस संबंध में जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि 20 मार्च, 1995 को वहां का पानी लेकर टेस्ट के लिये भेजा गया है लेकिन असलियत में वहां कोई देखने नहीं गया है । यहां से सरकार को टीम भेजनी चाहिये । वहां आज भी गन्दा पानी भरा हुआ है और वहां के लोग प्रदूषित जल पीने के लिये बाध्य हैं। सरकार की तरफ से प्रदूषण दूर करने के संबंध में अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कोठा वजीरगंज ब्लाक में रेडक्रास का अस्पताल है । वहां पर अनेक कर्मचारी गत 5 सालों से कार्यरत हैं लेकिन उन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी गई और वहां पर दवा का भी इंतजाम नहीं है । मेरी मांग है कि वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाय और वहां पर दवाईयों की व्यवस्था की जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हुआ । (शोर)

*श्री राम विशुन आजाद-

हमारे यहां मनकापुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर भवन में बाउंड्री के अन्दर सुलभ शौचालय बना दिया गया है आपसे निवेदन है कि इसकी जांच करवायी जाय और इसको हटवाया जाय । मेरे यहां गुनगुइयां, बालेश्वर गंज और मंडप में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम सजीवन निर्मल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं स्वास्थ्य विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनके बारे में मंत्री जी ने कोई जिक्र नहीं किया है । इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जन स्वास्थ्य रक्षक आज 20 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उनको पहले भी 50 रुपया मानदेय मिलता था और आज भी 50 रुपया दिया जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मंत्री जी जनस्वास्थ्य रक्षकों को 1 हजार रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था करें। इसी के साथ में अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे यहां बड़ा ब्लाक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। वहां पर महिला तथा पुरुष दोनों का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। वहां पर महिला अस्पताल के भवन की अवस्था बहुत जर्जर है और वहां कोई डाक्टर नहीं है और न कोई रहने वाला है, वहां पर जानवर रहते हैं। इसी तरह से वहां पुरुष अस्पताल में भी डाक्टर नहीं हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में पी0एच0सी0 खोले गये हैं लेकिन वहां पर कोइ भवन नहीं है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर डाक्टर नहीं हैं और न ही उनका भवन है। प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के नाम पर सरकार द्वारा फण्ड दिया जाता है, दवायें दी जाती हैं और डाक्टरों को तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन आम जनता को उससे कोई राहत नहीं मिलती है। सिराथू विधान सभा क्षेत्र में दोवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहुत खराब अवस्था में है जब कभी कोई बीमार पड़ता है तो उसे इलाहाबाद में जाना पड़ता है। प्राइमरी हेल्थ सेन्टर में दवा की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर किसी मरीज का इलाज नहीं हो सकता है इसलिये मैं मांग करता हूं कि वहां पर 30 बेड का एक अस्पताल बनाया जाय जिससे वहां के लोगों को अपना इलाज कराने में आसानी हो और छोटे-छोटे मर्जों के लिये इलाहाबाद न जाना पड़े। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सब सेंटर खोले गये हैं लेकिन भवन नहीं हैं मैं चाहूंगा कि भवन की व्यवस्था होनी चाहिये। जो ए0एन0एम0 वहां पर रहती हैं उनके निवास की कोई व्यवस्था नहीं है। वह किसी दूसरे के घर में रहती है या किराये के घर में रहती है इस प्रकार से उनको बड़ी असुविधा रहती है। मैं चाहूंगा कि उनके रहने की व्यवस्था सब- सेंटर पर ही होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री हरेन्द्र सिंह -

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य विभाग पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर आपने जो मुझे अपने विचार प्रकट करने के लिये समय दिया है उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तो 3-4 मिनट मेरे साथी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

ले गये और आपसे निवेदन करूंगा कि आप यह समय मुझे अवश्य दें मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वस्थ्य शरीर में जहां स्वस्थ्य मस्तिष्क है, वहीं पर स्वस्थ्य समाज बनता है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बहुत सी कमियों को स्वीकार किया है। उनकी विवशता है, लेकिन वह उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, 5 विभाग हैं, हर विभाग पर एक-एक मिनट बोलूंगा। मान्यवर, डाक्टर को भगवान कहते हैं, डाक्टर जीवन देता है, लेकिन इस बात को कलंकित करने का काम डाक्टर ही करता है। भ्रूण हत्या का जो दोष है, वह डाक्टर का है, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर रुकावट करें।

मान्यवर, अब मैं चिकित्सा शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों के समय में डाइरेक्टर आयुर्वेदिक के भ्रष्टाचार के बारे में सुन रहा हूं। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि या तो आप उसके भ्रष्टाचार को पकड़ें और उसको दंडित करें या फिर उसका सामाजिक उत्पीड़न बन्द करें। वित्त विभाग ओर क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है, जिनके हस्ताक्षर से पैसा निकलता है। ट्रेजरी आफीसर की जिम्मेदारी आप नहीं फिक्स करते हैं। मान्यवर, अभी एक मिनट हुआ है, क्या समाप्त कर दूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपने डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी है, इसका आपने एलान किया है, उसके लिये आप प्रशंसा के पात्र हैं। आयुर्वेद के जो डाक्टर हैं, उनको 20-25 महीनें से वेतन नहीं मिला है और आपने प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है, तो उनका क्या होगा। लखनऊ में किंग जार्ज मेडिकल कालेज है, वहां पर जब कोई जाता है तो यह सोचता है कि उसे सुपर स्पेशिलस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप वहां पर चले जायें तो जो उसका भवन है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, वह मुजफ्फरनगर की गल्लर वाली गली जैसी है। इस ओर आप ध्यान दें। कोई डाक्टर अपनी तनख्वाह काटकर बिल्डिंग नहीं बनवायेगा। मेरा अनुरोध है कि आपके पूरे उत्तर प्रदेश में कोई बर्न यूनिट नहीं है और प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, 75 लाख डेन्टल हास्पिटल के लिये कहा गया है मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि के0जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ में एक सुसज्जित बर्न यूनिट खोला जाय एवं प्लास्टिक सर्जरी के लिये एक अलग से 20 शैय्याओं का वार्ड तथा 5 शैय्याओं का प्राइवेट वार्ड बनाया जाय। कम से कम प्रदेश में एक जगह तो जहां आदमी प्लास्टिक सर्जरी के लिये आ जाय। ऐसा नहीं है कि चेहरे की सुन्दरता के लिये ही लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं।

(समय 5 बजकर 25 मिनट)

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

*श्री हरेन्द्र सिंह -

मान्यवर, मैंने अभी तो शुरू किया है। मान्यवर, के0जी0 मेडिकल कालेज में अच्छे डाक्टर हैं प्लास्टिक सर्जरी है। मुझे डा0 आर0 चन्द्रा, डा0 पाण्डे, डा0 अनुभूषण तथा डा0 श्रीमती बहल आदि से मिलने का मौका मिला है यह अपने कार्य में निपुण तथा अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डाक्टर हैं।

मान्यवर, यह जो पैरा मेडिकल स्टाफ है यह कुछ काम नहीं करना चाहता है इस पर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, बलरामपुर अस्पताल में न्यूरोसर्जरी की एक यूनिट है उसके एक एक्सपर्ट हैं श्याम स्वरूप जी। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसको और मजबूत किया जाय।

मान्यवर, फैमिली प्लानिंग की बात माननीय ऊदल जी ने कही थी कि फर्जी आंकड़े पेश न हो इनके लिये व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि जितना पैसा इस पर खर्च होता है यदि उसका एक चौथाई भी चारित्रिक निर्माण पर खर्च कर दिया जाय तो यह समस्या नहीं रहेगी। इसके लिये मैं चाहूंगा कि पाखंड खंडनीय पताका फहराने वाले महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का पूरा प्रचार प्रसार किया जाय और दैनिक जीवन में उसको स्वीकारा जाय। मान्यवर, एक बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज की इमारत इतनी दयनीय है कि ऐसा लगता है कि किसी सराय में घूम रहे हैं, प्राइवेट वार्ड में चूहे घूमते हैं, जाले लगे हैं, गन्दगी इतनी है कि मैं बता नहीं सकता हूं। सफाई कर्मचारियों पर किसी का अंकुश नहीं है। मेरा अनुरोध है कि अगर इस ओर ध्यान देकर धन की व्यवस्था नहीं की गई तो क्या डाक्टर अपनी तनख्वाह से इसको सुधारेंगे इसलिये धन की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरण उद्योग नहीं बना है और स्थानान्तरण में पैसे नहीं लिये जा रहे हैं इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को और अधिकारियों को बधाई दूंगा और उम्मीद है कि शेष स्थानान्तरण भी निष्पक्षता के साथ किये जायेंगे। मान्यवर, प्रदेश के कर्मचारियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु दवाइयां उपलब्ध होती हैं लेकिन इसका 90 प्रतिशत से अधिक दुरुपयोग होता है। मेरा सुझाव हैकि इसकी जगह पर कर्मचारियों को एक निश्चित धनराशि प्रतिमाह चिकित्सा के रूप में दे दी जाय तो इससे धन का दुरुपयोग रुकेगा।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर का सुधार किया जाय और उसके साथ ही राजकीय चिकित्सालय शामली की साज-सज्जा की जाय। मेरा यह भी अनुरोध है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिन्ना, लालूखेड़ा तथा हारड़ फतेहपुर को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जाय और इसके साथ ही कुमौली, मैसानी, इस्माइलपुर, वटराडा तथा तामली ग्रामसभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाय तथा साथ ही आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा का प्रचार प्रसार किया जाय। मान्यवर, जहां तक प्रौद्योगिकी का सवाल है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमें आज वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना होगा तथा प्रतिभाओं के पलायन को रोकना होगा। मेरा अनुरोध है कि इसे सरकार गम्भीरता से ले नेडा के कार्यक्रमों को चलाने के लिये सरकार से अंशदान दिलाया जाय तथा सौर ऊर्जा के प्रचार प्रसार के लिये ग्रामीण अंचलों को पूरी सहायता प्रदान की जाय।

*श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपने जिस आकर्षक वक्तव्य के द्वारा बजट प्रस्तुत किया मैं उसकी प्रसंशा करता हूं। मान्यवर, आपने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है एक हजार की जनसंख्या पर जनस्वास्थ्य रक्षक और प्राथमिक दाइ होती हैं यह आपने बजट का उल्लेख किया है। मान्यवर, आपने 95-96 में जो एम्बूलेंस गाड़ी देने की बात कही है 16 और गाड़ी देने की वह सराहनीय कार्य है। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है। जिसमें प्रदेश और देश सबके लिये बात होती हैं। मान्यवर, स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिये स्वास्थ्य के प्रति सबको गम्भीर होना चाहिये।

परिवार कल्याण के बारे में सुझाव देना चाहता हूं कि इसके प्रचार और प्रसार के लिये पूरे प्रदेश में आपके विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं लेकिन इन अधिकारियों से लेकर ऊपर तक के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते हैं। अगर यह अपना कार्य करना शुरू कर दें तो परिवार कल्याण के उद्देश्य को पूरा कर लेंगे। मान्यवर, मैं रायबरेली जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महाराजगंज का उल्लेख करना चाहता हूं इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बता चुका हूं जी. उन्होंने आश्वासन भी दिया है और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से यह कार्यवाही करेंगे। वहां पर एक सुपरिटेंडेंट डाक्टर हैं उसने काफी गबन कर रखा है, 20 हजार भोजन के नाम पर सीधा गबन कर रखा है और किसी भी मरीज को भोजन नहीं दिया गया है। अन्य जिलों में भी इस तरह की घटनाओं की जांच कराई जाय और दण्डित किया जाय। अगर दण्डित किया जायेगा तो कोई भी अधिकारी ऐसा करने का प्रयास नहीं करेगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

अब आप कृपया बैठें। लालजी यादव जोगी जी बोलें।

श्री राजाराम त्यागी-

स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसका प्रदेश में, आपके विभाग का नाम उच्च श्रेणी पर था। इसी के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और माननीय अधिष्ठाता महोदय आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी यादव-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बजट के समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, यह चिकित्सा विभाग की कोई भी व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच जब संघर्ष करता है, तब उसे इसकी आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सा में बैठे हुये लोग यह मानव की इनकम के साधन माने जाते हैं। यह सबसे दुखद पहलू है चिकित्सा जगत में। डाक्टर अपने सोर्स के जरिये फायदे की जगह पोस्ट होना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी से हमने निवेदन किया था, अपने जिले की स्थिति हम लोग बेहतर जानते हैं।

जनपद जौनपुर में सदन अस्पताल में यह डाक्टरों की चिकित्सा कितनी होती है वहां पर ज्यादातर डाक्टर यह मान्यवर, सब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। वहां हम स्वतः जाकर देखे एक प्रसव से पीड़ित महिला बेहोशी की हालत में थी, उसे बेड पर लिटा लिया गया, किसी डाक्टर ने देखा नहीं, वे लोग एक मीटिंग कर रहे थे, हम किसी काम से वहां पहुंचे हमें जब इस बात से अवगत कराया गया तो उनकी मीटिंग में गये और कहा कि अगर उस महिला को कुछ हो जाता है यह किसकी जिम्मेदारी बनती है। मीटिंग से निकलकर डाक्टर द्वारा उसका आपरेशन किया गया। यह मेरे सामने की घटना थी और जनपद की कठिनाइयां हैं। लेकिन यह प्राइवेट प्रैक्टिस की जो बात है, इसे बन्द करने के लिये माननीय मंत्री जी का बजट भाषण बड़े ही धैर्य पूर्वक सुना जिसमें उन्होंने कहा कि डाक्टरों को दो में से एक को चुनना होगा या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करें या सरकारी नौकरी। इसका हम स्वागत करते हैं। यह चीजें जनपदों तक पहुंचे तो बहुत से लोग इसका स्वागत करेंगे। अपने जनपद के बारे में यह कहना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जो हालत है वहां पर नर्स की व्यवस्था दाईयों की व्यवस्था यह समुचित व्यवस्था नहीं है। इसके लिये माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं साथ ही उन्होंने इतने कम समय में जो इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है मैं इसका स्वागत और समर्थन करता हूं और इन्ही शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री इन्द्र भद्र सिंह-

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के इस महत्वपूर्ण बजट पर मुझे आपने कुछ कहने का अवसर दिया, उसके लिये आभारी हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के शुरुआत में ही समाज के एक-एक व्यक्ति को स्वास्थ्य की देखभाल के लिये पूरे विभाग को जिम्मेदार बताया है। उत्तर प्रदेश की इस सबसे बड़ी अदालत में उनकी इस घोषणा का आज ही यहां पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है। जैसे दोपहर का लंच यहां पर वितरित किया गया उसमें आज जिन माननीय सदस्यों का मंगल का व्रत था उनका ध्यान नहीं रखा गया इसका खुला उल्लंघन हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं जिन्होंने निश्चित रूप से अपने बजट भाषण में बहुत सी योजनाओं

का उल्लेख किया है । विशेष रूप से इसमें 40 शैय्याओं के अनुसूचित जाति की बस्तियों के आस-पास के अस्पताल की । और एक बात जो बजट भाषण में आयी है वह यह है कि चाहे के0जी0एम0सी0 हो या कानपुर मेडिकल कालेज हो, तीन करोड़ रुपया, 76 लाख और 80 लाख रुपया मिला है, मैं इसका स्वागत करता हूं इससे औषधियां उपलब्ध होंगी और वह मरीजों को मिलेगी । इन अस्पतालों में और अधिक धन देने की कृपा करेंगे ।

मान्यवर, जो पुस्तिका मिली हुई है उसके पेज-2 के कालम चार में देखें उसमें यह लिखा हुआ है कि "प्रदेश सरकार की विकास की नीतियां ग्रामोन्मुखी हैं" मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव में जहां ए0एन0एम0 के सेन्टर्स हैं वहां पर कोई रहना नहीं चाहता है । उसमें कहीं हम लोग भी बाधा हैं और कहीं विभागीय लोग भी बाधा होते हैं तो इसे संशोधित करें कि कम से कम सब सेंन्टर्स में एक ए0एन0एम0 रहे । मान्यवर, जो प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र हैं ब्लाकों में है वहां पर कुछ जगहों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है । बहुत से माननीय सदस्यों की शिकायतें भी आयी हैं कि डाक्टर्स अधिकांश गांवों व ब्लाकों में रहना नहीं चाहते हैं और जब वे उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता है । तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कोई चेकिंग की व्यवस्था की जाये तार्कि जो डाक्टर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध नहीं रहते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का जिक्र किया । उन्होंने इस बीच अल्प समय में जो भी शिकायतें हमने की उन सभी पर कार्यवाही भी की है इसके लिये मैं उनका आभारी हूं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि वे परिवार कल्याण को एक जन आंदोलन के रूप में बढ़ाना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो भी पैसा दिया जाता है मैं विशेष रूप से अपने विकास क्षेत्र बेल्दीराय की बात कर रहा हूं वहां कई लाखों रुपया नसबन्दी कार्य क्रम के तहत डाक्टरों ने ले लिया है और एक और शिव कुमार तिवारी हैं उन्होंने फर्जी सार्टिफिकेट लेखपाल को दे दिया है । मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाये ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें ।

श्री इन्द्र भद्र सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने टी0वी0 जैसे क्षय रोग को राष्ट्रीय कार्यक्रम से जोड़ा है उस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इलाहाबाद का एक समाचार

है स्वतंत्र भारत में 6 अगस्त को निकला है कि हर मिनट में टी0वी0 से 6 मौतें हो रही हैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री इन्द्र भद्र सिंह-

मान्यवर, इस घातक बीमारी के लिये जिला चिकित्सालयों में टी0वी0 अस्पताल में कोई विशेष रुचि नहीं है और अप्रशिक्षित लोग हैं तो मैं यह चाहूंगा कि जिला अस्पताल में प्रशिक्षित डाक्टर्स की नियुक्ति की जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें और भी माननीय सदस्य हैं बोलने के लिये।

श्री इन्द्र भद्र सिंह-

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नरेन्द्र सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुये कुछ बिन्दुओं की तरफ अपने विचार रखना चाहूंगी। मान्यवर, पहला तो यह है कि स्वास्थ्य सबके लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। जब भी डाक्टर का सम्बन्ध गांव से जुड़ता है तो सारे माननीय सदस्यों की एक ही शिकायत होती है कि वह गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। मान्यवर, डाक्टर्स की बहुत बड़ी समस्या है और गांवों में जाकर उनके परिवार को बहुत दुखद अनुभूति होती है उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं मान्यवर, आज विकेन्द्रीकरण की बहुत आवश्यकता है। गांव के जो पी0एच0सी0 हैं वहां पर जब अनुभवी डाक्टर जाते हैं तो उनके अनुभव का इस्तेमाल नहीं होता है। जिस तरह से माननीय कल्याण सिंह जी ने लखनऊ में विकेन्द्रीकरण करके जिला स्तर पर उन्होंने प्रत्येक जिला चिकित्सालयों को वहां के जो आपरेशन थियेटर हैं उनको एयर कन्डीशनर किया। जिला चिकित्सालयों पर पानी की टंकियां बनवायीं। इस प्रकार से अनेक विकेन्द्रीयकरण के काम किये। मैं चाहूंगी कि जो तहसील मुख्यालय हैं वहां पर जो पी0एच0सी0 हैं, अस्पतालों की जो विकेन्द्रीकरण योजनायें हैं उनको लिया जाय और इस पर बजट का पैसा खर्च किया जाय। खास तौर पर महिलाओं के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं की चिकित्सा की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है जो पैसे वाले लोग हैं वह लखनऊ या अन्य महानगरों तक जाकर इलाज करा लेते हैं लेकिन जो गरीब जनता है वह इन महानगरों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिये तहसील मुख्यालयों पर महिलाओं के चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह भी कहना चाहूंगी कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम हैं वहां पर बड़े-बड़े लोग अपने घरों की महिलाओं के प्रसव के लिये भर्ती कराते हैं। लेकिन वहां पर व्यवसायीकरण हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक की पत्नी एक निजी चिकित्सालय में भर्ती हुई, वहां पर आपरेशन किया गया लेकिन आधे घण्टे के बाद बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गयी है। एक प्रसव में 15-20 हजार तक की लागत आती है। जो कि महिलाओं के लिये बहुत मुश्किल काम है। महिलायें इस देश की रीढ़ हैं, महिलाओं से ही समाज चलता है इसलिये महिलाओं के लिये तहसील मुख्यालय पर सारी सुविधाओं से युक्त अस्पतालों का निर्माण अवश्य करें।

एक बात और कहना चाहती हूं कि दाइयों का कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। दाइयों को आज भी 50/-रुपया प्रतिमाह मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि प्रस्ताव भेज कर केन्द्र से समुचित धन दिलवायें ताकि उनका शोषण बन्द हो देहातों में दाई ही गरीब महिलाओं का प्रसव कराती है। मान्यवर, मेरे जनपद बाराबंकी का कई बार जिक्र आया है। मैं बताना चाहूंगी कि चाहे बाराबंकी हो या इटावा, बाराबंकी में पूर्व लोक निर्माण मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने बजट का सारा धन अपने ब्लाक मसौली और सिरौली गांव में ही खर्च किया है, इसके अलावा कहीं भी धन नहीं खर्च किया गया है। इसका सर्वेक्षण कराया जाये। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि राम नगर तहसील मुख्यालय पर महिला चिकित्सालय खोला जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करती हूं।

*श्री राजवली जैसल-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करते हुये, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इलाहाबाद की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आज इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल, में जो स्वरूप रानी अस्पताल के नाम से जाना जाता है, वहां पर आज इतनी बड़ी गन्दगी रहती है, इतनी अनियमितातायें रहती हैं, जिस नीयत और मकसद से सरकारी अस्पतालों की स्थापना करके करोड़ों रुपये की लागत लगाकर डाक्टरों को नियुक्त किया जाता है, आज उस गरीब आदमी को जो वहां अपना इलाज करवाने जाता है, उसके लिये मजबूरी हो जाती है और फिर मजबूरन उसे सोचना पड़ता है कि हमको किसी प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहिये। वह ऐसा इसलिये सोचता है क्योंकि गरीब आदमी की वहां सुनने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि स्वरूप रानी अस्पताल के वार्ड में ही नहीं गैलरी में भी गन्दगी भरी रहती है, उसकी सफाई की व्यवस्था करायें। इसके साथ ही अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र मेजा में 30 शैय्या का एक अस्पताल बना हुआ है वहां न तो अधीक्षक और न डाक्टर ही रहते हैं और डाक्टरों के न रहने के कारण करोड़ों की लागत में बना अस्पताल की कोई उपयोगिता नहीं है। मेजा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां पर भी महिला डाक्टर नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि मेजा स्वास्थ्य केन्द्र में महिला और पुरुष डाक्टर की व्यवस्था कराई जाये। मेजा में डाक्टर बैठते हैं लेकिन उनके सामने पानी की समस्या बनी रहती है। मैं चाहूंगा कि जब करोड़ों रुपये की लागत से एक अस्पताल बना हुआ है तो वहां तत्काल पानी की व्यवस्था कराई जानी चाहिये। इस तरह से आज जो क्षेत्रों में ए0एन0एम0 पोस्ट की गयीं हैं उनके अनुपस्थित रहने से कभी-कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि प्रसव वेदना से पीड़ित महिलाओं को दाई को देखना पड़ता है जिसके कारण आये दिन दुर्घटनायें घटती रहती हैं, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस ओर सख्त कदम उठाये जायं। हमारे यहां पिपरा क्षेत्र है जहां पर 40 किलोमीटर तक कोई भी अस्पताल नहीं है, इसलिये मैं मांग करता हूं कि पिपरा गांव सभा के अन्तर्गत एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और उसका स्वागत करता हूं। मैं प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के पूर्वांचल प्रतापगढ़ के वीरापुर विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां 1994-95 में जिला योजना के तहत आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन के निर्माण हेतु ग्राम डिघवट विकास खण्ड गौरा में सात लाख बीस हजार रुपये स्वीकृत हुआ था, परन्तु वहां के आयुर्वेदिक युनानी अधिकारी ने दो लाख आठ हजार रुपये का घपला कर दिया और पांच लाख बारह हजार रुपये को पी0एल0ए0 में डाल दिया, इसलिये मेरी मांग है कि इस पैसे को पी0एल0ए0 से अवमुक्त कर भवन निर्माण का कार्य अविलम्ब कराया जाय। हमारे यहां 1992 से लेकर आज तक विकास खण्ड गौरा में शोभा शंकर पाण्डेय जो बहुत ही गरीब हैं और बेरोजगार नवयुवक हैं, के दो कमरे के मकान को आयुर्वेदिक चिकित्सालय ने लिया है, लेकिन पांच सौ आठ रुपये पचास पैसे प्रतिमाह के हिसाब से उसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, इसलिये मैं मांग करता हूं कि उनका भुगतान अविलम्ब किया जाय।

मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़ अधिकारियों से सांठगांठ करके पैसा लेते हैं ओर यहां तक कि विकलांगों का सार्टिफिकेट भी नहीं देते हैं । इनके खिलाफ पट्टी, गौरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगंज जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, वहां पर कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुये हैं ।

(इस समय 5 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

समाचार पत्रों का पुलिन्दा बन गया है, परन्तु वह लखनऊ में अधिकारियों से सांठगांठ करके अपने को वहां रुकवा लेते हैं, इसलिये मैं मांग करता हूं कि श्री ओ0पी0 सिंह को तत्काल वहां से हटाया जाय । अब मैं दो गम्भीर मामलों को वहां उठाना चाहता हूं । 17 जुलाई की रात्रि में दो बजे से चार बजे के बीच में मेडिकल कालेज के गर्ल्स हास्टल में 55 छात्रों द्वारा रैकिंग के नाम पर बिजली विभाग की सीढ़ियों से चढ़कर और दरवाजे तोड़कर छात्राओं के साथ मुंह काला किया और वहां मल-मूत्र का भी त्याग किया, इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाय । डाक्टर अनिल गुप्ता कांण्ड से आप लोग सभी विदित ही हैं, इलाहाबाद शहर में उनकी पत्नी रश्मि गुप्ता, उनकी बहन शालिनी गुप्ता, उनकी मां शान्ती देवी व उनके नवजात शिशु मास्टर अजीत गुप्ता की सामूहिक हत्या कर दी गई और इस मामले की जांच वहीं के सी0आई0डी0 के लोगों से करायी जा रही है । जिसे वहां के अपराधी प्रमाणित कर सकते हैं इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस घटना की जांच लखनऊ, बनारस, गोरखपुर में कार्यरत सी0आई0डी0 विभाग से करा ली जाय । अन्त में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के उत्साहबर्धन में दो पंक्तियां कहना चाहता हूं --

यह आरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले,
क्रीतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले ।
जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं,
यह उनका जो चरण रोग निर्भय होकर लड़ते हैं ।

*श्री रामजीत भारद्वाज- .

मान्यवर, मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने खेतरपाला गांव में एक अस्पताल मंजूर किया था और 42 हजार रुपये राज्यपाल जी ने अवमुक्त भी कर दिये थे, परन्तु शेष पैसा अभी यहां नहीं पहुंचा है इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस धन को अविलम्ब मुहैया कराया जाय ताकि अस्पताल बन सके । पिछली सरकार के मुखिया मुलायम सिंह जी के पास की निशानी, चौदह करोड़ जनता की कातिल इसकी कहानी आज भी सब जानते हैं डाक्टर शिवराज सिंह के बारे में आप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी जानते हैं--

"कातिल गुनाह करके, जमाने में रह गया,
बाकी शरीफ आंसू बहाने में रह गया ।
पथराव का जवाब दे सकता था,
मगर मैं दिल के आइने को बचाने में रह गया ।।

राजजी विधायक, परिवर्तन चौक में 25 अगस्त से आमरण अनशन करेगां जब कि शिवराज सिंह उस कुर्सी से नहीं हटा दिया जाता और 70 करोड़ रुपया उससे वसूल नहीं किया जाता ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य समाप्त करें ।

*श्री रामजीत भारद्वाज-

गैर मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों में बाहर के प्रदेशों से छात्र-छात्राओं को भर्ती किया जा रहा है वहां से यहां उनका स्थानान्तरण किया जा रहा है जिसमें सचिवों के भी लड़के हैं और इन सात मेडिकल कालेजों में भर्ती में अनियमिततायें हुई हैं । इसकी जांच करने के लिये करनैल सिंह आयोग की स्थापना हुई परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई पैसा देकर इस प्ररकण को दबाया जा रहा है जिन्होंने इस प्रकरण को उजागर करने की कोशिश की उनमें आचार्य श्री बी0पी0 सिंह हैं उनका स्थानान्तरण 6 महीनें के अन्दर कर दिया ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोल रहे हैं अब नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रामजीत भारद्वाज-

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

श्री दीनानाथ भाष्कर-

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पुत्र और उनके पी0आर0ओ0 द्वारा ट्रान्सफर और पोस्टिंग में बहुत बड़े पैमाने पर धांधलियां की जा रही थीं और जब पूर्व मंत्री विदेश यात्रा पर जाने वाले थे तो अपने भ्रष्टाचार के कारण देखा कि यदि वह विदेश जायेंगे तो दीनानाथ भाष्कर को चार्ज देना पड़ेगा और वह हमारे भ्रष्टाचार को उजागर करेगा इसलिये उन्होंने अपनी विदेश यात्रा रद्द कर दी । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि निष्पक्षता से भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिये जो आपके द्वारा कटिबद्धता दिखाई जा रही है आप जरूर इस पर ध्यान देंगे आपने एक सुलझा हुआ बजट यहां रखा है जिसका मैं समर्थन करता हूं । और साथ ही साथ अनुरोध करता हूं कि प्रदेश के चिकित्सालयों में जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सफाई तथा अनियमितताये हैं को दूर करेंगे और डाक्टर और कर्मचारी चिकित्सालय पर निर्धारित समय पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी करेंगे और समय पर ही घर जायेंगे। इसके लिये आपको सतत् प्रयास करना होगा।

इसके साथ ही जो आयुर्वेदिक विभाग में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमिततायें हुई हैं उसके संबंध में निष्पक्ष जांच करायेंगे। इसके साथ ही मुझे जानकारी है कि बांदा में जो बजट दिया गया था उस पर निदेशक के सिगनेचर नहीं थे परन्तु ट्रेजरी वालों ने बिल पास कर दिया ऐसे ही बहुत सारे जिलों में जो बजट दिया गया उसमें फोटो कापी से ही ट्रेजरी से बिल पास करा लिया गया जो गलत है इसके लिये ओरिजनल लेटर होना चाहिये इस संदर्भ में भी मैं चाहूंगा कि जांच कराई जाये और ट्रेजरी के कर्मचारियों और अधिकारियों की भी जांच कराई जाये कैसे उन्होंने पैसा निकलवा दिया। ताकि सही रूप से जनता के सामने जा सके।

मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण कोटे को पूरा करना चाहिये आज चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथी हो चाहे एलोपैथी हो और चाहे यूनानी सेवा हो कहीं भी आरक्षण पूरा नहीं है। इन चारों विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हैं उससे निकाल कर उनकी सीधी भर्ती की जानी चाहिये। इसके अलावा एम0डी0 और एम0एस0 के बारे में भी होना चाहिये। वाराणसी का जो जिला अस्पताल है वह कबीर चौरा में स्थित है। यह जिला अस्पताल घनी आवादी के बीच स्थित है उसे वहां से अर्दली बाजार में ट्रांसफर होना है किन्तु उसकी इमारत को टेक-ओवर नहीं किया गया है। कबीर चौरा के जिला अस्पताल को वहां के पुरुष अस्पताल के अर्दली बाजार में चले जाने के बाद उसको पूरे का पूरा महिला चिकित्सालय बनाना चाहिये। बनारस की आवादी को ध्यान में रखकर पुरुष अस्पताल को वहां से शीघ्र ट्रान्सफर किया जाय। दिसम्बर, 94 में महामहिम महोदय ने ग्राम खेतरपाला में घोषणा की थी कि हम यहां पर स्टेट सेक्टर से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देंगे और उसके संदर्भ में 42 हजार रुपया जिला प्लान से टोकेन के रूप में प्राप्त हो गया है। मेरा निवेदन है कि शेष उसके पैसे को स्टेट सेक्टर से अवमुक्त करने की कृपा करें हमारा विधान सभा क्षेत्र चन्दौली बिहार से सटा हुआ है। आजकल वहां पर भी पड़ोसी प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री लालू यादव की छाप पड़ गयी है। वहां पर कोई दवायें और डाक्टर नहीं है। डाक्टर के नाम पर वहां भैंसा और दवा की टिकिया के नाम पर गोबर नजर आता है। वहां पर दवाओं की समुचित व्यवस्था कराई जाय तथा चन्दौली चिकित्सालय में पोस्टमार्टम की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। क्योंकि वहां पर बिहार से भी लाशें पोस्टमार्टम के लिये आती हैं और 4 विधान सभा क्षेत्र उससे सम्बन्धित हैं।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, आपने चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद देता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी का बजट भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना है तो लगा कि जो बजट भाषण होता रहा है लगभग उसी तरह का वह भी है। लेकिन मंत्री जी जिस वक्त भाषण फेस कर रहे थे मंत्री जी की बातों से लगा कि मंत्री जी ने कुछ इच्छा शक्ति है और वास्तव में वह इस माहौल में भी कुछ चाहते हैं। उसके लिये उन्होंने विभाग को सुधारने के लिये जो 2-3 महीने की बात कही है उसकी मेरे साथियों ने तारीफ भी की है। और वास्तव में तारीफ की बात भी है। जो सरकारी अस्पताल के डाक्टर होते हैं, कोई भी पेशा हो अपने सारे जीवन में किसान किसानी करते-करते अन्तिम क्षणों तक उसको करता है और उसमें अनुभवों को प्रयोग करता जाता है। जैसे-जैसे उनकी जिन्दगी बीतती जाती है अनुभव बढ़ता जाता है। चाहे अध्यापक हो चाहे लोहार या सोनार का पेशा करने वाला कोई हो वह अपने सारे जीवन में उसे करता है और अपने अन्तिम क्षण में वह बहुत अनुभवी हो जाता है। लेकिन सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों के साथ ऐसा नहीं है। वे एम0एस0 और एम0डी0 होने के बाद भर्ती हो गये और कुछ दिन बाद डी0एम0एस0 हो गये। और वह जैसे-जैसे अनुभवी होते गये एक्सपीरियन्स होता गया, तजुर्बा के साथ-साथ वह मरीजों से दूर होते चले गये। जिन तजुर्बों से मरीजों को फायदा देना चाहिये था उसकी जगह वह दफ्तरों में डिप्टी सी0एम0ओ0 बन जाता है, ए0डी0ए0, बड़ा डायरेक्टर और छोटा डायरेक्टर बन जाता है। इतने तजुर्बे के बाद उन्हें मरीजों को देखने के काम आना चाहिये। उनका एक्सपीरियन्स, विद्वता, तजुर्बा जो मरीजों के काम आना चाहिये था उनसे दूर होता चला जा रहा है। आपको इसको देखना होगा। जो जितना सीनियर डाक्टर है, वह मरीजों के पास में रहे। आपको एडमिनिस्ट्रेशन को सही करना होगा।

आज अस्पताल जाओ तो इमरजेन्सी में भी डाक्टर नहीं मिलते हैं। मैं बुलन्दशहर के एक अस्पताल की बात चला रहा हूं। वहां इमरजेंसी में जिस डाक्टर की ड्यूटी थी वह मिले नहीं। उनको ढूंढ़ते-ढूढ़ते मैं उनके घर तक पहुंच गया तो देखा कि वह अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे थे। सीनियर डाक्टर अपनी पूरी जिन्दगी मरीजों मरीजों के साथ रहें तो अनुशासित रहेगा, बड़े का रुतवा रहेगा। छोटे डाक्टर अनुशासन में रहेंगे और अस्पताल की हालत भी अच्छी रहेगी। डाक्टर के पेशे का इस्तेमाल मरीज के इलाज में न होकर दफ्तर की फाइलों में बिठाकर हो रहा है। दूसरा बिन्दु मैं जनसंख्या के बारे में कहना चाहता हूं। अभी माननीय नरेन्द्र जी ने बड़े अच्छे तरह

से इसे बताया आज पूरे प्रदेश के लोगों की राय है कि फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट बन्द कर दिया जाय। आज इस संबंध में फर्जी आंकड़े आ रहे हैं। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में हर जिले का डी0एम0 चाहता है कि मेरे जिले का नाम फर्स्ट आये इसलिये फर्जी आंकड़े फैमिली प्लानिंग के दिखा दिये जाते हैं।

मेरा सुझाव है कि आप फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट को बन्द करने के बारे में सोचिये मगर उसके अल्टरनेट को भी सोचिये। जिस तरह से लाइफ इन्श्योरेंस डिपार्टमेंट है, इसके एजेन्ट होते हैं। वह गांव-गांव, गली-गली घूमते हैं और लोगों को बीमा कराने के लिये उत्साहित करते हैं। जिससे छोटी आमदनी वाले लोग भी उसकी उपयोगिता को समझते हुये बीमा करा लेते हैं। उसी तरह से आप भी एक अध्ययन दल बना लें, कोई ऐसा रास्ता खोजें, कोई ऐसी राय देखें जिसमें एल0आई0सी0 के एजेन्ट्स की तरह लोग हों जो फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों में इस तरह से प्रचार प्रसार करें कि लोग उत्साहित होकर आगे आयें और जब यह एजेन्ट केस लेकर आपके शासन के पास आयें तो जिस तरह से एल0आई0सी0 अपने एजेन्ट्स को पैसा देती है शासन की तरफ से उन्हें भी धन दिया जाय। यह लोग इस तरह से फैमिली प्लानिंग के प्रचार कार्यक्रम को अपने साइड बिजनेश के तौर करें। इस तरह की योजना अगर आप बनावें तब ही फैमिली प्लानिंग में कुछ नतीजा निकल सकता है।

मान्यवर, मैं एक दल का रिप्रेजेन्ट करता हूं। बहुत कम बोलता हूं। माननीय मंत्री जी ने इतना अच्छा बजट रखा है इसलिये बोलने की इच्छा हुई है। आप बार-बार लाल बत्ती जला रहे हैं। मान्यवर, बजट तीन मिनट में प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय मंत्री जी आपने प्राइवेट प्रैक्टिस को रोकने के बारे में बात कही है। आप इसको रोक नहीं सकते हैं। यह बड़ा मुश्किल काम है। बहुत से ऐसे केसेज हैं कि पोस्टिंग देहरादून में है और नर्सिंग होम मेरठ में चल रहा है। पोस्टिंग जौनपुर में है और नर्सिंग होम बनारस में चल रहा है। तो मान्यवर, आप इसे कैसे रोक पायेंगे? मेरा एक सुझाव है कि आप इसे रोकने के लिये एक काम करिये। एक ग्रुप इन्टेलिजेंस या इसी तरीके का बनाये जो पूरे प्रदेश में दौरा करके जांच करे कि यह नर्सिंग होम किस तरह से चलाये जा रहे हैं। डाक्टर सरकारी नौकरी में हैं। महीनें में एक दिन जाकर सैलरी ले आते हैं। सी0एम0ओ0 से इनकी सांठ-गांठ होती है। आधा चौथाई उनसे बंधा होता है और अपने पोस्टिंग के स्थान से 100-200 किलोमीटर दूर आराम से अपना नर्सिंग होम चला रहे हैं। ऐसे डाक्टर्स के खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिये और उन्हें नौकरी से बर्खास्त करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे समाज में एक बुराई जो पनप रही है। भ्रूण हत्या का मामला है। जबसे अल्ट्रा साउन्ड शुरू हुआ, समाज में बहुत बड़ी बुराई पैदा हो गई है। हमारे समाज का सन्तुलन बिगड़ता जा रहा है। पैदा होने से पहले लड़कियां मर रही हैं तो आप कोई न कोई ऐसा कानून बनायें जिससे भ्रूण हत्या रुके। लड़की जो मरती है और लड़के जो पैदा किये जाते हैं इसको आप भी पूरी तौर पर नहीं रोक पायेंगे क्योंकि लड़की की कीमत कम है और लड़कों का महत्व अधिक है, तो भ्रूण हत्या को रोकने के लिये आप कानून बनायें।

मान्यवर, अस्पतालों में डाक्टर की ड्यूटी पोस्टमार्टम के लिये लगती है 24-24 घण्टे लोग पड़े रहते हैं 24-24, 36-36 घण्टे पोस्टमार्टम नहीं होते हैं। पोस्टमार्टम के लिये आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि महीने में 15 दिन के लिये ही पोस्टमार्टम के डाक्टर अलग लगें। और डे-नाइट पोस्टमार्टम करें। वह दृश्य बहुत ही वीभत्स होता है जब बरसात आंधी में लोग डेड-बाडी को लेकर बैठे रहते हैं और पोस्टमार्टम नहीं होता है बैठे रोते रहते हैं। पोस्टमार्टम के लिये स्पेशल फिजीशियन होता है वह एक ही होता है तो वह मरीजों को देखे या पोस्टमार्टम करे तो आप पोस्टमार्टम के लिये ऐसी व्यवस्था करें जो लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं ऐसे जवान लोग जो पोस्टमार्टम के लिये आते हैं उनका पोस्टमार्टम हो जाय, पूरा का पूरा परिवार बैठा रोता है तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि पोस्टमार्टम जल्दी हो जाये।

मान्यवर, सरकारी अस्पताल हैं वहां बजट कम होता है बजट कम है फिर भी मरीजों की सेवा हो सकती है। मेडिकल स्टोर से सीधे अस्पतालों का सम्पर्क रहता है दवाइयां बिक जाती हैं मिक्सचर पानी मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। इस हालत को नहीं सुधारा गया तो कुछ दिनों बाद सरकारी अस्पताल एक तरह का केस करेंगे। मेडिको लीगल केस। तो यह सरकारी अस्पताल मेडिको लीगल केस के लिये ही न रह जाये। मान्यवर, किंग जार्ज मेडिकल कालेज है लखनऊ में यहां कोई वर्न यूनिट नहीं है जबकि सफदर गंज अस्पताल जो दिल्ली में है उसमें वर्न यूनिट है। मेडिकल कालेज मे वर्न यूनिट बनाई जाये। वर्न वाडी में इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है इसलिये वर्न यूनिट बनाना बहुत ही आवश्यक है ताकि इन्फैक्शन न हो। मान्यवर, हमारे बुलन्दशहर में बीबीनगर है वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां कोई डाक्टर नहीं है। आज की हालात में लेडी डाक्टर नहीं हैं जेन्ट्स डाक्टर नहीं हैं एक डाक्टर है वह मेरठ में रहते हैं बीबीनगर ग्रामीण एरिया है जहां डाक्टर होने चाहिये। मेरा आपसे अनुरोध है कि बीबीनगर में स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर भेजने की कृपा करें। रिसर्च भी बहुत जरूरी है। इस बजट में इसके लिये बहुत कम प्राविधान किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

(व्यवधान)

*श्री छब्बू पटेल-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 240, मुगलसराय, निजामताबाद वाराणसी में सन् 1984 में अस्पताल के लिये 12 करोड़ दिया गया था लेकिन वह अस्पताल कागजों पर चल रहा है । लाखों रुपया रोज हर महीनें कार्यक्रमों पर व्यय हो रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं । अब तक 12 करोड़ रुपये का सामान विभाग को ट्रांस्फर हो गया है लेकिन उसमें भवन निर्माण आज तक नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस बजट में भवन बनवाने हेतु अपने स्तर से धन देने की व्यवस्था करें । दूसरे श्रीमन्, मुगलसराय में काली महल में स्थिति बदतर है । वहां पर डाक्टर नहीं जाते हैं वहां पर 20 शैय्या का अस्पताल है लेकिन मरीज नहीं रहते हैं । उसकी अपने स्तर से जांच कराकर उस अस्पताल की व्यवस्था माननीय मंत्री जी सुनिश्चित करायें ।

एक बात और महत्वपुर्ण है । हमारे यहां श्रीमन्, राम नगर लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में कम से कम वहां 20 कि0मी0 से मरीज आते हैं । उस अस्पताल में एक दिन 8.00 बजे मैं एक मरीज को लेकर गया था । लेकिन उस अस्पताल में न तो कोई डाक्टर मिला न ही कोई नर्स व वार्डब्वाय मिला । न ही कोई चपरासी वहां पर मौजूद था । एक बिस्तर पर कुत्ता जरूर बैठा था ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री छब्बू पटेल-

मान्यवर, राम नगर अस्पताल में मरम्मत के लिये 3 लाख रुपये मिले थे लेकिन मरम्मत के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप अपनी बात समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने क्षेत्र वाराणसी में स्थित शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में व्याप्त दुर्व्यवस्थाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे वाराणसी के शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में भयंकर भ्रष्टाचार और दुर्व्यवस्था व्याप्त है। यह सही है कि जिस हालत में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस विभाग को संभाला है वह बहुत खराब हालत में था। लेकिन मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी इच्छा शक्ति और हिम्मत का प्रयोग करेंगे। जिससे व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में वह निश्चित रूप से सफल हो सकेंगे। अस्पतालों में जो सीमित संसाधन हैं उससे जो दवायें उपलब्ध होती हैं वह मरीजों को नहीं मिलती हैं बल्कि वह बाहर दुकानों में पहुंच जाती है। यह एक यक्ष प्रश्न है।

डाक्टर अस्पतालों में न बैठकर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी यह देखें कि इस पर किस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है। हमारे यहां शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में एण्टी रेवीज जो कुत्ते, बन्दर काटने से मरीजों के काम आती है वह अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। जिससे गरीब पीड़ित लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जी इसको देखें कि यह किस प्रकार उपलब्ध कराई जा सकती है। एक सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि डाक्टरों और नर्सों के मन में सेवा भाव कैसे उत्पन्न किया जाय। आज इस सेवा भाव की अत्यंत कमी है। वह मरीजों को संवेदनशीलता के साथ अटेंड करें इस दिशा में कोई कार्य योजना बनाई जाये। क्षय रोग से वहां पर काफी लोग पीड़ित हैं हालांकि अब इसका इलाज आसानी से हो जाता है। लेकिन शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में मरीज भटकते रहते हैं। उनको दवा के अभाव में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण यह कमी है। अस्पतालों में व्याप्त दुर्व्यवस्था देखने के लिये जो डाक्टर नियुक्त हैं, यदि वही भ्रष्ट हो जायें तो अस्पतालों की जो दुर्व्यवस्था है उसका कोई निदान नहीं है।

मान्यवर, हमारे यहां शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में जो सी0एम0ओ0 हैं, श्री आर0सी0 कटियार, उनके संबंध में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह अस्पताल में बहुत कम जाते हैं, अपने बंगले पर सारा सौदा तय करते हैं। दवाओं के फुटकर और होलसेल विक्रेता बनने के लिये जो लाइसेंस दिया जाता है, उसमें वह अपने बंगले पर 10 हजार, 15 हजार की सौदेबाजी करते हैं। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जांच करायें और निश्चित रूप से सी0एम0ओ0 जो बहुत दिनों से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां कुन्डली मारकर बैठे हुये हैं, उनको वहां से हटाने का निर्देश देने की कृपा करें। मान्यवर, अस्पतालों में बिस्तर साफ नहीं होते, बेड कवर की कमी रहती है, अस्पतालों के कमरों की, अस्पताल परिसर की जो गन्दगी का सवाल है, यह पूरे उत्तर प्रदेश में कमोबेश एक सी स्थिति है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत खराब हालत में यह विभाग मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वह इस ओर पर्याप्त ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, समाप्त करें।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा। आयुर्वेद की दवाइयों की खरीद के संबंध में पिछले वर्ष जो बहुत बड़ा घपला हआ था, उसकी जांच नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि इस मामले की जांच कराई जाय और घपले को उजागर किया जाय और दोषियों को कटघरे में खड़ा करने का आप काम करें। ताकि यह जो नई सरकार आई है, नया परिवेश मिला है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी काफी परिश्रमी भी हैं, जनता में यह संदेश जाय कि हमारे मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग की बिगड़ी हालत को सुधार रहे हैं। मेरी कामना है कि वह इस उद्देश्य में पूर्णतः सफल हों, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*इंजीनियर राम कृष्ण वर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने बजट के अनुसार ही इस विभाग को अच्छी तरह से चलायेंगे। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि स्वास्थ्य ही जीवन है और जो लोग डाक्टर्स की पढ़ाई पूरी करके निकलते हैं, उनके और स्वास्थ्य विभाग के बीच में सामंजस्य होना चाहिये। आज डाक्टर की पढ़ाई पूरी करके लोग सड़कों पर घूम रहे हैं बहुत दिनों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और प्रदेश में डाक्टरों की बहुत कमी है, इसको पूर्ण करने के लिये, जो पिछले 10 साल से नियुक्तियां नहीं हुई हैं, वह कराई जायें इसके लिये विभाग में सामंजस्य होना चाहिये।

मान्यवर, प्रत्येक जिले में जो अस्पताल हैं, उनकी दशा कोई बहुत अच्छी नहीं है, बजट भी बहुत कम दिया जाता है, इस कारण मरीजों को दवायें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे गरीबों को शीघ्र दवायें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपलब्ध हो सकें और धनाढ्य वर्ग को भले ही बाजार से उपलब्ध करा दिया जाय। मान्यवर, मेडिकल कालेज, मेरठ जो है, वह मेरे क्षेत्र में है, वहां न्यूरोलाजी का विभाग है, डाक्टर भी हैं, लेकिन कैटस्कैन की मशीन नहीं है। वहां जो पास के प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां कैटस्कैन की मशीन है, जहां एक केस का 1500 रुपया लगता है। मेरी मांग है कि मेडिकल कालेज में न्यूरालाजी विभाग के होते हुये एक कैटस्कैन की मशीन उपलब्ध कराई जाय। इस मेडिकल कालेज की दशा अच्छी है, लेकिन बजट वहां भी कम ही रहता है, वहां पर प्रिंसिपल श्रीमती ऊषा थी, तो वहां काफी सफाई रहती थी, इसी प्रकार किसी योग्य प्रिंसिपल को वहां नियुक्त किया जाय। इसी के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मुरली धर-

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरा विधा सभा क्षेत्र और माननीय मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र की सीमायें आपस में मिलती हैं। माननीय मंत्री जी के विधान सभा क्षेत्र में जो गरीब निवासी हैं उनकी जो समस्यायें इस विभाग के संबंध में हैं वही समस्यायें मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की भी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में यमुना के किनारे बसे गांवों के लोगों के लिये आने जाने के साधन नहीं है अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वह शहरों में मुश्किल से पहुंच पाता है।

मेरे क्षेत्र में कोई भी इस तरह का स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल नहीं है जहां पर भवन हों इसीलिये डाक्टर दूसरे भवनों में बैठते हैं। मेरे यहां धाता एक ऐसा स्थान है जो इलाहाबाद तथा फतेहपुर जिले से संबंध होता है। पिछड़ा क्षेत्र होने से वहां पर स्वास्थ्य सुविधायें नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 50शैय्याओं वाले अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिये। वहां पर एक खखरेड़ी नाम का गांव है जो मुस्लिम बाहुल्य आबादी का गांव है। पिछली सरकार में वहां एक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है लेकिन वहां पर अस्पताल का निर्माण नहीं कराया गया है। इस अस्पताल के लिये धन की व्यवस्था कराई जाय इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी का बजट आशावादी है इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मंत्री जी अनुभव से परिपूर्ण हैं, उन्होंने इस बात को आवश्यक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझा है कि विभाग की कार्य-प्रणाली में सुधार हो। मान्यवर, जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक बजट चाहे जितना हो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और परिवार नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या में गुणात्मक परिवर्तन करता है लेकिन इस काम में जितना फर्जीफिकेशन प्रदेश में हो रहा है उतना और कहीं नहीं होगा। लक्ष्यों को पूरा करने के लिये ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है जिसका इस योजना से कोई संबंध नहीं है। जो लोग बुजुर्ग हैं उनके आपरेशन करने से कोई फायदा नहीं है मेरा निवेदन है कि इस फर्जीफिकेशन को बन्द करवाया जाय और ऐसे लोग जो परिवार नियोजन की परिधि में आते हैं उनको परिवार नियोजन के लिये प्रेरित किया जाय तभी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है अन्यथा बजट चाहे जितना रख लीजिये उससे लाभ नहीं होने वाला है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ में एक मोहन लाल आंखों का अस्पताल है। इस अस्पताल में देश और प्रदेश से बहुत से लोग आते हैं बिहार और उड़ीसा से भी लोग आते हैं। अलीगढ़ ए0एम0यू0 का मेडिकल का विकास इसलिये हो रहा है क्योंकि अरब कन्ट्रीज से पैसा सहायता के रूप में मिलता है। लेकिन हमारी सरकार मोहन लाल आंखों के अस्पताल को कोई सहायता नहीं देती है। आंखें मानव जाति के लिये ऐसी हैं कि यदि कोई शरीर का अंग चला जाय तो काम चल सकता है लेकिन यदि आंखें चली जायं, तो जीवन सफल नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है कि मोहन लाल आंखों के अस्पताल के लिये धन का प्राविधान किया जाय। मान्यवर, एक मिनट और दे दें, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जनपद अलीगढ़ में कस्बा बेसवा में जो अस्पताल बना है, उसमें न डाक्टर हैं और न मशीनें हैं। इसी प्रकार से कस्बा गोंडा में जो अस्पताल है उसके उच्चीकरण के लिये 10 लाख रुपया चला गया है, लेकिन उसका कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर कार्य प्रारम्भ कराया जाये और अधिक धन का प्राविधान किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(समय 6 बजकर 25 मिनट)

*श्री शिवदानी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस सराहनीय बजट पर बोलने के लिये मुझे आपने अवसर प्रदान किया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और साथ ही साथ मंत्री जी को अपने क्षेत्र के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं। मान्यवर, मैं इलाहाबाद के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र चायल से विधायक हूं। हमारा क्षेत्र हर दृष्टि से सुरक्षित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से विकास की किरण जो निकलती है, वह भी वहां पर प्रवेश नहीं कर पाती है इस तरह उसको सुरक्षित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कई स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं, जैसे सराय आकिल, नेवादा, चायल, पूर मुफ्ती, चरवा, गौसपुर, मूरतगंज में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनकी हाल अच्छी नहीं है। पुरखास के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भवन नहीं है और वह किराये के भवन में हैं, इसकी भी व्यवस्था की जाय। यह सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मात्र वहां पर स्थित हैं, लेकिन कोई सुविधा उनमें नहीं है। इनमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरे क्षेत्र में गरीब लोग ज्यादा हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति गरीबी की मार से यहां पर पहुंच जाता है, तो वह प्राथमिक केन्द्र की हालत को देखकर वापस चला आता है, वह उससे अधिक बीमार है। वहां पर केवल एक फारमासिस्ट होता है, एक टेबिल होती है और एक कुर्सी होती है और वह उसको खोल कर बैठ जाता है और कुछ नहीं होता है। शोभना में होम्योपैथी केन्द्र खुला है, लेकिन उसकी भी हालत अच्छी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप समाप्त करें।

श्री शिवदानी-

मान्यवर, एक मिनट और दे दें, तो मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हररायपुर चौराहा खण्ड मूरतगंज में निर्माण कराने की कृपा करें। बी0एस0 मेहता चिकित्सालय, भरवारी का उल्लेख आपके विभाग द्वारा दी गई पुस्तिका में किया गया है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चिकित्सालय की व्यवस्था के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि वह चिकित्सालय द्वावा में एक बहुत बड़ा चिकित्सालय है, जो सरकार द्वारा सहायता न मिलने के कारण वहां के कर्मचारी जो हैं उनको 4 साल से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण वह भूखों मर रहे हैं और अस्पताल की व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण होती चली जा रही है, मेरा आपसे आग्रह है कि उसे आप अधिक से अधिक धन देकर प्रभावी बनाने की कृपा करें।

श्री नन्द किशोर मिश्र-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी

द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, स्वस्थ नागरिक ही देश और प्रदेश के विकास का माप दण्ड होता है। माननीय मंत्री जी को इस विभाग को स्वस्थ करने के लिये काफी परिश्रम करना पड़ेगा। हमको विश्वास है कि इस विभाग में जो कुप्रबन्ध फैला हुआ है उसको ठीक करने में माननीय मंत्री जी सफल होंगे। मान्यवर, जनपद पडरौना नया जिला बना है और इसे बने हुये एक वर्ष हो गये अभी वहां कोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं तैनात किया गया है मैं चाहूंगा कि इसकी तैनाती की जाय। यह जिला 22 लाख की आबादी का है लेकिन वहां कोई सदर चिकित्सालय नहीं है इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, हमारे जिले में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी नहीं है।

(व्यवधान)

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां किसी भी चिकित्सा केन्द्र पर चिकित्सा अधीक्षक एवं चिकित्सक नहीं हैं। सेवरही और तमकुही राज दोनों पर महिला चिकित्साधिकारी भी नहीं नियुक्त है एक्सरे प्लांट लगा हुआ है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

*श्री जगन्नाथ चौधरी-

मान्यवर, आपने मुझे चिकित्सा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आज 1995-96 का स्वास्थ्य विभाग का बजट जो प्रस्तुत किया गया है, स्वास्थ्य विभाग बहुत ही जर्जर स्थिति में है, लेकिन उन्होंने अल्पसमय में जो बजट प्रस्तुत कर उसमें सुधार की तरफ कदम उठाया है मैं उसका स्वागत करता हूं और बजट के समर्थन पर बल देता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद जौनपुर के स्वास्थ्य अस्पताल के संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जौनपुर जनपद का एक अस्पताल बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है वहां पर कोई भी गरीब मरीज को 10 पैसे की टिकिया भी नहीं उपलब्ध कराई जाती है यहां तक कि माननीय सांसद भी किसी गरीब की मदद के लिये जाता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जहां तक जानकारी मिली है कि जौनपुर सदर अस्पताल में जितनी भी दवायें शासन की तरफ से जाती हैं वह दवायें सब मेडिकल स्टोर में चली जाती हैं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अस्पताल के अन्दर जो गड़बड़ी है, खराबी है उसको दूर करें और गरीबों को दवा उपलब्ध कराई जाय। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के संबंध में एक महत्वपूर्ण गुजारिश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ चौधरी-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र केराकत में 95 लाख रुपया सामुदायिक केन्द्र के लिये पड़ा है उस सामुदायिक केन्द्र के निर्माण के लिये कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है इसलिये मैं चाहता हूं कि सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय सदस्य जो बोलेंगे यह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री बालचन्द्र मिश्र-

मान्यवर, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भाषण सुनकर और उनके प्रयास को देखकर निश्चित ही उत्साह और उमंग बढ़ा है और इसी से उत्साहित होकर मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में कुछ सुझाव लाना चाहूंगा । मान्यवर, देश का सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या के नाते उत्तर प्रदेश और उसमें कानपुर सबसे बड़ा महानगर है । कानपुर की 30-35 लाख की आबादी में सदियों पुरानी चिकित्सा व्यवस्था शहर के एक क्षेत्र में निरुद्ध है, सीमित है । मान्यवर, कानपुर की अनियमित बढ़ती हुई आबादी के कारण कानपुर उत्तर और कानपुर दक्षिण का इसमें प्रशासनिक दृष्टि से भी विभाजन हो गया । 15 लाख के लगभग कानपुर दक्षिण की आबादी है और उसमें कोई भी सरकारी चिकित्सालय नहीं है, नगर निगम के दो छोटे-छोटे अस्पताल हैं लेकिन वह भी किसी काम के नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा श्रमिक कालोनिया हैं सबसे ज्यादा श्रमिक निवास करते हैं । सबसे ज्यादा गरीब व दलित निवास करते हैं इसी मेरे विधान सभा क्षेत्र में इन्डस्ट्रियल इस्टेट भी हैं उस तरफ कोई चिकित्सालय भी नहीं है । मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट कर रहा हूं कि उस क्षेत्र में एक पूरा नया चिकित्सालय, एक सरकारी अस्पताल के सृजन की पृष्ठभूमि शुरू करें और कृपा कर उस नगर में जो चिकित्सालय मेडिकल कालेज के अधीन हैं उसे अलग से बजट बढ़ायें उनके बजट के अभाव में कानपुर की जनसंख्या को देखते हुये वह स्वयं अस्त-व्यस्त हो रहा है, आप उस ओर अपनी कृपा दृष्टि बढ़ावें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री अक्षयवर भारती जी को बुला रहा हूं । (व्यवधान)

श्री बाल चन्द्र मिश्र-

कुछ वहां के लिये विशेष रूप से धन आवंटित करें । इसी के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री अक्षयवर भारती-

मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । यह जनहितकारी बजट जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्तुत किया है यह अद्वितीय है। अब तक जितने बजट प्रस्तुत किये गये हैं विगत वर्षों में उनमें सबसे अच्छा है, जन कल्याणकारी है और गरीबों के हित में है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में इस समय अवांछित बच्चे पैदा हो रहे हैं। मां बाप नहीं चाहते हैं लेकिन बच्चे चले आ रहे हैं। लोगों ने नसबन्दी करा रखी है लेकिन बच्चे हो रहे हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग से यह कहना चाहता हूं कि वह जो बच्चे पैदा हो रहे हैं बिना मां बाप की इच्छा से उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। चूंकि वह सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बच्चे हुये हैं। बच्चों का तो दोष नहीं है मां बाप नहीं चाहते थे लेकिन बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसे बच्चे अगर किसी और क्षेत्रों में पैदा होते हैं तो वह भी सूचना दें मैं इसमें विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार ले।

मान्यवर, मेरे जिले में जो अस्पताल है नया अस्पताल बन रहा है, नया जिला है, पोस्टमार्टम घर उसमें नहीं बना लाशों को लेकर लोग आजमगढ़ जाते हैं। पुलिस के लोग 3-3 दिन तक उसमें परेशान रहते हैं। हमारा बीहड़ का ताल का इलाका है। वहां पर गाड़िया नहीं है, पी0एच0सी0 में डाक्टर्स सुदूर इलाकों में जाकर इलाज करना भी चाहें तो साधनों के अभाव में दिक्कत होती है। हमारे यहां आंत्रशोध रोग फैल रहा है विगत दिनों बहुत सारे रोगी हैजे और आंत्रशोध से मर गये। ऐसा नहीं कि कर्मचारी अच्छे नहीं हैं, सी0एम0ओ0 कर्मठ हैं कुछ करना चाहते हैं लेकिन साधन बिहीन हैं। मान्यवर, पी0एच0सी0 और अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों पर लोकल पर्चेज की व्यवस्था नहीं है। अकस्मात् यदि विधायक भी चले जायं तो माकूल दवा का प्रबन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें। माननीय श्री स्वयंवर चौधरी को बुला रहा हूं।

श्री अक्षयवर भारती-

उन केन्द्रों पर माकूल दवायें उपलब्ध करा दी जायं या एल0पी0 की सुविधा उपलब्ध हो।

*श्री स्वयंवर चौधरी-

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र सिद्धार्थनगर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे जनपद में नया जिला अस्पताल बना और उसका उद्घाटन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके पहले जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने किया । उसमें पोस्टमार्टम के लिये सुविधा तो है लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले की नियुक्ति नहीं की गई है उसके बिना वह बेकार पड़ा हुआ है उसकी नियुक्ति की जाय । दूसरे एक्सरे की सुविधा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वयंवर चौधरी-

मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि इटवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है जब तक वहां पर सिद्धार्थनगर में व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक उसे वहां से जोड़ दिया जाये । इसी के साथ मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री मुन्नू लाल कुंरील-

मान्यवर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर कहना चाहूंगा कि--

"जिसे इंसानियत प्यारी हो, उसे इंसान कहते हैं ।
रहम हर दिल से रखता हो, उसे रहमान कहते हैं ।"

मान्यवर, यह जो बजट रखा गया है यह गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर रखा गया है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं । मान्यवर, मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं । दाई के पद पर कई महिलायें काम करती हैं लेकिन दाई के नाम से वह कुंठित होती है जैसे हरिजन शब्द से कुंठा होती थी और उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया उसी प्रकार से इनके नाम में भी परिवर्तन कर दिया जाये । दूसरा जो बी0एच0डब्लू0 की ट्रेनिंग होती है, अनुसूचित जाति के लोग इस प्रकार की ट्रेनिंग करके बैठे हुये हैं और आज उनको रोजी रोटी नहीं मिल रही है तो उनको इसका लाभ दें जिससे उनको रोजी रोजी मिल सके । मान्यवर, जो अस्पताल खोले जाते हैं उनका किराया तीन-तीन, चार-चार सालों से नहीं मिला है उसे दिलाया जाय ।

मान्यवर, बजट गांव के अस्पतालों को कम दिया जाता है अतः बजट की व्यवस्था कर अधिक धनराशि गांव के अस्पतालों को दी जाय ।

प्रायः देखा यह जा रहा है कि दो हजार से तीन हजार तक गांव के अस्पतालों को बजट दिया जाता है वह साल भर के लिये पर्याप्त नहीं है अतएव इसे संशोधित करके इसे पांच हजार से दस हजार तक की धनराशि का बजट रखा जाय । मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कस्वा मानिकपुर इटवा, हेलावगदरी, कौवरा, इटवा, वियावल मरका आदि गांव में चिकित्सक नहीं हैं इनकी नियुक्ति तत्काल कराई जाये इसके साथ ही कस्वा राजापुर में महिला चिकित्सक नहीं हैं उनकी नियुक्ति कराई जाय एवं तहसील मुख्यालय मऊ में महिला चिकित्सक की

नियुक्ति की जाये तथा प्रस्तावित महिला चिकित्सालय का अविलम्ब निर्माण कराया जाये । इसी के साथ मैं शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं :-

"हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं,
तुम्हारी सूरत नजर आये तो गजल कहते हैं,
उफ संगमरमर से तराशा एहसाक बदन
तुमको देखने वाले ताजमहल कहते हैं ।।"

मान्यवर, आपने मुझे जो स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

इंजीनियर राम लोटल सिंह पटेल-

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया इसका मैं समर्थन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, यह बजट बहुत ही स्वागत योग्य है यह जनहित में है । मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा इसमें कोई शक सुबहा नहीं है कि जितने भी चिकित्साधिकारी हैं उनकी काबिलियत में कोई शक सुबह नहीं है वह बहुत ही योग्य है । बजट चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो अगर डाक्टर की नियुक्ति नहीं होगी तो वह बेकार हो जायगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक टैबलेट की बजट में व्यवस्था की जाये जो सेवा भाव की टैबलेट हो और उसको डाक्टरों को खिलाया जाय जिससे उनके मन में सेवा भाव जागे, जनसेवा की भावना जागे ।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें ।

डा0 सुरेश प्रताप सिंह चौहान-

मान्यवर, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी पर किसी ने नहीं कहा है मैं उसमें कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कि पहले परिवहन मंत्री थे और जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से परिवहन का महकमा चलाया था वह बधाई के पात्र हैं । और उन्होंने जो अपना बजट पेश किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं । आपके समक्ष चार सुझाव पेश कर रहा हूं । विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण विभाग है, इसके अन्दर पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर रिसर्च चल रहे हैं । मुझे थोड़ी हंसी आयी थी जब माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े उच्च श्रेणी की रिसर्च हो रही है, मैं क्षमा चाहूंगा वह हिन्दुस्तान में और बाहर के लैबों में जाकर देखें तो पता चलेगा कि हम कहां हैं । जो नान गवर्नमेंट आर्गनाइजेशन हैं, स्वयं सेवी संस्थायें हैं, उनको बढ़ावा दिया जाये, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट को एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों की कमेटी के द्वारा उनके रिसर्च का परीक्षण कराकर, उन्हें बढ़ावा

दिया जाय, उन्हें कुछ अनुदान दिया जाय तभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी में रिसर्च हो सकते हैं, हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। इसके लिये यह प्रयास करना होगा कि एक कोआर्डिनेशन कमेटी बनाई जाय जो साइन्स और टैक्नालोजी जो युनिवर्सिटीज में, कृषि डिपार्टमेंट में या अन्य संस्थाओं में हैं, उनका आपस में समन्वय होना चाहिये, मान्यवर, अभी हाल में जो राज्य शैक्षिक परिषद् का मामला आया था, मैंने इसके उद्देश्य को पढ़ा है।

मैंने उस दिन भी कहा था कि इसके अन्दर जो औबजेक्टिव हैं और शिक्षा के स्वरूप, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समस्यायें क्या हैं और बाकी आर्गनाइजेशन में क्या समस्यायें हैं इसका समन्वय हो इसके ऊपर विचार करें बहस हो और प्रदेश के अन्दर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम लोग एक नये तरीके से नई रणनीति बनायें तो मैं समझूंगा कि इससे प्रदेश को बहुत बड़ा लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सफदर रजा खान-

मान्यवर, आपने मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान को आकर्षित करते हुये इतना जरूर कहूंगा कि बजट कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन जब तक प्रदेश की गरीब जनता, जो दवा, मलहम और पट्टी नहीं खरीद सकती जिसके पास डाक्टर को फीस देकर दिखाने का पैसा नहीं है, जब तक दीन दुखी जनता को आभास न हो जाय कि सरकार का बजट अच्छा है, तब तक यहां पक्ष व विपक्ष में भाषण देने मात्र से न तो बजट अच्छा हो सकता है, न ही खराब है लेकिन मैं मा0 मंत्री जी का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेते ही जनता में इस बात का संदेश भेजा है कि राहत महसूस होने लगी है और आने वाले दिनों में गरीब जनता को दवाई और मलहम पट्टी जरूर मिलेगी।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो सीनियर अधिकारियों की समिति बनाकर जनपदों में भेजा है छापा डलवाकर जांच कराई है उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी कृपया उस समिति को परमानेन्ट बना दें और यह व्यवस्था बराबर महीनें में एक बार या 6 महीनें में या किसी अवधि के बाद जनपदों में जाकर देखें लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि समिति में एक ही सदस्य को बार-बार न रखा जाय, क्योंकि यदि उन्हीं सदस्यों को बार-बार रखा जायगा तो डाक्टर व स्टाफ उनसे सांठ-गांठ कर लेंगे और फिर इस समिति का कोई अर्थ नहीं

रह जायेगा, बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा । मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जनपदों में एक रजिस्टर चिकित्सालयों में सार्वजनिक स्थान पर रखा जाये जहां कोई मरीज या जनप्रतिनिधि जाकर कोई भी शिकायत दर्ज कर सके । जिससे शिकायतों के आधार पर जांच व कार्यवाही हो सके इससे भी जनता को बल मिलेगा । मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

*डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"-

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । पहाड़ की अपनी अलग से विवशता है, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के नाम पर पहाड़ में अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं, इसीलिये पहाड़ के लोग बेवस दम तोड़ने को मजबूर हो रहे हैं । मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इस विभाग को ठीक करेंगे, इस मरी हुई जिन्दा लाश में नई जान भरेंगे । पहाड़ों में स्थिति यह है कि 35-40 कि0मी0 दूर भी कोई चिकित्सालय नहीं है । आज भी लोग बेवस होकर दम तोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, यातायात का कोई साधन नहीं है । इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर के परिक्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और एक डेढ़ किलोमीटर के क्षेत्र में उप केन्द्र खोल दिये जायें ।

डाक्टरों की यह स्थिति है कि 50 प्रतिशत से कम डाक्टर हैं । जहां हैं भी तो वहां एलोपैथिक चिकित्सालय में आयुर्वेदिक डाक्टर्स हैं, जिन्हें दवाई देने की इजाजत नहीं है और न ही इन चिकित्सालयों के इन्चार्ज हैं । इसलिये मेरी मांग है कि ऐसे जो शो-पीस डाक्टर्स हैं, उनके बारे में सरकार अविलम्ब विचार करे और डाक्टर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करे । मैं चिकित्सालय के भवनों के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां खेड़ाकाल में एक चिकित्सालय झोपड़ी में कई वर्षों से चल रहा है । डाक्टर भी लिखकर दे चुका है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसी प्रकार के कई चिकित्सालय झोपड़ियों में चल रहे हैं, जिनके पास अपने भवन नहीं हैं, इसलिये माननीय मंत्री जी इसका सर्वे करा लें और भवनों की व्यवस्था को सुनिश्चित करें । इन अस्पतालों में एक पैसे की भी दवाई नहीं है और मरीजों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । डडोली, पीरसैंण मैठाना, भराड़ीसैण, कण्डारी, खेर, सलियान, काण्डई, केदारोखाल, काण्डा, नन्दासैण, मोलखाखाल, टीला, बूंगीधार दमदेवन, स्यूलीखण्ड आदि अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर लम्बे समय से चिकित्सालय प्रस्तावित हैं । इसलिये मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि इन जगहों पर चिकित्सालय खुलवाने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1985 से प्रशिक्षित ए0एन0एम0 बेरोजगार पड़ी हुई है और आज वह दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। सरकार का भी उनसे एग्रीमेन्ट होता है। पहाड़ पर 50 प्रतिशत ए0एन0एम0 के पद रिक्त हैं, इसलिये इन रिक्त पदों पर इन प्रशिक्षित ए0एन0एम0 को नियुक्त किया जाय। रुद्र प्रयाग व कर्णप्रयाग एक तीर्थ मार्ग के स्थान है। यहां पर जो चिकित्सालय हैं, उनमें सुविधा न होने के कारण जो देश तथा अन्य जगहों से तीर्थ यात्री आते हैं, उनके लिये सुविधा न होने के कारण उन्हें भी इन चिकित्सालयों में परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिये अनुरोध है कि इन दोनों जगहों के चिकित्सालयों को उच्चीकृत किया जाय। पिछले दो वर्षों से आयुर्वेदिक कालेजों में कोई भी दवाई नहीं दी गई है। यदि इसके लिये अधिकारी दोषी हैं तो उसके लिये जनता क्यों परेशान हो ? इसलिये इसकी जांच करा कर ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जाय। धन्यवाद।

श्री अजय कुमार पोइया-

मान्यवर, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अस्पतालों में जो दवाई दी जाती है वह पुरानी सूची के हिसाब से दी जाती है इसलिये मेरी मांग है कि वर्तमान वातावरण में जिस रूप से दवाइयां उपलब्ध कराई जानी चाहिये। अस्पतालों की दयनीय स्थिति है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ गायब रहता है और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं, इसलिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। डाक्टरों द्वारा समुचित परीक्षण नहीं किया जाता है, जो मरीज कहता है वही दवा लिख देते हैं, इसलिये इस पर कार्यवाही की जानी चाहिये। नशबन्दी आपरेशन मात्र खानापूरी के लिये होती है। इस संबंध में बी0डी0ओ0 मथुरा द्वारा जो सूची भेजी गई है, उसका आप सत्यापन करा लें, सत्यता का पता चल जायेगा।

मथुरा चिकित्सालय पर दवाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिये दवाई की व्यवस्था की जाय। मथुरा चिकित्सालय में पेयजल की व्यवस्था नहीं है जिससे मरीजों को परेशानी होती है, इसलिये पीने का पानी उपलब्ध कराया जाय। मथुरा स्थित बृन्दावन में 180 सीटों का टी0बी0 अस्पताल में जहां पर नि:शुल्क उपचार होता था परन्तु अब इसे 90 कर दिया गया है इससे जनता को परेशानी हो रही है इसलिये इसे बहाल किया जाय। महिला अस्पताल की स्थिति भी दयनीय है। गोबर्धन में 30 शैय्याओं का अस्पताल होना चाहिये। फर्जी मेडिकल मोटी रकम लेकर बनाये जा रहे हैं। पोस्ट मार्टम के लिये एक डाक्टर प्रात:काल से ही उपलब्ध होना चाहिये। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुओं में दवाई नहीं डाली जाती है, मलेरिया के लिये दवाओं का छिड़काव नहीं होता है। इसलिये इन सब चीजों पर माननीय मंत्री जी कार्यवाही करने की कृपा करें।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। ग्रामीण अंचलों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर दवाइयों का अभाव है। बीमारी फैल रही है, दवाई है नहीं। डाक्टर्स हैं नहीं। इसलिये डाक्टर्स की व्यवस्था की जाय। मेरे क्षेत्र में एक उच्चीकृत चिकित्सालय बना हुआ है। पिछली बार मैंने डी0आर0डी0ए0 से पैसा दिलवाया था। इसलिये इस ओर माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान दें। 1991 में जिला योजना से दो अस्पताल एक टीका राम में और दूसरा फतेहगंज में खोलने के लिये प्रस्तावित हुये थे। इसलिये मेरी मांग है कि इन दोनों जगहों पर उन प्रस्तावित चिकित्सालयों को खोल दिया जाय। ग्रामीण अंचलों में आने जाने के लिये कोई सुविधा नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5-6 महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर चिकित्सालय खोलने की बहुत आवश्यकता है, शरीफाबाद, जाजमऊ, लाही, शिवनामपुर और तेजवापुर जहां पर गांव सभाओं ने नि:शुल्क जमीन दे रखी है लेकिन अस्पताल नहीं खोले गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन समस्याओं की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित-

आपके आयुर्वेदिक निदेशालय में डा0 शिवराज सिंह निदेशक है तत्कालीन मंत्रि मण्डल के समय उन्होंने 70-80 करोड़ रुपये का घोटाला किया है जिसकी जांच अपर निदेशक द्वारा कराई गई तो आप समझ सकते हैं कि कैसे निष्पक्ष जांच होगी आप घोषणा करें कि इस 70-80 करोड़ घोटाले की जांच आप करायेंगे और उस आयुर्वेदिक निदेशालय के निदेशक डा0 शिवराज सिंह को निलम्बित कर गिरफ्तार करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे पूरे बुन्देलखण्ड में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के आठ दस जिलों और उत्तर प्रदेश के 5-6 जिलों के बीच में केवल एक मेडिकल कालेज झांसी में है जहां पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सारे लोग इलाज कराने आते हैं। मेडिकल कालेज की स्थिति इतनी खराब है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अखबारों में फोटो भी छपती है कहीं पर कुत्ते विस्तर में बैठे हुये दिखाई देते हैं तो कहीं पर जानवर घुसे रहते हैं। 15 दिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले मैं भी वहां गया था तो वहां पर वार्ड में गोबर पड़ा हुआ था जिसकी शिकायत मैंने सी0एम0ओ0 से भी की। गन्दगी का वर्णन नहीं किया जा सकता है।

एक और निवेदन करना चाहता हूं वहां जो प्रिंसिपल भेजा गया है उनके खिलाफ जांच लम्बित है। गोरखपुर में उन्होंने कई घपले किये हैं उसके बाद प्रताड़ना के रूप में झांसी भेजा गया है तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में भी झांसी उपेक्षित रखा गया है वहां पर भी उनके भ्रष्टाचार की चरम सीमा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मान्यवर, 89-90 में झांसी में न्यूरो सर्जन नियुक्त करने का प्रश्न था सरकार ने आश्वासन दिया था कि हमने आयोग को लिख दिया है और बहुत जल्दी वहां न्यूरोसर्जन नियुक्त हो जायगा। लेकिन अभी तक इसकी नियुक्ति नहीं हुई है।

कैटस्कैन की भी वहां व्यवस्था नहीं है इसलिये मेरी मांग है कि वहां कैटस्कैन की व्यवस्था की जाय। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो बहुत ही आवश्यक और पूरे प्रदेश के लिये मेडिकल कालेज में जो कार्यरत डाक्टर हैं उनका 15-15, 20-20 साल तक ट्रान्सफर नहीं होता है जिसका परिणाम यह होता है कि वह अपना नर्सिंग होम उस जगह पर खड़ा कर लिये हैं जिससे भी मेडिकल कालेजों की स्थिति बहुत खराब हुई है। झांसी मेडिकल कालेज के ठीक सामने सभी डाक्टरों ने जो वहां काम कर रहे हैं उन्होंने अपना नर्सिंग होम वहां बना लिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें।

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

उनके नर्सिंग होम खुल जाने से मेडिकल कालेजेज में दलाल लगे हुये हैं। जो मरीजों को उन नर्सिंग होम में भेजते हैं।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

काफी माननीय सदस्यों के विचार आ गये हैं चार घण्टे से चर्चा चल रही है। माननीय डंग साहब अब काफी विचार माननीय सदस्यों ने रख दिये हैं। इसलिये मैं श्री नरेन्द्र सिंह जी को बुलवा रहा हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री नरेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

कितना भी मैं समय दूं, कितने लोग बोल लें लेकिन यह क्रम खत्म होने वाला नहीं है मैंने 4 घण्टे का समय इसमें दिया है। (व्यवधान)

*श्री राम सेवक सिंह (इलाहाबाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद का जो मेडिकल कालेज है उसकी जो अव्यवस्था और दुर्दशा है उसमें न कोई डाक्टर रहता है और न किसी बेड पर चादर रहती है। मरीज वहां की अव्यवस्था से प्रताड़ित होकर अपने आप प्राइवेट अस्पतलों में चले जाते हैं। मंत्री जी जब भी इलाहाबाद जायें उस स्वरूप रानी अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण अवश्य करें। अब मैं अपने क्षेत्र के ब्लाक शंकरगढ़ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां के अस्पताल में किसी वार्ड में न पंखे लगे हैं न किसी पर कोई गद्दा या चादर है। मरीजों से बिना पैसा लिये इन्हें कोई दवा नहीं दी जाती है। वहां पर न कोई नर्स रहती है न कोई डाक्टर है। हमारे गांव में भी कोई डाक्टर नहीं रहता है। आप हमारे गांव में भी अस्पताल बनवा दें और जिस होम्योपैथिक डाक्टर की नियुक्ति हुई है वह वहां पर रहे।

*श्री आनन्द यादव-

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का आदर और सम्मान करते हुये आपने जो बजट पर बोलने का मौका दिया है, आभारी हूं। मंत्री जी ने डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने के संबंध में जो वक्तव्य दिया है, वह अच्छी बात है, सराहनीय बात है। यह सत्य है कि जो डाक्टर सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं वह जब प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वह सरकारी दवा अस्पताल से ले जाकर अपने प्राइवेट अस्पताल में इस्तेमाल करेंगे और मरीजों को सही रूप से दवा नहीं मिल पायेगी और मरीज उनके प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचेंगे। इसलिये मंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि निजी प्रैक्टिस करने वाले डाक्टरों के साथ वह कड़ी कार्रवाई करें, कि वह या तो सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट प्रैक्टिस करें। साथ ही मैं अपने क्षेत्र के सी0एच0सी0 के बारे में सुझाव रखना चाहता हूं।

(व्यवधान)

*श्री त्रिपाल सिंह धामा-

मैं अपने बरनावां विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। उसमें एक बिनौली गांव पड़ता है जहां मेरा जन्म हुआ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। वहां पर पान पराग नाम की एक फैक्ट्री थी। वह अब बन्द हो चुकी है। उसे एक साल बन्द हुये हो चुका है। वह फैक्ट्री तीन करोड़ रुपये के लागत से बनाई गई थी। फैक्ट्री मालिक उसे समर्पित भावना रखते हुये आपके स्वास्थ्य विभाग को देने को तैयार हैं, जिसमें सौ बेड वाला एक अस्पताल आसानी से चल सकता है। मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री जी से कि हमारे जिले में तिलौरी गांव में तीन करोड़ की जो बिल्डिंग है उसे देने को तैयार हैं, वहां पर 100 बेड का एक अस्पताल बनाया जाय। सतगांव जिसमें 14 गांव पड़ते हैं, कोई हास्पिटल नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई छोटी सी डिस्पेंसरी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री गोपाल काली-

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र के मवाना में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया गया था की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जब वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया गया था तो उस समय वहां पर लगभग एक दर्जन डाक्टर नियुक्त हुये थे लेकिन आज वहां एक दो डाक्टर को छोड़कर और कोई डाक्टर वहां नहीं बैठता है। सारे के सारे डाक्टर मेरठ के अन्दर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री गोपाल काली-

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा।

श्री गोपाल काली-

(× × ×) (× × ×) (× × ×)

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिस साहस और दृढ़ निश्चय के साथ बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। जैसा आश्वासन और संकल्प दिया है उसके अनुसार जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ही कार्य करेंगे। सुबह भी मैंने इस पर अपने सुझाव और विचार दिये थे लेकिन परिवार नियोजन के बारे में कहना शेष रह गया था। परिवार नियोजन के बारे में बहुत हल्ला हंगामा हो रहा है। नसबन्दी के लिये कुछ उपाय किये गये हैं। नसबन्दी कराने वालों को पट्टे नहीं देते हैं। ग्रीन कार्ड के हिसाब से सुविधायें नहीं दी जाती हैं। नसबन्दी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिये फिल्म प्रोजेक्टर हैं उन पर तमाम कार्यक्रम चलाये जाने चाहिये, ताकि लोग नसबन्दी के लिये प्रेरित हों।

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कुष्ठ तथा टी0वी0 विभाग हैं उसमें आम आदमी को दवायें नहीं मिलती हैं। सैम्प्लिंग में तीन शीशी लेनी चाहिये। एक जिससे सैम्पुलिंग कराते हैं। उसको दी जानी चाहिये। इसके लिये कानून होना चाहिये क्योंकि अगर मिलावट नहीं होती है तो हो जाती है। इसके लिये मानक बनाया जाना चाहिये। मान्यवर, लेबोरेट्री के नियमों में सुधार किया जाना चाहिये। भवन अस्पताल हैं उसके लिये पैसे की दिक्कत है तो जो पुराने संसाधन हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

उसके अनुसार कार्य करना चाहिये। निरोध, कापरटी के बारे में कहना चाहूंगा इनको अस्पतालों में बांटा नहीं जाता है फेंक दिया जाता है अच्छी किस्म के।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेश के युवा स्वास्थ्य मंत्री जी को दोनों राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री दोनों ही युवा हैं इन्होंने जिस प्रकार का बजट रखा है उसकी

जितनी प्रशंसा की जाये वह कम है । मैं कुछ बिन्दुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, मान्यवर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं तो जिस-जिस जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं, वहां चिकित्सक नहीं है । दवाइयां नहीं हैं । पट्टियां स्प्रिट कुछ नहीं मिलता है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मूलभूत सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । पहले भी प्रकाश में आया है । स्तरविहीन औषधियां अस्पतालों में होती है अच्छी औषधियां अस्पतालों में जायें इसकी व्यवस्था होनी चाहिये ।

मान्यवर, शल्य चिकित्सा होती है उसके लिये लैप्रोस्कोप खरीदा गया उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है । लैप्रोस्कोपी आने वाले समय में शल्य चिकित्सा है आधुनिकीकरण हो रहा है तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है । मान्यवर, तमाम सामाजिक परिवर्तन हुये हैं । डेढ़ सौ साल पहले से जो चिकित्सा पद्धति चली आ रही है उसमें सुधार की आवश्यकता है उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की समिति बनाकर चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किये जा सकते हैं । इसमें सरकार को चिन्तन करने की आवश्यकता है । संक्रामक रोगों के लिये स्वास्थ्य कार्यालय और नगर विकास मिलजुल कर योजना बनाये । जब तक यह मिलकर योजना नहीं बनायेंगे तब तक परिणाम उत्साहजनक नहीं होंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में अभी भी देशी औषधियों के जरिये से प्रयोग किये जा रहे हैं । जो बहुत प्रभावी हैं ऐसी औषधियों को अलग करके इसमें औषधि बनाई जायें इससे बड़े अच्छे परिणाम निकलेंगे । हमारे यहां से नीम मान्यवर, अमेरिका में जा रही है इसमें शोध कराइये जो देशी दवायें हैं और पहले प्रयोग में आती रही हैं उसके जरिये आविष्कार होगा और अच्छी दवाइयां निकलेंगी ।

मान्यवर, अस्पतालों में औषधि एक दिन मिल जाती है दूसरे दिन नहीं मिलती है एक मरीज ने इलाज शुरू किया उसको कुछ लाभ हुआ उसको यदि पूरी दवा मिल जाय तो वह अच्छा हो जाय । दवा न मिलने की वजह से उसकी बीमारी बढ़ जाती है तो उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो परिवार नियोजन के बारे में कहा है उसकी ज्यादा प्रशंसा करूंगा क्योंकि परिवार नियोजन के लिये उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया और इसीलिये विवाह नहीं किया । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, कि यह विवाह करके पारिवारिक जीवन जीते हुये, किस तरह परिवार में रहते हुये परिवार नियोजन किया जाता है इसके बारे में अगली बार बजट पेश करेंगे तो रखेंगे, और बतायेंगे कि कैसे परिवार नियोजन कर रहे हैं ? इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह (मेरठ)-

अध्यक्ष जी, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया था उसके ऊपर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। व कई माननीय सदस्यों ने उसका समर्थन किया है। मैं बहुत आभारी हूं कई माननीय सदस्यों ने स्थानीय स्तर से उठकर अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं संक्षिप्त में दो-तीन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। बी0एस0पी0 की सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है। 1977 में श्री कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे, वह इस समय सदन में उपस्थित नहीं है। उस समय उनकी छवि यह थी कि केन्द्र से कोई श्री राज नारायण जी स्वास्थ्य मंत्री का लेटर लिखाकर ले आये लेकिन वह ट्रांसफर नहीं करते थे। मैंने भी उनसे एक मामले को लेकर शिकायत की। हमारे यहां छपरौली में जो डाक्टर था वह कभी उपस्थित नहीं रहता था। इस संबंध में मैंने दो तीन बार वार्ता की, लेकिन उन्होंने उसका ट्रांसफर नहीं किया अन्त में मैने दुखी होकर एक कड़ी चिट्ठी उनको लिखी। मैंने कहा कि शायद इसकी आमदनी में सरकार का भी हिस्सा है। इसलिये आप इसको हटाना नहीं चाहते हैं।

एक दिन अचानक श्री कल्याण सिंह जी छपरौली पहुंच गये और उन्होंने मेरठ के सर्किट हाउस से मुझे भी फोन किया। वहां पर स्टोर में उन्होंने दवाइयों की लिस्ट देखी व उसके खिलाफ जांच बैठाई। जनता पार्टी के समय में इस तरह का काम हुआ है। आज कई माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद का जिक्र किया। इसमें 70 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इस गरीब विभाग में जिसका इतने रुपयों का बजट भी नहीं होगा, यह घोटाला हुआ फिर भी संबंधित अधिकारी का कुछ नहीं हुआ। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसके बारे में कोई न कोई घोषणा आज ही सदन में करें। जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय। वैसे तो माननीय मंत्री जी इसके पूर्व जो सरकार थी उस सरकार में भी मंत्री रहे हैं। हमारे मेरठ में सी0एम0ओ0 रेड हैण्डेड पकड़ा गया वह गिरफ्तार हुआ उसको डिस्ट्रिक जज ने जमानत दे दी और वह रिइस्टेट होकर उसका बिजनौर में ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे आशा है कि इतना बड़ा स्कैण्डल है इसमें माननीय मंत्री जी कुछ न कुछ घोषणा जरूर करेंगे।

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पर बल देना चाहिये। यह उपेक्षित रहे हैं। एलोपैथिक का एक अरब 11 करोड़ का बजट है। इस देश में होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। एक्यूपंक्चर व एक्यूप्रेसर विधियां आजकल बहुत ही इफेक्टिव व कारगर काम कर रही हैं। गांव में इसकी बहुत बड़ी मांग है।

इसमें कोई दवा की जरूरत नहीं है । थोड़े दिनों की ट्रेनिंग के बाद इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है । डाक्टर डंग साहब भी इसका समर्थन करेंगे । हमारे गरीब प्रदेश में इस पद्धति पर बल दिया जाना चाहिये । ट्रान्सफर की बात मैं कहना चाहता हूं । मंत्री जी इस सदन में बहुत कम बैठते हैं । आजकल ट्रान्सफर एक धन्धा बन चुका है । मैं सरकार पर ब्लेम नहीं लगाता कोई भी लोग रहे हों इस तरह की परम्परा बन्द होनी चाहिये । आप इस पर एक पालिसी बना दें जिसके तहत ट्रांसफर होने चाहिये । जब डाक्टर यहां से पैसा देकर ट्रांसफर होकर जाता है । तो वह चाहे पी0एस0सी0 या जिलों में जहां भी जाता है खुली लूट मचा देता है । चाहे विधायक या क्षेत्रीय सांसद उसके बारे में कुछ भी शिकायत करें वह किसी की सुनता नहीं । उसके ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं रहता है । मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा ।

मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में कोई नीति निर्धारित करेंगे । पिछली सरकार ने जाते-जाते कई लोगों का ट्रांसफर किया, उसके तहत बहुत से लोगों को हटा दिया गया, मैं आशा करता हूं कि कम से कम आपके विभाग में ऐसी बात नहीं होगी । मान्यवर, देहात में डाक्टर्स की एटेन्डेन्स की स्थिति बहुत खराब है, यदि माननीय मंत्री जी डाक्टर्स की एटेन्डेन्स देहात में सुनिश्चित कर दें तो मैं कहता हूं कि इस देश के लिये, प्रदेश के लिये इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि डाक्टर्स वहां रहते नहीं, कभी-कभी जाते हैं, जो जाते भी हैं, वह केवल धन कमाने की नीयत से जाते हैं । मान्यवर, हमारे साथी ने एक बात उठाई कि नगर विकास विभाग, जल निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर शुद्ध जल यदि जनता को दे दें तो पीलिया का रोग न हो ।

आज गाजियाबाद में पीलिया फैला हुआ है, कानपुर में फैला हुआ है, लखनऊ में फैला हुआ है, गोरखपुर में फैला हुआ है । यदि एलोपैथी का बजट पब्लिक हेल्थ पर ट्रांसफर कर दिया जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे बीमारियां ही न हों, तो ज्यादा उचित होगा । मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग की सबसे छोटी इकाई सब सेन्टर्स, उपकेन्द्र होते हैं, वह पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं । मुझे 77 से यहां आने का सौभाग्य मिला है, और मैं पांचवीं बार चुनकर आया हूं । सब सेन्टर जो गर्भवती मां को देखता है, बच्चों को देखता है, बच्चे पैदा होने के बाद उनकी देखभाल करता है, वह केन्द्र सब समाप्त हो चुके हैं । गर्भवती मां बहनों का यदि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप जान लीजिये कि हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री आर0 के0 चौधरी-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इतने बड़े विभाग और महत्वपूर्ण विभाग पर जो बजट माननीय सदन के सामने मैंने पेश किया, उसकी समीक्षा, समालोचना, आलोचना, सुझाव लेने के लिये आपने 47 माननीय सदस्यों को मौका दिया। मान्यवर, माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया, इसके अलावा 47 सदस्यों ने अपनी राय दी। मैं और भी अच्छा मानता, अगर एक-एक माननीय सदस्य को 20-20 मिनट या आधे-आधे घण्टे का समय बोलने के लिये मिलता तो और भी ज्यादा सुझाव आते। लेकिन जिन 47 सदस्यों ने अपनी राय दी है उसमें से अधिकांश माननीय सदस्यों ने 1995-96 स्वास्थ्य विभाग के बजट का खुलकर समर्थन किया है।

मान्यवर, मैं माननीय रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने कुछ शिकायत करके और कुछ सुझाव देकर इस बजट का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त माननीय राजबली यादव, सत्य प्रकाश विकल, माननीय धर्मपाल माननीय जगदम्बिका पाल साहब, माननीय महेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय मोलई, माननीय सक्सेना जी, माननीय ऊदल जी, माननीय राधेश्याम गुप्त जी, माननीय राम सजीवन निर्मल जी, माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी, माननीय राजाराम त्यागी जी, माननीय लाल जी यादव, माननीय इन्द्र भद्र सिंह जी, माननीया राज लक्ष्मी वर्मा जी, माननीय राजबली जैसल जी, माननीय लक्ष्मी नारायण पाण्डेय जी, माननय रामजीत भारद्वाज, माननीय दीनानाथ भाष्कर, माननीय किरन पाल सिंह, माननीय छब्बू पटेल, माननीय श्याम देव राय चौधरी, माननीय राम कृष्ण वर्मा, माननीय मुरलीधर, माननीय वीरेन्द्र सिंह, माननीय शिवदानी जी, माननीय नन्द किशोर मिश्र, माननीय जगन्नाथ चौधरी जी....

(समय 7 बजकर 25 मिनट)

इसके अलावा माननीय बाल चन्द्र मिश्र, माननीय अक्षयवर भारती, माननीय स्वयंवर चौधरी, माननीय शुक्ल जी, माननीय राम लोटन सिंह पटेल, माननीय सुरेन्द्र प्रताप चौहान, माननीय सफदर रजा, माननीय रमेश चन्द्र पोखरियाल, माननीय अजय कुमार पोइया, माननीय सुन्दर लाल दीक्षित, माननीय रवीन्द्र शुक्ल, माननीय राम सेवक पटेल, माननीय आनन्द दीक्षित, माननीय रवीन्द्र शुक्ल, माननीय त्रिपाल सिंह माननीय रवीन्द्र प्रताप मल्ल, माननीय श्री डंग जी, मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों का मैंने नाम लिया है इस सब माननीय सदस्यों ने बजट का समर्थन किया है और कुछ मुद्दों पर सुझाव दिया है।

मान्यवर, विभाग को सुधारने के लिये जो भी सुझाव आये हैं मैंने उन सबको बड़ी गम्भीरता से सुना है और मैं कोशिश करूंगा कि एक-एक करके जो सुझाव आये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हैं सब पर विचार करके उसका लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिले और पूरा प्रदेश उससे लाभान्वित हो। मान्यवर, माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है लेकिन उससे कोई खास बात नहीं कही। कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाया है। इसके अलावा भी कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद निदेशालय में औषधियों के घपले के संबंध में चर्चा की है। मान्यवर, मैं आभारी हूं कि ऐसे विषय पर, ऐसे आचरण पर उंगली उठनी चाहिये। इस घपले के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि 3 एजेंसियों से इसकी जांच चल रही है। जांच लेट जरूर हुई है लेकिन अब तक जो पिछली सरकार में हुआ वह हमारी सरकार में नहीं होगा। हम 3 महीने के अन्दर जांच रिपोर्ट मंगायेंगे और जांच की प्रक्रिया पूरी होते ही चाहे कोई छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, चाहे इसमें एक फंसे चाहे इसमें सैकड़ों फंसें किसी भी अधिकारी को हम बख्शेंगे नहीं। (मेजों की थपथपाहट)।

मान्यवर, मैं पिछली सरकार में काम कर चुका हूं और मैंने हमेशा इस बात को उजागर किया है, जिस विभाग को मैं देखता हूं या जिस विभाग का काम मुझे सौंपा जाता है, कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी समझ कर मैं काम करता हूं। पहले मेरे पास परिवहन विभाग था और आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को मैं देख रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था और आज सदन में सदस्यों से कह रहा हूं। मैं अधिकारियों को एलर्ट करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो हमारे डिपार्टमेंट में हों वह उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर छुट्टी लेकर चले जायं। (मेंजों की थपथपहाहट) शपथ लेने के बाद और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा लेने के बाद, मान्यवर, मैं दूसरे महत्वपूर्ण कार्मों में लगा हुआ था।

विधान परिषद् का नेता होने के नाते मुझे लगातार वहां बैठना पड़ता है इसलिये जितना टाइम देना चाहिये उतना मैं नहीं दे पाया। लेकिन इतने व्यस्त रहने के बाद भी मैंने कुछ टाइम निकाला है और उत्तर प्रदेश में जहां जहां मुझे नजर आया वहां मैंने खुद जाकर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को देखा है और पकड़ा है और उनको माफ किया है। मैंने कोई लीनियेंसी नहीं की और लोगों को सस्पेंड किया है। विभागीय कार्यवाही कुछ के खिलाफ मैंने की है। कुछ माननीय सदस्यों ने काफी गंभीरता से चर्चा की कि डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और अस्पतालों में नहीं जाते हैं और पी0एच0सी0 पर तैनात हैं और वहां पर ताला बन्द है, उनके खिलाफ केवल संस्पेंशन ही नहीं, साथ ही साथ उनको नौकरी से निकाल देना चाहिये, इस संबंध में विभागीय कार्यवाही शुरू करवा दी है। मैंने अपने विभाग का बजट पेश किया है, वह पास होने जा रहा है, आपके सहयोग से। कल से मैं निकल पड़ूंगा, बिना

बताये जाऊंगा, कभी कार से कभी सरकारी कार से और कभी प्राइवेट कार से और कभी हेलीकाप्टर से जाऊंगा। मैंने पूरे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों से कह दिया है, सतर्क हो जायें। मुझे ना काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। तो मैं किसी को बक्सूंगा नहीं। मैं कह सकता हूं कि डा0 शिवराज सिंह के संबंध में इन्क्वायरी चल रही है, बहुत प्रबल संभावना है, जांच पूरी होगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी, जो उनको बचा सके। यह मैं सदन में बोल रहा हूं।

इन शब्दों के साथ मैं स्थानान्तरण नीति के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो मैने स्थानान्तरण किये ही नहीं हैं, केवल दो दिन समीक्षा करने के लिये बैठा था, अधिकारियों के साथ मैंने समीक्षा केवल की है। हमारे पास माननीय सदस्य आते हैं और किसी अधिकारी के प्रति कुछ सिफारिश करते हैं तो हम उनकी बात को तुरन्त नहीं मान जाते हैं जब तक कि उस अधिकारी के विषय में जानकारी न कर लें, हम पता लगाकर देखेंगे कि कौन-कौन माल कमाये हैं, तो हमारी स्थानान्तरण नीति है, अगर बढ़िया काम किया है, तो उसे अच्छी जगह पर रखा जायगा, जिससे वह और अच्छा काम कर सके और अगर वह लिमिट के अन्दर है, लेकिन गड़बड़ है, तीन साल के अन्दर है और किसी ने लिखकर नहीं दिया है, तो उस पर हम उसी प्रकार से विचार करेंगे फिर अगर सी0एम0ओ0 है, और अगर वह हटाया गया, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह सी0एम0ओ0 ही हो। हमारी यह कोशिश होगी कि पूरे प्रदेश में जो भी प्राधिकारी नियुक्त हों, वह मेरिट के आधार पर नियुक्त हों और उनसे काम लें, मैं कहना चाहता हूं कि दो महीने में स्वास्थ्य विभाग का रिजल्ट सामने आ जायगा। माननीय सदस्यों ने बहुत से छोटे-छोटे सुझाव दिये हैं, उन पर विचार किया जायगा, हम अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। मैं माननीय नरेन्द्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और हम सब मिलजुल कर काम करें और स्वास्थ्य विभाग को अच्छा बनायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नरेन्द्र सिंह जी, क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इनकी नीति, नीयत, इनका संकल्प और इनकी समर्थता इसकी हम सब लोग प्रशंसा करते हैं लेकिन देखा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है कि औषधियां परचेज की जाती हैं फिर भी उनका वितरण सही नहीं हो पाता है इसका क्या करण है औषधि परचेज करने की सुनिश्चित नीति बनायें। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मस्तिष्क ज्वर बहुत ज्यादा होता है पूरब में और उसकी वहां पर आवश्यकता है लेकिन वह भेज दी जाती है पहाड़ों पर जहां मस्तिष्क ज्वर नहीं हेाता है। मेरे एक मित्र टिटनेस के मरीज हो गये कानपुर में वहां एक सदर अस्पताल है, मान्यवर, वहां पर कोई इसका इंजेक्शन नहीं मिला फिर हमने तलाश किया तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर ढ़ेरों था जहां इसका कोई उपयोग नहीं होता तो एक तो क्रय नीति निर्धारित कर लें कि अमुक क्षेत्र में अमुक दवा का उपयोग होता है वहां के लिये यह दवा क्रय की जायेगी और जितनी दवा बड़े अस्पतालों में काम आती है टिटनेश वगैरा की और प्राइमरी अस्पताल में कोई उपयोग उनका नहीं होता है तो वहां न भेजी जाय।

मान्यवर, एक और स्पष्टीकरण है जैसा अभी माननीय डंग जी ने कहा था कि अस्पताल बन रहे हैं हमारे यहां फर्रुखाबाद में 300 शैय्याओं का अस्पताल डा0 राम मनोहर लोहिया हास्पिटल बना। बड़ी लोगों को प्रसन्नता हुई कि नया अस्पताल बना है इससे ज्यादा लोगों को फायदा होगा। लेकिन इसके बनते ही हमारा पुराना अस्पताल था वह समाप्त हो गया, ऐसी स्थिति में आ गया कि समाप्त हो जाय। सारे डाक्टर वहा चले गये एक भी नया डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में नहीं आया, कोई उपकरण नहीं खरीदा गया, एक्स-रे मशीन भी पुराने अस्पताल से वहां चली गई और वहां केवल एक डाक्टर रह गया है तो यह तो कोई लाभ हुआ नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कमरे वहां पर बने हुये हैं, उन पर सपा के लोगों ने चारपाई डालकर कब्जा कर रखा है तो उनको हटाया जाय।

*श्री हरेन्द्र सिंह-

माननीय मंत्री जी, मैंने अपने भाषण में कहा था कि आपने ट्रान्सफर इंडस्ट्री नहीं पनपने दी इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने उदाहरण देकर कहा था कि के0जी0 मेडिकल कालेज में कोई बार्न वार्ड नहीं है न ही प्राइवेट वार्ड है जले हुये लोग सामान्य मरीजों के साथ भर्ती किये जाते हैं तो क्या अतिरिक्त धनराशि देकर इसके लिये अलग से वार्ड बनाने की घोषणा करेंगे?

*श्री आर0के0 चौधरी-

मान्यवर, माननीय ब्रम्हदत्त द्विवेदी जी ने जो बात कही है कि औषधि वितरण ठीक ढ़ंग से नहीं होता और क्रय में गड़बड़ी है, वितरण में है यह एक अव्यवस्था है और पहले से चली आ रही है और इसको ठीक करने के लिये मैंने आश्वासन दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और इसको हम ठीक करेंगे और जो सुझाव आपने दिया है उसको मैंने गम्भीरता पूर्वक सुना है इस सदन के बाहर भी मैं आपसे मिल बैठकर बात कर लूंगा और जितना ज्यादा फायदा हम आपके सुझाव का उठा सके वह प्रदेश की जनता को मिलेगा।

माननीय मलिक जी ने मेडिकल कालिज में बर्न वार्ड बनाने के लिये धन की व्यवस्था करने की घोषणा के संबंध में इंगित किया है। मैं भी इसको दिखवा लूंगा। आपने आवश्यकता बताई है और इंगित किया है मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नरेन्द्र सिंह जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,41,57,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,21,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,01,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,67,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,31,51,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया करं दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,63,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,65,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इसमें कुछ खास नहीं है यह एक पुराना अध्यादेश है । इसमें राजस्व की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुये उद्योग तथा व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य, समाज के पिछड़े वर्गों को सेवायोजन देने वाली औद्योगिक इकाइयों को विशेष रूप से रियायत देने तथा अधिनियम की कुछ विसंगतियों को दूर करने हेतु यह प्रतिस्थानी विधेयक लाया गया है । इस विधेयक द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में जो संशोधन किये जाने प्रस्तावित हैं, उनमें मुख्य रूप से जो औद्योगिक इकाइयां सेवायोजन में एक निर्धारित अनुपात में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, समाज के पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों को सेवायोजन उपलब्ध कराती हो, उन्हें 25 प्रतिशत तक कर की दर में रियायत देने की व्यवस्था है ।

दूसरा निर्यात प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निर्यातित माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल तथा पेकिंग सामग्री की खरीद पर कर से छूट देने की व्यवस्था है। तीसरा प्रदेश के औद्योगीकरण हेतु 50 करोड़ से अधिक पूंजी लगाने वाली इकाइयों को सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में उपबन्ध किया गया है। ऐसे उद्देश्यों के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित है, दिये जाने वाले सुविधाओं के संबंध में निर्णय लेगी और शासन उक्त समिति के संस्तुतियों पर विचार कर ऐसे उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में निर्णय लेगा। तो इस प्रकार से इस विधेयक में अनेक परिवर्तन किये गये हैं संशोधन के रूप में आदरणीय सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि क्योंकि यह पहले का अध्यादेश है, इसे जिस रूप में मैंने रखा है उसी रूप में स्वीकार करने का कष्ट करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं दो तीन बातों की ओर विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, ऐसे उद्योगों और विकास के लिये नई अवस्थापना सुविधा की जरूरत है उसी तरह से विकास के लिये ढांचा का सरलीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में इस दृष्टि से जितना कुछ किया जाना चाहिये था वह नहीं हुआ। बिक्री-कर उगाही का जो तरीका है वह बहुत ही दुरूह और जटिल है जिससे व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को और सामान निर्माताओं को एक ऐसी नीति बनानी चाहिये जो कि उपभोक्ताओं को उद्यमियों को सुविधा प्रदान करे जिससे उद्योगों को और व्यापार को प्रोत्साहन मिले और उपभोक्ताओं को राहत मिले।

मान्यवर, यह पिछली सरकार का बनाया कानून है और वर्तमान सरकार ने इसे ठीक ढंग से देखा भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे पास करायें तो इसे देखें। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चुनाव में वायदा किया था कि हम बिक्रीकर को समाप्त करेंगे तो उन्होंने उसे समाप्त किया। लेकिन हम नहीं कर सके, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की गई। हमने प्रयास किया था लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली। मुलायम सिंह जी ने किया। उन्होंने तो वही किया जैसे किसी ने कहा कि राम कुमार को ठीक करना है तो उन्होंने कहा कि ठीक है आओ हम उसे ठीक कर देंगे। कल जब वह पहुंचे तो उन्होंने उस राम कुमार का सीता राम कर दिया। उसी तरह से उसे मुलायम सिंह जी ने किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मान्यवर, यही किया। उन्होंने बिक्रीकर का नाम बदलकर व्यापार कर, कर दिया और लोग समझे कि बड़ा भारी काम कर दिया, बूंदी का किला फतह कर लिया। कहा जाता है कि बूंदी का किला फतेह करना बड़ा मुश्किल था, तो लोगों ने राय दी कि कागज की बूंदी का किला बनाया जाय, महाराज आये और जाकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया और यह समझ लिया कि बूंदी का किला फतह हो गया। यही काम मुलायम सिंह यादव ने किया सुधार के नाम पर। समय नहीं है, नहीं तो अनेक बातों की ओर ध्यान आकर्षित करता।

मान्यवर, आटा क्या है, गेहूं का परिवर्तित रूप है, उसका पिसा हुआ रूप है, आटा कर मुक्त है, जबकि चने का बेसन कर युक्त है। पहले एक हो गया था लेकिन अब अलग कर दिया गया है। नई औद्योगिक इकाईयों के उद्देश्य और कारण इस आदरणीय सदन में स्पष्ट कर चुका हूं यह ठीक भी है। औद्योगिक इकाईयों के कुल सेवायोजन में उस निर्धारित अनुपात में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है लेकिन शासन की नीति नहीं है, न पुराने सरकार की थी, न वर्तमान सरकार की है कि अल्पसंख्यक सरकार को भी 10-15 फीसदी आरक्षण करें, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने उसे मात्र वोटर समझकर कहा कि 10 फीसदी अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जायेगा, उसको सुविधायें दी जायेगी, सुविधा दे दी कि 25 फीसदी बिक्रीकर कम कर देंगे, यह युक्तिसंगत नहीं है, लेवर लांज से मुक्त कर दिया।

मान्यवर, उस गरीब मजूदर को पेट पर लात मारकर सुविधा दी जाये, इसका भी कोई समर्थन नहीं करेगा लेकिन वह हमारे नीति के खिलाफ है। ऐसे एक नहीं अनेक मामले आये हैं। जरूरत इस बात की है कि वर्तमान सरकार को भी चाहिये यह सरकार नई-नई गठित हुई थी हम बहिन मायावती जी से मिले, उद्योग व्यापार मण्डल के महामंत्री एवं विधान परिषद् के सदस्य श्री बनवारी लाल कंछल जी भी थे, उन्होंने उदारतापूर्वक यह आश्वासन दिया था कि हम किसी मौके पर बैठकर एक कमेटी गठित करेंगे और उसके सुझाव लेकर राहत प्रदान करेंगे। यह आश्वासन सदन के बाहर है, इसलिये यहां इस बात को नहीं लाना चाहता हूं। लेकिन इस अवसर पर बोलते हुये यह मांग जरूर करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार जिसका हम उदारता से समर्थन कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग की, उपभोक्ताओं की, उत्पादकों की जो कर ढांचे की समस्यायें हैं, उन समस्याओं पर विचार करने के लिये एक कमेटी गठित की जाये जो कमेटी इस बात की पूरी तरह से विचार करे कि अब तक क्या-क्या किया जा चुका है और जो किया गया उसे किस प्रकार से बदलना है।

मान्यवर, फार्मेट जो बने थे, उसको बदला गया जबकि माननीय कल्याण सिंह ने उसे निर्जीव कर दिया था। एक बात की जिज्ञासा भरी नजर से देख रहा हूं। समाधान

योजना लागू हुई, यह एक वर्ष के लिये किया जाता है, सरकार की नीति क्या है? पिछले जैसी लागू रहेगी या रूपभेद करके आयेगी, इस पर विचार करें। एक कमेटी गठित कर दी जाये, कमेटी में कौन हों, और कितने लोग हों, इसका निर्णय सरकार करेगी। उस कमेटी में, व्यापारियों के प्रतिनिधियों को, उद्यमियों के प्रतिनिधियों को रखा जाये। उनकी समस्याओं का अध्ययन करते हुये कर ढांचे को कैसे सरलीकरण किया जाये, युक्त संगत बनाया जाये, जिससे बिक्रीकर के उन्मूलन की दिशा में अग्रसर होकर व्यापारियों को राहत प्रदान कर सकें। दूसरा जो समाधान योजना लागू हुई थी, वह इस वर्ष रहेगी कि नहीं रहेगी। यदि रहेगी तो किस रूप में रहेगी। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर से इसे बताने की चेष्टा करेंगे। इसमें अनेक विषंगतियों के होने के बावजूद भी, यह हमारी बाध्यता है कि हम इसे पास करें क्योंकि यह तो पहले से ही प्रभावी हो चुका है। मैं इसकी बाध्यता को पूरा करने की दृष्टि से इस विधेयक का समर्थन करते हुये अपनी बात पर बल देता हूं।

(श्री रवीन्द्र कुमार मल्ल जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री गुप्ता जी अपनी बात को विस्तार से कह चुके हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने विस्तार से अपने विचार व्यक्त किये। यह सही है कि कर ढांचा सरल होना चाहिये अगर उसमें कहीं पर भी कोई पेचीदापन होता है तो सभी पक्षों को नुकसान होता है। अपने विचार व्यवत करते समय ही माननीय गुप्ता जी ने कह दिया था कि चूंकि यह पहले से ही लागू हुआ है और इसको पारित किया जाना विधायी व्यवस्था भी है। वह यह भी जानते हैं कि कानूनों को बनाया जाना और विधायन का बनाया जाना एक सतत् व अन्तहीन प्रक्रिया है। वह हमारे सहयोगी दल के होने के साथ ही साथ एक वरिष्ठ नेता भी हैं और उन्हें इसकी ठीक से जानकारी भी है और माननीय मुख्य मंत्री से उनकी वार्ता भी हो चुकी है। वह इससे पूरी तार पर सहमत भी हैं कि इसे पास किया जाना है जिस रूप में यह पक्ष रखा गया है। यह मानते हुये कि जहां कहीं भी उन्हें कमियां नजर आ रही हैं, वह मुख्य मंत्री जी से बात भी कर चुके हैं, हम लोगों का भी उस समय समर्थन रहेगा, वह वहां पर वार्ता कर लेंगे और स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। विधि के निर्माण व विधायन के लिये ही हम यहां पर विधान सभा बुलाते हैं। जब कभी आवश्यकता होगी तो इस पर विचार कर लिया जायेगा। मेरी श्री गुप्ता जी से प्रार्थना है कि जिस रूप में यह रखा गया है, उसी रूप में इसे पास करने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, हमारा समर्थन है। मैंने एक सुझाव दिया था कि यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उचित समझें तो घोषणा करें कि हम बिक्री कर से या फिर कर से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया।

संबंधित उपभोक्ताओं व व्यापारियों की जो समस्यायें हैं उन समस्याओं पर एक शासन की कमेटी बनायेंगे। हम नहीं कहते कि विधायकों की कोई कमेटी बनायी जाय। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी सरकार आती है वह जनता की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करती है। जो सलाहकार समितियां बनाई गई हैं, उन सलाहकार समितियों के ऐसे लोगों को पार्टी के आधार पर रखा गया है जिन्हें व्यापार से व कर ढांचे से कोई मतलब नहीं है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उन्हें खत्म कर आप अपने हिसाब से इन सलाहकार समितियों का गठन करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी की पहले ही इस संबंध में माननीया मुख्य मंत्री जी से वार्ता हो चुकी है। इसलिये वह भी इस बात से सहमत होंगे कि यहां पर किसी प्रकार का आश्वासन देना उचित नहीं होगा। उनका कोई दबाव भी नहीं होना चाहिये। परामर्शदात्री समितियों के बारे में उन्होंने जो सुझाव दिये हैं, उस पर भी उनकी वार्ता वहां पर हो जायेगी। मैं भी उनकी भावनाओं को माननीया मुख्य मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह इसे इसी रूप में पास करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 41 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक,

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम 1995 कहा जायेगा।

(2) धारा 2, धारा 3, धारा 4, के खण्ड (ख), (च), (छ), (ज) और (झ); धारा 6 और 7, धारा 10 का खण्ड (ख), धारा 11 के खण्ड (क), खण्ड (ख) का उपखण्ड (दो), खण्ड (च) और (छ), धारा 14, धारा 17 से धारा 21 तक, धारा 24 से खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (च), धारा 25 से धारा 29 तक, धारा 30 का खण्ड (ख), धारा 31, धारा 32 के खण्ड (क) का उपखण्ड (तीन) और खण्ड (ख) धारा 33 और 34, धारा 36 और धारा 40 की उपधारा (1) से (4) तक दिनांक 14 मई, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ;

धारा 4 के खण्ड (क), (घ), (ङ) और (ञ), धारा 5 का खण्ड (क), धारा 9, धारा 10 के खण्ड (क) और (ग), धारा 23, धारा 24 का खण्ड (ङ), धारा 30 के खण्ड (क) और (ग), धारा 32 के खण्ड (क), का उपखण्ड (दो) और खण्ड (ग), धारा 35, धारा 37, धारा 38 और धारा 40 की उपधारा (5), दिनांक 28 सितम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ;

धारा 4 का खण्ड (ग), धारा 8, धारा 11 के खण्ड (ख) का उपखण्ड (तीन) और खण्ड (घ), धारा 13, धारा 16, धारा 22, धारा 32 के खण्ड (क) का उपखण्ड (एक) और धारा 39, दिनांक 14 मार्च, 1995 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ;

धारा 11 के खण्ड (ख) का उपखण्ड (एक), खण्ड (ग), (ङ), (च-1) और (ज) धारा 12 और धारा 15, दिनांक 1 अप्रैल, 1995 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी, और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या-15 सन् 1948 का सामान्य संशोधन

2-इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, पाश्वीकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुये शब्द 'बिक्री-कर कमिश्नर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "कमिश्नर" रख दिया जायगा ।

धारा 1 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 1 में, उपधारा (1) के शब्द 'बिक्री-कर' के स्थान पर शब्द "व्यापार कर" रख दिये जायेंगे ।

4-मूल अधिनियम की धारा 2 में,--

(क) खण्ड (कक) में,--

(एक) उपखण्ड (1) में, अन्त में शब्द "और" निकाल दिया जायेगा और 13 सितम्बर, 1985 को निकाला गया समझा, जायेगा, अर्थात्--

(दो) उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे और 13 सितम्बर, 1985 को रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्--

"(2) किसी पट्टे के अधीन किसी प्रयोजन के लिये किसी संकर्म संविदा का निष्पादन या किसी माल का प्रयोग करने के अधिकार का अन्तरण (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो); और

(3) संयंत्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रसंस्करण करने का सामान, पैक करने का सामान, खाली डिब्बे, उपभोज्य स्टोर, उत्सर्जित पदार्थ या उपोत्पाद या इसी प्रकार का कोई अन्य माल अथवा कोई अनुप्रयोज्य या अनुप्रयुज्यमान या व्यर्थ मशीन या उसके किसी हिस्से या सहायक सामान या कोई उत्सर्जित पदार्थ या छीजन या उनमें से कोई भी चीज, खरीदने या बेचने या सम्भरण करने का कोई संव्यवहार या किसी भी प्रकार का कई अन्य संव्यवहार, जो ऐसे व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, प्रोद्यम या संस्थान या संकर्म संविदा या पट्टे से अनुषंगी हो या उससे सम्बद्ध होया उससे आनुषंगिक हो या उसके परिणामस्वरूप हो" ।

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्--

"(ख) 'कमिश्नर' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यापार कर आयुक्त से है और इससे कर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यापार कर का अपर कमिश्नर संयुक्त कमिश्नर या उप कमिश्नर सम्मिलित है ;

(ख ख) 'व्यापार कर' का तात्पर्य यथास्थिति, माल की बिक्री या खरीद पर इस ऐक्ट के अधीन देय कर से है";

(ग) खण्ड (ग) में, उपधारा (छः) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे और 13 सितम्बर, 1985 को बढ़ाये गये समझे जायेंगे, अर्थात्--

(सात) प्रत्येक व्यक्ति जो संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में सम्पत्ति के अंतरण का व्यापार करता है ;

(आठ) प्रत्येक व्यक्ति जो नकद/आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किसी माल को किसी भी प्रयोजनार्थ (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) उपयोग करने के अधिकार के अंतरण का व्यापार करता है";

(घ) खण्ड (ग-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा और 13 सितम्बर, 1985 को रखा गया समझा जायेगा, अर्थात्--

"(ग-1) 'कारबार का स्थान' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान, जहां कोई व्यापारी कारबार करता है, से है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :-

(एक) कोई दुकान, भण्डारागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान जहां व्यापारी अपने माल का भण्डारण करता है ;

(दो) कोई स्थान जहां कोई व्यापारी माल का उत्पादन या निर्माण करता है;

(तीन) कोई स्थान जहां कोई व्यापारी अपनी लेखा बही रखता है ;

(चार) कोई स्थान जहां कोई व्यापारी संकर्म संविदा निष्पादित करता है या जहां माल के प्रयोग के अधिकार का प्रयोग किया जाता है ;

(पांच) किसी भी मामले में जहां कोई व्यापारी किसी अभिकर्ता (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) के माध्यम से कारबार करता है, ऐसे अभिकर्ता के कारबार का स्थान ।"

(ङ) खण्ड (ज) में, उपखण्ड (छः) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, और स्पष्टीकरण 1, 13 सितम्बर, 1985 को बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण-1-निम्नलिखित मामलों में कोई बिक्री या खरीद राज्य में हुई समझी जायेगी :-

(एक) उपखण्ड (2) के अधीन पड़ने वाले किसी मामले में, इस बात के होते हुये भी कि संकर्म संविदा के लिये करार पूर्णतः या भागतः राज्य के बाहर किया गया हो, यदि संकर्म संविदा के निष्पादन के अन्तर्गस्त माल (चाहे माल के रूप में या अन्य किसी रूप में) में सम्पत्ति अन्तरण के समय ऐसा माल राज्य में हो;

(दो) उपखण्ड (4) के अधीन पड़ने वाले किसी मामले में, इस बात के होते हुये भी कि पट्टे के लिये करार राज्य के बाहर किया गया हो या पट्टेदार की माल राज्य के बाहर दिया गया हो, यदि पट्टेदार द्वारा किसी अवधि के दौरान राज्य के भीतर माल का उपयोग किया जाता है ।

स्पष्टीकरण-2-इस ऐक्ट में दी गई किसी बात के होते हुये भी, निम्नलिखित दशाओं में, दो स्वतंत्र बिक्री या खरीद इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये, हुई समझी जायेगी--

(क) जब माल मालिक से उसके विक्रय अभिकर्ता को, और विक्रय अभिकर्ता से उसके क्रेता को अन्तरित किया जाये, या

(ख) जब माल विक्रेता से क्रय अभिकर्ता को, और क्रय अभिकर्ता से उसके मालिक को अन्तरित किया जाये, यदि यह पाया जाय कि अभिकर्ता ने उपर्युक्त मामलों में से किसी एक में--

(एक) माल का विक्रय एक दर पर किया गया है और अपने मालिक को विक्रय आगम दूसरी दर पर आगे बढ़ाया है, या

(दो) माल का क्रय एक दर पर किया है और अपने मालिक को उसे दूसरी दर पर आगे बढ़ाया है, या

(तीन) अपने मालिक की ओर से की गई बिक्री या खरीद में उसके द्वारा किये गये सम्पूर्ण संग्रहों या कटौतियों का लेखा अपने मालिक को नहीं दिया है, या

(चार) किसी फर्जी या अविद्यमान मालिक के लिये कार्य किया है ।"

(च) खण्ड (ज-।) में शब्द "बिक्री-कर अधिकरण" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकरण" रख दिये जायेंगे ;

(छ) खण्ड (झ) में, स्पष्टीकरण-2 में उपखण्ड (।) में, शब्द "बिक्रीकर या क्रय कर" के स्थान पर शब्द "माल की बिक्री या खरीद पर व्यापार कर" रख दिये जायेंगे ;

(ज) खण्ड (ठ) में, शब्द "सहायक बिक्रीकर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकारी श्रेणी दो" रख दिये जायेंगे ;

(झ) खण्ड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, "(ढ) 'कर' के अन्तर्गत अतिरिक्त कर और धारा-7-घ के अधीन स्वीकार की गई समाधान धनराशि भी है ।"

(ञ) खण्ड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे और ।3 सितम्बर, ।985 को बढ़ाये गये समझे जायेंगे, अर्थात् :-

"(ण) 'पट्टा' का तात्पर्य किसी करार या प्रबन्ध जिसके द्वारा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को किसी माल के प्रयोग का अधिकार किसी भी अवधि के लिये चाहे निर्निर्दिष्ट हो या नहीं, नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल, के लिये बिना स्वामित्व के अन्तरण के, अन्तरित किया जाता है, में है, और जिसमें उप-पट्टा भी सम्मिलित है किन्तु अवक्रय द्वारा या किस्तों द्वारा भुगतान की किसी प्रणाली द्वारा अन्तरण सम्मिलित नहीं है;

(त) 'पट्टेदार' का तात्पर्य किसी व्यक्ति, जिसको पट्टे के अधीन किसी प्रयोजन के लिये किसी माल के प्रयोग का अधिकार अन्तरित किया जाय, से है ।"

"(थ) 'पटटाकर्ता' का तात्पर्य किसी व्यक्ति जिसके द्वारा पट्टे के अधीन किसी प्रयोजन के लिये किसी माल के प्रयोग का अधिकार अन्तरित किया जाय, से है ।"

धारा 3-क का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उपधारा (।) में,--

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा और सदैव रखा गया समझा जायेगा, अर्थात:-

"(ग) सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिट मय शराब जिसमें मेथाइल अल्कोहल और संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री करारोधान अधिनियम, ।939 में यथापरिभाषित मोटर स्प्रिट, डीजल आयल और अल्कोहल सम्मिलित है, के विक्रय धन पर ऐसे स्थल पर और छब्बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, लगाया जायेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन ऐसे माल की बिक्री और खरीद पर कर देय हो तो इस खण्ड के अधीन ऐसे किसी माल पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा ;"

(ख) यथा प्रतिस्थापित खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"(ग-।) लाटरी टिकटों के विक्रय धन पर ऐसे स्थल पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा, घोषित करे, लगाया जायेगा ;

(ग) खण्ड (ङ) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक "खण्ड (क), (ख), (ग), (ग-।) और (घ) में निर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे ।

धारा-3 क का प्रतिस्थापन

6-मूल अधिनियम की धारा 3-कककक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और । अप्रैल, 1974 को रखी गई समझी जायेगी ;

"3-कककक-धारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यापारी, जो उपभोक्ता को बिक्री के स्थान पर कर देय कोई माल--

कतिपय परिस्थितियों में माल की खरीद पर कर का दायित्व

"(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से ऐसी परिस्थितियों में क्रय करता है जिसमें ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा कोई कर देय नहीं है, तो वह ऐसे माल की क्रय कीमत पर उसी दर पर जिस पर ऐसी परिस्थितियों के न होने पर ऐसे माल की बिक्री पर कर देय होता, कर का देनदार होगा ;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से, चाहे ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय हो या नहीं, क्रय करता है तो ऐसे माल की क्रय कीमत पर उसी दर पर, जिस पर ऐसे माल की बिक्री पर कर देय है, कर का देनदार होगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों में ऐसे माल की क्रय कीमत पर कोई कर देय न होगा, यदि--

(एक) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किये गये ऐसे माल पर कर पहले ही लगाया जा चुका हो या धारा 3-ककक के अधीन लगाया जा सकता हो ;

(दो) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय किये गये ऐसे माल के संबंध में कर का पहले ही भुगतान किया जा चुका है ।

(तीन) क्रेता व्यापारी ऐसे माल को उसी रूप और अवस्था में, जिसमें उसने उसे क्रय किया था, राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान पुनः बेचता है या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात करता है ;

(चार) ऐसे माल पर ऐक्ट की धारा 4-क के अधीन छूट दी जा सकती हो ।

स्पष्टीकरण-इस धारा और धारा 3-ककक के प्रयोजन के लिये--

(एक) उपर्युक्त प्रकार से क्रय की गई कच्ची कपास को ओटने के पश्चात् ओटी हुई कपास, या

(दो) उपर्युक्त प्रकार से क्रय की गई कच्ची खाल और चमड़े को परिष्कृत या शोधन करने के पश्चात् परिष्कृत खाल और चमड़ा या शोधित चमड़े, या

(तीन) उपर्युक्त प्रकार से क्रय किये गये धान को कूटने के पश्चात् 2 सितम्बर, 1976 की प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान चावल की बिक्री, उसी रूप और अवस्था में समझी जायगी ।"

धारा 3-घ के पार्श्वांकित शीर्षक का प्रतिस्थापन

7-मूल अधिनियम की धारा 3-घ के पार्श्वांकित शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वांकित शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"कतिपय माल की बिक्री या खरीद पर व्यापार कर का लगाया जाना"

धारा 3-च का प्रतिस्थापन

8-मूल अधिनियम की धारा 3-च के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और 13 सितम्बर, 1985 को रखी गई समझी जायेगी, अर्थात्--

किसी माल का उपयोग करने के अधिकार पर या संकर्म संविदा के निस्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल पर कर

"धारा 3-क या धारा 3-ककक या धारा 3-घ में किसी बात के होते हुये भी, लेकिन केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 और 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यापारी प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिये ;

(क) किसी प्रयोजन के लिये नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान के प्रतिफल के लिये, माल के प्रयोग करने के अधिकार के (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हो या न हो) अन्तरण ; या

(ख) संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल के स्वामित्व के (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य के रूप में) अन्तरण के शुद्ध विक्रय धन पर पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जो राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे, कर का भुगतान करेगा और भिन्न-भिन्न माल या व्यापारियों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये भिन्न-भिन्न दरें घोषित की जा सकती हैं ;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुद्ध विक्रय धन के निर्धारण के प्रयोजन के लिये, निम्नलिखित राशियों को व्यापारी द्वारा प्राप्त हो प्राप्य कुल राशि में से निकाल दिया जायेगा--

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्तरण के लिये, चाहे ऐसे अन्तरण की सहमति उस कर-निर्धारण वर्ष के दौरान या पहले हो गई हो,--

(एक) वह धनराशि जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 और 5 के अन्तर्गत आने वाले माल का मूल्य प्रकट करे;

(दो) वह धनराशि जो धारा 4 के अधीन छूट प्राप्त माल का मूल्य प्रकट करे ;

(तीन) वह धनराशि जो भुगतान में त्रुटि के लिये शास्ति के रूप में या उस व्यक्ति द्वारा, जिसे ऐसा अन्तरण किया गया था, माल की हानि या क्षति के लिये, क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हो ;

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्तरण के लिये--

(एक) वह धनराशि जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1936 की धारा 3, 4, 5 के अन्तर्गत आने वाले काल का मूल्य प्रकट करे ;

(दो) वह धनराशि जो धारा 4 के अधीन छूट प्राप्त माल का मूल्य प्रकट करे ;

(तीन) वह धनराशि जो ऐसे माल का मूल्य प्रकट करे जिसके क्रय या विक्रय पर इस ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन किसी पूर्वतर प्रक्रम पर कर उद्ग्रहीत कर लिया गया हो या उद्ग्रहीत करने योग्य हो ;

(चार) वह धनराशि जो धारा 4-क के अधीन छूट प्राप्त नई इकाई में निर्मित माल का मूल्य प्रकट करे ;

(पांच) वह धनराशि जो संविदा द्वारा संविदाकार को आपूर्ति किये गये माल का मूल्य प्रकट करे ;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे माल का स्वामित्व संविदा की शर्तों के अधीन संविदी के पास रहे ;

(छः) वह धनराशि जो संकर्म संविदा के निष्पादन के लिये मजदूरी प्रकट करे ;

(सात) वह सभी धनराशियां जो संकर्म संविदा के निष्पादन के लिये पूर्व या आंशिक प्रतिफल के रूप में उप संविदाकार को भुगतान की गई है ;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी कटौती की तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि कटौती का दावा करने वाला व्यापारी इसका प्रमाण न दे कि उप संविदाकार रजिस्ट्रीकृत व्यापारी है और ऐक्ट के अधीन कर का दायी है और ऐसी धनराशियां ऐसे उप संविदाकार द्वारा इस ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन दाखिल किये गये विक्रयधन के विवरण पत्र में सम्मिलित है ;

(आठ) वह धनराशि की योजना बनाने, रूपांकन करने और वास्तुविदों की फीस प्रकट करे ;

(नौ) वह धनराशि जो संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त मशीन और औजारों को किराये पर या अन्यथा लेने के प्रभारों को प्रकट करे ;

(दस) वह धनराशि जो संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त ऐसे उपभोज्यों का मूल्य प्रकट करे जिनका स्वामित्व संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तरित नहीं होता ;

(ग्यारह) वह धनराशि जो अधिष्ठान और इसी प्रकार के अन्य व्ययों का इस सीमा तक मूल्य प्रकट करे जहां तक वह मजदूरी और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो ;

(बारह) वह धनराशि जो उस सीमा तक संविदाकार द्वारा अर्जित लाभ प्रगट करे जहां तक वह मजदूरी और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है ;

(3) जहां उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अन्तरण के संबंध में संविदा कार द्वारा उचित लेखे न रखे गये हों या उसके द्वारा रखे गये लेखे का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विश्वासयोग्य न समझे जायें और मजदूरी और अन्य सेवाओं के प्रति उपगत वास्तविक प्रभार की धनराशियां और मजदूरी और अन्य सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित लाभ की राशियां और मजदूरी और अन्य सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित लाभ की राशियां अभिनिश्चित न हों तो मजदूरी और अन्य सेवाओं के ऐसे प्रभारों और ऐसे लाभ का उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन कटौती के प्रयोजनों के लिये अवधारण संकर्म संविदा के मूल्य के प्रति प्रतिशत के आधार पर किया जायगा जो विहित किया जाये और संकर्म संविदा के विभिन्न प्रकारों के लिये भिन्न-भिन्न प्रतिशत विहित किये जा सकते हैं ।"

धारा 3-छ का प्रतिस्थापन

9-मूल अधिनियम की धारा 3-छ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्

"3-छ- (1) धारा 3-क या धारा 3-घ या धारा 3-च में कतिपय बिक्री पर दी गई किसी बात के होते हुये कर की विशेष दर भी, और उपधारा (2) के उपबन्धों और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के, यदि कोई हो, जैसा कि राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, अधीन रहते हुये, केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग को या किसी केन्द्रीय अधिनियम या उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा या अधीन स्थापित या गठित निगम या उपक्रम को या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी को (जो कोई नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, जिला पंचायत, नगर पंचायत छावनी बोर्ड, कोई विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्था या तत्समय किसी प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा प्रबंधित कोई संस्था न हो) बेचे गये माल के विक्रय धन पर यदि व्यापारी ऐसे विभाग से प्राप्त मान्यता प्रमाण पत्र या ऐसे निगम, उपक्रम या कम्पनी से प्राप्त घोषणा पत्र कर निर्धारक अधिकारी को ऐसे रूप पत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाय, प्रस्तुत करे तो केन्द्रीय विक्रय धन अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर या ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा किसी बिक्री के संबंध में विनिर्दिष्ट करे, लगाया और दिया जायेगा, जब तक कि माल इस ऐक्ट की किसी अन्य धारा के अधीन उक्त दर से कम दर पर लगाने योग्य न हो ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध किसी ऐसे माल की बिक्री पर जिसे ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी द्वारा फिर से बेचने के लिये या बिक्री के लिये विद्युत ऊर्जा से भिन्न, किसी माल के निर्माण या पैकिंग में उपयोग करने के लिये क्रय किया जाय, या यदि ऐसे विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी का कोई कार्यालय या अधिष्ठान उत्तर प्रदेश में स्थित न हो, लागू नहीं होंगे ।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र या घोषणा से माल क्रय करने के पश्चात् कोई ऐसा विभाग, या निगम, उपक्रम या कम्पनी उपधारा (2) में उल्लिखित रीति से उसका उपयोग या निस्तारण करे तो अर्थदंड आरोपित करने के साथ इस ऐक्ट के अधीन की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा विभाग, निगम, उपक्रम या कम्पनी इस ऐक्ट के अधीन ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर अन्यथा लागू दर पर और उपधारा (1) के अधीन लागू दर पर संगणित कर के अन्तर के बराबर की धनराशि का देनदार होगा ।

स्पष्टीकरण:-संदेह के निवारण के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा, जैसी वह 13 मई, 1994 में थी, के उपबन्ध 14 मई, 1994 और 27 सितम्बर, 1994 के बीच की अवधि के दौरान लागू नहीं होंगे ।"

धारा 4 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 4 में,--

(क) खण्ड (क) में शब्द और अंक "संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान, अधिनियम, 1939 में यथापरिभाषित मोटर स्प्रिट डीजल आयल और अल्कोहल" निकाल दिये जायेंगे और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात--

"(ख) किसी ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर जो आल इण्डिया स्पिनर्स एसोसियेशन या गांधी आश्रम, मेरठ या उसकी शाखाओं द्वारा की गई हो ; या

(ग) किसी ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर जो ऐसे अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों द्वारा की गई हो जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा छूट दे ।"

(ग) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "खण्ड (क) या खण्ड (ख)" के स्थान पर शब्द खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग)" रख दिये जायेंगे ।

धारा 4-क का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 4-क में,--

(क) पार्श्वांकित शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वांकित शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात :-

("कतिपय मामलों में व्यापार कर से छूट)

(ख) उपधारा (1) में,--

(एक) शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "बारह वर्ष" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "बिक्रीकर से मुक्त रहेगा" के स्थान पर शब्द "माल की बिक्री पर व्यापार कर से मुक्त रहेगा" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्-

प्रतिबन्ध यह है कि जहां धारा 4 ककक के अधीन रियायत या छूट की सुविधा प्राप्त की गई हो वहां कोई छूट नहीं दी जायेगी ।";

(ग) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

"(खख) उन तैयार मालों के संबंध में जो किसी ऐसी इकाई में निर्मित किये जायं जिसने वैकवर्ड इण्टिग्रेशन किया है, या";

(घ) स्पष्टीकरण (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, खण्ड (चार) में, शब्द और अंक "उक्त स्पष्टीकरण (1) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करने के दिनांक से" के स्थान पर शब्द और अंक "उक्त स्पष्टीकरण (1) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरी करने के दिनांक या 20 जुलाई, 1992 से, इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(50) स्पष्टीकरण (2) में, खण्ड (क) में शब्द "ब्वायलरों, जेनरेटरों" के स्थान पर शब्द "ब्वायलरों, जेनरेटरों, मोल्डों और डाइयों" रख दिये जायेंगे ;

(च) स्पष्टीकरण (4) के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा, और 1 अप्रैल, 1990 को रखा गया समझा जायेगा, अर्थात् :-

"(4) स्थिर पूंजी विनिधान' का तात्पर्य भूमि और भवन में और ऐसे संयंत्र, मशीनरी उपस्कर, साधिव और संगठनों में विनिधान से है जो भारत में किसी अन्य कारखानें या कर्मशाला में न तो प्रयोग में लाये गये हों, न ही उसमें प्रयोग में लाये जाने के लिये अर्जित किये गये हों ;

प्रतिबन्ध यह है कि--

(क) भूमि और भवन में विनिधान का अवधारण करने के प्रयोजन के लिये केवल निम्नलिखित को गणना में लिया जायेगा--

(एक) भूमि और भवन के केवल ऐसे भाग में विनिधान जो किसी इकाई के कारखाने या कर्मशाला को स्थापित करने या चलाने के लिये आवश्यक हो ;

(दो) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबन्धों के अधीन भूमि और भवन के रजिस्ट्रीकरण में और किसी कानूनी निकाय की भूमि के विकास में देय और विकास प्रभार के रूप में उपगत व्यय ;

(तीन) यदि इकाई ऐसी भूमि या भवन में स्थापित हो जो पहले से उसके मालिक, भागीदार, प्रबन्ध निदेशक, सम्प्रवर्तक, निदेशक या नियंत्री कम्पनी के स्वामित्वाधीन हो और उसके द्वारा पूंजी में अपने अंश के रूप में दी गई हो, तो ऐसी भूमि या भवन का मूल्य ;

(चार) यदि इकाई पट्टे पर ली गई भूमि या भवन में स्थापित हो तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण पर उपगत व्यय और उस अवधि के लिये, जिसके लिये धारा 4-क के अधीन छूट दी जाये, पट्टे के कारण प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई या देय धनराशि या आनुपातिक धनराशि ;

(पांच) किसी कानूनी दायित्व के अधीन इकाई को स्थापित करने या चलाने के लिये आवश्यक भूमि या भवन में विनिधान ;

(ख) संयंत्र, मशीनरी उपस्कर, साधित्र और संघटकों में विनिधान का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये केवल निम्नलिखित को गणना में लिया जायेगा--

(एक) ऐसे संयंत्र उपस्कर, साधित्र संघटकों और मशीनरी में विनिधान जो कारखाने या कर्मशाला को स्थापित करने या उसे चलाने के लिये आवश्यक हो ;

(दो) विनिधान जो किसी कानूनी दायित्व के अधीन आवश्यक हो; और

(तीन) ऐसे संयंत्र और मशीनरी के परिनिर्माण और प्रतिष्ठापन में, और उसे उस स्थल तक लाने में, उपगत व्यय ।

(ग) राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, स्थिर पूंजी विनिधान अवधारित करने के लिये प्रक्रिया विनिर्दिष्ट कर सकती है ।";

(च-1) इस प्रकार रखे गये स्पष्टीकरण (4) में,--

(एक) शब्द "संयंत्र, मशीन, उपस्कर, साधित्र और संघटकों" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "संयंत्र, मशीन उपस्कर, साधित्रों, संघटकों, मोल्डों, डाइयों, जिगों और फिक्सचरों" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द "विनिधान" के स्थान पर शब्द "विनिधान चाहे खरी, किराया या पट्टे के रूप में हो" रख दिये जायेंगे ;

(छ) स्पष्टीकरण (5) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"(क) जो ऐसे व्यापारी की हो जो इस ऐक्ट या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन या माल की बिक्री या क्रय पर व्यापार कर

के संबंध में प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित किसी ऋण योजना के अधीन किसी देय के भुगतान में व्यतिक्रमी न हो ।"

(ज) स्पष्टीकरण (6) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(7) वह इकाई जिसने बैकवर्ड इन्ट्रीगेशन किया है, का तात्पर्य ऐसे औद्योगिक उपक्रम से है--

(एक) जिसने पिछले तीन कर निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में अपने द्वारा बनाये जा रहे तैयार माल, के लिये कच्चे माल, पुर्जों, मध्यकों या संघटकों के क्रय की कुल धनराशि का कम से कम पचास प्रतिशत राज्य के बाहर से आया किया है;

(दो) जिसने मूल स्थिर पूंजी विनिधान (अवक्षयण की व्यवस्था किये बिना) का कम से कम 25 प्रतिशत अतिरिक्त स्थिर पूंजी विनिधान किया हो; और

(तीन) जिसने ऐसे कच्चे माल, पुर्जस, मध्यकों या संघटकों का निर्माण किया है, जिन्हें राज्य के बाहर से आयात किया जाता था ।"

धारा 4-कक का बढ़ाया जाना

12-मूल अधिनियम की धारा 4-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"4-कक-इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुये भी, ऐसी औद्योगिक इकाई को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को कुल नियोजन में उस अनुपात में नियोजित करे जो विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाय, द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर कर की दर में पच्चीस से अनधिक जितने प्रतिशत की रियायत राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन दे सकती है जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जायें :-

कतिपय औद्योगिक इकाइयों को कर की दर में रियायत

स्पष्टीकरण:-इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद 'नागरिकों' के अन्य पिछड़े वर्गों का वही तात्पर्य होगा जो उसके लिये उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 में इसके लिये दिया गया है और पद 'अल्पसंख्यक वर्गों' का वही तात्पर्य होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में इसके लिये दिया गया है ।"

नई धारा 4-ककक का बढ़ाया जाना

13-इस तरह प्रतिस्थापित धारा 4-ककक के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी और 1 दिसम्बर, 1994 को बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्--

"4-ककक-धारा 4-क में दी गई किसी बात के होते हुये भी, यदि राज्य सरकार का इस निमित्त उसके द्वारा गठित समिति की सिफारिश में यह समाधान हो जाय कि किसी ऐसे नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना, या किसी विद्यमान औद्योगिक उपक्रम का विस्तार विविधीकरण, आधुनिकीकरण या बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिसमें 50 करोड़ रुपये से अधिक का स्थिर पूंजी विनिधान किया गया है, लोकहित में आवश्यक है, तो वह विज्ञप्ति द्वारा ऐसे औद्योगिक उपक्रम को पंद्रह वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये कर से ऐसी रियायत या छूट दे सकती है, जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जाय ;

बड़े उद्योगों को विशेष रियायत

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे औद्योगिक उपक्रम को, जिसने धारा 4 क के अधीन स्वीकृत किये गये पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि के लिये कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्त की है, कोई रियायत या छूट नहीं दी जायेगी ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन कर की दर में रियायत और कर से छूट की धनराशियों का योग धारा 4-क के अधीन समय-समय पर जारी की गई विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट मौद्रिक सीमा से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण:-इस धारा के प्रयोजनों के लिये शब्द 'स्थित पूंजी विनिधान" 'विस्तार, विविधीकरण, 'आधुनिकीकरण', बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और 'नई इकाई', के तात्पर्य वही हैं जो धारा 4-क के स्पष्टीकरण में उनके लिये क्रमश: दिये गये हैं ।"

धारा 4-ख का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 4-ख में,--

(क) उपधारा (1) में :-

(एक) खण्ड (क) में शब्द "उसके संबंध में क्रय-कर" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल की बिक्री पर व्यापार कर" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (क-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"(क-1) यदि धारा 3-घ की उपधारा (1) के अधीन कर योग्य कोई घोषित माल किसी ऐसे व्यापारी द्वारा जो उसका प्रथम क्रेता हो किसी ऐसे दूसरे व्यापारी को बेचा या संभरित किया जाय जिसके पास उसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया विधिमान्य मान्यता प्रमाण-पत्र हो तो राज्य सरकार, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जो विज्ञप्ति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे प्रथम क्रेता को खण्ड (क) में यथा उल्लिखित अनुतोष दे सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि धान के संबंध में इस खण्ड या खण्ड (क) के अधीन किसी विज्ञप्ति को ऐसे दिनांक से प्रभावी बनाया जा सकता है जो पहली मई, 1977 के पूर्व का दिनांक न हो ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड या खण्ड (क) के अधीन किसी उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिये नियमों को भी किसी ऐसे दिनांक से प्रभावी बनाया जा सकता है जो पहली मई, 1977 के पूर्व का दिनांक न हो";

(ख) उपधारा (2) में शब्द "और यदि प्रार्थी" के पश्चात् शब्द विलम्ब फीस जमा करने की अपेक्षा को सम्मिलित करते हुये" बढ़ा दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात :--

(5) यदि किसी व्यापारी ने जिसके पक्ष में उपधारा (2) के अधीन मान्यता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, इस धारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा में हो कर का भुगतान किये बिना माल खरीदा हो, और

(क) ऐसे माल का प्रयोग उस प्रयोजन से जिसके लिये मान्यता का प्रमाण पत्र दिया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिये किया हो या ऐसे माल का निस्तारण अन्यथा कर दिया हो, या

(ख) ऐसे कच्चे माल या प्रसंस्करित सामग्री से निर्मित माल या ऐसी पैकिंग सामग्री के साथ पैक किये जाने के पश्चात् निर्मित माल राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारण किया जाता है,

तो ऐसा व्यापारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का जैसी कर निर्धारण अधिकारी निश्चित करे देनदार होगा जो इस धारा के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर या खरीद पर देयकर की धनराशि और इस ऐक्ट के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर से कम न होगी किन्तु ऐसे अन्तर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न होगी।";

(घ) उपधारा (6) निकाल दी जायेगी ।

15-मूल अधिनियम की धारा 4-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

कतिपय मामलों में कच्चे माल और पैकिंग पर भुगतान किये गये कर का मुजरा

नई धारा-4 खख का बढ़ाया जाना

"4-खख- जहां कहीं ऐसे कच्चे माल या पैकिंग सामग्री पर राज्य के भीतर या बिक्री पर कर का भुगतान किया जा चुका है, जिसका उपयोग ऐसे माल के निर्माण या पैकिंग में हुआ है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विज्ञप्ति जारी की गई है और ऐसे माल की बिक्री राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है तो ऐसे कच्चे माल या पैकिंग सामग्री की खरीद या बिक्री पर भुगतान किये गये कर की धनराशि, उस विज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये--

(क) राज्य के भीतर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर की धनराशि में से ऐसे कच्चे माल या पैकिंग सामग्री की खरीद या बिक्री पर भुगतान किये गये कर की सीमा तक, जिसका उपयोग राज्य के भीतर बिक्री किये गये माल का निर्माण या उसको पैक करने के लिये किया गया था ;

(ख) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान ऐसे माल की बिक्री पर देय कर की धनराशि में से ऐसे कच्चे माल या पैकिंग सामग्री की खरीद या बिक्री पर भुगतान किये गये कर की सीमा तक, जिसका उपयोग अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री किये गये माल का निर्माण या उसको पैक करने के लिये किया गया था ;

घटा दी जायेगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन घटाई जाने वाली कर की कुल धनराशि, इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन अलग-अलग देय कर की धनराशि से अधिक न होगी ।"

धारा 4-ग का प्रतिस्थापन

16-मूल अधिनियम की धारा 4-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, और 1 दिसम्बर, 1994 को रखी गई समझी जाय अर्थात्--

भारत के बाहर तैयार माल का निर्यात करने वाले निर्माताओं को विशेष राहत

"4-ग-धारा 4-ख--में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये, ऐसे कच्चे माल या पैकिंग सामग्री या दोनों की खरीद पर देय कर से छूट या रियायत प्रदान कर सकती है जिसका उपयोग केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 की धारा-5 में यथापरिभाषित निर्यात के लिये माल का निर्माण या उसको पैक करने के लिये किया गया है ।"

धारा 7 का संशोधन

17-मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्--

"(4) प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 28-ख प्रवृत्त होती है और जिसके लिये उक्त धारा के अधीन यह उपधारणा विद्यमान है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर माल बेचा गया है, पर माल के पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले माल के लिये जांच चौकी पर विहित रीति से पृथक रूप से कर का निर्धारण किया जायेगा ;

(5) उपधारा (4) के उपबन्ध कर निर्धारण के सभी मामलों पर लागू होंगे चाहे वे उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व या पश्चात् उत्पन्न हों ;

(6) उपधारा (4) और (5) के अधीन कर निर्धारण का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि, जैसी भी दशा हो, वाहन के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को सुनवाई या युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाये ।"

धारा 7-ख के पाश्वांकित शीर्षक का प्रतिस्थापन

18-मूल अधिनियम की धारा 7-ख के पाश्वांकित शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पाश्वांकित शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात्--

कर निर्धारण वर्ष के दौरान कर की दर परिवर्तित हो जाने पर कर निर्धारण"।

धारा 7-घ का प्रतिस्थापन

19-मूल अधिनियम की धारा 7-घ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"7-घ-इस ऐक्ट के अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, किन्तु राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुये कर निर्धारक अधिकारी ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो किसी व्यापारी द्वारा, ऐसे माल या माल के वर्ग के सम्बन्ध में और ऐसी अवधि के लिये जिस पर करार हो जाय, देय हो या तो एकमुश्त या उसके विक्रय धन पर सहमत दर से समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिये करार कर सकता है ;

कर दायित्व का समाधान

प्रतिबन्ध यह है कि कर की दर में किसी परिवर्तन का, जो ऐसे करार के दिनांक के पश्चात् प्रवृत्त हो, यह प्रभाव होगा कि कर निर्धारण की अवधि के उस भाग के संबंध में जिसमें परिवर्तित दर प्रवृत्त रहे, एक मुश्त धनराशि या करार हुई दर में आनुपातिक परिवर्तन हो जायगा ।

स्पष्टीकरण:-इस धारा के प्रयोजनों के लिये कर निर्धारक अधिकारी में जांच चौकी पर तैनात ऐसा अधिकारी जो व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-2 से निम्न श्रेणी का न हो, भी सम्मिलित है ।"

धारा 8-क का संशोधन

20-मूल अधिनियम की धारा 8-क में,--

(क) उपधारा (1-क) में, शब्द "बिक्री-कर कमिश्नर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "कर निर्धारक अधिकारी" रख दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में,--

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "बिक्रीकर या क्रयकर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "माल की बिक्री या क्रय पर व्यापार कर" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "बिक्री-कर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "माल की बिक्री या व्यापार कर" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में,--

(क) शब्द बिक्री कर कमिश्नर उसके द्वारा देय कर की धनराशि के बदले में एक मुश्त धनराशि धारा 7-घ के अधीन स्वीकार करने के लिये सहमत हो जाता है" के स्थान पर शब्द "कर निर्धारक अधिकारी उसके द्वारा देय कर की धनराशि के बदले में धारा 7-घ के अधीन समाधान धनराशि स्वीकार करने के लिये सहमत हो जाता है" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "बिक्री-कर" के स्थान पर शब्द "माल की बिक्री पर व्यापार कर" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात्--

(4) (एक) धारा 12 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यापारी, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिस पर धारा 18 की उपधारा (1) या इस धारा की उपधारा (1) के उपलब्ध लागू हों, क्रेता को जहां विक्रय माल का मूल्य पचास रुपये से अधिक हो, छपी हुई क्रम संख्या के साथ यथास्थिति, कैश, मेमो या बिल या चालान देगा जिस पर उसका या उसके सेवक, मैनेजर या एजेन्ट का दिनांक सहित हस्ताक्षर होगा और उसकी कार्बन प्रति ऐसी अवधि तक सुरक्षित रखेगा, जैसी विहित की जाय ;

(दो) जहां कोई रजिस्टीकृत व्यापारी क्रेता से माल की बिक्री पर व्यापार कर वसूल करता है, वहां कैश मेमो या बिल में बेचे गये माल की कीमत और वसूल किये गये कर की धनराशि अलग-अलग दर्शायी जायेगी।"

उपधारा 8-घ का संशोधन

21-मूल अधिनियम की धारा 8-घ में,--

(क) उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा और 27 अप्रैल 1987 को बढ़ाया गया, समझा जायेगा :-

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के अनुसार जहां किसी संविदाकार द्वारा अपने उप संविदाकार को किये गये भुगतान में से कोई कटौती की गई है तो ऐसे भुगतानों की धनराशि को, उस धनराशि में से घटा दिया जायेगा, जिसमें से इस उपधारा के अधीन कटौती की जानी है";

(ख) उपधारा (2) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा और 27 अप्रैल, 1987 को बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्--

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन उतनी धनराशि पर कोई कटौती नहीं की जायेगी, जितनी पर उपधारा (1) के अधीन पहले ही कटौती की जा चुकी हो"।

(ग) उपधारा (4) में शब्द "काटी गई धनराशि और जिस दर पर उसे काटा गया विनिर्दिष्ट की जायगी" के स्थान पर शब्द "काटी गई धनराशि, जिस दर पर उसे काटा गया और सरकारी कोषागार में जमा के विवरणों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा" रख दिये जायेंगे ।

धारा 8-खख का संशोधन

22-मूल अधिनियम की धारा 8-खख में, शब्द "तद्नुसार सूचना देगा ।" के स्थान पर शब्द "ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, सूचना देगा ।" रख दिये जायेंगे ।

धारा 9 का संशोधन

23-मूल अधिनियम की धारा 9 में,--

उपधारा (3-क) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड (।) में, शब्द "या तत्पश्चात् अपील प्रस्तुत करने के दिनांक से साठ दिन के भीतर" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 10 का संशोधन

24-मूल अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) पार्श्वांकित शीर्षक को सम्मिलित करते हुये शब्द "बिक्रीकर अधिकरण" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "अधिकरण" रख दिया जायेगा ;

(ख) उपधारा (।) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर सेवा के ऐसे व्यक्ति जो उप कमिश्नर से अनिम्न पद पर हों, या रहे हों ;"

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(2) धारा 9 (उक्त धारा की उपधारा (4 क) में निर्दिष्ट आदेश से भिन्न धारा 10-ख, धारा 4-क की उपधारा (2-ख) या उपधारा (3) के अधीन पारित किसी आदेश, धारा 35 के अधीन किसी विनिश्चय, धारा 13-क की उपधारा (6) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी निदेश या धारा 4-क की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अर्थान्तिर्गत किसी पात्रता प्रमाण पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने के किसी आदेश, से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश या विनिश्चय या निदेश की प्रति उस पर तामील किये जाने के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकता है;

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कर, शुल्क या अर्थदण्ड की विवादग्रस्त धनराशि दो हजार रुपये से अधिक न हो और कोई विधिक प्रश्न अन्तर्ग्रस्त न हो, वहां अपीलार्थी अपने विकल्प पर अधिकरण से अपनी अपील के संक्षिप्त निस्तारण के लिये लिखित रूप से अनुरोध कर सकता है, जिस पर अधिकरण तद्नुसार अपील का विनिश्चय कर सकता है ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये, पद 'कोई व्यक्ति' के अन्तर्गत कमिश्नर से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के संबंध में कमिश्नर और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के संबंध में राज्य सरकार भी है ।";

(घ) उपधारा (5) में, खण्ड (ख) में, शब्द "बिक्री-कर कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "कमिश्नर या पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत करने वाला अधिकारी" रख दिये जायेंगे ;

(ङ) उपधारा (6) में, शब्द "ऐसी अपील के प्रस्तुत किये जाने के तीस दिन के भीतर के स्थान पर शब्द "ऐसी अपील के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किये गये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (10) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात--

"(ग) धारा 4-क की उपधारा (2-ख) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश या धारा 35 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय या धारा 4-क की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अर्थान्तर्गत किसी पात्रता प्रमाण-पत्र को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और उसकी सुनवाई और निस्तारण तीन सदस्यों की न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा ।"

धारा 10-क का संशोधन

25-मूल अधिनयम की धारा 10-ख में, उपधारा (1) में शब्द "बिक्री-कर उप कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "उप कमिश्नर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 12-क का संशोधन

26-मूल अधिनियम की धारा 12-क में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "क्रय-कर" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द "माल के क्रय पर व्यापार कर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 13 का संशोधन

27-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (7) में, शब्द "यथावश्यक परिवर्तन सहित" के स्थान पर शब्द "यथाशक्य" रख दिया जायेगा ।

धारा 13-क का संशोधन

28-मूल अधिनियम की धारा 13-क में, उपधारा (6) में प्रति-बन्धात्मक खण्ड में, शब्द "असिस्टेंट बिक्री-कर कमिश्नर" के स्थान पर "असिस्टेंट कमिश्नर" रख दिये जायेंगे ।

धारा 14 का संशोधन

29-मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (2) में, खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"(छ) किसी माल की बिक्री या क्रय पर कोई कर मांगे या वसूल करे जो इस ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन देय न हो ; या"।

धारा 15 का संशोधन

30-मूल अधिनियम की धारा 15 में,--

(क) शब्द "निर्धारित अधिकारी" के स्थान पर शब्द "कर निर्धारक अधिकारी" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

"(खख) जहां धारा 28-क के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी माल का आयात या परिवहन या आयात या परिवहन का दुष्प्रेरण अपराध में समाविष्ट हो वहां धन की कोई राशि जो इस ऐक्ट के किन्हीं उपबन्धों के अधीन अन्तर्निहित कर की धनराशि से कम न हो, किन्तु ऐसे कर की धनराशि के तीन गुने या अन्तर्ग्रस्त माल की लागत का चालीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से अधिक न हो ।"

(ग) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्--

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिये, कर निर्धारक अधिकारी में ऐसा अधिकारी जो जांच चौकी पर तैनात व्यापार कर अधिकारी श्रेणी दो से निम्न श्रेणी का न हो, भी सम्मिलित है ।"

धारा 15-क का संशोधन

31-मूल अधिनियम की धारा 15-क में उपधारा (1) में,--

(क) खण्ड (थ) में शब्द "पारगमन पत्र" के स्थान पर शब्द "माल के पारगमन के लिये प्राधिकार" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (थ थ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायेगा, अर्थात्-

"(थ थ) धारा 8-क की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करके बिक्री या क्रय पर व्यापार कर के रूप में कोई धनराशि या ऐसे कर के बदले में उससे कोई भिन्न या छद्म नाम देकर कोई धनराशि वसूल करता है ; या";

(ग) खण्ड (9) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(9) खण्ड (ण) या खण्ड (थ) में अभिदिष्ट दशा में अन्तर्ग्रस्त माल के मूल्य के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस ऐक्ट के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो ।";

(घ) स्पष्टीकरण में, शब्द "सहायक बिक्रीकर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "व्यापार कर अधिकारी श्रेणी दो" रख दिये जायेंगे ।

धारा 21 का संशोधन

32-मूल अधिनियम की धारा 21 में,--

(क) उपधारा (2) में,--

(एक) शब्द "ऐसे वर्ष से अन्त से चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "ऐसे वर्ष के अन्त से तीन वर्ष, या 31 मार्च, 1996, जो भी पश्चात्वर्ती हो", रख दिये जायेंगे ;

(दो) प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "ने कर निर्धारक अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये गये कारणों के आधार पर समाधान होने पर" के स्थान पर शब्द "का स्वयं या कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किये गये कारणों के आधार पर यह समाधान हो जाये" रख दिये जायेंगे और 19 फरवरी, 1991 को रखे गये समझे जायेंगे ;

(तीन) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि धारा 4-क के अधीन स्वीकृत पात्रता प्रमाणपत्र धारा 4-क की उपधारा (3) के अधीन कमिश्नर द्वारा संशोधित या निरस्त किया गया हो तो कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश उपयुक्त प्रमाण-पत्र के संशोधित या निरस्त किये जाने के आदेश की प्रति कर निर्धारक अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर या 31 मार्च, 1995 तक जो भी पश्चातवर्ती हो, किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कर निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिये कर निर्धारण या पुनर्निर्धारण 31 मार्च, 1995 तक किया जा सकता है ।";

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात्--

"(5) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश धारा 30 के अधीन रद्द कर दिया जाय तो उस वर्ष के लिये कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का नया आदेश उस दिनांक से जब, पूर्ववर्ती आदेश रद्द किया गया था, छः मास के भीतर किया जा सकता है।";

(ग) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(6) जहां किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही किसी न्यायालय या प्राधिकारी के आदेश के अधीन स्थगित हो तो स्थगन आदेश के दिनांक को प्रारम्भ होने वाली और सम्बद्ध कर निर्धारक अधिकारी द्वारा स्थगन को निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्राप्ति के दिनांक को समाप्त होने वाली अवधि को इस धारा में उपबन्धित परिसीमा अवधि की संगणना करने में निकाल दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी संगणना करने में परिसीमा की अवधि छः मास से कम हो जाये तो ऐसा कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण कर निर्धारक अधिकारी द्वारा स्थगन को निष्प्रभावी करने वाले आदेश की प्राप्ति के दिनांक से छः मास के भीतर किया जा सकता है।"

धारा 28-क का संशोधन

33-मूल अधिनियम की धारा 28-क में, उपधारा (1) में, शब्द "ऐसे परिमाण या माप में या मूल्य के इस अधिनियम के अधीन कर देय" के स्थान पर शब्द "धारा 4 के खण्ड (क) के अधीन छूट प्राप्त माल से भिन्न ऐसे परिमाण या माप में या मूल्य के" रख दिये जायेंगे।

धारा 28-ख का संशोधन

34-मूल अधिनियम की धारा 28-ख में,--

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "परगमन-पत्र" के स्थान पर शब्द "माल के पारगमन के लिये प्राधिकार" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "पारगमन-पत्र" के स्थान पर शब्द "माल के पारगमन के लिये प्राधिकार" रख दिये जायेंगे।

35-मूल अधिनियम की धारा 29-क में, उपधारा (3) में, शब्द "ऐसे प्रपत्र में जो नियत किया जाय" निकाल दिये जायेंगे — धारा 29-क का संशोधन

36-मूल अधिनियम की धारा 30 में,-- — धारा 30 का संशोधन

(क) पार्श्वांकित शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्वांकित शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात्-

कर निर्धारण के किसी आदेश या अपील में किसी आदेश के रद्द करने की शक्ति";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"(3) यदि किसी व्यापारी को धारा 4-क के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र उस अवधि के लिये जिसके लिये कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश या अपील में कोई आदेश पात्रता प्रमाण-पत्र के स्वीकार किये जाने के पूर्व पारित किया गया हो, स्वीकार किया जाता है, तो ऐसा आदेश अधिकारिता रखने वाले कर निर्धारक अधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा या तो स्वतः या व्यापारी के आवेदन पर ऐसा पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकार करने के आदेश की प्रति की उसके द्वारा प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर या 31 मार्च, 1995 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, रद्द किया जा सकता है और विधि के अनुसार एक नया आदेश पारित किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापारी द्वारा इस उपधारा के अधीन आवेदन उपर्युक्त अवधि के भीतर किया गया हो तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के बाहर भी किया जा सकता है।"

37-मूल अधिनियम की अनुसूची में, प्रविष्टि "76" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, और 20 जुलाई, 1994 से बढ़ाई गई समझी जायेगी, अर्थात्-- — अनुसूची में संशोधन

"77--पेट्रोलियम आधारित तेल।"

विज्ञप्तियों का संशोधन

38-(1) विज्ञप्ति संख्या वि0क0 2-949/ग्यारह-9 (207)-93-उ0प्र0 अधि0-पन्द्रह-48-आदेश-93, दिनांक 12 मई, 1993, दिनांक 1 अप्रैल, 1993 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(2) विज्ञप्ति संख्या वि0क0 2-1585/ग्यारह-9 (50)-93-उ0प्र0 अधि0-पन्द्रह-48-आदेश-93, दिनांक 12 मई, 1993, दिनांक 1 अप्रैल, 1993 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(3) विज्ञप्ति संख्या वि0क0 2-601/ग्यारह-9 (60)-92-उ0प्र0 अधि0-पन्द्रह-48-आदेश-94, दिनांक 28 फरवरी, 1994, में शब्द और अंक "1 मार्च, 1994 से" के स्थान पर शब्द और अंक "1 सितम्बर, 1987 से" रख दिये जायेंगे और सदैव रखे समझे जायेंगे।

(4) विज्ञप्ति संख्या वि0क0 2-602/ग्यारह-9 (60)-93-उ0प्र0 अधि0-पन्द्रह-48-आदेश-94, दिनांक 28 फरवरी, 1994, में शब्द और अंक "1 मार्च, 1994 से" के स्थान पर शब्द और अंक "1 सितम्बर, 1987 से" रख दिये जायेंगे और सदैव रखे गये समझे जायेंगे।

(5) विज्ञप्ति संख्या वि0क0 2-603/ग्यारह-9 (124)-90-उ0प्र0 अधि0-पन्द्रह-48-आदेश-94, दिनांक 28 फरवरी, 1994, में शब्द "तात्कालिक प्रभाव से" के स्थान पर शब्द और अंक " "1 अप्रैल, 1993 से" रख दिये जायेंगे और सदैव रखे गये समझे जायेंगे।

(6) विज्ञप्ति संख्या वि0क0 2-801/ग्यारह-9 (604)-93-उ0प्र0 अधि0-पन्द्रह-48-आदेश-94, दिनांक 10 मार्च, 1994, दिनांक 27 अप्रैल, 1993 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

(7) विज्ञप्ति संख्या वि0क0 2-2059/ग्यारह-7 (42)-86-उ0प्र0 अधि0-पन्द्रह-48-आदेश-94, दिनांक 18 जून, 1994, दिनांक 4 नवम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

वैधीकरण

39-(1) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व जारी की गई कोई विज्ञप्ति या कृत कोई कार्य या कार्यवाही जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अपबन्धों के अनुसार हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

वैधीकरण

(2) जहां इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी प्राधिकारी या न्यायालय ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह किया हो या अर्थदण्ड लगाने या किसी अन्य मांग का कोई आदेश किया हो या ऐसे कर निर्धारण उद्ग्रहण, संग्रह, अर्थदण्ड या मांग को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अभिखंडित करने का कोई आदेश दिया हो और ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाये, वहां उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्री कर कमिश्नर, 30 सितम्बर, 1995 तक ऐसे प्राधिकारी या न्यायालय को कर निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये, प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या उसका पुनरीक्षण करते हुये ऐसा आदेश दे सकता है जैसा इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो ।

(3) यथास्थिति, कर निर्धारक, अपील सुनने वाला या पुनरीक्षण प्राधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में इस धारा के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर या मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जो भी बाद में समाप्त हो, कोई सुधार कर सकता है, जहां ऐसा सुधार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सुधार जिसका प्रभाव कर निर्धारण अर्थदण्ड या अन्य देयों को बढ़ाना हो, तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना सम्बद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो ।

कार्यान्वयन

40-(1) उत्तर प्रदेश विक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के दिनांक की ओर से किन्ही नियमों, विनियमों, उपविधियों आदेशों, परिनियत लिखतों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी दस्तावेज या कार्यवाही में बिक्रीकर या क्रयकर के उल्लेख का अर्थ यह किया जायेगा कि व्यापार कर का उल्लेख है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम का प्रारम्भ होना ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व उपगत किसी कर, शास्ति या अन्य देयों के किसी दायित्व या प्रोद्भूत किसी अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगा और किसी अधिकारी, प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन कार्यवाहियों और उक्त दिनांक के पश्चात् संस्थित और यथा उपयुक्त दायित्व या अधिकार से संबंधित सभी कार्यवाहियों, उपर्युक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन यथास्थिति जारी रखी जायेंगी और निस्तारित की जायेंगी, या संस्थित या निस्तारित की जायेंगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त बिक्री कर कमिश्नर, बिक्रीकर का अपर कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर, उप कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, या बिक्रीकर अधिकारी या बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-दो या किसी बिक्री कर अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य, ऐसे प्रारम्भ पर यथास्थिति, व्यापार कर कमिश्नर, व्यापार कर अपर कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर, उप कमिश्नर, या असिस्टेंट कमिश्नर, या व्यापार कर अधिकारी, या व्यापार कर अधिकारी श्रेणी दो या व्यापार कर अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य समझा जायेगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारम्भ के पूर्व की गई कोई नियुक्ति जिसमें उपधारा (3) में निर्दिष्ट नियुक्ति भी सम्मिलित है, या घोषणा या बनाया गया कोई नियम, विनियम, स्कीम या प्रपत्र या जारी की गई कोई विज्ञप्ति, नोटिस, प्रमाण-पत्र, आदेश या निर्देश या स्वीकृत की गई कोई अनुज्ञप्ति, छूट, अनुज्ञा या रजिस्ट्रीकरण तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उसे यथास्थिति, उपर्युक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई, बनाई गई जारी की गई या स्वीकृत की गई किसी नियुक्ति, घोषणा, नियम, विनियम, स्कीम, प्रपत्र, विज्ञप्ति, नोटिस, प्रमाण-पत्र, आदेश, निदेश, अनुज्ञप्ति, छूट, अनुज्ञा, या रजिस्ट्रीकरण द्वारा उपान्तरित, निरसित, रद्द या अधिक्रमित न कर दिया जाये ।

(5) यथास्थिति, कर निर्धारक, अपील या पुनरीक्षण अधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर या मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी बाद में समाप्त हो, अपने द्वारा पारित किसी आदेश में कोई सुधार कर सकता है यदि ऐसा सुधार मूल अधिनियम के, या इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन जारी विज्ञप्तियों के, संशोधन के फलस्वरूप आवश्यक हो जाये :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार, जो कर निर्धारण, शास्ति या अन्य देयों में वृद्धि करता हो, तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राधिकारी व्यापारी की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 1995 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 1994 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 1994

41-(1) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रकृत थे।

निरसन और अपवाद

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 41 तक, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995, पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1995 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8-8-95 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री बदन सिंह की उत्तर प्रदेश में राजस्थान की ओर से रेगिस्तान के बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। जिसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है।

दूसरी सूचना श्री शिवदानी जी की जनपद इलाहाबाद के चायल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नहरों तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है जिसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है।

तीसरी सूचना श्री राम सरन वर्मा की प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को (प्रसूति गृहो में तैनात परिवार कल्याण विभाग के) दो-दो महीनों से वेतन का भुगतान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है ।

चौथी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की उत्तराचंल में बढ़ते हुए बाघ के आंतक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया जाता है ।

पांचवी श्री किरनपाल सिंह की लखनऊ जिले के गोसाईगंज क्षेत्रांन्तर्गत बैंक आफ इण्डिया की सलेमपुर शाखा में हुई लूट की घटना के सम्बन्ध में है जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

छठीं सूचना की श्री बच्ची सिंह रावत की जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत व भिकियासेन के अनेक मोटर मार्ग पर यातायात सुविधा उपलब्ध न होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

शेष सभी सूचनायें अस्वीकृत जाती है ।

ग्रेनाइट पत्थर की पहाड़ियां नीलाम होने से बन्द हो रहे स्टोन क्रेशर उद्योग एवं बेकार हो रहे हजारों मजदूरों के सम्बन्ध में श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा नियम 5। के अन्तर्गत दी गई सूचना पर परिवहन मंत्री का वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री नन्दलाल पटेल)

मान्यवर, वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के उपरान्त .....

(कई माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ा हुआ मान लिया जाए कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री नन्द लाल पटेल-

....(वन क्षेत्रों में खनन कार्य भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बगैर नहीं किया जा सकता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त करने के निर्देश भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये हैं । उसके अनुसार वन भूमि में खनन कार्य करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर सभी विवरण देते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा । इस प्रस्ताव पर सभी सम्बन्धित विभागों की संस्तुतियां प्राप्त कर वन विभाग के नोडल अधिकारी के माध्यम

नोट:-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार को अग्रसारित किया जायेगा। वन भूमि में खनन कार्य करने के पूर्व वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व आवेदक का ही होता है। जनपद बांदा की वन क्षेत्र स्थित सम्बन्धित पहाड़ियों के सम्बन्ध में याचक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अधीन निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन भर कर नोडल अधिकारी को देने पर ही भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही सम्भव है। वर्तमान में शिवरामपुर-भरतकूप क्षेत्र में 22 स्टोन क्रेशर कार्यरत हैं।।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, इसमें एक बिन्दु है जो पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है मुख्य रूप से हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के विधायक हैं। वह हमेशा अपनी पीड़ा यहां बताते हैं वन संरक्षण कानून 1980 के बारे में कहते हैं कि इसकी वजह से अनेक विकास कार्य रुके हुए हैं इसके सम्बन्ध में ढील होनी चाहिए यदि सरकार ने कोई यत्न किया है तो उसकी जानकारी देने की कृपा करें।

श्री नन्द लाल पटेल-

मान्यवर, इसमें कुछ खनन का काम होता है कुछ वन विभाग का काम होता है जो केन्द्र सरकार के अनुमति से करना पड़ता है जो सम्बन्धित बातें होगी जो सूचनायें माननीय सदस्यों ने दी है देख ली जायेगी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

यह ठीक है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के बाद जो अवैध खनन कर लेते है उनमें और जो शासन से अनुमति लेकर यह काम करते है दोनों में किसी प्रकार का अन्तर नही होता है तो जो अवैध खनन करते है उससे स्वाभाविक है कि वैध रूप से खनन करने वालों के साथ अन्याय हो रहा है तो अवैध खनन न हो पाये इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए।

श्री नन्द लाल पटेल-

मान्यवर, कोशिश की जाती है कि अवैध खनन न हो, भैरों प्रसाद मिश्र जी ने जो सूचना दी है उनके प्रश्न का उत्तर दिया गया है। शिवरामपुर, भरतकुप क्षेत्र में 22 स्टोन क्रेशर कार्यरत हैं। जो अवैध कार्य हो रहे हैं उसको रोका जा रहा है।

लखनऊ महानगर के गुडम्बा थाना क्षेत्रान्तर्गत एक व्यवसायी का अपहरण किये जाने तथा नगर की बिगड़ती कानून व्यवस्था विषयक श्री राम कुमार शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

दिनांक 15-7-95 को श्री सरन पाण्डेय पुत्र श्री रतन पाण्डेय....। कई माननीय सदस्यों के पढ़ा हुआ मान लिया जाए कहने पर।

नोट:-। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है पढ़ा हुआ माना जाये ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

....।निवासी सी-/2/6। जानकीपुरम् थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ पर लिखित सूचना दी कि सबौली, ग्राम के श्री हुलासी राम पुत्र श्री बालादीन का रात्रि 8 बजे सबौली गांव की सड़क से श्री हुलासी के घर के पास से एक सफेद एम्बेस्डर कार में सवार 5 व्यक्तियों (चालक सहित) ने अपहरण कर लिया और कार को रिंग रोड की ओर जाते देखा गया । इस सूचना पर थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ पर मुकदमा अपराध संख्या 197/95 धारा 364 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया । सहायक पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थानाध्यक्ष गुडम्बा व विवेचक श्री धर्मवीर शर्मा द्वारा सम्भावित स्थानों पर दबिशें आदि दी गई परन्तु अपहृत व अभियुक्तों आदि का पता नहीं चल सका है । इसके लिये निरन्तर प्रयास जारी है ।

2-पुलिस द्वारा श्री हुलासी राम को बरामद करने एवं अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं । परिवार की सुरक्षा के प्रति भी पुलिस निरन्तर सतर्क दृष्टि रख रही है । जहां तक नगर की बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति का प्रश्न है पुलिस निरन्तर अपराध स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रही है ।।

लखनऊ महानगर के हजरतगंज वार्ड (महानगर क्षेत्र) में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम कुमार शुक्ल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पशुधन राज्य मंत्री का वक्तव्य

पशुधन राज्य मंत्री (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)-

मान्यवर, लखनऊ शहर के गोमतीपार क्षेत्र में पुराना महानगर.....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसको पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद्-

....।महानगर, ग्वारपुरवा, रहीमनगर, छतरतला, बड़ा चांदगंज, खिनिया टोला आदि पुराने मोहल्ले तथा नई कालोनी महानगर में विद्युत आपूर्ति लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम (लेसू) द्वारा 33/11 के0वी0 विकास नगर एच0ए0एल0 तथा अलीगंज उपकेन्द्रों से की जाती है । इस क्षेत्र की विद्युत समस्या को दृष्टिगत रखते हुये इसमें सुधार लाने हेतु लेसू द्वारा सितम्बर, 1993 में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से महानगर क्षेत्र में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये पत्राचार प्रारम्भ किया गया था । तदुपरान्त नगर निगम लखनऊ से भी लेसू के अधिकारियों द्वारा भूमि प्राप्त करने हेतु प्रयास किये गये । नगर निगम लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 47/उद्यान/95-96 दिनांक 22-4-95 द्वारा लेसू को अवगत कराया

नोट:-।। यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कि विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 25×25 वर्ग मीटर का भूखण्ड जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा निर्धारित दरों पर लगभग 15.13 लाख रुपये में लेसू को महानगर स्थित सुभाष पार्क में उपलब्ध करायी जा सकती है। राज्य विद्युत परिषद् द्वारा इस धनराशि का भुगतान किये जाने का आश्वासन दे दिया गया है, जिसकी सूचना लेसू द्वारा नगर निगम को दे दी गई है। जैसे ही नगर निगम लखनऊ द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जाती है, 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा, जिससे इस क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हो जायेगा।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मंत्री जी ने जिस विद्युत केन्द्र के निर्माण की बात कही है उसका निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद्-

जैसे ही जगह उपलब्ध हो जायेगी, यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

नगर निगम द्वारा कितने ही गैर सरकारी और गैर जरूरी कार्यों के लिये अवैध रूप से अनाप-सनाप जमीनें दी गई हैं और इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार कहती है कि जैसे ही भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। तो मैं सरकार से यह स्पष्ट आश्वासन लेना चाहता हूं कि हम नगर निगम से जमीन लेकर फला दिन से इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह डंग साहब का सुझाव है।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद-

डंग जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है जो पहले मंत्री भी रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है और एक विभाग से दूसरे विभाग को पैसे का हस्तान्तिरण हो जायेगा और जमीन मिल जायेगी। वैसे ही हम काम प्रारम्भ करा देंगे।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या यह हो चुका है एग्रीमेंट कि पैसा जमा कर देंगे तो जमीन दे दी जायेगी। तब तो बात मेरे समझ में आती है वर्ना काल्पनिक बात करना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप मिलकर मंत्री जी को बता दीजियेगा।

(व्यवधान)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

अगर जमीन के बारे में शासन और नगर निगम के बीच में हुआ है तो बात सामने आ जावे, और सभी को मालूम हो जाय और यदि यह मात्र कल्पना है तो सदन में ऐसी हल्की बात नहीं कही जानी चाहिये।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद-

वक्तव्य भाषण में पहले ही इस सम्बन्ध में बता दिया गया है कि इसके लिये सुभाष पार्क में जगह भी तय है और राजी भी हो गये हैं। जैसे हस्तांतरण हो जायेगा वैसे ही व्यवस्था कर दी जायेगी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

1993 से यह चल रहा है, 2 वर्ष हो गये हैं.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जो आप कहलवाना चाहते हैं वह मंत्री जी नहीं कहना चाहते हैं तो आप उनसे कैसे निकलवा सकते हैं ।

भदोहीं जनपद में ज्ञानपुर नहर तथा उससे निकली सीखड़ रजवहा में अधिग्रहीत किसानों का मुआवजा न दिये जाने विषयक श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

माननीय विधायक श्री रंगनाथ मिश्र.....

एक सदस्य-

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।)

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

....( ) द्वारा नियम 51 की सूचना में यह शिकायत की गई है कि ज्ञानपुर नहर तथा उससे निकली सीखड़ राजवाहा के निर्माण हेतु 20 वर्षों से किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया है, उसका मुआवजा मजबूत किसानों को दे दिया परन्तु निर्बल किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है एवं कुछ फर्जी व्यक्तियों जैसे-शल्लू, रमजान को जिनकी भूमि नहर में नहीं ली गई, उनको लाखों रुपया का भुगतान कर दिया गया ।

2-प्राप्त सूचनानुसार उक्त प्रकरण की स्थिति यह है :-

(1) ज्ञानपुर पम्प नहर परियोजना जनपद इलाहाबाद के पूर्वी क्षेत्र, जनपद वाराणसी के पश्चिमी क्षेत्र एवं मिर्जापुर के उत्तरी क्षेत्र में गंगा नदी से पम्पों द्वारा पानी लिफ्ट कर नहरी सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु बनाई गई है । इस परियोजना की कुल लागत रु0 11051.00 लाख केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 1991 में स्वीकृत की गई ।

इस परियोजना पर अब तक लगभग रु0 6300.00 लाख का कार्य पूरा हो चुका है । पक्के पम्पगृह का निर्माण एवं उसमें 150 क्यूसेक क्षमता वाले 10 पम्पों की स्थापना की जा चुकी है ।

परियोजना के अन्तर्गत 74 कि0मी0 को मुख्य नहर को सम्मिलित करते हुये 606 कि0मी0 लम्बी वितरण प्रणाली बनाया जाना प्रस्तावित था जिसके विरुद्ध 74 कि0मी0 मुख्य नहर सहित 373 किमी0 वितरण प्रणाली का निर्माण किया जा चुका है ।

नोट:-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शेष 233 कि0मी0 वितरण प्रणाली का निर्माण अवशेष है। एवं उक्त कार्य भूमि अधिग्रहण संबंधी विवादों के कारण आगे स्थगित है।

(2) मुख्य नहर 74 कि0मी0 एवं वितरण प्रणाली की 606 कि0मी0 लम्बी नहरों के निर्माण हेतु जनपद वाराणसी, मिर्जापुर एवं इलाहाबाद में कुल 1049 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित था जिसके लिये परियोजना में रु0 2317.00 लाख का प्राविधान है।

(3) जनपद वाराणसी (जनपद भदोही सहित) में निर्मित 308 कि0मी0 नहरों के लिये प्रस्तावित 936 हेक्टेयर भूमि में से 252 हे0 चकबन्दी द्वारा छोड़ी गई है तथा शेष 684 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की गई, जिसमें से 458 हे0भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। अवशेष भूमि 226 हे0 में से 188 के0 के भूमि अध्ययन प्रकरण जिलाधिकारी स्तर पर है एवं 38 हे0 के अध्ययन प्रकरण चकबन्दी की धारा 52 प्रकाशित न होने के कारण लम्बित है।

(4) अध्याप्ति एवं भुगतानिक भूमि के अतिरिक्त अन्य 119 प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत घोषित एवार्ड के विरुद्ध कृषकों द्वारा आपत्ति करने पर कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत 316 प्रकरणों के बाद जनपद न्यायालय में संदर्भित किये गये जिनमें कुल 59.124 हेक्टेयर भूमि के वादों के प्रतिकर का प्रतिवाद है।

उक्त 316 वादों में से 276 वादों में जिला न्यायालय द्वारा कलेक्टर के मूल एवार्ड से औसतन छः गुनी प्रतिकर की दर निर्धारित की गई है। उक्त 52.684 हैक्टेयर भूमि का प्रतिकर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा 95.30 लाख रुपये निर्धारित किया गया था जो न्यायालय द्वारा बढ़ाकर 733.21 लाख रुपये कर दिया गया।

शेष 40 वाद, जिनमें 6.44 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवाद है विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्रतिकर की धनराशि 19.66 लाख रु0 निर्धारित है, जनपद न्यायालय में विचाराधीन है।

(5) जनपद न्यायालय द्वारा निर्णीत उक्त 276 वादों में से 135 वादों में न्याय विभाग की स्वीकृति से मा0 उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा चुकी है तथा एक वाद में अपील दायर की जा रही है एवं 136 वादों में अपील हेतु न्याय विभाग से स्वीकृति लेने की कार्यवाही की जा रही है।

(6) जिलाधिकारी, वाराणसी के अनुसार उक्त भूमि अध्याप्ति के 119 प्रकरणों के लिये प्रतिकर की नवीनतम मांग रु0 1227.30 लाख निम्नानुसार है:-

	लाख रु0 में
1-जिलाधिकारी के मूल निर्णय के अनुसार देय अवशेष प्रतिकर	64.73
2-धारा 18/28 ए के अन्तर्गत बढ़ाई गई जिला न्यायालय के निर्णय पर आधारित प्रतिकर की धनराशि	481.39
3-दिनांक 31-8-92 तक व्याज की धनराशि	681.18
	रु0 1227.30 लाख

(7) वर्तमान में 52.70 हे0 भूमि के वादों में मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार भुगतान करने की स्थिति में उक्तानुसार 1227.30 लाख रु0 का भुगतान करना पड़ेगा एवं उक्त भूमि से संबंधित ग्रामों में कुल भूमि 193 हे0 अधिग्रहीत की गई है। उक्त निर्णय धारा 28ए के अन्तर्गत उक्त समस्त भूमि 193 हे0 पर लागू होगा जिसके लिये 32.00 करोड़ से अधिक धनराशि देय होगी।

(8) अतः मा0 जनपद न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी के एवार्ड से 6 गुना से अधिक निर्णीत उक्त वृहद धनराशि का भुगतान मा0 उच्च न्यायालय में दायर अपीलों/ दायर की जाने वाली अपीलों एवं उक्त दायर अपीलों में से एक प्रतिनिधि केस में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 50% धनराशि के भुगतान पर पारित स्थगनादेश को देखते हुये किया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया है। जब तक समस्त वादों में निर्णय नहीं प्राप्त हो जाता है अपील के प्रकरणों में स्थगनादेश प्राप्त करने हेतु भी प्रयास किये जा रहे हैं।

सूचना में उल्लिखित कथित फर्जी भुगतानों की जांच कराया जाना प्रस्तावित है।

आगरा मण्डल में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर फर्जी कार्य तथा दोषी अधिकारियों को बचाये जाने विषयक श्री रमेश कान्त लवानियां द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दुग्ध विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (श्री भागवत पाल)-

माननीय सदस्य विधान सभा श्री रमेश कान्त लवानियां.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री भागवत पाल-

मा0 सदस्य विधान सभा श्री रमेश कान्त लवानियां द्वारा दी गई सूचना कि आगरा मण्डल में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर फर्जी कार्य तथा इन

नोट:- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यों के लिये मण्डल में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि यह कथन सही नहीं है कि "1993-94 में 895 इकाइयां फर्जी पाई गयी एवं 312 कर्मचारियों पर दोष सिद्ध हुआ था। वस्तुतः फर्जी/त्रुटिपूर्ण पायी गई 895 इकाइयां तथा उनके लिये दोषी 312 कर्मचारी केवल एक वर्ष से संबंधित नहीं हैं अपितु यह स्थिति वर्ष 1994-95 के अन्त तक की है जिसमें विगत वर्षों की भी इकाइयां सम्मिलित हैं। यह भी सही नहीं है कि 398 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई है अपितु कुल दोषी 312 कर्मचारियों में से 30 के विरुद्ध कार्यवाही मार्च, 1995 तक की जा चुकी थी, इस प्रकार केवल 282 कर्मचारियों के ही विरुद्ध कार्यवाही की जानी थी।

(2) प्रश्नगत प्रकरण में मण्डलायुक्त, आगरा से प्राप्त अद्यावधिक सूचना के अनुसार 39 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा चुकी है तथा शेष से स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

(3) जहां तक जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा सत्यापन का कार्य न किये जाने का प्रश्न है, वर्ष 1994-95 में आगरा जनपद में 189, अलीगढ़ में 330, एटा में 936, फिरोजाबाद में 461, मथुरा में 367 तथा मैनपुरी में 187 सत्यापन किये गये हैं। यह सही है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सत्यापन नहीं किये गये हैं। इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त द्वारा मण्डल के जिलाधिकारियों को निर्दिष्ट किया गया है कि वे जिला स्तरीय टास्कफोर्स में सम्मिलित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

(4) इसी संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन स्तर से सभी मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को इस आशय के निर्देश भेजे गये हैं कि टास्क फोर्स में सम्मिलित अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सत्यापन किये जायं तथा जो अधिकारी सत्यापन न करें उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाय। इसी प्रकार सत्यापनों के आधार पर फर्जी/त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग के लिये दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को भी दण्डित करने पर निरंतर बल दिया गया है। स्पष्ट है कि सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को बचाने के पक्ष में नहीं है।)

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्रामों का पानी खारा होने सम्बन्धी श्री बदन सिंह की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री बदन सिंह-

मान्यवर, मैंने अपने क्षेत्र के खारे पानी की समस्या के निराकरण के लिये बड़ी आशा के साथ में एक सवाल पूछा था। सवाल यह था कि क्या सरकार को जानकारी

नोट:-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्रामों का 80 प्रतिशत पानी खारा है। रिचार्ज योजना के अन्तर्गत तालाबों, नदियों, नालों में बरसाती जल को अवशोषित करायेंगे यदि हां, तो रिचार्ज परियोजना कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी, यदि नहीं, तो क्यों ? सबसे पहले इस सवाल के बारे में जानकारी करने पर कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न अतारांकित में बुधवार के दिन सातवें नम्बर पर स्वीकृत हुआ है, मुझे बड़ी निराशा हुई। यह विषय जो कि खारे पानी से संबंधित है मेरी ही तहसील किरावली का मामला नहीं है। प्रदेश के 66 जिलों में से 42 जनपदों का पानी आंशिक रूप से खारा है। आगरा, मथुरा, इटावा, कानपुर, रायबरेली, गोण्डा, आजमगढ़ आदि जिलों में भी यही स्थिति है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि आगरा जनपद की तहसील किरावली के 80 प्रतिशत गांवों का पानी खारा है। रिचार्ज योजना के अन्तर्गत खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने में पोखर, तालाब, नदी नालों के बरसाती पानी को संग्रह करके उसको खारे पानी में अवशोषित करने के लिये रिचार्ज योजना की बात का उत्तर दिया तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिचार्ज योजना अभी इसलिये सम्भव नहीं है कि पहले कुछ आवश्यक सर्वेक्षण करवाये जायेंगे। आवश्यक सर्वेक्षण में भूगर्भीय जल की संरचना के लिये सर्वे कराने की जरूरत बताई। दूसरे भूगर्भ जल के प्रवाह की प्रकृति का अध्ययन करने, स्थल चयन करने की आवश्यकता बताई। मान्यवर, खारे पानी को देखते हुये इलैक्ट्रिक मैग्नेटिक यंत्रों के द्वारा सर्वेक्षण करने की जरूरत बताई और इसके पश्चात् फोटोजोलोजिकल पंपिंग की जरूरत बताई। मान्यवर, इतने सर्वेक्षण कराने में बहुत लम्बा समय लग जायेगा। यह महत्वपूर्ण विषय पिछड़ता चला जा रहा है। इस सवाल से संबंधित मैं माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस सरकार के पास भूवैज्ञानिक विधि है। इस सरकार के पास भूवैज्ञानिक विषारद हैं और सभी आधुनिक किस्म के रेस्टीविटी उपकरण हैं लेकिन यह रिचार्ज योजना को तहसील किरावली में लागू नहीं करवाना चाहते हैं। मेरे क्षेत्र का किसान जो कि न तो इनके भूवैज्ञानिकों की तरह जानकारी रखता है स्वयं से अपने आप ही रिचार्ज योजना अपने खेतों में कर ली है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोठरा के पास में एक गोठरा नाला बहता है उसमें बरसाती जल को रोक लगाकर और वहां एक इसी तरीके से अपने खेतों की ऊंची-ऊंची मेड़ बांधकर खेत का पानी इस सिद्धान्त को लागू करते हुये बरसाती जल को अपने ट्यूब बेलों में डाल दिया। और उसी बरसाती जल को ट्यूबवैल में डालकर फिर उसको छानने के लिये एक मोटे टाट से अपने ट्यूबवेल के पाइप को बांध दिया जिससे उसमें कूड़ा करकट न जाने पाये। भू-गर्भ में बरसाती जल एकत्र होता गया किसान तीन-तीन सौ घण्टे तक खेतों में पलेवा कराते हैं लेकिन जिससे जर्मनिशन नहीं होता है। बीज अंकुरित नहीं होता है।

खारा पानी वहां होने की वजह से चना नहीं हो पाता है । वह जो बरसाती जल है वह प्रथम सिंचाई के काम आ रहा है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बरसाती मौसम में नहर चलाई गई। मेरे क्षेत्र के इकराम नगर में नहर का पानी ट्यूबवेल में डाल लिया फिर नहर के पानी को पम्प सेट से उठाकर उस पानी को उन्होंने खारे पानी की जगह उस मीठे पानी का इस्तेमाल किया । मान्यवर, मेरे क्षेत्र के किसानों में तकनीकी ज्ञान नहीं है । इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यंत्र हैं, मशीनरी है हमने यह सवाल तहसील केरावली की समस्या के नाम पर पूछा है । 276 गांव में से 268 गांव का पानी खारा है । जो 180 प्रतिशत होता है खारे पानी को वहां की जनता किसी काम में नहीं ला सकती है यह पूरे प्रदेश का मामला है । चालीस जनपदों का पानी खारा है तो क्या सरकार तुरन्त कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे खारे पानी को प्रदेश में बढ़ने से रोका जाय । मान्यवर, यह दुर्भाग्य की बात है मैं आपसे क्या कहूं मैं मंत्री जी से मिला था इसी सवाल को लेकर मैंने उनसे कहा कार्यवाही कीजिये उन्होंने कहा कि क्या कार्यवाही करूं ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाये ।

श्री बदन सिंह-

उनके पास भी कोई ज्यादा मसाला नहीं है उन्होंने लिखकर पत्र मांगा । पत्र हमने दिया उस पर संस्तुति करके उन्होंने भेज दी ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें । आपने बिस्तार से अपनी बात कह दी ।

श्री बदन सिंह-

मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक टीम भेजी जाय । वह उनसे सीख ले और जो तकनीकी ज्ञान में कमोवेशी हो उसको दूर किया जाय ।

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री चैनसुख भारती)-

माननीय सदस्य हमारे बुजुर्ग साथी हैं । वह समस्याओं के संबंध में चैतन्य भी रहते हैं वह हमसे भी मिले थे और कहा कि मेरे लेटर को केन्द्र सरकार को भेज दिया जाय जिसको मैंने भेज भी दिया है । सामान्य रूप से प्रभावित क्षेत्र के पोखरों, तालाबों, नदी, नालों के माध्यम से वर्षा जल को इकट्ठा करके भूमि में अवशोषित कराकर (इनफिल्ट्रेशन प्रक्रिया द्वारा) स्थानीय आधार पर भूजल की उपलब्धता बनाई जा सकती है । परन्तु इस माध्यम एवं प्रक्रिया से क्षेत्र में उपलब्ध खारे पानी वाले जलधारक को रिचार्ज करके समुचित मात्रा में संवर्धन किया जाना उस क्षेत्र हेतु सम्भव

है या नहीं और यदि सम्भव है तो उचित है या नहीं, इसका परीक्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्यों कि प्रचुर मात्रा में रिचार्ज कराकर भूमिगत खारे जल के जलधारक का संवर्धन करने से यह सम्भावना बनी रहती है कि जो जल, जलधारक में पहुंचेगा वह भी उसमें मिलकर खारा हो जायेगा और भूजल स्तर ऊपर उठ जाने से अन्य प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है। अतः आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार भूमिगत खारे पानी के जल भण्डार को मीठे पानी में बदलना सम्भव हो जायेगा। रिचार्ज के लिये भी उपयुक्त स्थलों का जहां रिचार्ज कराया जा सके और सतही जल की भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, का निर्धारण किया जाना आवश्यक होगा।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा चल रही है। यह आपका वक्तव्य नहीं है।

श्री चैनसुख भारती-

सतही जल से किसी क्षेत्र में भूगर्भ जल को रिचार्ज करने के लिये उस क्षेत्र के बारे में विभिन्न तकनीकी सूचनाओं की जानकारी अत्यन्त आवश्यक होती है। जैसे भूगर्भ की संरचना जलधारक श्रोतों का विस्तार एवं वितरण तथा भौगोलिक परिस्थितियां इनकी जानकारी के लिये अलग-अलग तकनीकों का उपयोग आवश्यक होता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बैठ जायें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे विद्वान और वरिष्ठ सदस्य बदन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जहां आपके वैज्ञानिकों ने हथियार फेंक दिया। समर्पण कर दिया गांव के लोगों ने आवश्यकता आविष्कार की जननी है उसके अनुसार कार्य किया। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने, जो कि स्वाभाविक है इंजीनियर नहीं हैं। उनके विभाग ने जो उनको लिखकर दे दिया उसी को उन्होंने यहां पर पढ़ दिया। मेरा निवेदन यह है कि केवल किरावली की चर्चा जरूर हुई मगर प्रदेश के कई क्षेत्रों मेरठ क्षेत्र में, कानपुर कमिश्नरी में लखनऊ कमिश्नरी के कुछ हिस्सों में यही कठिनाई है। पेयजल की समस्या काफी गम्भीर है।

(समय 8 बजकर 25 मिनट)

मान्यवर, इतनी बड़ी चुनौती को इतने हल्के ढ़ंग से लेना ठीक नहीं है। आज अरब देशों में इजराइल, जो समुद्र के किनारे हैं, मरुस्थल है, वहां डीसेनालाइजेशन करके खारे पानी को मीठे जल में परिवर्तित किया जा रहा है और उसे पेयजल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, सिंचाई के लिये उपयोग किया जा रहा है। यदि इस तरह से उत्तर आते हैं तो उनसे ऐसा लगता है कि सरकार आयेगी, सरकार जायेगी, वह

तो अलग बात है, लेकिन इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को अनन्तकाल के लिये टालने की प्रक्रिया चल रही है। मुझे अच्छा लगता और सारे सदन को, माननीय बदन सिंह जी को भी अच्छा लगता, यदि सरकार ने कह दिया होता कि हम केवल किरावली तहसील के 80 ग्रामों में 40 गांवों में से एक्सपेरीमेंट के तौर पर इसे लागू करेंगे। कानपुर की बात छोड़ देते और जगह की बात छोड़ देते।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि खारा पानी जो होता है, वह कई कारणों से होता है, वहां की जमीन वहां की जलवायु मुख्य कारण होती है और इसको सर्वेक्षण कराने में वर्षों लगेंगे, उसकी ओर केवल पहला कदम ही किसी सरकार ने उठा दिया होता तो बड़ी अच्छी बात होती, आप केवल शुरुआत कर दीजिये। मैं इस बात को नहीं मानता कि पूरे विश्व में इसकी कोई टेक्नालोजी उपलब्ध नहीं है। आज प्रदेश में दो कमिश्नरियों के किसान पेयजल और सिंचाई के पानी के लिये तरस रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई भी प्रयत्न करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिये और इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिये। मान्यवर, मेरे लिये प्रसन्नता की बात होती यदि माननीय मंत्री जी ने उठकर यह कह दिया होता कि रिचार्ज की व्यवस्था हम 40 गांवों में एक्सपेरीमेंट के तौर पर लागू करेंगे और वर्षा के जल को अवशोषित करके सिंचाई के लिये उपयोग करेंगे। मान्यवर, आज वहां किसानों ने अपनी उपज बढ़ाई है, तकनीकी दृष्टि से सर्वे चाहे हुआ या न हुआ हो, इसलिये पुनः आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब किसान मान रहा है तो स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी को सदन में इस बात का आश्वासन अवश्य देना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, हम तो तकनीकी आदमी नहीं हैं और न ही बदन सिंह जी हैं। लेकिन समझा यह जाता है कि माननीय मंत्री जी को आता होगा, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। मान्यवर, मुझे लगता है कि सरकार के दिमाग में यह है कि यह योजना शायद सफल न हो, जबकि माननीय सदस्य बदन सिंह पूरी दृढ़ता के साथ कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप उचित समझें तो चर्चा समाप्त की जाय और माननीय मंत्री जी के विभाग में जो इस चीज के विशेषज्ञ हों, उन्हें आप माननीय विधायक जी के क्षेत्र में भेज दीजिये वह वहां माननीय विधायक जी से सम्पर्क कर मौके पर किसानों की बात को भी समझ लें और अगर कोई रास्ता निकलता है तो बहुत अच्छी बात होगी।

श्री अध्यक्ष-

जो सुझाव मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने दिया है उस पर मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे?

श्री चैनसुख भारती-

मान्यवर, डंग साहब ने कहा कि जिम्मेवारी से नहीं ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, डंग साहब ने आक्षेप नहीं किया है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

माननीय बदन सिंह जी अपनें क्षेत्र की बात कह रहे है। मान्यवर, विधान सभा सदस्य जब अपने सदस्य जब अपने क्षेत्र की बात कहता है तो यह माना जाता है कि वह जिम्मेदारी के साथ कह रहा है। माननीय गुप्त जी ने भी एक सुझाव दिया है। माननीय मंत्री जी उस सुझाव को स्वीकार कर लें। बस इतनी सी बात है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ उत्तर दे रहे हैं इसमें किसी को शंका नही है। आप बार-बार आंकड़े दे रहे है उससे माननीय सदस्यों को शंका होने लगती है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो सुझाव दिया है अगर वह सम्भव हो तो विचार कर लें।

श्री चैनसुख भारती-

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने जो सुझाव दिया है, एक टीम भिजवाकर इसको दिखवा लिया जायगा।

श्री बदन सिंह-

मान्यवर, आश्वासन दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कह तो दिया है।

श्री चैनसुख भारती-

मान्यवर, मैंने कहा है कि इस संबंध में एक पार्टी को भेजकर दिखवा लिया जायगा।

श्री बदन सिंह-

माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उस संबंध में माननीय गुप्त जी को और माननीय गुप्त जी को और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं।

प्रदेश में किसानों का वर्ष 1994-95 पेराई सत्र में गन्ना मूल्य बकाया होने सम्बन्धी श्री जगदम्बिका पाल आदि की सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री राम आसरे वर्मा, श्री किरनपाल सिंह, श्री उदल श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना जो गन्ना मूल्य के बकाया के संबंध में है उस पर अब चर्चा होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मुझे एक मिनट दे दीजिये। मान्यवर, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों का जो बकाया है उसका भुगतान तत्काल होना चाहिये। किसानों का कर्जा मिल पर है और किसानों पर अन्य जो कर्जे हैं उनकी वसूली के लिये किसानों को पकड़कर हवालात में बन्द कर दिया जाता है। किसानों का जो सरकार पर बकाया है उसको सरकार को अदा करना चाहिये। कुछ बकाया है वह पिछले वर्ष का है और

कुछ उसके पहले का बकाया है। कुछ बकाया ऐसा है जो जब मिलें रिसीवरशिप में थीं तब का है, चाहे उन मिलों को संघ ने लिया हो या वह और कहीं गई हों, उसके पहले निजी मिल मालिकों के हाथ में मिलें थीं तो उस समय का जो बकाया है उसकी जिम्मेदारी किसकी है उसमें कानून में न जाकर सरकार को उसके भुगतान की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिये। और भुगतान करना चाहिये। माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद हम लोग जो सवाल पूछना होगा वह पूछ लेंगे।

श्रम राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)(स्वतंत्र प्रभार)-

मान्यवर, जो किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है उस सम्बन्ध में मैं पूर्व में यहां कह चुका हूं कि इसकी समीक्षा की जा रही है और तेजी से इसका भुगतान कराया जा रहा है।

पहले जो 27 तारीख को समीक्षा की गई थी, उसके अनुसार 42.10 करोड़ रुपया बकाया था, जो कुल का 2.90 प्रतिशत था, 31 तारीख को जो समीक्षा की गई उसके अनुसार 34.44 करोड़ का बकाया था और जो कुल का 2.37 प्रतिशत रह गया। आज 8 तारीख को समीक्षा हुई है, तो यह घटकर 31.10 करोड़ रुपया रह गया है और 2.14 प्रतिशत कुल भुगतान का शेष बकाया है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कहना चाहता हूं कि इस मूल्य का भुगतान शीघ्र से शीघ्र कराया जायेगा, इसके भुगतान के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं और कोशिश यह होगी कि पेराई सत्र के पूर्व ही इसका भुगतान हो जाये।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्राइवेट चीनी मिलों, निगम की चीनी मिलों और वी0आई0सी0 ग्रुप की चीनी मिलों का जो बकाया है, वह कितना है, उसको कब तक दिलायेंगे और निगम की जो मिलें हैं, उनकी मरम्मत के लिये क्या कर रहे हैं।

(श्री हरेन्द्र सिंह मलिक के खड़े होने पर)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाये, तब दूसरे माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष-

जो नियम 49 है, उसके अनुसार पहले माननीय गुप्ता जी ने विषय वस्तु रखा है, फिर मंत्री जी ने उत्तर दिया है, फिर सदस्य अपनी बात रखेंगे और उसके बाद गुप्ता जी रखेंगे और अन्त में मंत्री जी उनका उत्तर देंगे।

श्री हरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो 2.14 प्रतिशत की बात कही है मैं इस आंकड़े को चुनौती देता हूं। मेरा सबसे पहला अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा घोषित और केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का अवलोकन करें। उनमें है कि यह जो चीनी मिल मालिक गन्ना क्रय करने के 14 दिन के अन्दर भुगतान नहीं करता है, तो उसको उस बकाया धनराशि पर व्याज भी देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सपा की सरकार ने और कांग्रेस की सरकार ने, जो भी भी उधर रही, घोषणा किया कि व्याज दिलवायेंगे। हम किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि नियमों के अन्तर्गत जो व्याज देय था क्या उसको भी देने की व्यवस्था उसमें की है और न हीं उसमें जोड़ा है तो क्यों नहीं जोड़ा है। आपके बैंक का और सहकारी समितियों का जो कर्जा होता है, उस पर तो व्याज लिया जाता है, तो फिर गन्ना किसानों के बकाये पर क्यों नहीं ब्याज दे रहे हैं। आपने 2.14 प्रतिशत बताया है, अगर इसी को हम सही मान लें तो क्या किसानों की पर्ची का जो धन है, उसमें समायोजित करने की कृपा करेंगे।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, खेद का विषय है कि दो प्रतिशत से ऊपर बकाया है। जब माननीय मंत्री जी ऊत्तर देंगे तो बता देंगे कि किस श्रेणी की मिलों पर कितना बकाया है। जब किसानों का पैसा बाकी रहता है तो उसको कोई देने वाला नहीं रहता है, मगर किसानों पर कर्ज होता है, तो उसका उत्पीड़न किया जाता है, तो किसानों की जो पर्चियां है उसका धन उनको समायोजित कर उनका उत्पीड़न तत्काल रोकेंगे।

मान्यवर, मैं दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि भारत का संविधान भी कहता है समानता की बात करता है। यह किसानों के ऊपर जो बकाया है उसके ऊपर आर0सी0 जारी होती है तो जो इस प्रकार की मिलें हैं चाहे सरकारी हों, चाहे गैर सरकारी हों चाहे प्रदेश सरकार चला रही हो चाहे केन्द्र सरकार चला रही हो राजस्व की वसूली जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से उनके ऊपर आर0 सी0 जारी करके दण्डित करने का काम यह सरकार करेगी या नहीं और तीसरी बात यह जानना चाहता हूं कि जब विधिक रूप से यह बंधन है कि कोई भी चीनी मिल अगर 15 दिन के बाद किसी किसान का भुगतान नहीं करती है तो 15 दिन के बाद व्याज को पूरी इमानदारी के साथ जुड़वाकर दिलवाने की गारन्टी यह शासन लेगा।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

मान्यवर, 15 दिन तक अगर भुगतान न हो तो उस पर व्याज लेने की प्रथा है। मैं जानना चाहूंगी कि जनपद बाराबंकी के 15 दिन के भुगतान के मामले में शासन क्या कर रहा है ?

श्री घनश्याम शुक्ल-

मान्यवर, नवाबगंज शुगर फैक्ट्री काफी दिनों से बन्द चल रही है गोंडा जनपद में और किसानों का करोड़ों रुपया उस शुगर फैक्ट्री पर जो रुपया बाकी है तो क्या मा0 मंत्री जी नवाब गंज शुगर फैक्ट्री पर जो रुपया बाकी है उसको दिलाने की व्यवस्था करेंगे। यदि हां, तो कब तक और दूसरा सवाल है कि तमाम सहकारी फैक्ट्रियां घोषित हुई हैं खुलने के लिये तो क्या माननीय मंत्री जी नबाबगंज शुगर फैक्ट्री जो बन्द चल रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, जो मैंने कहा था उसी पर बल दे रहा हूं।

श्री श्याम लाल यादव-

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी की यह जिज्ञासा है कि वर्तमान समय में विभिन्न चीनी मिलों पर कितना बकाया है। मान्यवर, जो समीक्षा की गई है उसमें कुल बकाया 109 करोड़ 77 लाख है इसमें निजी क्षेत्र का 31.10 करोड़ सहकारी चीनी मिलों का 8.21 करोड़, निगम की चीनी मिलों पर 52.84 करोड़ भारत सरकार के उपक्रम के अधीन चीनी मिलों पर 17.62 करोड़ यह वर्तमान समय में बकाया है। नवाबगंज की चीनी मिल पर 7 लाख रुपया बकाया है। मान्यवर, निगम की चीनी मिल पर जो बकाया है वह 52.84 करोड़ है। 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था ऊत्तर प्रदेश सरकार ने पहले कर दी है। अब उसमें 32.84 करोड़ रुपया शेष रह जाता है। जैसा कि निगम की मांग थी कि 50 करोड़ रुपया उसे उपलब्ध कराया जाय तो बाकी 30 करोड़ पर भी शासन विचार कर रहा है कि 30 करोड़ दिया जाय। माननीय शुक्ल जी ने जो पूछा 60 लाख रुपया बकाया है नवाबगंज चीनी मिल पर। माननीय मलिक जी ने किसानों के बकाये मूल्य पर व्याज देने की बात कह रहे थे। यह पूर्व में भी आया है, जितने दिन मैं सदन आया हूं, कभी जब गन्ने का प्रश्न आया तब यह प्रश्न आया है और यह विगत 40-50 वर्षों से आता रहा होगा।

श्री हरेन्द्र सिंह-

माननीय मंत्री जी अपने श्रीमुख से ऐसी बात न कहें जो नजीर बन जाये। उच्च न्यायालय ने आदेश दिये हैं, उसके अनुसार किसानों को व्याज मिले और यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसान का 14-15 दिन से ऊपर बकाया रह जायेगा तो व्याज दिया जायेगा। व्याज दिया भी गया है।

श्री श्याम लाल यादव-

अभी मान्यवर, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है कि बकाये मूल्य का कोई व्याज दिया जायेगा। व्याज दिया भी गया।

श्री हरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह सिस्टम टूट जायेगा, किसान बरबाद हो जायेगा।

(व्यवधान)

क्या जो यह शुगर परचेज ऐक्ट है उसे समाप्त कर दिया है या शुगर परचेज ऐक्ट के हिसाब से काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा का समय समाप्त हुआ। अब हम उठते हैं। 16 तारीख को फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन रात्रि 8 बजकर 42 मिनट पर बुधवार दिनांक 16 अगस्त, 1995 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
8 अगस्त, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर)

शस्त्रधारकों की सूची जिनका अपराधिक इतिहास है

जनपद जालौन

नाम थाना	क्र0सं0	शस्त्र धारक का नाम व पता
1	2	3
कैलिया	1	जयसिंह पुत्र रामनाथ सिंह, निवासी ग्राम नरी, थाना कैलिया
	2	आनन्द स्वरूप पुत्र गोविन्द सिंह निरंजन, निवासी ढेरी थाना कैलिया,
	3	विशम्भर सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह, निवासी गैदोली, थाना कैलिया
	4	मदन मोहन पुत्र दीनदयाल, नि0 सलईया थाना कैलिया
	5	युद्धनाथ सिंह पुत्र रघुराज सिंह, नि0पीपरी, थाना कैलिया
	6	कृष्णपाल सिंह पुत्र पहलवान सिंह, नि0 देवगांव, थाना कैलिया
कालपी	1	रमाकान्त उर्फ कंथा पुत्र भोजराज, नि0बरखेड़ा थाना कालपी
	2	भोपाल सिंह पुत्र भारत सिंह नि0 उरकरा थाना कालपी
एट	1	चतुर सिंह पुत्र बिन्द्रावन पाल, नि0 पिरौना थाना एट
	2	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बाबूराम मिश्रा, नि0गिरधान थाना एट
	3	गजराज पुत्र जुगल किशोर, नि0 खल्सा, थाना एट
	4	घासीराम पुत्र टीकाराम यादव, नि0 पचोखरा, थाना एट
	5	बीरपाल सिंह पुत्र मलखान सिंह, नि0 हरदोई गूजर, थाना एट
कदौरा	1	राम शंकर पुत्र महराज सिंह, नि0 पंडौरा, थाना कदौरा
	2	कृपाशंकर उर्फ टिल्लू पुत्र महराज सिंह, नि0 पंडौरा, थाना कदौरा
	3	परमानन्द पुत्र टनकू चमार, नि0 अलीपुर, थाना कदौरा
	4	महेन्द्र सिंह पुत्र शिवराम सिंह, नि0अलीपुर, थाना कदौरा
	5	जाननयन पुत्र छबिलाल लोधी, नि0 बसरेही, थाना कदौरा

1	2	3
कुठौंद	1	बेनी प्रसाद पुत्र बाबूराम सोनी, नि0 मदारीपुर थाना कुठौंद
	2	शिवशंकर पुत्र बाबूराम, नि0मदारीपुर थाना कुठौंद
	3	राजनरायण पुत्र बलराम दुबे, नि0 करतलापुर, थाना कुठौंद
	4	शिवसिंह पुत्र उमराव सिंह नि0 रन्धीरपुर थाना कुठौंद
रेढर	1	रघुनाथ सिंह पुत्र हिम्मत सिंह नि0 खकसीस थाना रेढर
	2	रामबाबू बुधौलिया पुत्र बालगोविन्द, नि0 परधानी थाना रेढर
	3	बेदरी सिंह पुत्र चिन्टोले सिंह, नि0रूरा, थाना रेढर
	4	रमाकन्त द्विवेदी पुत्र रामस्वरूप नि0 डिहा थाना रेढर
	5	राजेन्द्र सिंह पुत्र बलवान सिंह नि0 जुगराजपुर थाना रेढ़र
	6	महेन्द्र प्रताप पुत्र हाकिम सिंह नि0 ईगुई थारा रेढ़र
	7	कृष्णपाल सिंह पुत्र किशोर सिंह नि0 भगवंतपुर थाना रेढ़र
डकोर	1	चन्द्र प्रकाश पुत्र रामेश्वर प्रसाद नि0 डकोर, थाना डकोर
	2	मकरन्द सिंह उर्फ बच्चा सिंह पुत्र रघुवीर सिह नि0 टिमरौं थाना डकोर
	3	योगेन्द्र सिंह पुत्र कहीरथ ध्वजसिंह नि0 गुढ़ा थाना डकोर
	4	अब्दुल गफार पुत्र अब्दुल सत्तार खां नि0 मुहम्मदाबाद थाना डकोर
कौंच	1	रामानन्द सिंह पुत्र खचेरे, नि0 कुंवरपुरा थाना कौंच
	2	रमेश चन्द्र पुत्र नेतराम नि0 ब्योना थाना कौंच
कोतवाली उरई	1	सुरेश सिंह पुत्र शिवदास नि0 कुसमरा थाना आटा, हाल रामनगर उरई
	2	वीरेन्द्र कुमार दूबे पुत्र शिवनरायन नि0 नयारामनगर उरई
	3	राम बाबू पुत्र श्रीराम द्विवेदी नि0 चमारी थाना आटा

1	2	3
नदीगांव	1	राम प्रसाद पुत्र गुमान पाल नि0 सिकन्दरपुर थाना नदीगांव
	2	कालीचरन पुत्र तिजरीमार नि0 मऊ थाना नदीगांव
कोटरा	1	गुलाम मुहम्मद पुत्र शेरखा नि0 पुर थाना कोटरा
	2	किशुन प्रसाद पुत्र अजुध्या प्रसाद नि0 पुर थाना कोटरा
	3	विजय गुप्ता पुत्र रामदास गुप्ता, नि0 सैदनगर, कोटरा
	4	राम प्रकाश व्यास पुत्र भवानी प्रसाद नि0 बधाना कोटरा
माधौगढ़	1	मंगलसिंह पुत्र शिरोमन सिंह गुर्जर, नि0 बगरा थाना माधौगढ़
	2	अजय कुमार सिंह पुत्र शिवनरायन सिंह नि0 अटागांव थाना माधौगढ़
	3	राजेन्द्र सिंह पुत्र देवसिंह ठाकुर नि0 सिरसा दोगढ़ी थाना माधौगढ़
	4	महताबसिंह पुत्र नरायन सिंह नि0 सुल्तानपुरा थाना माधौगढ़
	5	शंकर पुत्र मनोहरखंगार, नि0 सुरपतपुरा, थाना माधौगढ़
थाना रामपुरा	-	-निल-
चुर्खी	1	जुझार सिंह पुत्र भूरे सिंह यादव नि0 जलालपुर चिरगंवा थाना चुर्खी
	2	राम लखन सिंह पुत्र साहब सिंह नि0 अटरा कला थाना चुर्खी
थाना गोहान	1	मु0 हलीम पुत्र अगनू नि0 चाकी थाना गोहन
	2	बादल खां पुत्र अग्नू खां निवासी चाकी थाना गोहन
	3	जुम्मनवक्स पुत्र अग्नू खां नि0 चाकी थाना गोहन
	4	युनुस पुत्र ख्वाजा वक्स नि0 चाकी थाना गोहन

नत्थी "ख"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

उन लाइसेंस धारकों की सूची जिन्होंने वर्ष 1990 में अन्य राज्यों से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किये

जनपद जालौन

थाना का नाम	क्र0सं0	शस्त्र धारक का नाम
1	2	3
कैलिया	1	हरिओम तिवारी पुत्र बृज विहारी, नि0 सइइया, थाना कैलिया (नौकरी सी0आर0पी0एफ0)
	2	संजीव कुमार पुत्र रमेश चन्द्र, नि0 सामी, कैलिया
	3	गोविन्द सिंह पुत्र सूरज सिंह नि0 दबकई, कैलिया
एट	1	अरविन्द सिंह पुत्र जगदीश सिंह नि0 हरदोई गूजर, एट
	2	श्री अरुण कुमार पालीवाल पुत्र हरलाल नि0 पिण्डारी, एट
	3	श्री चतुर सिंह पुत्र मोतीराम निरंजन नि0 सतोह, एट
	4	श्री हरनरायन पुत्र कृपा राम निरंजन, नि0 सतोह, एट
रेंढर	1	श्री प्रताप नरायन पुत्र महादेव प्रसाद नि0 कुंठौंद, रेंढर
	2	श्री चन्दनपाल पुत्र भूरे लाल नि0 कुंठौंद, रेंढर
	3	श्री प्रेम शंकर पुत्र रामसेवक श्रीवास्तव, नि0 कुंठौंद, रेंढर
	4	श्री राकेश कुमार पुत्र रवीन्द्र नाथ अवस्थी, नि0 खकसीस, रेंढर
	5	श्री गुरुदयाल पुत्र रामसहाय, नि0 खकसीस, रेंढर
	6	मुहम्मद इकबाल पुत्र कबीर नि0 अशरफ निवासी खकसीस, रेंढर
	7	श्री श्याम बाबू पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद शिवहरे, नि0 खकसीस, रेंढर
	8	श्री कृष्ण पुत्र श्यामा चरण ब्राम्हण, नि0 डीहा, रेंढर
	9	श्री रामबाबू पुत्र बालगोविन्द बुधौलिया नि0 परघानी, रेंढर

अतर प्रदेश सरकार

1	2	3
डकोर	1	श्री लक्ष्मण प्रसाद पुत्र सुरताईपाल, नि0 गोरन, डकोर
कौंच	1	श्री कृष्ण कुमार पुत्र हरीराम, नि0 सुभाषनगर कस्बा कौंच
	2	श्री शंकर सहाय पुत्र बुद्ध सिंह, नि0 भद्वारी, कौंच
	3	रामानन्द सिंह पुत्र खचेरे, नि0 कुंवरपुरा, कौंच
	4	श्री रमेश चन्द्र पुत्र नेतराम, नि0 व्यौना, कौंच
माधौगढ़	1	श्री भगवती शरण पुत्र रामकुमार चतुर्वेदी, नि0 मिझौना, माधौगढ़
	2	श्री मुन्नालाल पुत्र रामस्वरूप नि0 मिझौना, माधौगढ़
	3	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र राधाराम मिश्रा, नि0 मिझौना, माधौगढ़
	4	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी, पुत्र नाथूराम, नि0 मिझौना, माधौगढ़
	5	श्री सहाय कुमार तिवारी पुत्र केशव किशोर, नि0 अहेता, माधौगढ़
	6	श्री प्रहलाद कुमार पुत्र उमाशंकर ब्राह्मण, नि0 अहेता, माधौगढ़
	7	श्री विजय कुमार पुत्र पन्नालाल ब्राह्मण, नि0 अहेता, माधौगढ़
	8	श्री विजय बहादुर सिंह पुत्र रणसिंह नि0 महंरादापुरा, माधौगढ़
	9	श्री रामकुमार पुत्र रमेश चन्द्र नि0 कैलोर, माधौगढ
	10	बलवन्त सिंह पुत्र कपूर सिंह, नि0 कुरौती, माधौगढ
	11	श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र रूप सिंह, नि0 कुरौती, माधौगढ़
	12	श्री वीरेन्द्र सिंह, पुत्र शिवराम सिंह, नि0 अटागांव माधौगढ़
	13	श्री कृष्णवतार पुत्र चतुर सिंह, नि0 सिरसादोगढ़ी, माधौगढ़
	14	श्री रामकुमार सिंह पुत्र हरिश्चन्द्र सिंह, नि0 सिरसादोगढ़ी, माधौगढ़

1	2	3
माधौगढ़	15	श्री राम कुमार सिंह पुत्र हरिश्चन्द्र सिंह, नि0 सिरसादोगढ़ी, माधौगढ़
	16	श्री जगदीश सिंह पुत्र शिवसिंह, ठाकुर नि0 सिरसादोगढ़ी, माधौगढ़
	17	श्री मलखान सिंह पुत्र देव सिंह, नि0 सुरपतपुरा, माधौगढ़
	18	श्री राम बहादुर पुत्र मूरत सिंह, नि0 सुरपतपुरा, माधौगढ़
	19	श्री इन्दर सिंह पुत्र अभिलाख नि0 मिहौनी, माधौगढ़
	20	श्री अर्जुन सिंह पुत्र दर्शन सिंह, नि0 धमना, माधौगढ़
	21	श्री गजाधर सिंह पुत्र हुकुम सिंह, नि0 धमना, माधौगढ़
	22	श्री भारत सिंह पुत्र मुकुट सिंह, नि0 धमना, माधौगढ़
	23	श्री रामानन्द पुत्र बालादीन राठौर, नि0 मिर्जापुर, माधौगढ़
	24	श्री महाबीर पुत्र बलवान सिंह नि0 चितौरा, माधौगढ़
	25	श्री बाबू सिंह पुत्र श्री देव सिंह, नि0 महराजपुरा, माधौगढ़
	26	श्री रघुराज सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, महाराजपुरा, माधौगढ़
रामपुरा	1	श्री शत्रुघ्न सिंह पुत्र डाल सिंह,
	2	श्री लक्ष्मीनरायन पुत्र चेतना प्रसाद

उत्तर प्रदेश राजपत्र

नत्थी "ग"

(देखिये अता0 प्र0 सं0 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

संख्या 680/18-12-94-10/90 (टी0सी0)

प्रेषक,

श्री आलोक सिन्हा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

उद्योग अनुभाग-12 - लखनऊ, दिनांक 19 फरवरी, 1994

विषय:-नीलामी वर्ष 1993-94 (राजस्व क्षेत्रों के लिये 1-10-93 से 30-9-94 तक और वन क्षेत्रों के लिये 1-10-93 से 30-6-94 तक) की शेष अवधि के लिये बालू मौरंग और नदी तल में पाये जाने वाले उप खनिजों के रिक्त क्षेत्रों के परिहार स्वीकृत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के टेलेक्स संख्या 679/18-12-94-10/90 टी0सी0 दिनांक 15-2-94 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बालू मोरंग व नदी तल में पाये जाने वाले उप खनिज के बारे में शासन द्वारा नई नीति निर्धारित की जा रही है । जब तक नई नीति निर्धारित नहीं कर दी जाती, उपरोक्त रिक्त उपखनिज क्षेत्र/क्षेत्रों के परिहार के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) उपरोक्त उप खनिजों के जिन क्षेत्रों में खनन की व्यवस्था नीलामी/निविदा/पट्टे आदि के माध्यम से पूर्व में एक निर्धारित अवधि के अन्दर की जा चुकी है, उन क्षेत्रों में निर्धारित अवधि की समाप्ति तक खनन की कार्यवाही उक्त निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत चलती रहेगी ।

(2) शासन के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि बालू मौरंग व नदी तल में पाये जाने वाले उप खनिजों के कतिपय क्षेत्र/क्षेत्रों का परिहार किन्हीं कारणवश नीलामी/निविदा/पट्टे आदि के माध्यम से सम्भव नहीं हो पायी है जिसके कारण शासन को राजस्व की हानि हो रही है । अतएव, उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय राजस्व एवं सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुये उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 के नियम 68 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकार द्वारा

अन्तरिम व्यवस्था के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि बालू, मौरम व नदी तल में पाये जाने वाले ऐसे उप खनिज क्षेत्र/क्षेत्रों की, जिनकी व्यवस्था किन्हीं कारणवश नीलामी/निविदा/पट्टे आदि के माध्यम से नहीं हो पाई है, शासन द्वारा नई नीति निर्धारित किये जाने तक, उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 के अध्याय 6 के प्राविधानों के अन्तर्गत तीन-तीन माह की अवधि के लिये अनुज्ञा पत्र प्रणाली द्वारा परिहार स्वीकृत किया जाय तथा खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने हेतु निम्नांकित प्रस्तर-3 में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाय।

(3)ऐसे उप खनिज क्षेत्र/क्षेत्रों को उक्त नियमावली के नियम 53 के अंतर्गत अनुज्ञा पत्र प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने से पूर्व एक सप्ताह के सार्वजनिक नोटिस द्वारा उप खनिज क्षेत्र/क्षेत्रों की उपलब्धता की सूचना सर्वसाधारण को दी जाय तथा अनुज्ञा पत्र हेतु निर्धारित अवधि, जो तीन माह से अधिक नहीं होगी, में निकाले जाने वाले उप खनिज की मात्रा को स्पष्ट करते हुये नियमानुसार प्रार्थना-पत्र एक निश्चित अवधि (एक सप्ताह) के अन्तर्गत आमंत्रित कर लिये जायं। इस प्रकार के समयांतर्गत सभी वैध प्रार्थनापत्रों पर विचार कर उस आवेदक को अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जाय, जिसके द्वारा अनुज्ञा पत्र की निर्धारित तीन माह की अवधि में अधिकतम उप खनिज निकालने का आवेदन किया गया हो। ऐसे अधिकतम उप खनिज निकालने वाले आवेदक को अनुज्ञा पत्र पर कार्य करने की अनुमति एक सप्ताह के भीतर प्रपत्र एम0एम0 10 में नियमानुसार अग्रिम रायल्टी जमा करं दे दी जाये।

(4) कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि क्षेत्रों की उपर्युक्तानुसार व्यवस्था करने से यथासम्भव शासन को राजस्व की क्षति न होने पावें।

(5)यह स्पष्ट करना है कि उपरोक्त अन्तरिम व्यवस्था शासन द्वारा नई नीति निर्धारित किये जाने तक के लिये ही प्रभावी होगी। जैसे ही शासन द्वारा इस विषय में नई नीति घोषित कर दी जायेगी, एतद्द्वारा निर्धारित अंतरिम व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(6) कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,
आलोक सिन्हा,
संयुक्त सचिव।

संख्या 680 (1)/18-12-94-10/90 टी0सी0 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ,

2-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0,

3-मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0,

4-वन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इसकी सूचना अपने अधीनस्थ अधिकारियों को देने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिये अता0प्र0सं0 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

पत्र संख्या 259, दिनांक 15-7-93 का प्रस्तरवार ब्यौरा

1-श्री विजय नरायन तिवारी द्वारा माह सितम्बर, 91 से दिसम्बर, 92 तक कुल 16 अदद मस्टर रोल जिस पर निरीक्षक/विवेचना अधिकारी भ्र0नि0सं0, उ0प्र0 वाराणसी, फैजाबाद का सत्यापन दिनांक 23-1-93 तथा पुलिस उपाधीक्षक, भ्र0नि0सं0 अप0अनु0वि0, उ0प्र0 फैजाबाद का सत्यापन दिनांक 26-1-93 अंकित है, दिनांक 17-2-93 को जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रा0वि0दल अधिकारी फैजाबाद के कार्यालय में हस्तगत कराया गया है।

2-खण्ड विकास अधिकारी तारुन के पत्रांक 968 दिनांक 25-9-91 द्वारा श्री विजय नरायन तिवारी के निष्कासन के पश्चात् जिला युवा कल्याण अधिकारी के पत्रांक 701 दिनांक 26-9-91 द्वारा श्री तिवारी की ड्यूटी समाप्त कर दी गई है तथा कोतवाली द्वारा भी रपट संख्या 80 दिनांक 26-6-91 द्वारा श्री तिवारी की रवानगी भी कर दी गई। शासनादेश संख्या 732/50-8040-91-35 दिनांक 26-4-91 जिसकी प्रति समस्त पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पृष्ठांकित है, उक्त में अंकित सक्षम अधिकारियों के सत्यापन पर ही पी0आर0डी0 जवानों के ड्यूटी भत्तों का भुगतान किया जाता है।

3-भ्र0नि0सं0, द्वारा किया गया सत्यापन नियमानुसार वैध नहीं, किन परिस्थितियों के अन्तर्गत अनाधिकार चेष्टा करके अनियमित सत्यापन किया गया है। उसके सापेक्ष कौन सा शासनादेश गैर विभागीय मस्टर रोलों, बिलों तथा ड्यूटी सत्यापन की प्रति वैधानिकता प्रमाणित करता है।

पत्र संख्या 835 दिनांक 18-2-94 का प्रस्तरवार ब्यौरा

1-श्री विजय नरायन तिवारी को उनके सक्षम अधिकारी के पत्रांक 701 दिनांक 26-9-91 द्वारा विभाग से निष्कासित कर दिया गया है तथा इसके पश्चात् उन्हें पुनः विभाग द्वारा ड्यूटी करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

2-श्री विजय नरायन तिवारी ने उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ में रिट पिटीशन संख्या 6000-91 एवं सिविल रिट पिटीशन संख्या 7942-91 भी दायर किया जिसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा श्री तिवारी को पुनः विभाग में वापसी हेतु कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

3-दिनांक 20-6-91 को सेवा निवृत्त हुये श्री राम चन्द्र तिवारी जिला युवा कल्याण एवं प्रा0वि0दल अधिकारी के हस्ताक्षर से पिछली तिथि में मेमों बनवाकर श्री विजय नरायन तिवारी ने स्वयं अपने लिये उक्त अधिकारी से एक आदेश जारी कराये जिसे ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने वास्तविकता ज्ञात करके उक्त आदेश को निरस्त कर दिया ।

4-व्यायाम शाला प्रादेशिक विकास दल में डियूटी विभागीय अधिकारियों द्वारा लगाई जाती है । यह डियूटी पुलिस विभाग से लगाये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

5-श्री राम चन्द्र तिवारी के द्वारा फर्जी व कल्पित अवैधानिक फैसला पिछली तिथि में बनाकर श्री विजय नरायन तिवारी को देने के तथ्यों के प्रकाश में आने पर उनके पूर्वाधिकारी द्वारा वास्तविक स्थिति से अपने पत्रांक दिनांकित 5-10-91 के माध्यम से निदेशक युवा कल्याण एवं प्रशासकीय समादेष्टा, प्रादेशिक विकास दल उ0प्र0 को भी अवगत कराया है ।

6-ऐसे अवैधानिक फैसले व फर्जी नियमों दिनांकित 29-6-91 के अवलम्बन पर किसी प्रकार की इयूटी से विभाग का सरोकार नहीं है और इसके आधार पर विभाग द्वारा भुगतान किया जाना नहीं बनता है। इस संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक, भ्र0नि0सं0 फैजाबाद को भविष्य में इस भुगतान के लिये अनावश्यक पत्राचार न करने हेतु लिखा गया है ।

उत्तर प्रदेश विधि आयोग

परिशिष्ट "ङ"

(देखिये अता0प्र0सं0 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

वर्ष 1994-95 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री सहित समस्त मंत्रियों के टेलीफोन, अतिथि सत्कार, गाड़ी व जेब खर्च पर हुये व्यय का विवरण

क्र0सं0	मा0 मंत्रिमण्डल के सदस्यों का नाम	टेलीफोन पर व्यय (रु0 में)	अतिथि सत्कार व्यय (रु0 में)	गाड़ी पर व्यय (रु0 में)	जेबखर्च पर व्यय (रु0 में)
1	2	3	4	5	6
			मुख्य मंत्री		
1	श्री मुलायम सिंह यादव	3230427.00	3256784.15	1506673.58	1040000.00
			मंत्री		
2	श्री बेनी प्रसाद वर्मा	339759.00	322279.85	180453.00	145380.00
3	श्री मो0 आजम खां	472338.00	522.00	162084.77	155645.00
4	श्री राज बहादुर	351757.00	150960.30	174383.25	131644.00
5	श्री राम लखन वर्मा	311175.00	83799.35	175583.37	122683.00
6	श्री रमा शंकर कौशिक	204435.20	31214.45	148960.26	96942.00
7	श्री भगवती सिंह	315913.00	228526.15	153919.05	96604.25
8	श्री बलराम यादव	625024.40	238175.95	203578.75	129435.00
9	श्री बाबूराम यादव	520734.00	96088.60	174700.41	63470.00
10	श्री मनोहर लाल (स्व0) (दिनांक 29-9-94 तक)	190094.00	81553.25	90434.12	38915.00

11	श्री अवधेश प्रसाद	351610.00	77897.55	198584.72	227600.00
12	श्री आर0के0चौधरी	559890.00	136718.45	125270.00	89980.00
13	डा0 मसूद अहमद (दिनांक 21-6-94 तक)	215016.00	98666.85	15420.05	--
14	श्री शाकिर अली (दिनांक 21-6-94 तक)	341375.00	199807.65	195113.57	292496.50
15	श्री श्रीराम यादव	499951.00	124970.15	165199.30	200250.00
			राज्य मंत्री		
16	श्री शारदा नन्द अंचल	562716.00	125864.95	180467.05	334849.00
17	श्री रामधनी	200830.00	94622.10	121134.50	813000.00
18	श्री दीनानाथ भाष्कर	180002.00	75957.05	150117.75	99628.00
19	श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा	152217.55	30424.90	118144.56	89055.00
20	श्री श्रीराम पाल	281703.00	126320.50	159693.35	268400.00
21	श्री सन्त बख्श रावत	112659.00	87518.10	69806.93	74690.00
22	श्री सुन्दर सिंह बघेल	238432.00	148932.80	316142.72	206775.00
23	श्री सुखराम सिंह यादव	110366.00	25192.25	167033.57	81560.00
24	श्री अशोक कुमार सिंह बेबी	266712.00	21431.15	136004.24	92050.00

1	2	3	4	5	6
25	श्री सुखदेव राजभर	284743.00	37707.30	176909.49	51100.00
26	श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	422664.00	89371.00	171630.00	196000.00
			उप मंत्री		
27	श्री राम किशोर विन्द	249506.00	23444.90	138010.24	6900.00
28	श्री लालजी चौहान	184618.00	144679.05	119956.94	2200.00
	कुल योग =	11776667.15	6159430.75	5695390.19	4211251.75

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0 एल0 198 विधान सभा (475)-1995-572 प्रतियां (ई0टी0) ।